वार्षिक रिपोर्ट
2023-24

तउविबो
OIDB

तेल उद्योग विकास बोर्ड

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
भारत सरकार

विषय सूची

बोर्ड के सदस्य 2

बोर्ड के अधिकारी/बैंकर्स/लेखा–परीक्षक 4

लक्ष्य एवं उद्देश्य 5

अध्याय 1

संगठनात्मक व्यवस्था और कार्य 6

अध्याय 2

वित्तीय सहायता : तेल एवं गैस कंपनियों को ऋण 11

अध्याय 3

वित्तीय सहायता : नियमित अनुदानग्राही संगठनों को अनुदान 23

अध्याय 4

वित्तीय सहायता : अनुसंधान और विकास तथा अन्य अनुदान 57

अध्याय 5

तेउविबो का उर्जा सुरक्षा में योगदान 64

अध्याय 6

अन्य पहल/गतिविधियां 73

अध्याय 7

तेउविबो के वार्षिक लेखे 2023–24 79

अध्याय 8

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखाकार की लेखा–परीक्षा रिपोर्ट 108

अध्याय 9

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड (आईएसपीआरएल) की वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखे 117

अध्याय 10

परिशिष्ट 213

बोर्ड के सदस्य
(रिपोर्ट की अवधि के दौरान)

अध्यक्ष

श्री पंकज जैन
सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

सदस्य

श्री अरूण बरोका
सचिव, रसायन एवं
पेट्रो रसायन विभाग
(31.08.2023 तक)

सुश्री निवेदिता शुक्ला वर्मा
सचिव, रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग
(22.02.2024 से आगे)

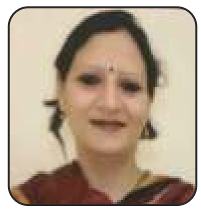

सुश्री कामिनी रतन चौहान
अपर सचिव एवं
वित्तीय सलाहकार,
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

श्री एस.सी.एल.दास
महानिदेशक,
हाईड्रोकार्बन महानिदेशालय
(15.06.2023 तक)

सुश्री पल्लवी जैन गोविल
महानिदेशक,
हाईड्रोकार्बन महानिदेशालय
(13.02.2024 से आगे)

श्री सुनील कुमार
संयुक्त सचिव (अन्वेषण एवं जैव रिफाइनरी)
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

श्री अमित सिंह नेगी
संयुक्त सचिव, व्यय विभाग,
वित्त मंत्रालय

श्री श्रीकान्त माधव वैध
अध्यक्ष
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड

श्री अरुण कुमार सिंह
अध्यक्ष
तेल एवं प्राकृतिक गैस कार्पोरेशन लिमिटेड

श्री संदीप कुमार गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
गेल (इंडिया) लिमिटेड

श्री जी. कृष्ण कुमार
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
(07.07.2023 से आगे)

सुश्री वर्तिका शुक्ला
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
(13.01.2024 तक एवं 22.02.2024 से आगे)

सदस्य

डॉ0 एसएसवी रामाकुमार,
निदेशक (अनुसंधान एवं विकास)
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड
(31.07.2023 तक)

श्री आलोक कुमार
निदेशक (आरएडंडी)
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड
(13.02.2024 से आगे)

सदस्य सचिव

श्रीमती वर्षा सिन्हा,
सचिव,
तेल उद्योग विकास बोर्ड

बोर्ड के अधिकारी / बैंकर्स / लेखा–परीक्षक (रिपोर्ट की अवधि के दौरान)

सचिव	श्रीमती वर्षा सिन्हा
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी	श्री कपिल वर्मा
बैंकर्स	i) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ii) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
लेखा–परीक्षक	प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा, मुम्बई
बोर्ड का पंजीकृत कार्यालय	तेल उद्योग विकास बोर्ड, 301, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बाबर रोड, नई दिल्ली–110 001
सचिवालय	तेल उद्योग विकास बोर्ड, ओआईडीबी भवन, प्लॉट नं0.2, तीसरा तल, सैक्टर–73, नोएडा–201 301, उत्तर प्रदेश
दूरभाष सं.	+91-0120-2594602 +91-0120-2594603
फैक्स	+91-0120-2594630
ई–मेल	facao.oidb@nic.in
वेब साइट	www.oidb.gov.in

तेल उद्योग विकास बोर्ड के लक्ष्य एवं उद्देश्य

- तेल उद्योग विकास निधि का प्रबन्धन।
- तेल उद्योग के विकास के लिए वित्तीय तथा अन्य सहायता देना।
- निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए अनुदान एवं अग्रिम ऋण और इक्विटी निवेश में सहायता देना :–
  - भारत के भीतर अथवा बाहर खनिज तेल की संभावनाओं की खोज एवं अन्वेषण करने;
  - कच्चे तेल के उत्पादन, संचालन, भंडारण और परिवहन की सुविधाओं की स्थापना;
  - पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के परिशोधन एवं विपणन;
  - पेट्रोरसायन और उर्वरकों के निर्माण और विपणन;
  - वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा आर्थिक अनुसंधानों, जो तेल उद्योग के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उपयोगी हों;
  - तेल उद्योग के किसी भी क्षेत्र में प्रयोगात्मक या प्रायोगिक अध्ययन;
- तेल उद्योग में लगे या तेल उद्योग में लगने वाले किसी भी क्षेत्र के अन्य कामों में लगे कर्मियों को भारत में या विदेशों में प्रशिक्षण तथा अन्य विहित उपायों के लिए।

अध्याय–1

संगठनात्मक व्यवस्था और कार्य

1 प्रस्तावना

1.1 कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वर्ष 1973 की शुरूआत से हो रही निरंतर और तीव्र वृद्धि के पश्चात, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम आधारित औद्योगिक कच्चे माल की आवश्यकता से संबंधित प्रगामी आत्मनिर्भरता की आवश्यकता के बढ़ते महत्व को अनुभव करते हुए तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 को अधिनियमित किया गया था। तेल उद्योग (विकास) विधेयक, 1974 के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में निम्नलिखित उद्देश्य शामिल किए गए थे :

- पेट्रोलियम और पेट्रोलियम आधारित कच्चे माल से संबंधित आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के कार्यक्रमों में तीव्रता लाई जाए।
- इस प्रकार के कार्यक्रमों के निष्पादन के लिए आवश्यक संसाधनों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- इन उद्देश्यों के प्रयोजनार्थ तेल उद्योग विकास निधि के सृजन हेतु कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर उपकर वसूल किया जाना चाहिए।
- इस निधि का उपयोग विशिष्ट रूप से तेल उद्योग के विकास संबंधी कार्यक्रमों में संलग्न संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

1.2. इस अधिनियम का उद्देश्य तेल उद्योग के विकास के लिए एक बोर्ड की स्थापना करना और कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क लगाने और उनसे संबंधित मामलों से है।

2 संगठनात्मक व्यवस्था और बोर्ड के कार्य

2.1 तेल उद्योग विकास बोर्ड की स्थापना दिनांक 13 जनवरी 1975 को की गई और यह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य कर रहा है। बोर्ड का अध्यक्ष, केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसमें निम्नलिखित सदस्य हैं :—

(i) अधिकतम तीन सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, केन्द्रीय सरकार के पेट्रोलियम एवं रसायन से संबंधित मंत्रालय या मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किए जायेंगे:

(ii) दो सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, केन्द्रीय सरकार के वित्त से संबंधित मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किए जायेंगे।

(iii) अधिकतम पांच सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, उन निगमों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किए जायेंगे जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन ऐसे निगम है जो तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 में निर्दिष्ट क्रियाकलापों में लगे हुए हैं।

(iv) दो सदस्य, जिनमें से एक केन्द्रीय सरकार द्वारा उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायेगा जिन्हें, सरकार की राय में, तेल उद्योगों की विशेष जानकारी का अनुभव है और दूसरा सरकार द्वारा, तेल उद्योग में नियोजित श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाएगा।

(v) बोर्ड का सचिव, पदेन सदस्य होगा।

2.2 तेल उद्योग विकास बोर्ड की स्थापना, ऐसे सभी अध्युपायों के संप्रवर्तन के लिए, जो उसकी राय में तेल उद्योग के विकास में साधक हो, वित्तीय तथा अन्य सहायता प्रदान करने के लिए की गई। तेल उद्योग (विकास) अधिनियम 1974 के अनुसार, बोर्ड निम्न उद्देश्यों के प्रयोजनार्थ सहायता प्रदान कर सकता है :

क) भारत के भीतर अथवा बाहर खनिज तेल की संभावनाओं की खोज एवं अन्वेषण करने;

ख) कच्चे तेल के उत्पादन, संचालन, भंडारण और परिवहन की सुविधाओं की स्थापना;

ग) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के परिशोधन एवं विपणन;

घ) पेट्रोरसायन और उर्वरकों के निर्माण और विपणन;

ड़) वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा आर्थिक अनुसंधान, जो तेल उद्योग के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उपयोगी हों;

च) तेल उद्योग के किसी भी क्षेत्र में प्रयोगात्मक या प्रायोगिक अध्ययन;

छ) भारत में या विदेश में तेल उद्योग कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए।

2.3 कोई भी तेल संबंधी औद्योगिक प्रतिष्ठान अथवा अन्य व्यक्ति, जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से देश के तेल उद्योग से संबद्ध किसी भी प्रकार की गतिविधि में संलग्न है, वह बोर्ड से वित्तीय अथवा अन्य प्रकार की सहायता प्राप्त करने का पात्र है ।

2.4 तेल उद्योग विकास अधिनियम के कुशल प्रशासन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निर्देशों का पालन करने के लिए भी बोर्ड कर्तव्यबद्ध है ।

3. तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत वित्तीय व्यवस्था

3.1 तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 15 में स्वदेशी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क के रूप में उपकर की वसूली का प्रावधान किया गया हैं। सरकार द्वारा 'भारत में उत्पादित स्वदेशी कच्चे तेल' (तत्संबंधी महाद्वीपीय सीमा सहित) पर निम्न दरों पर उत्पाद शुल्क के रूप में समय–समय पर लागू की गई/संशोधित की गईः

तिथि से प्रभावी	दर, प्रति टन
23 जुलाई, 1974	60 रुपए
13 जुलाई, 1981	100 रुपए
15 फरवरी, 1983	300 रुपए
1 मार्च, 1987	600 रुपए
1 फरवरी, 1989	900 रुपए
1 मार्च, 2002	1800 रुपए
1 मार्च, 2006	2500 रुपए
17 मार्च, 2012	4500 रुपए
1 मार्च, 2016	20% यथा मूल्य

स्रोतः वित्त मंत्रालय

3.2 तेल उद्योग (विकास) अधिनियम की धारा 16 के अनुसार, उत्पाद–शुल्क की एकत्रित की गई आय को प्रथमतः भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है। संसद द्वारा इस संदर्भ में किए गए समायोजनों के अनुसार यदि प्रावधान किए जाते हैं, तो केन्द्र सरकार इन प्राप्तियों में से संग्रहण कार्य पर हुए व्यय को घटाने के पश्चात, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उचित मानते हुए विशिष्ट रूप से उपयोग किए जाने के लिए उस धनराशि का समय–समय पर बोर्ड को भुगतान कर सकती है।

3.3 अधिनियम की धारा 17 के तहत, केन्द्रीय सरकार, अनुदान अथवा ऋण के रूप में बोर्ड को ऐसी धनराशि का भुगतान भी कर सकती है, जिसका संसद द्वारा इस संदर्भ में यथोचित समायोजनों के अनुसार प्रावधान किया गया हो।

4 तेल उद्योग विकास बोर्ड द्वारा प्राप्त निधियां

4.1 तेउविबो द्वारा विभिन्न तेल क्षेत्र की कंपनियों को दिए गए ऋण तथा अतिरेक निधियों का सावधि जमा आय के रूप में अल्पकालीन निवेश करते हुए अपने स्वयं के आंतरिक संसाधनों का सृजन भी किया जाता है। उपकर आय और तेल उद्योग विकास बोर्ड द्वारा आंतरिक संसाधनों से उत्पन्न योगदान से दिनांक 31 मार्च 2024 तक तेल उद्योग विकास कोष में लगभग 12,040.50 करोड़ रुपए संचित हो गए हैं ।

4.2 एकत्रित उपकर की संचय राशि 1974–75 में रुपये 30.82 करोड़ रुपये से बढ़कर 31.03.2024 तक लगभग 2,94,851 करोड़ रुपए हो गई है, जिसमें से तेउविबो को वर्ष 1991–92 तक 902.40 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। उसके पश्चात् उपकर संग्रह में से तेउविबो को कोई राशि आंबटित नहीं की गई। 1974–75 से सरकार द्वारा कच्चे तेल पर एकत्रित उपकर और तेउविबो को दिए गए उपकर का वर्ष वार विवरण नीचे दिए गए ग्राफ में दर्शाया गया है।

आरम्भ से 31.03.2024 तक केन्द्र सरकार द्वारा एकत्रित उपकर एवं तेउविबो को आबंटित की गई धन राशि का विवरण

(रु. करोड़ में)

क्र.स.	वर्ष	सरकार द्वारा कच्चे तेल पर संग्रह	तेउविबो को किया गया भुगतान
1	1974-75	30.82	16.01
2	1975-76	50.05	62.27
3	1976-77	52.88	48.19
4	1977-78	63.72	50.10
5	1978-79	68.89	20.00
6	1979-80	69.70	140.00
7	1980-81	60.40	25.01
8	1981-82	138.97	142.92
9	1982-83	268.83	100.00
10	1983-84	812.80	-
11	1984-85	850.12	-
12	1985-86	897.66	-
13	1986-87	981.50	-
14	1987-88	1806.60	-
15	1988-89	2013.64	63.09

क्र.स.	वर्ष	सरकार द्वारा कच्चे तेल पर संग्रह	तेउविबो को किया गया भुगतान
16	1989-90	2914.57	50.00
17	1990-91	2785.15	89.81
18	1991-92	2500.64	95.00
19	1992-93	2207.61	-
20	1993-94	2175.46	-
21	1994-95	2566.16	-
22	1995-96	2819.52	-
23	1996-97	2558.03	-
24	1997-98	2528.74	-
25	1998-99	2448.18	-
26	1999-00	2589.44	-
27	2000-01	2582.21	-
28	2001-02	2722.79	-
29	2002-03	4873.17	-
30	2003-04	4919.49	-
31	2004-05	5033.97	-
32	2005-06	4857.58	-
33	2006-07	6875.53	-
34	2007-08	6854.00	-
35	2008-09	6680.94	-
36	2009-10	6637.13	-
37	2010-11	7671.44	-
38	2011-12	8065.46	-
39	2012-13	14473.16	-
40	2013-14	14,542.38	-
41	2014-15	14,677.24	
42	2015-16	14,468.94	
43	2016-17	12,778.20	
44	2017-18	14246.20	
45	2018-19	18556.09	
46	2019-20	15800.92	
47	2020-21	11474.15	
48	2021-22	19324.29	
49	2022-23	21629.22	
50	2023-24	18845.98	
	कुल	2,94,850.56	902.40

स्रोतः तेल उद्योग विकास बोर्ड में प्राप्त उपकर से संबंधित आंकड़े ओएनजीसी, ओआईएल और डीजीएच द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं।

अध्याय–2

वित्तीय सहायता : तेल और गैस कंपनियों को ऋण

1 तेउविबो अपने गठन के वर्ष 1974–75 से ही तेल क्षेत्र की सार्वजनिक कंपनियों को ऋण प्रदान कर रहा है। ऋण निधियों का मुख्य उपयोग गैस और तेल पाइपलाइन परियोजनाओं, नई रिफाइनरियों के स्थापना, मौजूदा रिफाइनरियों के गुणवत्ता उन्नयन, सिंगल प्वांइट मूरिंग परियोजनाओं, शहरी गैस वितरण और गैस क्रेकिंग आदि परियोजनाओं के लिए किया जा रहा है।

2. तेउविबो द्वारा वित्त वर्ष 2019–20 से 2023–24 तक वितरित ऋण का विवरण नीचे ग्राफ में दर्शाया गया है:–

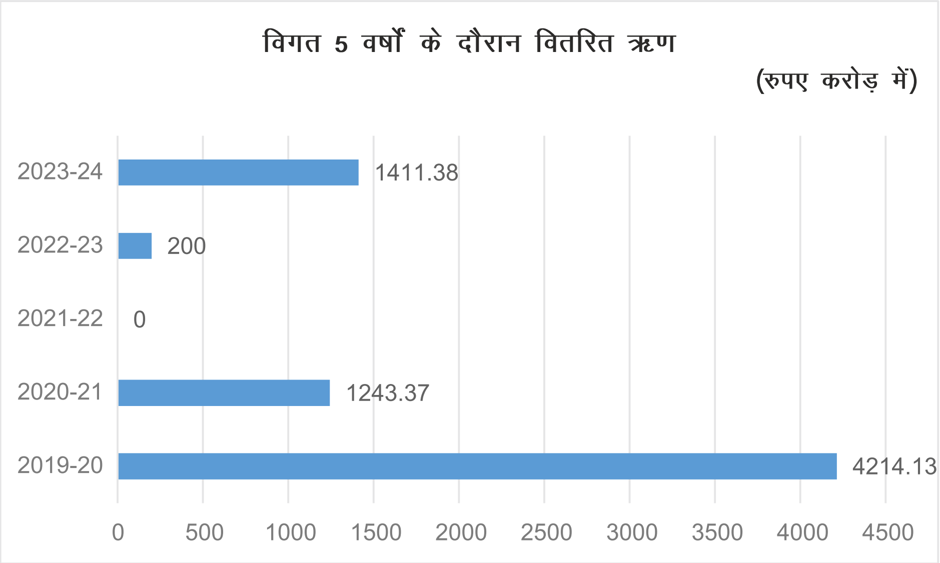

3. तेउविबो द्वारा वितरित ऋण से पिछले पांच वर्षों में तेल क्षेत्र की वित्तपोषित परियोजनाओं का कंपनी वार विवरण निम्न तालिका में दिया जा रहा है:

(रुपए करोड़ में)

क्र0 सं0	तेल संस्थानों के नाम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	Total
1	गेल	850.00	150.00	0.00	0.00	700.00	1700.00
2	आईओसीएल	150.00	437.00	0.00	0.00	0.00	587.00
3	बीपीसीएल	328.25	0.00	0.00	0.00	0.00	328.25
4	एचपीसीएल	2300.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2400.00
5	सीपीसीएल	300.00	200.00	0.00	0.00	0.00	500.00
6	बीसीपीएल	0.00	96.69	0.00	100.00	151.38	348.07
7	बीएलएल	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	14.88
8	आईजीजीएल	0.00	0.00	0.00	100.00	560.00	660.00
9	एमआरपीएल	271.00	55.25	0.00	0.00	0.00	326.25
10	गेल गैस लिमिटेड	0.00	204.43	0.00	0.00	0.00	204.43
	कुल	**4214.13**	**1243.37**	**0.00**	**200.00**	**1411.38**	**7068.88**

4. इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल), ब्रह्मपुत्र क्रेकर एंड पॉलिमर लिमिटेड (बीसीपीएल), गेल (इंडिया) लिमिटेड, गेल गैस लिमिटेड, मंगलौर रिफाईनरी एंड पेट्रोकैमिकल लिमिटेड (एमआरपीएल) और चैन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इन्द्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड (आईजीजीएल) वर्ष 2019–20 से 2023–24 तक की अवधि में तेउविबो से ऋण प्राप्त करने वाले मुख्य लाभार्थी हैं। नीचे ग्राफ में वर्ष 2019–20 से 2023–24 के दौरान वितरित ऋण का संगठनवार विवरण दिया गया है।

प्रतिशत में ऋणों का संवितरण

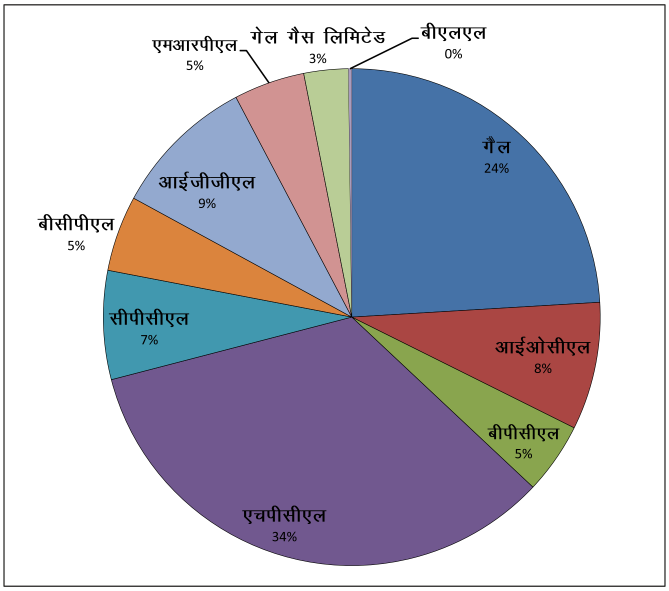

5. 31 मार्च 2024 तक, सार्वजनिक क्षेत्र के तेल एवं गैस कंपनियों के पास 3036.09 (लगभग) करोड़ रूपये का बकाया ऋण है। जिसका संगठन वार ब्यौरा निम्नानुसार हैं :

क्र0 सं0	तेल एवं गैस संस्थानों के नाम	राशि (रुपए करोड़ में)
1.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	50.00
2.	ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पोलिमर लिमिटेड	335.98
3.	गेल (इंडिया) लिमिटेड	1468.75
4.	मंगलौर रिफाईनरी एंड पेट्रोकैमिकल लिमिटेड	95.38
5.	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	75.00
6.	इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड	660.00
7.	गेल गैस लिमिटेड	252.33
8.	बीको लॉरी लिमिटेड	98.65
	कुल	**3036.09**

6. ओआईडीबी द्वारा वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान वितरित ऋणों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र0 सं0	सार्वजनिक क्षेत्र के तेल एवं गैस कंपनियों के नाम	राशि (रुपए करोड़ में)
1.	गेल (इंडिया) लिमिटेड	700.00
2.	इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड	560.00
3.	ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पोलिमर लिमिटेड	151.38
	कुल	**1411.38**

7.0 वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान तेल उद्योग विकास बोर्ड द्वारा वित्त पोषित परियोजनांए

7.1. गेल (इंडिया) लिमिटेड

गेल (इंडिया) लिमिटेड एक ''महारत्न'' कंपनी है और भारत सरकार के स्वामित्व वाली भारत में सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण और वितरण कंपनी है, जिसका 12400 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन नेटवर्क है। कंपनी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम व्यवसायों में विविधता लायी है और पॉवर, द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) पुनः–गैसीकरण, शहर गैस वितरण (सीजीडी) तथा अन्वेषण एवं उत्पादन (ईएंडपी) में अपनी उपस्थिति बढ़ायी है।

एकीकृत जगदीश–हल्दिया और बोकारो–धामरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना

पूर्वी भारत में किफायती मूल्य पर स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण ऊर्जा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, गेल द्वारा जगदीशपुर–हल्दिया और बोकारो–धामरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (जेएचबीडीपीएल) परियोजना (2563 किमी) जिसे पूर्वी भारत की प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा के नाम से भी जाना जाता है, का निष्पादन किया जा रहा है। इसके अलावा, उत्तर पूर्व क्षेत्र

(एनईआर) को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ने के लिए, जेएचबीडीपीएल के एक अभिन्न अंग के रूप में, पाइपलाइन को बरौनी से गुवाहाटी तक भी (सिलीगुड़ी और बोंगाईगांव होते हुए) (726 किमी) बढ़ाया जा रहा है। एकीकृत जेएचबीडीपीएल की कुल निष्पादित लंबाई 3289 किलोमीटर है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, ओआईडीबी ने उक्त परियोजनाओं के लिए गेल इंडिया लिमिटेड को परियोजनाओं के लिए 700 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया है।

बीजीपीएल सहित संपूर्ण जेएचबीडीपीएल का निर्माण 17,405.7 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है और इसे मार्च 2025 तक पूरा किए जाने की संभावना है। यह पाइपलाइन उत्तर प्रदेश (335 किमी), बिहार (719 किमी), झारखंड (500 किमी), पश्चिम बंगाल (696 किमी), ओडिशा (721 किमी) और असम (254 किमी) से होकर गुजर रही है। जेएचबीडीपीएल ने एचयूआरएल गोरखपुर, एचयूआरएल सिंदरी एचयूआरएल बरौनी के उर्वरक संयंत्र को पुनर्जीवित किया है और यह दुर्गापुर में मैसर्स मैटिक्स फर्टिलाइजर्स की जरूरतों को भी पूरा करेगा। इसके अलावा, नेटवर्क पाइपलाइन के रास्ते में आने वाले भारत के पूर्वी हिस्सों में घरेलू और औद्योगिक ग्राहकों को यह स्वच्छ ईंधन की आपूर्ति करेगा। दुर्गापुर हल्दिया पाइपलाइन को छोड़कर एकीकृत जगदीशपुर –हल्दिया और बोकारो – धामरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (जेएचबीडीपीएल) के सभी खंडों को चालू कर दिया गया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

मुख्य विवरण:

- एकीकृत जेएचबीडीपीएल की कुल लंबाई : 3289 किमी
- चालू : 2986 किमी
- निर्माणाधीन : 294 किमी (दुर्गापुर–हल्दिया पाइपलाइन)
- एकीकृत जेएचबीडीपीएल की स्वीकृत लागत : 17405.7 करोड़ रुपये
- दुर्गापुर हल्दिया पी/एल की स्वीकृत परियोजना लागत : 2433 करोड़ रुपये
- दुर्गापुर हल्दिया पी/एल का अनुमानित समापन : मार्च 2025 तक (संभवतः)

निर्माण कार्य की स्थिति (दुर्गापुर–हल्दिया पाइपलाइन) : निर्माण कार्य की स्थिति निम्न के अनुसार है:

कार्यक्षेत्र : 294 किमी

- वेल्डिंग : 228 किमी
- लोअरिंग : 209 किमी
- पूर्ण : 132 किमी

हासिल की गई प्रमुख उपलब्धियां :

- ➤ फूलपुर से वाराणसी (110 किमी) आरंभ की गई और जिसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 14.07.2018 को राष्ट्र को समर्पित किया गया।
- ➤ वाराणसी से डोभी तथा पटना और बरौनी (474 किमी) : 31.03.2019 को आरंभ की गई।
- ➤ दिनांक 30.06.2019 को गोरखपुर से (166 कि.मी.)जोड़ी गई।

- डोभी से दुर्गापुर (350 किमी) जिसमें मैटिक्स फर्टिलाइजर को जोड़ा गया। जिसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 07.02.2021 को राष्ट्र को समर्पित किया गया।
- दिनांक 02.06.2021 को एचयूआरएल सिंदरी (9.2 किलोमीटर) को स्पर लाइन
- बोकारो अंगुल मेन लाइन (533 कि.मी), को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 12.07.2022 को राष्ट्र को समर्पित किया गया।
- 123.2 किलोमीटर लंबी जमशेदपुर स्पर लाइन और 4.6 किलोमीटर लंबी सीजीएस रांची स्पर लाइन 12.09.2022 को चालू की गई।
- धर्म–अंगुल मेनलाइन (206 किलोमीटर): 16.02.2023 को चालू की गई।
- कटक–भुवनेश्वर स्पर लाइन धामरा–अंगुल खंड 31.03.2023 को चालू की गई।
- बरौनी–गुवाहाटी पाइपलाइन का बिहार खंड (282 किमी) 31.03.2023 को चालू हुई।
- पारादीप स्पर लाइन (86 किमी): 30.06.2023 को चालू की गई।
- बरौनी–गुवाहाटी पाइपलाइन (717 किमी) का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 09.03.2024 को किया गया।

खाई खोदने का कार्य प्रगति पर है

पाइपलाइन बिछाने का कार्य चल रहा है

7.2 इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड

हाइड्रोकार्बन विजन 2030 को क्रियान्वित करने की दिशा में 10 अगस्त, 2018 को, उत्तर–पूर्व की गैस अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया गया, जिसमें पांच सार्वजनिक क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों – ओएनजीसी, ऑयल, आईओसीएल, गेल और एनआरएल के बीच समान रूप से अपने योगदान द्वारा एक संयुक्त उद्यम इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड (आईजीजीएल) की स्थापना हुई। इसका सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य 4.75 एमएमएससीएमडी की

क्षमता वाले 1656 किलोमीटर लंबा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क वाले नॉर्थ–ईस्ट गैस ग्रिड (एनईजीजी) बनाना था, जिसका उद्देश्य आठ पूर्वोत्तर राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और सिक्किम को आपस में जोड़ना है।

अभी हाल के वर्षों में, मंत्रालयों और प्रमोटर कंपनियों के दृढ़ समर्थन से, आईजीजीएल ने उल्लेखनीय प्रगति की है, तथा सितंबर 2024 तक नियोजित 87.71% में से 83.69% तक भौतिक प्रगति और निर्धारित 61.79% में से 58.50% वित्तीय प्रगति प्राप्त की है।

वित्त वर्ष 2023–24 में, आईजीजीएल ने पर्याप्त वित्तीय सफलता हासिल की है, जो परियोजना के समय पर पूरा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विशेष रूप से, वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कुल पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) 1135.24 करोड़ रुपये के साथ, 31 मार्च, 2024 तक रूपये 5361.41 करोड़ का समग्र संचयी योगदान कैपेक्स में है। ओआईडीबी ने चालू वित्त वर्ष 23–24 (क्यू 4 तक) के दौरान 560.00 करोड़ रुपये का सावधि ऋण वितरित किया है। 31.03.2024 तक ओआईडीबी द्वारा वितरित कुल ऋण 660.00 करोड़ रुपये है। परियोजना लागत के प्रति आईजीजीएल की कुल वित्तीय प्रतिबद्धता रूपये 9,265 करोड़ की कुल परियोजना लागत में से लगभग रूपये 8,007 करोड़ तक हो गई है।

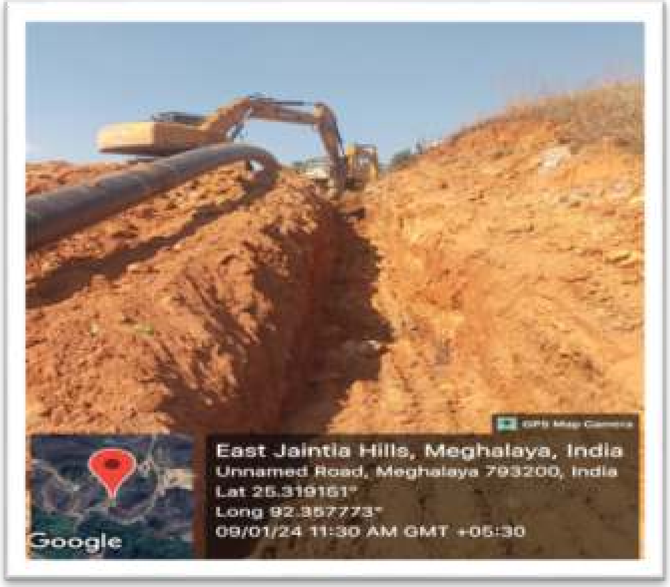

7.3. ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड

असम गैस क्रैकर परियोजना (एजीसीपी), ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड (बीसीपीएल) की ऐतिहासिक असम समझौते का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसे लेपेटकटा, जिला डिबरूगढ़ में स्थापित किया गया। इस परियोजना में एक क्रैकर इकाई, डाउनस्ट्रीम पॉलिमर ईकाइयां और एकीकृत ऑफसाइट इकाई और उपयोगिता संयंत्र सम्मिलित हैं। यह परियोजना पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह की पहली पेट्रोरसायन परिसर परियोजना है, जिसमें भारत सरकार की पूंजीगत सहायता, गेल, ऑयल इंडिया लिमिटेड, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड और असम सरकार की इक्विटी तथा तेल उद्योग विकास बोर्ड और भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा वित्त पोषित किया गया है। इस संयंत्र को 02.01.2016 से चालू किया गया था और इसे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी द्वारा 05.02.2016 को लेपेटकटा में एक भव्य समारोह में राष्ट्र को समर्पित किया। इस परियोजना की लागत 9,965 करोड़ रुपये थी।

ब्यूटेन–1 एक कच्चा माल है जो 220 केटीपीए एलएलडीपीई / एचडीपीई स्विंग यूनिट के लिए पॉलिमर के लिए विभिन्न ग्रेड के उत्पादन के लिए सह–मोनोमर के रूप में आवश्यक है। ब्यूटेन–1 की खपत एलएलडीपीई / एचडीपीई स्विंग यूनिट में उत्पादित पॉलिमर के विभिन्न ग्रेड पर निर्भर करती है जो 9 केटीपीए से 19 केटीपीए के बीच होती है। वर्तमान में ब्यूटेन–1 की आवश्यकता बाहरी घरेलू स्रोतों यानी रिलायंस और एचपीएल से उनके सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर प्राप्त करके पूरी की जाती है। अतीत में बीसीपीएल को ब्यूटेन–1 आपूर्तिकर्ताओं ने अपनी अत्यधिक अनियमित आपूर्ति के कारण एक अनिश्चित स्थिति में ला दिया था, जिससे पूरे परिसर का संचालन प्रभावित हुआ था। इसलिए, बाहरी स्रोतों पर निर्भरता कम करने और आत्म–निर्भरता के लिए, कम से कम 10 केटीपीए के ब्यूटेन–1 संयंत्र की परिकल्पना की गई थी।

कच्चा पायरोलिसिस गैसोलीन (आरपीजी) बीसीपीएल की क्रैकर इकाई का एक सह–उत्पाद है जिसे आंशिक रूप से हाइड्रोजनीकृत करके हाइड्रोजनीकृत पायरोलिसिस गैसोलीन (एचपीजी) बनाया जाता है। बीसीपीएल में उत्पादित एचपीजी में बैंजीन की मा्त्रा (वजन के अनुपात में से 50% से अधिक) होती है, जिसके कारण मोटर स्पिरिट (एमएस) मिश्रण के लिए इसे कच्चे माल के रूप में सीधे उपयोग नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में बीसीपीएल ने छोटे हाइड्रोकार्बन प्रोसेसर के द्वारा नीलामी के माध्यम से मूल्य निर्धारित कर हाइड्रोजनीकृत पायरोलिसिस गैसोलीन (एचपीजी) की निकासी को अंतरिम व्यवस्था की है। बैंजीन की उच्च मात्रा होने के कारण एचपीजी की बिक्री के लिए, बीसीपीएल के पास उत्पाद की थोक निकासी के लिए कोई संस्थागत ग्राहक नहीं है। इस प्रकार, एचपीजी की अंतर्निहित विशेषताओं, जो कि कैंसरकारी है और एमएस में मिलावट की संभावनाओं को देखते हुए, एचपीजी की बेहतर प्राप्ति के साथ–साथ सुरक्षित और सुविधाजनक निकासी के लिए दीर्घकालिक समाधान की परिकल्पना की गई थी।

उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, बीसीपीएल ने मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) को एक विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया है। मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) ने विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन किया और 2017 में ब्यूटेन–1 इकाई के 10 केटीपीए और एचपीजी–2 इकाई के 52 केटीपीए के लिए डीएफआर प्रस्तुत की है।

माननीय मंत्री (रसायन और उर्वरक) ने 386.75 करोड़ रुपये की लागत से 90:10 के अनुपात में ऋण वित्तपोषण और आंतरिक स्रोतों से नकदी के माध्यम से बीसीपीएल द्वारा एकल आधार पर लागू की जाने वाली परियोजना को 11.03.2019 को मंजूरी दी।

परियोजना के लिए ईपीसीएम परामर्श का कार्य मैसर्स ईआईएल को 31.01.2020 को दिया गया। यांत्रिक रूप से कार्य पूर्णता की समय–सीमा लाइसेंसकर्ता(ओं) के बीडीईपी की प्राप्ति से छब्बीस (26) महीने या एलओआई / एलओए की प्राप्ति से छत्तीस (36) महीने, जो भी बाद में हो, थी। हालांकि, कोविड–19 के प्रकोप के बाद कई अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण,

दोनों इकाइयों के लिए लाइसेंसकर्ता निविदाएं जारी करने में देरी हुई। ब्यूटेन–1 और एचपीजी–2 लाइसेंसकर्ताओं के लिए निविदा आमंत्रण सूचना मार्च 2021 में जारी की गई और दोनों इकाइयों का कार्य मैसर्स एक्सेंस फ्रांस को दिया गया। बीडीईपी, सितंबर 2021 में प्राप्त हुई। तदनुसार, ब्यूटेन–1 और एचपीजी–2 को यांत्रिक रूप से कार्य पूरा करने की समय–सीमा नवंबर 2024 है।

सभी लम्बी लीड वस्तुओं (एलएलआई) की पहचान करने के तुरंत बाद ऑर्डर देने की प्रक्रिया के रूप में आरंभ की गई। इसके अलावा, लाइसेंसकर्ता ने कुछ मदों को अनिवार्य के रूप में लाइसेंसकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया है और अनिवार्य विक्रेता सूची उपलब्ध करवाते है। निविदा में भाग न लेने और तकनीकी विवरण प्रस्तुत न करने के कारण बीसीपीएल दो ऐसे एलएलआई अर्थात टीएफई और टीईए पैकेज का ऑर्डर देने के दौरान परियोजना समय–सीमा को पूरा करने में महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करना पड़ा। विक्रेताओं और लाइसेंसकर्ता ने बहुत आग्रह के बाद बोलियां दी और सभी एलएलआई को आर्डर दे दिया। हालांकि, इस प्रक्रिया के दौरान महत्वपूर्ण समय बर्बाद हुआ और परियोजना के यांत्रिक रूप से पूरा होने को संशोधित कर अगस्त 2025 किया गया है।

इसके अलावा, ईआईएल ने अपने पत्र दिनांक 29.11.2023 के माध्यम से परियोजना लागत का पूर्वानुमान प्रस्तुत किया जोकि 716.26 करोड़ रुपये है।

भिन्नता के प्रमुख कारणों को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है:

क. निष्पादन के दौरान वृद्धि

ख. विदेशी मुद्रा भिन्नता

ग. डीएफआर के कार्यक्षेत्र में बदलाव

घ. विनिर्देश में परिवर्तन (प्रौद्योगिकी चयन / बीडीईपी का विवरण, क्षमता वृद्धि)

ड़. मालिक से संबंधित लागतों के कारण भिन्नताएं (मालिकों के निर्माण अवधि व्यय, स्टार्ट–अप और कमीशनिंग व्यय, डब्ल्यूसीएम, आईडीसी)

ईआईएल की सिफारिश के आधार पर गेल बोर्ड ने 31.04.2024 को 817.92 करोड़ रुपये के परियोजना की परिवर्तित अनुमानित लागत और अगस्त 2025 तक यांत्रिक रूप से पूर्ण करने के लिए परिवर्तित समय–सीमा को स्वीकृति प्रदान की है।

दिनांक 15.09.2024 तक निर्धारित 68.80% के मुकाबले 64.37% की समग्र संचयी प्रगति हुई है। दोनों इकाइयों के लिए पाइलिंग का काम पूरा हो चुका है और सिविल स्ट्रक्चरल का कार्य 30.06.2023 से शुरू हो गया है और दोनों इकाइयों का नवंबर 2024 तक पूरा होने की संभावना है। दोनों इकाइयों के लिए समग्र कार्य (पाइपिंग उपकरण निर्माण, विद्युत और उपकरण संबंधी कार्य) 12 महीने की अवधि के साथ 04.09.2024 से शुरू होगा।

प्रमुख उपलब्धियां पूरी की गई

1. सभी लम्बी लीड आइटम आवंटित कर दिए गए है।

2. एचपीजी–2 और ब्यूटेन–1 इकाई और ऑफ–साइट के लिए 90% मॉडल समीक्षा पूरी हो गई।

3. उपकरण ऑर्डर करना – एचपीजी–2: सभी 55 ऑर्डर किए गए, ब्यूटेन–1: 74 में से 72 ऑर्डर किए गए। साइट पर

कुल 129 में से 36 उपकरण प्राप्त हो गए है।

4. पाइपिंग आइसोमेट्रिक्स (4034): सभी आइसोमेट्रिक्स जारी कर दिए गए।

5. थोक खरीद – इलेक्ट्रिकल (5) – 4 प्रदान किए गए, उपकरण से संबंधित (30) – 16 प्रदान किए गए। पाइपिंग बल्क (43) – 27 प्रदान किए गए।

संयुक्त निविदा (अवधि – 12 महीने): मैसर्स ब्रिज एंड रूफ को 12 महीने की अनुबंध अवधि के साथ 04.09.2024 को प्रदान की गई। संग्रहण का कार्य प्रगति पर है।

ब्यूटेन–1 (विहंगम दृश्य): संरचनात्मक इस्पात का कार्य प्रगति पर है

ब्यूटेन–1: टीएस–5 और टीएस–1 में संरचनात्मक निर्माण कार्य प्रगति पर है
टेंकेज कार्य: एचपीजी–2 में एचडीपीई शीट बिछाने का कार्य पूरा हुआ

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, ओआईडीबी ने ब्यूटेन–1 और एचपीजी–2 नामक परियोजनाओं के लिए बीसीपीएल को 151.38 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया है।

अध्याय–3

वित्तीय सहायता : नियमित अनुदानग्राही संगठनों को अनुदान

1. अपने उद्देश्य के अनुसरण में तेल उद्योग विकास बोर्ड अनुदान के रूप में तेल क्षेत्र को सहायता प्रदान करता है। इन अनुदानों में पांच नियमित अनुदानग्राही संस्थानों जैसे कि – हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच), पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (पीसीआरए) और पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी), तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी), उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र (सीएचटी), को अनुदान शामिल है।

2. नियमित अनुदानग्राही संस्थानों को अनुदान के अलावा तेउविबो तेल और गैस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए भी अनुदान देता है। साथ ही तेउविबो ने विश्व स्तरीय शिक्षा, प्रशिक्षण और पेट्रोलियम और ऊर्जा क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने हेतु राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान (आरजीआईपीटी) की शिवसागर, असम और जायस, रायबरेली में चल रही परियोजनाओं भारतीय खनि विद्यापीठ (आईएसएम) धनबाद में फोम असिस्टेड ऑयल वाटर नैनो–इमल्शन फॉर एन्हांस ऑयल रिकवरी प्रायोगिक और आणविक गतिशीलता अध्ययन – तथा इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड को अनुसंधान एवं विकास परियोजना " पानीपत में रिफाइनरी में रिफाइनरी ऑफ गैसों का उपयोग कर इथेनॉल उत्पादन संयंत्र के लिए अनुदान दिया है।

3. अपनी स्थापना के वर्ष 1975–76 से 31.3.2024 तक तेल उद्योग विकास बोर्ड ने कुल 5631.90 करोड़ रूपए का समेकित अनुदान दिया। वर्ष 2023–24 के दौरान कुल 257.87 करोड़ रूपए का अनुदान जारी किया गया। जिसमें से 254.30 करोड़ रूपए नियमित अनुदानग्राही संस्थाओं को वितरित किया गया।

4. नियमित अनुदान ग्राही संस्थानों को पिछले पांच वर्षों में वितरित किए गए अनुदान का विवरण निम्नानुसार हैं :

(रुपए करोड़ में)

संस्थान	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	योग
डीजीएच	192.91	176.84	210.35	289.36	162.74	1032.20
पीसीआरए	67.30	60.00	38.05	35.00	7.49	207.84
पीपीएसी	22.61	22.05	23.47	25.88	28.93	122.94
ओआईएसडी	21.65	22.88	19.85	26.17	33.81	124.36
सीएचटी	18.08	15.25	16.29	14.90	21.33	85.85
कुल	**322.55**	**297.02**	**308.01**	**391.31**	**254.30**	**1573.19**

5.1. हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच)

भारत सरकार द्वारा हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) की स्थापना पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एम ओ पी एन जी) के प्रशासकीय नियंत्रण में अप्रैल 1993 में की गई थी जिसका प्राथमिक उद्देश्य पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उद्योग अपस्ट्रीम क्षेत्र के परिचालनों में विनियामक तथा परामर्शी भूमिका के साथ पर्यवेक्षण कार्यों को संपन्न करना है। हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय द्वारा अन्वेषण ब्लॉकों और अन्वेषित लघु क्षेत्रों के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पीएससी)/राजस्व हिस्सेदारी संविदाओं (आरएससी) की निगरानी करने के अतिरिक्त इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और विभिन्न अन्वेषण और उत्पादन (ई एंड पी) प्रयासों को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। इसके अतिरिक्त, डीजीएच ऊर्जा क्षेत्र में अविकसित क्षेत्रों की पहचान करने और उसे अन्वेषित और विकसित करने के साथ–साथ गैर–पारंपरिक हाइड्रोकार्बन ऊर्जा स्रोतों के अन्वेषण और विकास पर ध्यान केंद्रित करने में सक्रिय रूप से शामिल है।

वर्ष 2023–24 के दौरान 16.74 करोड़ रूपये का अनुदान डीजीएच को जारी किया गया।

भारतीय अन्वेषण और उत्पादन (ईएंडपी) उद्योग ने 2023–24 में नीतिगत पहलों और सुधारों की झड़ी लगा दी। सरकार ने निवेश आकर्षित करने और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अन्वेषण गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (हेल्प) के तहत ओपन एकरेज लाइसेंसिंग नीति (ओएएलपी) के दौर प को लॉन्च किया। इसके अतिरिक्त, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और निवेशकों के लिए अन्वेषण को अधिक आकर्षक बनाने के लिए हेल्प के मॉडल रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट में कई सुधार शुरू किए गए । इसके अलावा, नई खोजों की संभावनाओं के विस्तार के लिए श्रेणी II और III बेसिनों में अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए कई प्रोत्साहन शुरू किए गए, इन सुधारों का उद्देश्य भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और आर्थिक विकास को गति प्रदान करना था। उठाए गए कदमों का विवरण निम्नानुसार हैः–

1. **हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी) में सुधार और ओपन एकरेज लाइसेंसिंग नीति (ओएएलपी) दौर की शुरूआत**

भारत सरकार ने 30 मार्च 2016 को हाइड्रोकार्बन अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी) नामक एक परिवर्तनकारी लाइसेंसिंग नीति को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य भारतीय ईएंडपी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अन्वेषण क्षेत्रों को भूमि आवंटित करना है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन साझाकरण तंत्र का स्थानांतरण राजस्व साझाकरण तंत्र की ओर हुआ। भारत सरकार ने हाइड्रोकार्बन अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति के एक भाग के रूप में ओपन एकरेज लाइसेंसिंग (ओएएल) प्रणाली की शुरुआत की, जो अन्वेषण कंपनियों को सरकार से औपचारिक बोली दौर की प्रतीक्षा किए बिना, अपने स्वयं के अन्वेषण ब्लॉकों का चयन करने का विकल्प देता है। हाइड्रोकार्बन अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति के तहत पहला ओपन एकरेज लाइसेंसिंग नीति बोली दौर सरकार द्वारा जनवरी 2018 में शुरू किया गया था। वित्त वर्ष 2023–24 तक, ईएंडपी गतिविधियों के लिए 2,42,057 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करने वाले 144 अन्वेषण ब्लॉकों के प्रदान करने के साथ आठ ओपन एकरेज लाइसेंसिंग नीति बोली दौर संपन्न हो चुके हैं।

ओएएलपी बिड राउंड IX का शुभांरभ

क. ओएएलपी–VIII ब्लॉकों का शुभारंभ और आवंटन किया गया: दिसंबर, 2023 के दौरान सफल बोलीदाताओं को 34,365 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करने वाले 10 ब्लॉक दिए गए। इन ब्लॉकों में प्रतिबद्ध निवेश लगभग 233.55 एमएमयूएसडी है।

ख. ओएएलपी–IX का शुभारंभ: सरकार ने 3 जनवरी 2024 को ओएएलपी बोली दौर–IX का शुभारंभ किया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से अन्वेषण और विकास के लिए 28 ब्लॉक पेश किए गए हैं। ये 28 ब्लॉक आठ (8) तलछटी घाटियों में फैले हुए हैं, जो 1,36,596.45 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करते हैं। 28 ब्लॉकों में से 9 ब्लॉक भूमि पर, 8 ब्लॉक उथले पानी में, और 11 ब्लॉक अत्यधिक गहरे पानी वाले क्षेत्रों में हैं जो श्रेणी–I (16 ब्लॉक) और श्रेणी–II (12 ब्लॉक) बेसिन में फैले हुए हैं।

2. अमूल्यांकित अवसादी बेसिनों का मूल्यांकन

अमूल्यांकित क्षेत्रों का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से सरकार ने विगत कुछ वर्षों में अनेक सर्वेक्षण किए। पिछले वर्ष पूरे हुए या नए शुरू किए गए सर्वेक्षणों का विवरण इस प्रकार है:

क. एयरबोर्न ग्रेविटी ग्रैडिओमेट्री और ग्रेविटी मैग्नेटिक (एजीजीएंडजीएम) सर्वेक्षण: एनएसपी परियोजना के अन्तर्गत दुर्गम और प्रतिकूल भौगोलिक क्षेत्रों को कवर करने के लिए, जहाँ दुर्गम भूभाग और प्रतिकूल वातावरण (ज्यादातर असम अराकान फोल्ड बेल्ट, असम शेल्फ और कावेरी, बस्तर, करेवा और स्पीति बेसिन के क्षेत्रों में चयनित ट्रैवर्स) के कारण भूकंपीय डेटा प्राप्त नहीं किया जा सका, एयरबोर्न ग्रेविटी ग्रैडियोमेट्री और ग्रेविटी मैग्नेटिक (एजीजी और जीएम) डेटा सर्वेक्षण किया गया। यह सर्वेक्षण मई, 2023 में शुरू हुआ और मई, 2024 में 42,944 फ्लाइट एलकेएम के कुल डेटा अधिग्रहण के साथ पूरा हुआ। एजीजी और जीएम सर्वेक्षण पर कुल 49.55 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

ख. विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) सर्वेक्षण: भारत में अपतटीय तलछटी घाटियों के लगभग 1.13 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) तक, का अन्वेषण नहीं किया गया था। पूरे अपतटीय बेसिन क्षेत्र का आकलन करने के लिए, लगभग 80,000 लाइन किलोमीटर क्षेत्र को कवर करने वाला 2डी ब्रॉडबैंड भूकंपीय सर्वेक्षण किया गया। ओएनजीसी को ईईजेड सर्वेक्षण के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया, और उसने जून 2023 में सभी तीनों क्षेत्रों: पूर्वी तट, पश्चिमी तट और अंडमान क्षेत्र को कवर करते हुए लगभग 79,540 लाइन किलोमीटर का 2डी भूकंपीय डेटा सफलतापूर्वक प्राप्त किया। यह परियोजना जून 2024 में पूरी हुई।

ग. मिशन अन्वेषण का शुभारंभ: राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम (एनएसपी) के तहत प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर, अनेक उत्साहवर्धक अन्वेषण सुरागों की पहचान की गई। इन सुरागों का गहन मूल्यांकन करने के लिए, एक व्यापक क्लोज ग्रिड 2डी भूकंपीय सर्वेक्षण की योजना बनाई गई। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य भारत के तलछटी घाटियों के व्यापक मूल्यांकन की सुविधा के लिए एक विश्वसनीय और मजबूत भूवैज्ञानिक डेटाबेस स्थापित करना है। परिणामी डेटा इन घाटियों के भीतर अन्वेषण और उत्पादन गतिविधियों की प्रभावी योजना और निष्पादन में सहयोग करेगा और भविष्य के ओएएलपी दौर के तहत ब्लॉकों को प्रदान करने में मदद करेगा। इस पहल के तहत, 792 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 07 ऑन–लैंड तलछटी घाटियों में 20275 एलकेएम का विस्तृत 2डी भूकंपीय एपीआई (अधिग्रहण, प्रसंस्करण और व्याख्या) प्राप्त किया जाएगा।

घ. विस्तारित महाद्वीपीय शेल्फ सर्वेक्षण: विस्तारित महाद्वीपीय शेल्फ (ईसीएस) योजना का लक्ष्य भारत के विस्तारित महाद्वीपीय शेल्फ में ईईजेड सीमा से परे पूर्वी और पश्चिमी अपतटीय क्षेत्रों में 30000 एलकेएम 2डी भूकंपीय डेटा का

अधिग्रहण, प्रसंस्करण और व्याख्या (एपीआई) करना है। ईईजेड सीमा से परे, पश्चिमी और पूर्वी अपतटीय क्षेत्रों में महाद्वीपीय शेल्फ में कम अंतराल (लगभग 0.6 मिलियन एसकेएम) के साथ अच्छी गुणवत्ता के उच्च–रिजॉल्यूशन वाले भूकंपीय डेटा तलछट की उपस्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे और महाद्वीपीय शेल्फ क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन क्षमता का पता लगाने में भी मदद करेंगे। सरकार ने ओएनजीसी और ओआईएल को 410 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से क्रमशः पश्चिमी तट पर 15,500 एलकेएम और पूर्वी तट पर 14,500 एलकेएम के लिए 2डी भूकंपीय एपीआई को संचालित करने का काम सौंपा है।

ङ. स्ट्रेटीग्राफिक कुओं की ड्रिलिंगः 2017 के संसाधन पुनर्मूल्यांकन अध्ययनों ने भूकंपीय डेटा के आधार पर कई गहरे, अज्ञात क्षेत्रों की पहचान की है। इन क्षेत्रों का व्यापक मूल्यांकन करने के लिए, स्ट्रेटीग्राफिक कुओं की ड्रिलिंग आवश्यक है। ये कुएं 400 मीटर पानी की गहराई से आगे तक फैले लगभग 1.32 मिलियन वर्ग किलोमीटर गहरे बेसिनल भागों को लक्षित करेंगे, 5,000 और 7,000 मीटर के बीच की गहराई तक पहुँचने की योजना से बनाये गए स्ट्रेटीग्राफिक कुएँ पूरे स्ट्रेटीग्राफिक कॉलम को काट देंगे। प्रस्तावित बेसिन, जिन्हें श्रेणी–II के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें अन्वेषित और गैर–अन्वेषित दोनों तरह की क्षमताएँ हैं, ने हाल ही में भूकंपीय सहित महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक डेटा सृजित किया है। सितंबर 2022 से पहले, इन क्षेत्रों को रक्षा संबंधी चिंताओं के चलते प्रतिबंधित कर दिया गया था। चार स्ट्रेटीग्राफिक कुएँ, जिनकी औसत लक्षित गहराई 7,000 मीटर और पानी की गहराई 2,500 से 3,000 मीटर के मध्य है, अपतटीय स्थानोंः अंडमान, सौराष्ट्र, महानदी और बंगाल– पूर्णिया बेसिन में खोदे जाने की योजना है। इन कुओं का उद्देश्य संभावित बोलीदाताओं को मूल्यवान भूमिगत जानकारी प्रदान करना है।

अपतटीय प्लेटफॉर्म पर कार्य

सागर किरण अपतटीय रिग

5.2 पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (पीसीआरए)

पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (पीसीआरए) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के तहत पंजीकृत सोसायटी थी, यह एक राष्ट्रीय सरकारी संस्था थी जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उर्जा दक्षता को प्रोत्साहन देने हेतु कार्यरत थी। यह सरकार को पेट्रोलियम संरक्षण की नीतियां एवं रणनीतियां प्रस्तावित करने में सहायता करता है, जिसका उद्देश्य तेल आयात पर हमारी अत्यधिक निर्भरता को कम करना है।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने जून 2022 मे पीसीआरए को भंग करने और पीसीआरए की गतिविधियों को उच्च प्रोद्यियोगकी केन्द्र और तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को सौपने का निर्णय लिया, जिसका निम्न प्रभाव हुआ।

क) पीसीआरए की अनुसंधान संबंधी गतिविधियों को सीएचटी द्वारा किया जाएगा और पीसीआरए के अंतर्गत ऐसी शोध गतिविधियों जो वर्तमान में चल रही, को सीएचटी को सौंपा जा सकता है।

ख) संरक्षण गतिविधियाँ ओएमसी द्वारा की जा सकती हैं। विलय के बाद और सभी ऋणों और देनदारियों को पूरा करने के पश्चात् पीसीआरए की शेष संपत्ति सीएचटी जैसी अन्य सोसायटी को दी जा सकती है।

पीसीआरए के विलय के बाद पीसीआरए की अनुसंधान गतिविधियों और संरक्षण गतिविधियाँ क्रमशः सीएचटी और ओएमसी द्वारा की जा रही है।

वर्ष 2023–24 के दौरान, ओआईडीबी द्वारा पीसीआरए को प्रशासनिक व्यय सहित अन्य गतिविधियों को करने के लिए 7.49 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता दी।

5.3. पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी)

दिनांक 1 अप्रैल, 2002 को पेट्रोलियम क्षेत्र में निर्देशित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (एपीएम) के समापन के उपरांत, तेल समन्वलय समिति को भंग कर दिया गया था और दिनांक 1 अप्रैल 2002 से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय के रुप में सरकार के निम्नलिखित कार्यों में सहायता प्रदान करने हेतु एक नए प्रकोष्ठ पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) का गठन किया गया:

(क) पीडीएस केरोसीन एवं घरेलू एलपीजी पर सब्सिडी और दूर–दराज के क्षेत्रों के लिए भाड़ा सब्सिडी की व्यवस्था

(ख) आपातकालीन एवं अप्रत्याशित स्थितियों से मुकाबला करने के लिए सूचना डेटा बैंक और संचार प्रणाली का अनुरक्षण

(ग) अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार और घरेलू कीमतों में प्रवृत्तियों का विश्लेषण

(घ) पेट्रोलियम आयातों और निर्यातों की प्रवृत्तियों का पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन

(ङ) क्षेत्र विशेष अधिभार योजनाओं का संचालन, यदि कोई हों।

वर्ष 2023–24 के दौरान ओआईडीबी द्वारा पीपीएसी को अनुदान के रूप में 28.93 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। पीपीएसी द्वारा निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियाँ की गईं:

1. तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) के सब्सिडी दावों का निपटान;

भारत सरकार द्वारा घोषित निम्नलिखित सब्सिडी योजनाएं पीपीएसी द्वारा प्रबंधित की जाती हैं:

क. 1 जनवरी 2015 से प्रभावी, पहल (डीबीटीएल) योजना–2014 पूरे देश में क्रियान्वित की गई। इस योजना के तहत घरेलु एलपीजी पर मिलने वाली सब्सिडी सीधे ही पात्र ग्राहकों के बैंक खातों में स्थानान्तरित की जाती है। पहल योजना के तहत वर्ष 2023–24 में रुपये 1227 करोड़ (परियोजना प्रबंधक खर्चे रुपये 84 करोड़ सहित) के दावों का निपटान किया गया।

ख. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 21 मई, 2022 के माध्यम से सूचित किया है कि वित्त वर्ष 2022–23 के लिए, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना उपभोक्ताओं के लिए प्रति 14.2 किलोग्राम एलपीजी रिफिल की प्रभावी लागत गैर–पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए प्रभावी लागत से 200 रुपये कम रखी जा सकती है, और इस अंतर को डीबीटीएल–पहल योजना के अनुसार बैंक खातों में जमा किया जा सकता है। यह राशि 14.2 किलोग्राम सिलेंडर के 12 सिलेंडरों को पुनः भरने में काम आएगी। सरकार ने 05 अक्टूबर, 2023 से प्रधानमंत्री उज्जवला योजना उपभोक्ताओं द्वारा लिए गए 14.2 किलोग्राम घरेलू एलपीजी रिफिल पर 200 रूपये प्रति 14.2 किलोग्राम रिफिल की लक्षित सब्सिडी के अलावा 100 रूपये की अतिरिक्त सब्सिडी की घोषणा की। पीपीएसी ने 2023–24 के दौरान प्रधानमंत्री उज्जवला योजना उपभोक्ताओं को भुगतान की गई अतिरिक्त सब्सिडी के लिए 8,821 करोड़ रुपये के दावों का भुगतान किया गया।

ग. इसके अलावा, वर्ष 2023–24 के दौरान प्रधानमंत्री उज्जवला योजना और गैर–प्रधानमंत्री उज्जवला योजना उपभोक्ताओं को 14.2 किलोग्राम प्रति सिलेण्डर पर 300 रूपये की और छूट दी गई। दिल्ली में दिनांक 09 मार्च, 2024 से प्रभावी घरेलू एलपीजी के खुदरा विक्रय मूल्य और उपभोक्ताओं के लिए प्रभावी लागत गैर–प्रधानमंत्री उज्जवला योजना उपभोक्ताओं के लिए 803 रूपये/सिलेंण्डर और प्रधानमंत्री उज्जवला योजना उपभोक्ताओं के लिए 503 रूपये/सिलेंण्डर है।

घ. प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की शुरूआत 1 मई, 2016 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन बीपीएल परिवारों की महिला सदस्य को प्रदान किए जाएंगे। इस योजना को अब 4 साल (2019–20 तक) की अवधि में 8 करोड़ बीपीएल परिवारों को कवर करने के लिए बढ़ा दिया गया है। काफी समय पहले सितम्बर 2019 में 8 करोड़ कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया गया था। केन्द्रीय बजट 2021–22 में, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के विस्तार को 1 करोड़ लाभार्थियों तक मंजूरी प्रदान की है इसके लागू होने के अन्दर 1 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया। इसके अलावा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत 60 लाख अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन जारी करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की, 60 लाख कनेक्शन का लक्ष्य 31 दिसम्बर 2022 को प्राप्त कर लिया गया। इस योजना के तहत, भारत सरकार ने गरीब घरेलू महिला लाभार्थियों को सुरक्षा जमा के बिना कनेक्शन जारी करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 14.2 किलोग्राम सिलेंडर और 5 किलोग्राम सिलेंडर के लिए क्रमशः 1600 रुपये और 1150 रुपये प्रति कनेक्शन प्रतिपूर्ति करती है। पीपीएसी ने इस योजना के शुरूआत के बाद से, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लिए वित्त वर्ष 2020–21 तक 12,750 करोड़ रुपये (परियोजना प्रबंधक खर्च सहित) के कुल दावों को प्रस्तुत किया गया है।

केंद्रीय बजट 2021–22 में, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के विस्तार को 1 करोड़ और लाभार्थियों की मंजूरी दी। इसके अलावा, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 60 लाख अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन जारी करने की मंजूरी दी। पीपीएसी ने प्रधानमंत्री उज्जवला योजना 2.0 के लिए वित्त वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 तक कुल रुपये 2486 करोड़ रुपये के दावों का निपटान किया है।

इसके अलावा 13.09.2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2023–24 से 2025–26 तक तीन साल की अवधि में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन जारी करने को मंजूरी दे दी है, जिसमें 14.2 किलोग्राम सिलेंडर और 5 किलोग्राम सिलेंडर के लिए क्रमशः 2200 रूपये और 1300 रूपये प्रति कनेक्शन की सरकारी सहायता शामिल है। पीपीएसी ने वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना विस्तार के लिए कुल 1,396 करोड़ रूपये के दावों का निपटान किया है।

ड़) नार्थ ईस्ट गैस सब्सिडी दावों का निपटान

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में चयनित उद्योग/ग्राहकों के लिए प्राकृतिक गैस की बिक्री में सब्सिडी व्यवस्था हेतु "प्राकृतिक गैस सब्सिडी योजना" तैयार की गई है। इस योजना में भाग लेने वाली कंपनियां नामित गैस क्षेत्रों से उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर प्राकृतिक गैस बेचती हैं और भारत सरकार से सब्सिडी राशि का दावा करती हैं। वर्ष 2023–24 के लिए, पीपीएसी ने 1,174 करोड़ रुपये की राशि के दावे प्राप्त किये तथा उन दावों की समीक्षा की।

च) भारत में व्यापारिक जहाजों के फ्लैगिंग को बढ़ावा देने की योजना

केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 14.07.2021 से 05 वर्षों के लिए सरकारी कार्यों के आयात के लिए मंत्रालयों और सीपीएसई द्वारा जारी वैश्विक निविदाओं में भारतीय शिपिंग कंपनियों को सब्सिडी सहायता देने के रूप में इस योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के अनुसार, वो भारतीय शिपिंग कंपनियां जिन्होंने आरओएफआर लाभ लिया है और जो एल 1 नहीं है, सब्सिडी के लिए पात्र होंगी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत, यह योजना कच्चे तेल और एलपीजी के आयात पर लागू है। पीपीएसी ने वित्त वर्ष 2023–24 तक कुल 177 करोड़ रुपये के दावों पर कार्रवाई की है, जिसमें वित्त वर्ष 2023–24 के लिए 78 करोड़ रुपये की राशि शामिल है।

पीपीएसी ने वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान निम्न सब्सिडी दावों पर कार्रवाई की:

क्रं सं.	योजना	प्रतिभागी कम्पनियां	आवृति	तक दावा	राशि (रुपयेकरोड़)
1.	डीबीटीएल–पहल	आईओसीएल/एचपीसीएल/बीपीसीएल	मासिक	2023-24	1143
2.	डीबीटीएल–परियोजना व्यय (नकद आधार)	आईओसीएल/एचपीसीएल/बीपीसीएल	तिमाही	2023-24	84
3.	डीबीटीएल– प्रधानमंत्री उज्जवला योजना को अतिरिक्त नकदी	आईओसीएल/एचपीसीएल/बीपीसीएल	मासिक	2023-24	8821
4.	प्रधानमंत्री उज्जवला योजना	आईओसीएल/एचपीसीएल/बीपीसीएल	तिमाही	2023-24	1396
5.	नार्थ–ईस्ट गैस सब्सिडी	ओएनजीसी/ऑयल इंडिया लिमिटेड	मासिक	2023-24	1174
6.	शिपिंग सब्सिडी	आईओसीएल/एचपीसीएल/बीपीसीएल/एमआरपीएल	मासिक	2023-24	78

छ). घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य अधिसूचना

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 25 अक्टूबर 2014 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य के आवधिक संशोधन को सूचित करने के लिए महानिदेशक, पीपीएसी को अधिकृत किया। तदानुसार, अप्रैल 2023 से सितंबर, 2023 और अक्टूबर, 2023 से मार्च, 2024 तक घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य, पीपीएसी द्वारा क्रमशः 30 सितम्बर, 2023 और 31 मार्च, 2024 को अधिसूचित किया गया था।

ज). गैस मूल्य की अधिकतम सीमा की अधिसूचना

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 21 मार्च, 2016 की अधिसूचना के द्वारा, वैकल्पिक ईंधन के पहुंच मूल्य के आधार पर अधिकतम मूल्य के अधीन गहरे–पानी, अल्ट्रा गहरे पानी और उच्च दबाव–उच्च तापमान क्षेत्रों में खोजों से उत्पादित गैस के लिए मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता सहित विपणन स्वतंत्रता की अनुमति दी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने महानिदेशक, पीपीएसी को उक्त अधिसूचना के तहत गैस मूल्य की अधिकतम सीमा के आवधिक संशोधन को अधिसूचित करने के लिए अधिकृत किया । तदानुसार, अप्रैल, 2023 से सितंबर, 2023 और अक्टूबर, 2023 से मार्च, 2024 की अवधि के लिए गैस की कीमत की अधिकतम सीमा पीपीएसी द्वारा क्रमशः 30 सितम्बर, 2023 और 31 मार्च, 2024 को अधिसूचित की गई थी।

वर्ष 2023–24 के दौरान किए गए अध्ययन / रिपोर्ट

क) भारत के तेल और गैस के आयात में 10% की कमी के लिए संशोधित कार्ययोजनाः

21 सितम्बर 2020 को आयोजित ऊर्जा क्षेत्र में आयात में 10% की कमी लाने के लिए अपनी दूसरी बैठक में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एकीकृत निगरानी और सलाहकार परिषद (आईएमएसी) ने मौजूदा वैश्विक परिदृश्यों और बदलती गतिशीलता के आधार पर रणनीतियों फिर से काम करने की सलाह दी। तदनुसार, पीपीएसी ने बाहरी एजेंसी पीडब्ल्यूसी की मदद से रणनीतियों का पुनर्मूल्यांकन किया और अपनी व्यापक कार्य योजना पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को सौंप दिया।

माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में तीसरी आईएमएसी की बैठक

ख) डेटा शासन गुणवत्ता सूचकांकः

विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ), नीति आयोग ने विभिन्न मंत्रालयों / विभागों की केंद्रीय योजनाओं के डेटा / एमआईएस सिस्टम की डेटा तैयारी का आकलन करने के लिए एक स्व–मूल्यांकन ऑनलाइन सर्वेक्षण शुरू किया। सर्वेक्षण 1.0 (जुलाई 2020) में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 2.72 अंक प्राप्त। सर्वेक्षण 2.0 के लिए पीपीएसी को नोडल एजेंसी बनाया गया था, जिसमें योजनाओं को 2 से बढ़ाकर 9 किया गया था। नौ केंद्रीय योजनाओं के ऑडिट को संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ समन्वय के बाद डीएमईओ पोर्टल (डीजीक्यूआई) में प्रस्तुत किया गया था। अक्टूबर–नवंबर 2021 के दौरान पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय का स्कोर 5.00 में से 3.86 तक पहुंचा गया और जनवरी–मार्च 2022 के बाद यह और बेहतर होकर 4.36 तक पहुंच गया। नवीनतम राउंड के लिए बजट 2022–23 की तीसरी तिमाही के लिए सर्वेक्षण को अद्यतन किया गया और नवीनतम स्कोर और बेहतर होकर 4.43 हो गया। आबंटन और शुरू की गई गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए पांच योजनाओं को सूचीबद्ध किया गया है। 2023–24 की तीसरी तिमाही के लिए सर्वेक्षण को अद्यतन कर दिया गया है और नवीनतम स्कोर में सुधार करके इसे 4.56 कर दिया गया है।

ग) तकनीकी सलाहकार समूह (टीएजी) की बैठक

28वीं आम सभा की बैठक के दौरान की गई सिफारिशों के आधार पर पीपीएसी के लिए तकनीकी सलाहकार समूह (टीएजी) का गठन किया गया। तकनीकी सलाहकार समूह में आईआईटी, दिल्ली के निदेशक अध्यक्ष और पीपीएसी के महानिदेशक सदस्य सचिव और सरकारी संगठनों, थिंक टैंक और शिक्षा जगत से 14 अन्य सदस्य शामिल हैं। वार्षिक कार्य योजना के हिस्से के रूप में पीपीएसी द्वारा किए गए सभी तकनीकी अध्ययन टीएजी के माध्यम से किए जाएंगे ताकि एक स्वतंत्र समीक्षा की जा सके।

दिनांक 06.12.2023 को आयोजित टीएजी की दूसरी बैठक में 2023–24 के दौरान पीपीएसी द्वारा किए जा रहे अध्ययनों की समीक्षा की गई। सदस्यों द्वारा दिए गए विचारों और सुझावों को अध्ययनों में शामिल किया गया।

घ) इंडियन ऑयल मार्केट और पीपीएसी जर्नल रिपोर्ट लॉन्च–आईईए

आईईए के साथ आशय के पत्र (एसओआई) के भाग के रूप में, पीपीएसी ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के समन्वय में भारतीय तेल बाजारों पर एक रिपोर्ट लॉन्च की। यह रिपोर्ट श्री प्रवीण मल खनूजा, अतिरिक्त सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक

आईईए भारतीय तेल बाजार 2030 और आईईडब्ल्यू 2024 के दौरान पीपीएसी जर्नल–रिपोर्ट लॉन्च

गैस मंत्रालय, श्री पी मनोज कुमार, महानिदेशक पीपीएसी, सुश्री केसुके सदामोरी, निदेशक, ऊर्जा बाजार और सुरक्षा, आईईए और डॉ टोरिल बोसोनी, बाजार प्रमुख, आईईए की गरिमामयी उपस्थिति में 7 फरवरी, 2024 को गोवा में आयोजित भारत ऊर्जा सप्ताह के दूसरे संस्करण के दौरान में लॉन्च की गई।

संशोधित कार्य योजना को स्वीकार किए जाने पर, प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों की पहचान की गई, तथा रणनीतियों के तहत कार्रवाई बिंदुओं और सिफारिशों के लिए प्रगति पर निगरानी रखने के लिए एक नियंत्रण प्रणाली विकसित की गई। केपीआई को कार्य समूहों के अनुसार समूहीकृत किया गया तथा पीपीएसी के समन्वय में कार्य समूहों द्वारा इन केपीआई की नियमित आधार पर निगरानी की जाएगी।

ड़) पीपीएसी की उद्योग तक पहुंच

पीपीएसी अपनी आउटरीच पहल जारी रखे हुए है, जिसके अंतर्गत डीजी, पीपीएसी सहित पीपीएसी के अधिकारी विभिन्न तेल एवं गैस प्रतिष्ठानों का दौरा करते हैं तथा आईपीआर (उद्योग प्रदर्शन समीक्षा) बैठकों में भाग लेते हैं। इस पहल का उद्देश्य पीपीएसी से उद्योग की अपेक्षाओं को बेहतर ढंग से समझना है।

च) पीपीएसी जर्नल के पहले अंक का विमोचन

पीपीएसी ने गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह (आईईडब्ल्यू) 2024 के दूसरे संस्करण के दौरान अपने जर्नल का पहला अंक जारी किया। इस अंक में प्रख्यात ऊर्जा विशेषज्ञों और संगठनों जैसे ओपेक, आईईए, एसएंडपी ग्लोबल, आईआरएडीई, आईईईएफए, बीईई, सीएचटी, इन्वेस्ट इंडिया, एमसीएक्स, टेरी आदि के लेख शामिल हैं, जो विकास के केंद्र के रूप में भारत की भूमिका से लेकर ऊर्जा संक्रमण में जैव ईंधन तक के विषयों पर हैं।

छ) आरडीएमई / बायोएलपीजी – कार्यक्षेत्र और अवसर

वार्षिक योजना के भाग के रूप में, पीपीएसी ने "आरडीएमई / बायोएलपीजीः कार्यक्षेत्र और अवसर" शीर्षक से एक अध्ययन किया। इस अध्ययन में व्यापक शोध शामिल था, जिसमें उद्योग विशेषज्ञों और विभिन्न सरकारी संगठनों से प्राप्त अंतर्दृष्टि को शामिल किया गया था। इसमें फीडस्टॉक की उपलब्धता, बायोमास एकत्रीकरण, आरडीएमई उत्पादन तकनीक, एलपीजी के साथ सम्मिश्रण की संभावनाएँ, ऊर्जा सुरक्षा, सामाजिक उत्थान और ईंधन में गिरावट के लिए आरडीएमई के संभावित लाभ, साथ ही प्रमुख चुनौतियाँ और सिफारिशें जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं।

ज) किफायती और स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन पर एसडीजी 7 का मध्यावधि मूल्यांकन

पीपीएसी ने ''किफायती और स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन पर एसडीजी 7 का मध्यावधि मूल्यांकन'' पर एक अध्ययन किया है, जो सतत विकास लक्ष्य 7 (एसडीजी 7) को प्राप्त करने के कार्य योजना पर स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन के प्रभाव का आकलन करने के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य 2030 तक सभी के लिए किफायती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इस दृष्टिकोण में उन क्षेत्रों (राज्यों / जिलों) की पहचान करना शामिल है, जिनमें प्राथमिक ऊर्जा स्रोत के रूप में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) के उपयोग का प्रतिशत कम है और इन क्षेत्रों में सामाजिक–जनसांख्यिकीय और आर्थिक प्रोफाइल के आधार पर निर्धारकों की जांच करना शामिल है।

झ) नेट जीरो रिटेल आउटलेट सिस्टम डेवलपमेंट

सीएसआईआर–भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (सीएसआईआर–आईआईपी) और पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) द्वारा संयुक्त रूप से किए गए ''नेट जीरो रिटेल आउटलेट सिस्टम डेवलपमेंट'' अध्ययन में भारत में खुदरा ईंधन आउटलेट (आरओ) से ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से एक व्यापक रूपरेखा तैयार की गई

है। यह व्यापक अध्ययन आरओ संचालन से जुड़े प्राथमिक उत्सर्जन स्रोतों की जांच करता है और आरओ को नेट–जीरो उत्सर्जन की ओर ले जाने के लिए कई सिफारिशें प्रदान करता है। यह प्रयास वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं के साथ तालमेल बिठाने और भारतीय ईंधन खुदरा क्षेत्र में टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।

इसके अतिरिक्त, पीपीएसी ने महानिदेशक पीपीएसी की अध्यक्षता में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशानुसार निम्नलिखित अध्ययन किए:

1) रिफाइनिंग क्षमताः उद्देश्य

पीपीएसी के महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन दिनांक 29 अगस्त 2023 के ओआर के अनुसार किया गया है। रिपोर्ट 2047 तक भारत की घरेलू मांग, निर्यात क्षमता और रिफाइनिंग क्षमता का आकलन करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। समिति की रिपोर्ट 15 फरवरी 2024 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को सौंपी गई।

2) गैस उत्पादन लागतः उद्देश्य

14 मार्च 2024 के आदेश ज्ञापन संख्या एल–12015/1/2024–जीपी–I (ई:49220) के तहत एक समिति गठित की गई है, जो "विभिन्न भूवैज्ञानिक क्षेत्रों के लिए गैस उत्पादन लागत का तुलनात्मक विश्लेषण और एचपीएचटी और अन्य गैसों सहित घरेलू गैस की गुणवत्ता और मूल्य प्रक्षेपण की तुलना अंतरराष्ट्रीय कीमतों से करने" पर अध्ययन करेगी। रिपोर्ट को विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों जैसे कि तटीय क्षेत्रों, अपतटीय और गहरे समुद्र के स्थानों आदि से प्राकृतिक गैस उत्पादन की लागत का आकलन करने के लिए तैयार किया गया है, जिसमें नियामक नीति (कार्बन मूल्य निर्धारण और कर, भूमि उपयोग और पहुँच नीतियाँ, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण विनियम और नीतियाँ) और पर्यावरण संबंधी चिंता का प्रभाव शामिल है। अंतिम रिपोर्ट अगस्त 2024 में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को प्रस्तुत की जाएगी।

ञ) नई पहल

- राज्यों के तेल और गैस स्नैपशॉटः यह देखा गया है कि, जबकि राष्ट्रीय तेल और गैस आँकड़े विभिन्न प्रकाशनों में उपलब्ध हैं, अलग–अलग राज्यों के लिए तुलनीय डेटा या तो समेकित प्रारूप में उपलब्ध नहीं है या कई स्रोतों में फैला हुआ है। इस अंतर को दूर करने के लिए, पीपीएसी ने तेल और गैस की खपत, आपूर्ति, बुनियादी ढाँचे, मूल्य निर्धारण और राष्ट्रीय राजकोष में योगदान पर आवश्यक आँकड़ों को एक ही खंड में संकलित करने के लिए एक परियोजना शुरू की है। यह संकलन प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए प्रमुख तेल और गैस संकेतकों को स्नैपशॉट प्रारूप में प्रस्तुत करता है, साथ ही अनुमानित जनसंख्या, प्रति व्यक्ति आय और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) जैसे महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय और आर्थिक मीट्रिक भी प्रस्तुत करता है। ये आँकड़े तिमाही में प्रकाशित होते हैं।

- एपीआई के माध्यम से स्वचालनः पीपीएसी अपने पोर्टल पर डेटा अपलोड के माध्यम से 200 से अधिक तेल और गैस संस्थाओं से डेटा एकत्र कर रहा था। ओएमसी से पूर्वनिर्धारित प्रारूप और आवृत्ति में डेटा एकत्र करने के लिए एपीआई आधारित डेटा एक्सचेंज लागू किया गया। एपीआई आधारित डेटा एक्सचेंज के मुख्य लाभ हैं:

- डेटा एक्सचेंज ओवरहेड्स (प्रयास और समय) में कमी
- सामान्य मानवीय त्रुटियों के कारण उत्पन्न होने वाले डेटा गुणवत्ता संबंधी मुद्दों में कमी

उद्योग बिक्री सांख्यिकी (आईएसएस) मॉड्यूल के लिए एपीआई लागू किया गया है और आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, गेल आदि जैसी प्रमुख तेल और गैस संस्थाओं से डेटा एपीआई के माध्यम से एकत्र किया जा रहा है।

ट) ईंधन परीक्षण प्रयोगशाला (एफटीएल): पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा ईंधन परीक्षण प्रयोगशाला (एफटीएल) की स्थापना माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में की गई थी, जिसमें एनसीटी/एनसीआर में ऑटो ईंधन की गुणवत्ता की जाँच करने और इस प्रकार वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए स्वतंत्र परीक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित करना अनिवार्य किया गया था। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा पीपीएसी को एफटीएल के प्रबंधन का कार्य सौंपा गया है, जिसमें एफटीएल का संचालन सीएसआईआर–आईआईपी, देहरादून को सौंपा गया है, जिसका नमूना संग्रह एनसीटी/एनसीआर गाजियाबाद में होगा। पहले एफटीएल का प्रबंधन एसपीएफएल (सोसाइटी फॉर पेट्रोलियम लेबोरेटरी) द्वारा किया जाता था और संचालन सीएसआईआर–आईआईपी को आउटसोर्स किया गया था, लेकिन एसएफपीएल मार्च–2024 के अंत तक बंद हो जाएगा।

तदनुसार, पीपीएसी ने भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (आईआईपी) देहरादून के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और एमओयू पर 3 अप्रैल, 2024 को दिल्ली में पीपीएसी कार्यालय में श्री पी. मनोज कुमार, महानिदेशक पीपीएसी और डॉ. हरेंद्र सिंह बिष्ट, निदेशक सीएसआईआर–आईआईपी द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

ठ) सीबीजी दायित्व

पीपीएसी को अक्षय गैस प्रमाणपत्र (आरजीसी) के लिए रजिस्ट्री बनाए रखने और प्रमाणपत्र जारी करने, हस्तांतरण और समाप्ति को संभालने के लिए केंद्रीय रिपोजिटरी बोर्ड के रूप में भूमिका सौंपी गई है। उद्योग में सीबीजी की मांग को बढ़ावा देने और लाभप्रदता को मजबूत करने के उद्देश्य से पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा सीबीजी दायित्वों का प्रस्ताव किया गया है। यह प्रस्तावित दायित्व सीजीडी संस्थाओं पर अनिवार्य होगाा कि वे अनिवार्य दिशानिर्देशों के आधार पर सीबीजी उत्पादकों से सीबीजी खरीदें। दायित्वों में एक अक्षय गैस प्रमाणपत्र तंत्र का भी प्रस्ताव है, जिसे सीबीजी उत्पादकों द्वारा प्रत्येक सीबीजी मात्रा की बिक्री पर जारी किया जाएगा। इन प्रमाणपत्रों (आरजीसी) का उपयोग अनिवार्य दायित्वों को पूरा करने के लिए भी किया जा सकता है।

ड) सूचना प्रौद्योगिकी

पीपीएसी नवीनतम प्रौद्योगिकी के माध्यम से डेटा की गुणवत्ता और समय–सीमा में सुधार करने के लिए निरंतर प्रयास करता है। पीपीएसी ने देश में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र पर डेटा और नीति विश्लेषण के लिए प्रामाणिक और आधिकारिक स्रोत प्रदान करने के लिए सबसे आधुनिक डेटा प्रबंधन प्रणाली बनाई है।

पीपीएसी द्वारा नियमित आधार पर 200 से अधिक तेल और गैस संस्थाओं से डेटा एकत्र, संसाधित और विश्लेषण किया जाता है।

पीपीएसी डेटा प्रबंधन, रिपोर्टिंग और विश्लेषण के लिए मुख्य अनुप्रयोग के रूप में एसएएस का उपयोग कर रहा है। पेट्रोलियम उत्पादों और गैस की खपत, उत्पादन, कीमतों और विपणन से संबंधित एसएएस मॉड्यूल की मौजूदा प्रक्रियाओं को व्यवसाय और नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुव्यवस्थित, अनुकूलित और उन्नत किया गया है।

वित्त वर्ष 2023–24 में निम्नलिखित नई पहल/विकास किए गए:

1. नए डेटा बिंदुओं को कैप्चर करने के लिए नए मॉड्यूल विकसित किए गए:

    क. सीएनजी और पीएनजी मूल्य ब्रेक–अप

    ख. सीएनजी और पीएनजी खुदरा बिक्री मूल्य

ग. सीएनजी और पीएनजी खपत डेटा

घ. सीएनजी और पीएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा

ड़. इनसे संबंधित डेटा कैप्चर करने के लिए रिटेल आउटलेट मॉड्यूलः

i. इंफ्रास्ट्रक्चर (जियो–लोकेशन, वर्गीकरण – यू/आर/रिमोट/एनएच/एसएच)

ii. वैकल्पिक ईंधन (ईवी/सीएनजी) की उपलब्धता

iii. सुविधाएं (मुफ्त हवा/पानी/शौचालय)

2. मैनुअल अपलोड को कम करके डेटा की गुणवत्ता में सुधार के लिए आईएसएस डेटा के लिए एपीआई आधारित डेटा संग्रह तंत्र।

3. प्रधानमंत्री उज्जवला योजना 2.0 एक्सटेंशन के लिए दावा डेटा को शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री उज्जवला योजना मॉड्यूल का संवर्धन

4. ऐतिहासिक दावा रिकॉर्ड के सुधार की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री उज्जवला योजना मॉड्यूल का पुनर्गठन किया गया

5. पीपीएसी वेबसाइट के लिए सदस्यता क्षेत्र निम्नलिखित सुविधाओं के साथ शुरू किया गया हैः

क. एकल लॉगिन और समर्पित प्रोफाइल पेज के माध्यम से सभी ऐतिहासिक डेटा तक पहुंच

ख. हाल ही में प्रकाशित डेटा, उपयोगकर्ता द्वारा हाल ही में डाउनलोड किए गए ऐतिहासिक डेटा और एक ही पृष्ठ पर सबसे अधिक डाउनलोड किए गए ऐतिहासिक डेटा की उपलब्धता

ग. पंजीकृत उपयोगकर्ताओं का डेटाबेस और भविष्य के विश्लेषण के लिए डाउनलोड की गई रिपोर्ट

पीपीएसी के पास एक मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी सेट अप है जो आईटी परिसंपत्तियों/संवेदनशील डेटा के निरंतर सुधार, विकास और सुरक्षा के लिए समर्पित है। उचित जोखिम आकलन, नीतियां और नियंत्रण लागू किए जाते हैं।

दिनांक 02 जनवरी 2024 को आयोजित 30वीं जीबी बैठक

पीपीएसी मोबाइल ऐप का शुभांरभ श्री पंकज जैन, सचिव पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस द्वारा 03 अप्रैल 2023 को 28वीं जीबी बैठक के दौरान किया गया

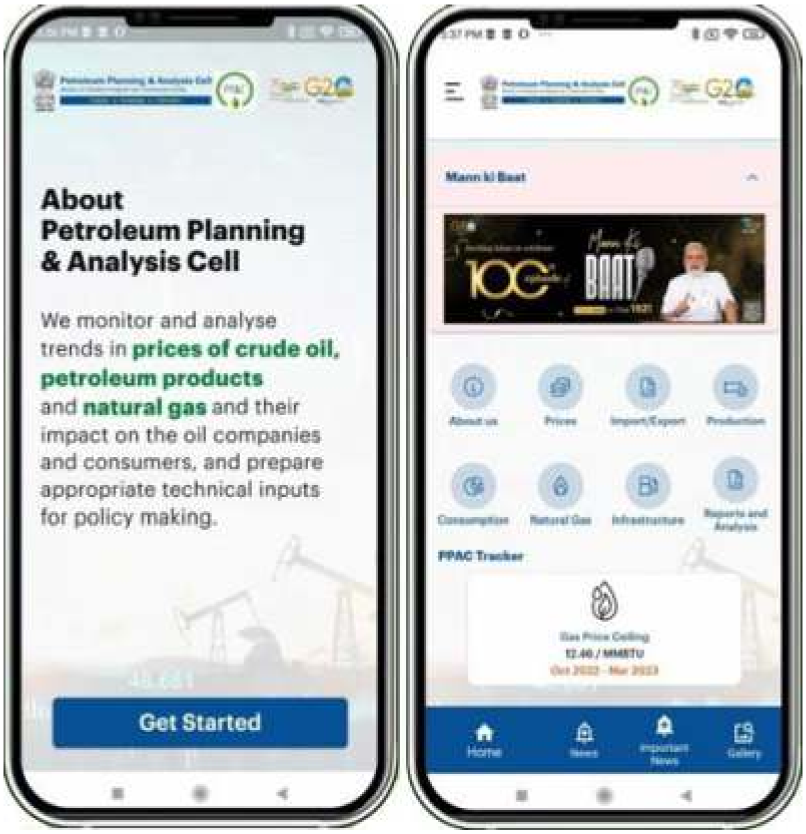

5.4. तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी)

तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन एक तकनीकी निदेशालय है, जिसे पेट्रोलियम उद्योग के लिए मानक बनाने तथा सुरक्षा ऑडिटों के माध्यम से इसके कार्यान्वयन की निगरानी रखने का दायित्व सौंपा गया है ताकि सुरक्षा स्तर बढ़ाए जा सकें और इस उद्योग में निहित जोखिमों को कम किया जा सके। ओआईएसडी मानकों में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र से संबंधित समस्त गतिविधियाँ अर्थात अन्वेषण व उत्पादन, शोधन, गैस प्रोसेसिंग, भंडारण, पाइपलाइन पारेषण, विपणन आदि निहित हैं जिन्हें तेल एवं गैस कंपनियों द्वारा स्व–नियामक आधार पर कार्यान्वित किया जाता है।

ओआईएसडी ने ऑडिटिंग, पीसीएसए, सम्मेलन/कार्यशाला और राजस्व सृजन में पिछले रिकॉर्ड को पार करते हुए 2023–24 के दौरान रिकॉर्ड प्रदर्शन हासिल किया।

वर्ष 2023–24 के दौरान, ओआईएसडी को ओआईडीबी द्वारा अनुदान सहायता के रूप में 33.81 करोड़ रुपये जारी किए गए।

ओआईएसडी द्वारा सुरक्षा ऑडिटः वित्तीय वर्ष 23–24

ओआईएसडी, तेल व गैस प्रतिष्ठानों की नियामक आवश्यकताओं और ओआईएसडी मानकों के अनुसार अनुपालन की निगरानी करने के लिए आवधिक सुरक्षा ऑडिट करता है।

वर्ष 2023–24 के दौरान, ओआईएसडी ने 322 प्रतिष्ठानों 12362 किमी पाइपलाइन का ऑडिट किया गया। ऑडिट का विवरण निम्नानुसार हैः

सुरक्षा ऑडिट	योजना संख्या	वास्तविक संख्या
रिफाइनरी / पेटकेम / जीपीपी / एलएनजी / सीटीएफ / ओजीटी	23	29
विपणन प्रतिष्ठान (पीओएल)	78	80
विपणन प्रतिष्ठान (एलपीजी)	42	48
ई एंड पी प्रतिष्ठान	120	143
कॉर्पोरेट / एसबीयू स्तर	05	05
पोर्ट ऑडिट	02	05
एसपीएम ऑडिट	02	06
आईजीसी के साथ तेल रिसाव की तैयारी का संयुक्त निरीक्षण	02	06
कुल	**274**	**322**
क्रॉस–कंट्री पाइपलाइन	11000	12362

प्रारंभ पूर्व सुरक्षा ऑडिट (पीसीएसए)

ओआईएसडी तेल और गैस उद्योग में परियोजनाओं का पीसीएसए करता है। इन ऑडिटों का मुख्य उद्देश्य, ग्रास–रूट डेवलपमेंट तथा मौजूदा प्रतिष्ठानों पर अतिरिक्त सुविधा परियोजनाओं की निर्माण अवस्था में ही ओआईएसडी मानकों के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित करना है।

वर्ष 2023–24 के दौरान इस प्रकार के 63 ऑडिट किए गए।

प्रारंभ पूर्व ऑडिट (पीसीएसए)	वास्तविक संख्या वर्ष 2022–23	वास्तविक संख्या वर्ष 2023–24
रिफाइनरी / पेटकेम / जीपीपी / एलएनजी / सीटीएफ / ओजीटी	28	18
विपणन प्रतिष्ठान (पीओएल / एलपीजी)	55	27
ई एंड पी प्रतिष्ठान	01	01
क्रॉस–कंट्री पाइपलाइन	27 (3706 कि.मी. कवर)	17 (1701.7 कि.मी. कवर)
कुल	111	63

अपतटीय प्रतिष्ठानों के लिए 'संचालन की सहमति'

ओआईएसडी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (अपतटीय प्रचालन क्रियाओं में सुरक्षा) नियम, 2008 के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में स्थायी और मोबाइल अपतटीय प्रतिष्ठानों को संचालित करने के लिए सहमति देता है।

वर्ष 2023–24 के दौरान कुल 04 स्थायी अपतटीय संस्थापनों की और 15 मोबाइल अपतटीय संस्थापनों के संचालन के लिए सहमति प्रदान की गई है।

सुरक्षा परिषद की बैठक

भारत में तेल व गैस उद्योग में सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं के सही कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन शीर्षस्थ सुरक्षा परिषद का गठन किया। परिषद की 40वीं बैठक 30 जून, 2023 को आयोजित की गई। बैठक के दौरान जिन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई और उन्हें मंजूरी दी गई, वे इस प्रकार हैं:

- ✓ वर्ष 2022–23 में ओआईएसडी द्वारा की गई प्रमुख गतिविधियां और वर्ष 2023–24 के लिए गतिविधि योजना।
- ✓ 02 से अधिक वर्षों से लंबित ओआईएसडी सुरक्षा ऑडिट अनुशंसाओं की अनुपालन स्थिति की समीक्षा और चिंता के क्षेत्र।
- ✓ 16 संशोधित ओआईएसडी मानकों का अनुमोदन।
- ✓ असम में बागजान ब्लो आउट की घटना से संबंधित एचएलसी की सिफारिशों का अनुपालन।
- ✓ चक्रवात ताऊते घटना से संबंधित एचएलसी की सिफारिशों का अनुपालन।
- ✓ वित्तीय वर्ष 2022–23 में ओआईएसडी के वास्तविक व्यय का अनुमोदन और वित्त वर्ष 2023–24 के लिए बजट अनुमान।

संचालन समिति की बैठक

संचालन समिति की 58वीं बैठक 13 अप्रैल 23 को ओआईडीबी भवन में हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई। बैठक में प्रमुख पैनलिस्ट और तेल और गैस उद्योग के प्रतिनिधियों सहित 41 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें तेल और गैस उद्योग में सुरक्षा बढ़ाने के मामले पर विचार–विमर्श किया गया। सदस्यों द्वारा 08 संशोधित ओआईएसडी मानकों को अपनाया गया।

संचालन समिति की 59वीं बैठक 28 मार्च 24 को ओआईडीबी भवन में हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई, जिसमें 61 प्रतिभागियों ने भाग लिया। सदस्यों द्वारा 13 संशोधित ओआईएसडी मानकों को अपनाया गया और 12 मानकों को वापस लेने पर सहमति व्यक्त की गई।

इन बैठक के दौरान निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं पर भी विचार–विमर्श किया गया और उन पर चर्चा की गई:

- ✓ संशोधित ओआईएसडी मानकों (ड्राफ्ट III) को अपनाना।
- ✓ दो वर्षों से अधिक समय से लंबित ईएसए/एसएसए सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- ✓ पिछले पांच वर्षों के लिए घटना विश्लेषण और चिंता का क्षेत्र।
- ✓ उद्योग खंड में कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में चर्चा।
- ✓ उद्योग मुद्दे/समस्याएँ/सुझाव।

सुरक्षा मानकों का विकास

ओआईएसडी सभी हितधारकों को शामिल करते हुए एक सहभागी प्रक्रिया के माध्यम से तेल और गैस उद्योग के लिए मानक विकसित करता है। इन मानकों में पेट्रोलियम के उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण और परिवहन के क्षेत्र में अंतर्निहित डिजाइन सुरक्षा, परिसंपत्ति अखंडता और सर्वोत्तम संचालन प्रथाओं को शामिल किया गया है। ओआईएसडी मानकों की समय–समय पर समीक्षा की जाती है ताकि नए मानकों को विकसित करने की जरूरतों का पता लगाया जा सके, नवीनतम तकनीकी विकास के साथ–साथ जमीन पर मौजूदा अनुभवों को शामिल करने के लिए मौजूदा मानकों को संशोधित किया जा सके।

आजतक ओआईएसडी ने तेल और गैस उद्योग के लिए 118 मानक विकसित किए हैं। इनमें से 23 मानक, पेट्रोलियम नियम, 2002; गैस सिलेंडर नियम, 2016; स्थिर और गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) नियम, 2016; पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) और तेल खान विनियम, 2017 के वैधानिक प्रावधानों में शामिल हैं।

16 संशोधित मानकों को 30 जून 23 को सुरक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया और ओआईएसडी द्वारा उद्योग के लिए जारी किया गया । वर्तमान में, ''हाइड्रोजन सुरक्षा'' और ''कम्प्रेस्ड जैव गैस (सीबीजी) सुरक्षा'' सहित 03 नए मानक विकास के अधीन है और 55 मौजूदा मानक संशोधन के विभिन्न चरणों में है।

घटना जांच और विश्लेषण

ओआईएसडी तेल और गैस उद्योग में होने वाली प्रमुख ऑनसाइट घटनाओं की जांच करता है। तेल और गैस उद्योग की घटनाओं का एक डेटा बैंक बनाकर रखा जाता है और रुझानों, सरोकार के क्षेत्रों और सुधारात्मक/निवारक कार्रवाई का

मूल्यांकन करने के लिए विश्लेषण किया जाता है। इन्हें फिर सुरक्षा अलर्ट, केस स्टडी, परामर्शी नोट्स, कार्यशालाओं/सेमिनारों और ''सुरक्षा चेतना'' के माध्यम से उद्योग में प्रसारित किया जाता है।

वर्ष 2023–24 के दौरान ओआईएसडी द्वारा 13 घटनाओं की जांच की गई, जिनमें से कुछ घटनाओं की पीएनजीआरबी के साथ संयुक्त रूप से जांच की गई।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान ओआईएसडी वेबसाइट पर कुल 13 केस स्टडी अपलोड किए गए और 14 सुरक्षा अलर्ट जारी किए गए हैं।

चक्रवात में तेल और गैस प्रतिष्ठानों की सुरक्षा तैयारियों की निगरानी

चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदा के मामले में, आईएमडी से उपलब्ध सूचना के आधार पर, ओआईएसडी तेल और गैस कंपनियों की स्थिति रिपोर्ट (एसआईटीआरईपी) की भी मांग करता है और समेकित एसआईटीआरईपी दिन मे दो बार पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा अन्य हितधारकों को भेजता है।

वर्ष 2023–24 के दौरान निम्नलिखित चक्रवातों और डिप्रेशन के लिए कुल 60 एसआईटीआरईपी जारी किए गए:

''मोचा'' (मई 24), ''हमून'' (अक्टूबर 24), ''मिधिली'' (नवंबर 24), ''माइचौंग'' (दिसम्बर 24) बंगाल की खाड़ी के ऊपर और ''बिपरजॉय'' (जून 24), ''तेज'' (अक्टूबर 24) अरब सागर के ऊपर।

ज्ञान साक्षा गतिविधियां:

ओआईएसडी तेल और गैस उद्योग के लिए प्रशिक्षण/संगोष्ठी/सम्मेलन/कार्यशाला/वेबिनार आयोजित करता है ताकि नवीनतम प्रौद्योगिकीय विकास, ज्ञान को साक्षा करने, घटना के अनुभवों और केस स्टडीज आदि का प्रसार किया जा सके। वर्ष 2023–24 के दौरान इन कार्यक्रमों में कुल 4437 प्रतिभागी शामिल हुए।

साथ ही, वर्ष 2023–24 के दौरान, ''सुरक्षा चेतना'' समाचार पत्रों के 2 अंक प्रकाशित किए गए।

वर्ष 2023–24 के दौरान प्रमुख ज्ञान साक्षा गतिविधियों का विवरण:

1. 'सुरक्षा संवाद'

ओआईएसडी द्वारा हर महीने लाइव वेब सत्र 'सुरक्षा संवाद' आयोजित किया गया। जिसमें उद्योग जगत के विशेषज्ञों और ओआईएसडी ने गलतियों से सीखने के अनुभव साझा किए।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, ओआईएसडी ने 12 सुरक्षा संवाद का आयोजन किया। 'सुरक्षा संवाद' वेबिनार में ''मॉक ड्रिल और कॉमन ऑब्जर्वेशन'', ''बागजान घटना और ए लैंड रीबॉर्न नामक एक फिल्म'', ''ऑफशोर एसपीएम घटना और तटवर्ती पाइपलाइन फटने की घटना'', ''ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण उपाय, गुड हाउसकीपिंग'' और ''स्वच्छता बनाए रखने की पहल'', ''रिफाइनरी में हुई घटनाओं पर केस स्टडी और विश्लेषण'', ''एलपीजी संयंत्रों में हाल की घटनाओं का केस स्टडी और एलपीजी बल्क/पैक ट्रक का निरीक्षण'' आदि सहित विभिन्न विषयों को शामिल किया गया जिसमें 3878 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

सुरक्षा संवाद का आयोजन नए जारी किए गए प्रमुख ओआईएसडी मानकों जैसे 178 (परिवर्तन प्रबंधन), 105 (वर्क परमिट सिस्टम), 206 (सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) और 227 (आपातकालीन प्रतिक्रिया और तेल और गैस उद्योग में तैयारी) के लिए

प्रासंगिक केस स्टडीज के साथ किया गया था, ताकि उद्योग के लिए संशोधित मानकों, महत्वपूर्ण परिवर्तनों और ऑडिट/दुर्घटना जांच के दौरान देखे गए उस विशेष मानक से संबंधित सामान्य अंतरालों पर अपनी समक्ष को बढ़ाया जा सके।

सुरक्षा संवाद

2. तकनीकी संगोष्ठी/प्रशिक्षण/सम्मेलन/कार्यशाला

वर्ष 2023–24 के दौरान, ओआईएसडी ने आंतरिक ऑडिट प्रशिक्षण , विश्व पर्यावरण दिवस पर कार्यशाला, सुरक्षा सम्मेलन और छोटे और मध्यम ई एंड पी ऑपरेटरों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया।

क. आंतरिक ऑडिट प्रशिक्षण

ओआईएसडी ने वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान 10 'आंतरिक ऑडिट' प्रशिक्षण का आयोजन ई एंड पी, पी एंड ई, विपणन (पीओएल और एलपीजी) और पाइपलाइन डिवीजन के अधिकारियों का 'ऑडिटिंग कौशल' बढ़ाने के लिए किया। विभिन्न तेल और गैस उद्योगों के कुल 309 आंतरिक ऑडिटर्स को प्रशिक्षण किया गया।

आंतरिक ऑडिट प्रशिक्षण

ख. विश्व पर्यावरण दिवस पर कार्यशाला

ओआईएसडी ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। ओआईएसडी में विश्व पर्यावरण दिवस 2023 पर एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। उद्घाटन सत्र को सुश्री सुजाता शर्मा, आईएएस, संयुक्त सचिव (एम एंड ओआर), सुश्री वर्षा सिन्हा, सचिव (ओआईडीबी), आईजी एम वी पाठक, पीटीएम एंड टीएम, डीडीजी (ऑपरेशन) तटीय सुरक्षा, भारतीय तटरक्षक बल और श्री अरूण मित्तल–कार्यकारी निदेशक (ओआईएसडी) ने संबोधित किया। विश्व पर्यावरण दिवस–2023 के दौरान, तेल और गैस उद्योग की नेट जीरो पहल, पर्यावरण स्थिरता और प्रभाव, और अपतटीय पर्यावरण प्रबंधन पर 3 सत्र थे। इसमें उद्योग के विशेशज्ञों ने भाग लिया। कार्यशाला में कुल 95 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

विश्व पर्यावरण दिवस

ग. ''सेफ्टी कॉन्क्लेव–2023'':

एचएमईएल के सहयोग से ओआईएसडी ने 4 और 5 दिसम्बर 2023 को भटिंडा, पंजाब में सफलतापूर्वक ''सेफ्टी कॉन्क्लेव–2023'' का आयोजन किया, जिसमें तेल और गैस उद्योग के 128 प्रतिभागियों ने भाग लिया था।

सेफ्टी कॉन्क्लेव

घ. लघु और मध्यम ईएंडपी ऑपरेटरों प्रशिक्षण

डीजीएच ने ओआईएसडी के साथ 15 फरवरी' 24 को ओएनजीसी सुविधा, मेहसाणा में छोटे और मध्यम ईएंडपी ऑपरेटरों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। ओआईएसडी और डीजीएच के संकाय सदस्यों द्वारा विभिन्न सत्र आयोजित किए गए। इसमें 12 ई एंड पी कंपनियों के 27 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

वित्तीय प्रदर्शन

वित्त वर्ष 2023–24 के लिए ओआईडीबी द्वारा रुपये 3698.40 लाख के कुल व्यय के लिए रुपये 3381.00 लाख की बजटीय सहायता प्रदान की गई थी (मुख्यतः पीसीीएसए से रुपये 450.17 लाख का राजस्व सृजन हुआ)। वित्त वर्ष 2024–25 के लिए ओआईडीबी ने रुपये 3743.00 लाख की बजटीय सहायता को मंजूरी दी है।

ओआईएसडी द्वारा निधियों के उपयोग पर विषयगत ऑडिट :

वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2022–23 के लिए ''ओआईएसडी द्वारा धन के उपयोग पर विषयगत ऑडिट'' कैग ऑडिट टीम द्वारा 11 दिसम्बर–2023 से शुरू होकर 19 जनवरी, 2024 को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था।

राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह

'पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) के लिए सुरक्षा नेतृत्व पर फोकस' के विषय पर ''53'' ''राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह'' उद्घाटन 4 मार्च, 2024 को ओआईडीबी भवन सभागार में सुरक्षा प्रतिज्ञा के साथ किया गया।

ओआईडीबी सचिव श्रीमती वर्षा सिन्हा मुख्य अतिथि थी और ईडी ओआईएसडी द्वारा मुख्य भाषण दिया गया। डॉ. तपस्विनी प्रधान, सीनियर कैंसर विशेषज्ञ, अपोलो अस्पताल, दिल्ली ने ''कैंसर के लिए समग्र दृष्टिकोण'' पर स्वास्थ्य वार्ता की गई।

सप्ताह के दौरान आयोजित विभिन्न गतिविधियों में सुरक्षा प्रतिज्ञा, ओआईडीबी भवन के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और संविदा कर्मचारियों के लिए एक स्वास्थ्य शिविर, डीजीएच से अग्नि और सुरक्षा विशेषज्ञ द्वारा अनुबंधित कर्मचारियों को अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण, संविदा कर्मचारियों के लिए पोस्टर प्रतियोगिता, आंतरिक ज्ञान साझा सत्र, ओआईएसडी के विभिन्न वर्गों के लिए आंतरिक सुरक्षा प्रश्नोत्तरी आदि।

राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह

स्वच्छता पखवाड़ा

स्वच्छ भारत मिशन के प्रति प्रतिबद्ध, ओआईएसडी ने स्वच्छता पखवाड़ा समारोह के दौरान 3 जुलाई, 2023 से विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया, जैसे स्वच्छता प्रतिज्ञा के साथ उद्घाटन समारोह, अनाथालय के बच्चों के लिए स्वच्छता वार्ता और प्रश्नोत्तरी, स्वच्छता पर जागरूकता पैदा करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में प्रभात फेरी मान्यता प्राप्त एनजीओ 'गूंज' के माध्यम से जरूरतमंदों द्वारा आगे उपयोग के लिए पुराने उपयोग्य कपड़ों का संग्रह अभियान, सार्वजनिक शौचालय सफाई श्रमिकों का सम्मान, ओआईएसडी परिवार के सदस्यों द्वारा ''अपशिष्ट से धन सृजन'' विषय पर अपशिश्ट सामग्री का उपयोग करते हुए शिल्प कार्य, स्लोगन और कविता प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी, अप्रयुक्त कागजों की कतरन और पुनर्चक्रण, ओआईएसडी कार्यालय और सामान्य क्षेत्र की गहरी सफाई और पुराने दस्तावेजों और फाइलों की सफाई और पुराने दस्तावेजों के संरक्षण और निपटान के लिए डिजिटलीकरण, ''स्वच्छता से सुरक्षा'' पर विशेष सुरक्षा संवाद वेबिनार और ज्ञान साझा सत्र आदि।

स्वच्छता पखवाड़ा

ओआईएसडी अधिकारियों ने बाह्य सुरक्षा ऑडिट के दौरान स्वच्छता के संदेश को फैलाने के लिए विभिन्न गतिविधियों की जैसे ओएनजीसी राजमुंदरी संपत्ति में स्वच्छता अभियान, 50 पौधों वृक्षारोपण। बीपीसीएल के न्यू बोकारो डिपो में पौधे लगाए, आईओसीएल रायपुर में अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम, सूर्यपेटा, तेलंगाना के पास सीएस 3 स्थापना पर स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम आदि।

ईएसए के दौरान स्वच्छता पखवाड़ा की गतिविधिया

स्थापना दिवस

38वां ओआईएसडी स्थापना दिवस 10 जनवरी, 24 को मनाया गया। ईडी–ओआईएसडी ने सभा को संबोधित किया। पूर्व–ओआईएसडियन ने अपने विचार और अनुभव साझा किए। ओआईएसडी की यात्रा पर वीडियो के बाद एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

ओआईएसडी स्थापना दिवस

5.5. उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र (सीएचटी)

उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र (सीएचटी) की स्थापना 1987 में सरकार के वैज्ञानिक और तकनीकी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तकनीकी विंग के रुप में कार्य करता है। सीएचटी के प्रमुख कार्यों में शामिल है :

- पइपलाइन एवं पेट्रो रसायनए रिफाइनरियों और पाइपलाइनों की निष्पादन बेंचमार्किंग
- सर्वोत्तम प्रथाओं, विशेष अध्ययन, परिचालन सुधार और प्रक्रिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से रिफाइनरियों में निश्पादन सुधार
- डाउनस्ट्रीम हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता सुधार
- पेट्रोलियम उत्पाद गुणवत्ता सुधार
- सर्वोत्तम प्रथाओं सूचनाओं एवं प्रसार का आदान–प्रदान
- भावी स्थिरता के लिए डाउनस्ट्रीम क्षेत्र में वैकल्पिक ऊर्जा और नई पहलों के साथ एकीकरण
- डाउनस्ट्रीम हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में नवाचारों और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के हाइड्रोकार्बन पर सलाहकार समिति (एसएसी) की गतिविधियों का समन्वय।
- वाटर फुट प्रिंट की कमी
- आयात के एवज में ईंधन, रसायन और उत्प्रेरक का विकास

वर्ष 2023–24 के दौरान, ओआईडीबी से अनुदान सहायता के रूप में सीएचटी को 21.33 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त हुई

वर्ष 2023–2024 के दौरान की गई प्रमुख गतिविधियां इस प्रकार हैं:

1. पीएसयू रिफाइनरियों और पाइपलाइनों की निष्पादन बेंचमार्किंग

बेंचमार्किंग उन संगठनों के लिए एक मूल्यवान उपकरण है जो आज के गतिशील व्यावसायिक वातावरण में अपने प्रदर्शन,

नवीनीकरण को बढ़ावा देना तथा प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखना चाहते हैं।

(क) पीएसयू रिफाइनरियों का निष्पादन बेंचमार्किंग

पीएसयू रिफाइनरियों के प्रदर्शन की बेंचमार्किंग 2010 से नियमित रूप से की जा रही है। रिफाइनरी और पाइपलाइन दोनों के लिए चक्र 2022 के लिए अध्ययन पूरा हो चुका है। अध्ययन चक्र 2024 के लिए रिफाइनरी प्रदर्शन बेंचमार्किंग प्रगति पर है।

(ख) पीएसयू पाइपलाइनों के लिए निष्पादन बेंचमार्किंगः

पाइपलाइनों (तरल, गैस, एलपीजी) और एसपीएम के लिए निष्पादन बेंचमार्किंग का अध्ययन पहली बार 2018 चक्र के लिए मैसर्स सोलोमन एसोसिएट्स (एसए), यूएसए के माध्यम से शुरू किया गया था। मैसर्स सोलोमन एसोसिएट्स ने 9 नवम्बर 2023 को पाइपलाइन बेंचमर्किंग अध्ययन के तीसरे चक्र 2022 को सफलतापूर्वक पूरा किया। सचिव, पीएडंएनजी ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ऑयल इंडिया लिमिटेड और गेल की भाग लेने वाली कंपनियों के शीर्ष प्रबंधन के समक्ष मैसर्स सोलोमन एसोसिएट्स द्वारा 2022 चक्र के अध्ययन परिणामों की प्रस्तुति बैठक की अध्यक्षता की।

(ग) पेट्रो रसायन (क्रैकर और पॉलीमर) इकाइयों की प्रदर्शन बेंचमार्किंग

निविदा गतिविधियां प्रगति पर है।

2. ऊर्जा दक्षता में सुधार

1. पीएटी (निष्पादन, प्राप्ति और व्यापार)

पीएटी अर्थव्यवस्था के ऊर्जा गहन क्षेत्र में विशिष्ट ऊर्जा खपत को कम करने के लिए एक बाजार आधारित विनियामक साधन है। पीएटी राष्ट्रीय सवंर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन (एनएमईईई) के तहत उन पहलों में से एक है, जिसे ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत आठ मिशनों के तहत शामिल किया गया है, ताकि व्यापार योग्य ऊर्जा बचत प्रमाण–पत्रों के माध्यम से लागत प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सके।

रिफाइनरी क्षेत्र को पीएटी–I में शामिल आठ ऊर्जा गहन क्षेत्रों में डिस्कॉम और रेलवे के साथ पीएटी–II (2016–17 से 2018–19) में शामिल किया गया था। इस योजना के तहत, पीएसयू और निजी क्षेत्र सहित प्रत्येक रिफाइनरी को विशिष्ट ऊर्जा खपत लक्ष्यों को पूरा करना अनिवार्य है। रिफाइनरियों के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं जिनकी ऊर्जा खपत अधिक होती है और इसलिए ऊर्जा की बचत की अधिक संभावना होती है। ऊर्जा बचत लक्ष्य बीईई (ऊर्जा दक्षता ब्यूरो) द्वारा सीएचटी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है, के परामर्श से सौंपे गए थे।

पीएटी चक्र–II में रिफाइनिंग क्षेत्र के लिए ऊर्जा कटौती का लक्ष्य 1.01 मिलियन टीओई के बराबर 5.49 प्रतिशत निर्धारित किया गया था। इसकी तुलना में 1.48 मिलियन टीओई के बराबर 8.05 प्रतिशत की वास्तविक ऊर्जा कमी हासिल की गई थी।

वर्तमान पीएटी चक्र–VI (2020–21 से 2022–23) के लिए 5.49 प्रतिशत क्षेत्रीय ऊर्जा कटौती लक्ष्य को बनाए रखा गया है, जो 1.17 मिलियन टन के ऊर्जा बचत लक्ष्य के बराबर है। 2022–23 मूल्यांकन वर्ष है और इसका ऑडिट किया जायेगा। वर्ष 2018–19 के बाद आरंभ की गई नई इकाईयों के लिए जटिलता कारक (एनआरजीएफ) की गणना की गई और रिफाइनरियों के अनुरोध पर जहां भी आवश्यक था, इसे पुनर्निमित इकाइयों के लिए भी संशोधित किया गया ताकि वे 2022–23 के लिए अपने उर्जा रिर्टन दाखिल करने के लिए बीईई प्रोफार्मा जमा कर सके।

II. पीएसयू रिफाइनरियों में 2030 तक दीर्घकालिक ऊर्जा बचत लक्ष्य

पीएसयू रिफाइनरियों को ऊर्जा दक्षता में वैश्विक स्तर की श्रेष्ठतम रिफाइनरियों (सोलोमन बेंचमर्किंग अध्ययन की क्यू 1) के साथ सरेंखित करने के लिए एक रोडमैप ''मिशन क्यू–1'' तैयार किया गया है। रिफाइनिंग क्षेत्र के लिए समग्र लक्ष्य भी भारत के एनडीसी के साथ 2005 के आधार वर्ष की तुलना में 2030 तक विशिश्ट ऊर्जा खपत में 45 प्रतिशत की कमी लाने के साथ संरेखित है। रिफाइनरी वार उच्च विशिष्ट ऊर्जा खपत वाली रिफाइनरियों को उच्च लक्ष्य सौंपा जाता है क्योंकि उनके पास बचत करने की अधिक संभावनाएं होती है और साथ ही उनकी अर्थव्यवस्था का पैमाना भी अधिक होता है। रिफाइनरियां पहले से चिन्हित ऊर्जा बचत योजना के साथ–साथ 2030 तक की दीर्घकालिक योजनाओं के माध्यम से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करेगी, जिसमें इन–हाउस और सलाहकारों के माध्यम से विभिन्न अध्ययन शामिल है।

III. फर्नेस दक्षता और भाप रिसाव पर वार्षिक लेखा–परीक्षा

रिफाइनरियों में ऊर्जा दक्षता में सुधार और ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए, सीएचटी प्रत्येक वर्ष फर्नेस/बॉयलर दक्षता या भाप रिसाव के क्षेत्रों में हर दूसरे साल सर्वेक्षण का आयोजन करता है। फर्नेस/बॉयलर दक्षता सर्वेक्षण 2023 में आयोजित किया गया था जबकि भाप रिसाव लेखा परीक्षा सक्षम–2024 (जनवरी–2024) के दौरान पूरी की गई थी।

3. रिफाइनरी निष्पादन सुधार कार्यक्रम (आरपीआईपी)

पीएसयू तेल कंपनियों को उत्पाद पैटर्न और परिचालन उत्कृष्टता में सुधार, ऊर्जा खपत और उत्सर्जन आदि को कम करने में सहायता करने के लिए, आरपीआईपी को दो चरणों में शुरू किया गया था। सीएचटी ने रिफाइनरियों के साथ समन्वय में चरण–1 के तहत 7 पीएसयू रिफाइनरियों (एचपीसीएल –मुंबई और विशाख, बीपीसीएल – मुंबई और कोच्चि, आईओसीएल – पानीपत, पारादीप और मथुरा) के लिए आरपीआईपी को कार्यान्वित करने के लिए रिफाइनरी–वार वैश्विक सलाहकारों को अंतिम रूप दिया। आरपीआईपी चरण–1 के तहत, कई योजनाओं की पहचान की गई है और उन्हें तेल कंपनियों द्वारा लागू किया जा रहा है। दूसरे चरण में शेष आठ रिफाइनरियों (आईओसी–बरौनी, गुजरात, हल्दिया, बोंगाई गांव, गुवाहाटी, डिगबोई, सीपीसीएल–मनाली और एनआरएल) के लिए संबंधित रिफाइनरियों द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

4. सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरियों के लिए विशेष अध्ययन

सीएचटी पीएसयू रिफाइनरियों की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए नियमित रूप से विशेष अध्ययनों को आयोजित करता रहा है, इनमें से कुछ हैं:

क. रिफाइनरियों के लिए जल उपभोग मानदंडों का विकास और वाटर फुटप्रिंट में कमी

ईआईएल द्वारा एक अधययन किया गया है जिसमें अल्पावधि (<2 वर्ष) और दीर्घावधि (>2 वर्ष) लक्ष्य के साथ जल उपयोग में कमी का रोडमैप तैयार किया गया है। अल्पावधि में, 2901 एम3/घंटा के लक्ष्य के मुकाबले 2369 एम3/घंटा की बचत की गई है। दीर्घावधि (2023–25) लक्ष्य में कमी लाने का काम प्रगति पर है। अब तक, 1160 घन मीटर3/घंटा की बचत हासिल की जा चुकी है।

ख. 2047 तक घरेलू मांग, ईंधन निर्यात और रिफाइनिंग क्षमता का आकलन

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दिनांक 29 अगस्त 2023 को जारी फाइल. संख्या आर–12042(11)/284/2017–ओआर–II (ई–13446) के तहत डीजी (पीपीएसी) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जो 2047 तक घरेलू मांग के आकलन के साथ–साथ ईंधन निर्यात के अनुमान और घरेलू रिफाइनिंग क्षमता पर एक समग्र रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। कार्य समूह ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्राल को विचार के लिए मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

5. ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक (ईटीएम)

26वीं ईटीएम, जिसे पहले रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स प्रौद्योगिकी बैठक (आरपीटीएम) के नाम से जाना जाता था, का आयोजन 9–11 अक्टूबर, 2023 के दौरान आईईसीसीसी (भारत मंडपम) प्रगति मैदान, नई दिल्ली में ईआईएल और एनआरएल के साथ किया गया। बैठक का विषय "उभरती ऊर्जा प्रवृत्तियाँ और रिफाइनिंग का भविष्य" रखा गया था। इस कार्यक्रम में 15 तकनीकी सत्रों में 77 मौखिक पत्रों (8 पैनलिस्टों और 58 विदेशी कंपनियों के वक्ताओं सहित) और 66 डिजिटल पोस्टर सत्रों (जिसमें 47 विदेशी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सत्र शामिल थे) के साथ–साथ 27 प्रदर्शनी स्टॉल भी आयोजित किए गए थे। इस कार्यक्रम में भारत और विदेश से 1300 से अधिक प्रतिनिधियों/आमंत्रितों लोगों ने भाग लिया।

मानीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप पुरी जी द्वारा 26वें ईटीएम का उद्घाटन

6. प्रधानमंत्री जी–वन योजना का कार्यान्वयन

प्रधान मंत्री जी–वन योजना की घोषणा मार्च, 2019 में 2जी इथेनॉल को बढ़ावा देने के लिए 12 वाणिज्यिक इकाइयों और 10 प्रदर्शन इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके की गई थी। प्रधान मंत्री जी–वन योजना के कार्यान्वयन के लिए सीएचटी को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। पात्र परियोजना डेवलपर्स (पीडी) की शॉर्टलिस्टिंग के लिए चयन का अनुरोध (आरएफएस) सीएचटी द्वारा जारी किया गया था। अब तक, 4 आरएफएस मंगाए गए हैं। परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन एसएसी द्वारा किया गया और उनकी तकनीकी सिफारिश के आधार पर, प्रधानमंत्री जी–वन योजना के लिए सीएचटी की संचालन समिति ने 6 वाणिज्यिक परियोजनाओं और 4 प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी दी। आईओसीएल पानीपत में वाणिज्यिक 2जी इथेनॉल संयंत्र चालू हो गया है और अन्य संयंत्र निर्माण के अग्रिम चरण में हैं।

7. बायोमास एग्रीगेटिंग मशीनरी (बीएएम) की खरीद के लिए सीबीजी उत्पादकों को वित्तीय सहायता

इस योजना का उद्देश्य बायोमास एग्रीगेशन मशीनरी (बीएएम) की खरीद के लिए शुरूआती 100 बायोमास–आधारित सीबीजी संयंत्रों के लिए सीबीजी उत्पादकों को वित्तीय सहायता प्रदान करके बायोमास संग्रह को सहायता प्रदान करना है।

योजना का कुल वित्तीय परिव्यय वित्त वर्ष 2023–24 से वित्त वर्ष 2026–27 की अवधि के लिए 569.75 करोड़ रुपये है। अधिकतम वित्तीय सहायता प्रति परियोजना रुपये 9 करोड़ की कुल सीमा के साथ उपकरण की लागत का 50 प्रतिशत तक सीमित है।

सीएचटी को परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) और केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) के रूप में नामित किया गया है और आवेदन जमा करने के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है।

8. साइट–2बी योजना का कार्यान्वयन

हरित हाइड्रोजन संक्रमण के लिए कार्यनीतिक हस्तक्षेप (साइट) कार्यक्रम, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (एनजीएचएम) के तहत रुपये 17,490 करोड़ के परिव्यय के साथ एक प्रमुख वित्तीय लक्ष्य है। इस कार्यक्रम में इलेक्ट्रोलाइजर के घरेलू विनिर्माण और हरित हाइड्रोजन के उत्पादन का बढ़ाने के लिए दो अलग–अलग वित्तीय प्रोत्साहन प्रणाली शामिल हैं।

साइट–2बी, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा शुरू की गई योजना है। इसका उद्देश्य निर्माताओं को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देना है।

साइट–2बी योजना के तहत, कार्यान्वयन एजेंसी/एजेंसियाँ एकल रिफाइनरी या कई रिफाइनरियों के लिए सबसे कम लागत पर हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और आपूर्ति के लिए माँग को एकत्रित करके और बोलियाँ आमंत्रित करेंगी। मोड 2बी का ट्रैंच 1 की क्षमता प्रति वर्ष 200,000 मीट्रिक टन है। एमएनआरई ने 16 जनवरी 2024 को अपने पत्र के माध्यम से अधिसूचित किया कि मोड 2बी के तहत योजना का कार्यान्वयन तेल एवं गैस कंपनियों तथा उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र (सीएचटी) द्वारा किया जाएगा।

योजना प्रोत्साहन: उत्पादन एवं आपूर्ति के प्रथम वर्ष में ग्रीन हाइड्रोजन के लिए प्रोत्साहन राशि 50 रुपये प्रति किलोग्राम, उत्पादन एवं आपूर्ति के दूसरे वर्ष में 40 रुपये प्रति किलोग्राम तथा उत्पादन एवं आपूर्ति के तीसरे वर्ष में 30 रुपये प्रति किलोग्राम होगी।

सीएचटी के उत्तदायित्वों मे निम्न शामिल हैं:

- प्रोत्साहन संवितरण के लिए लाभार्थियों के दावों की जांच
- निर्धारित दस्तावेजों के साथ संवितरण दावों का सत्यापन एवं समाधान
- तिमाही समीक्षा रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजों के माध्यम से योजना की प्रगति एवं प्रदर्शन के बारे में डेटा का संकलन।
- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के माध्यम से एमएनआरई को तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना, जिसमें प्रोत्साहन संवितरण के लिए प्राप्त दावों, वितरित की गई राशियों तथा प्रोत्साहनों के संवितरण में देरी के कारणों, यदि कोई हो, का विवरण शामिल हो ।

उपरोक्त के अनुसरण में, सीएचटी ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां के साथ मिलकर जीएच2 क्षमताएं निर्धारित कर उन्हें संबंधित ओएमसी को आवंटित किया है। सीएचटी ने हितधारकों के साथ परामर्श किया और ओएमसी के साथ कई दौर की चर्चा की। एकत्रित इनपुट और अंतर्दृष्टि के आधार पर, सीएचटी ने साइट–2बी के तहत निविदाएं जारी करने के लिए मॉडल दिशानिर्देश जारी किए हैं। आईओसीएल, सीपीसीएल, एनआरएल, एमआरपीएल और बीपीसीएल ने अपनी निविदाएं जारी कर दी हैं। आईओसीएल और एमआरपीएल ने पीक्यूसी में बदलाव के कारण इसे फिर से जारी किया है।

9. ऊर्जा संक्रमण सलाहकार समिति (ईटीएसी) रिपोर्ट – हितधारक परामर्श

ईटीएसी का गठन दिसंबर 2021 में माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्री द्वारा ऊर्जा संक्रमण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और मार्गदर्शन करने के लिए श्री तरुण कपूर, पूर्व सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अध्यक्षता में किया गया था। समिति ने फरवरी 2023 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

चूंकि कई सिफारिशें अंततः विषयक और अंतर–मंत्रालयी है, इसलिए हितधारकों से परामर्श की आवश्यकता थी। तदनुसार, 16 अगस्त 2023 को, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सीएचटी को हितधारकों परामर्श/टिप्पणियों के लिए रिपोर्ट प्रसारित करने और विश्लेषण रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा।

उपर्युक्त के अनुसरण में, सीएचटी द्वारा 39 चिन्हित हितधारकों (18 मंत्रालयों और 21 संगठनों) को इनपुट प्राप्त करने के लिए ईटीएसी द्वारा की गई रिपोर्ट और सिफारिशों के साथ एक संदेश भेजा गया। इसके अलावा, सीएचटी की गवर्निंग काउंसिल की सलाह के अनुसार, रिपोर्ट और इसकी सिफारिशों को कुछ निजी निकायों के साथ भी उनकी टिप्पणियों और इनपुट प्राप्त करने के लिए साझा किया गया।

सीएचटी ने प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर एक हितधारक परामर्श विश्लेषण रिपोर्ट तैयार की और इसे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को सौंप दिया।

10. स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास

सीएचटी वित्त पोषण के लिए डाउनस्ट्रीम हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के लिए अनुसंधान परियोजनाओं की पहचान करने में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की हाइड्रोकार्बन पर वैज्ञानिक सलाहकार समिति (एसएसी) की गतिविधियों का समन्वय करता है। परियोजनाओं को वित्त पोषण के लिए सीएचटी के ईसी/जीसी द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

2023–24 के दौरान, सीएचटी/ओआईडीबी वित्त पोषण के लिए निम्नलिखित नई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है:

I. ऊर्जा–गहन उद्योगों की जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए बहु प्रभाव वाष्पीकरण के साथ परवलयिक गर्त सौर कलेक्टरों का एकीकरणः आईआईटी रुड़की / आईओसीएल

II. टिकाऊ वृत्ताकार जैव–अर्थव्यवस्था मॉडल में बायोजेनिक कार्बन को अलग करने के लिए तकनीकी लिग्निन के मूल्यांकन हेतु प्रकृति आधारित समाधान टीईआरआई / आईओसीएल

III. बहुपरत प्लास्टिक अपशिष्ट (एमएलपी) का उत्प्रेरक पायरोलिसिस द्वारा मूल्यवर्धित उत्पादों में परिवर्तित करना। एक चक्रीय अर्थव्यवस्था दृष्टिकोणः आईआईटीएम / वीआईटी वेल्लोर / सीपीसीएल / आईटीसी

IV. अग्निरोधी और ऊष्मा प्रतिरोधी सामग्रियों के लिए क्ले आधारित पॉलिमर कम्पोजिट का विकास आईसीटीएम / बीपीसीएल

V. नवीन छिद्रपूर्ण कार्बनिक बहुलक (पीओपी) अधिशोषकों का उपयोग करते हुए कम तापमान पर रिफाइनरी के धुएं की गैसों से अधिशोषण प्रक्रिया द्वारा कार्बन कैप्चरः आईआईसीटी / बीपीसीएल

इसके अलावा, पीसीआरए के विलय पर, निम्नलिखित 9 शोध परियोजनाओं की निगरानी के लिए सीएचटी को हस्तांतरित किया गयाः

क्र.सं	परियोजना का नाम	संस्थान
1.	बायोगैस पर काम करने वाले माइक्रो टरबाइन कम्बस्टर का डिजाइन और विकास	आईआईटी जोधपुर
2. ,	लघु एवं सूक्ष्म उद्योग में दहन प्रणाली के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए हस्तक्षेप	आईआईटी दिल्ली
3.	इनलाइन बायो–मीथेन संवर्धन और सीओ2 पृथक्करण प्रणाली का डिजाइन और विकास	सीएसआईआर–सीएमईआरआई लुधियाना
4.	सड़क अनुप्रयोगों के लिए एनकैप्सुलेटेड डामर रबर पेवमेंट (ईएआरपीएवी) उत्पाद का विकास	आईआईटी तिरुपति
5.	बायो गैस एकीकृत अर्ध–पारदर्शी फोटोवोल्टिक थर्मल (एसपीवीटी) कलेक्टरों (बीआई–एसपीवीटी) का प्रदर्शन मूल्यांकन	आरजीआईपीटी, अमेठी
6.	वाहनों के खराब होने की स्थिति में यातायात पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाले सबसे महत्वपूर्ण स्थानों की पहचान	सीआरआरआई दिल्ली
7.	घरेलू और सामुदायिक खाना पकाने के अनुप्रयोगों के लिए ईंधन लचीले बर्नर का डिजाइन और विकास	आईआईटी हैदराबाद
8.	एकीकृत स्पाउटेड बेड रोस्टर का डिजाइन और विकास	सीएफटीआरआई मैसूर
9.	पीएनजी के साथ घरेलू खाना पकाने के लिए नए ऊर्जा कुशल पोरस बर्नर (स्टोव) का विकास	आईआईटी खड़गपुर

हाइड्रोजन अनुसंधान

वैज्ञानिक सलाहकार समिति ने हाइड्रोजन अनुसंधान और इसके संवर्धन को प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक के रूप में पहचाना है। सीएचटी ने प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और प्रदर्शन के लिए विभिन्न परियोजनाओं जिसमें विभिन्न तरीकों से हाइड्रोजन

के उत्पादन (पानी के इलेक्ट्रोलिसिस और बायोमास गैसीकरण सहित), ईंधन सेल बसों का वाहन निर्माता और परिवहन ऑपरेटरों के साथ गठजोड़ करके विकास, हाइड्रोजन का भंडारण और वितरण, और दिल्ली में हाइड्रोजन ईंधन वाली बसों का प्रदर्शन को वित्त पोषित किया है।

वर्ष 2023–24 के दौरान, एचसीएफ के तहत सीएचटी फंडिंग के लिए निम्नलिखित को मंजूरी दी गई है:

"कम मात्रा वाले पीटी बाईमेटेलिक इलेक्ट्रोकैटेलिस्ट और मेसोपोरस कार्बन सपोर्ट मटीरियल पर आधारित लागत–प्रभावी 2.5 किलोवाट प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन (पीईएम) फ्यूल सेल स्टैक का विकास: पीएसजीआईएएस/पीएसजीटेक/आईआईटीपी/बीपीसीएल।"

11. रिफाइनरियों के बीच स्ट्रीम शेयरिंग

दोहरी कर व्यवस्था के कारण मध्यवर्ती धाराओं को साझा न करने के कारण रिफाइनरियों को होने वाले नुकसान पर सीएचटी द्वारा रिफाइनरियों के साथ मिलकर एक पेपर तैयार किया गया था। यह पेपर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को सौंप दिया गया है।

12. अतिरिक्त रणनीतिक/परिचालन कच्चे तेल भंडारण पर अध्ययन

पेट्रोलियम भंडार का निर्माण ऊर्जा सुरक्षा को पूरा करने के लिए कई आकस्मिक उपायों में से एक है। देश में आम कच्चे तेल भंडारण के सभी पहलुओं पर विस्तृत अध्ययन करने के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा एक समिति गठित की गई थी। रिपोर्ट पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को सौंप दी गई है।

13. पुरस्कार

सीएचटी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित निम्नलिखित वार्षिक पुरस्कारों से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है:

- रिफाइनरी प्रदर्शन सुधार पुरस्कार
- स्टीम लीक और फर्नेस दक्षता सर्वेक्षणों पर आधारित सक्षम पुरस्कार

- नवाचार पुरस्कार

पहली दो श्रेणियों के लिए पुरस्कार विजेताओं का चयन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा गठित चयन समिति द्वारा किया जाता है। नवाचार पुरस्कारों के लिए, उद्योग से निम्नलिखित तीन श्रेणियों के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए थे और पुरस्कार विजेताओं का चयन सीएचटी की गवर्निंग काउंसिल के दिशानिर्देशों के आधार पर एसएसी के अध्यक्ष द्वारा गठित समिति द्वारा किया गया:

I) सर्वश्रेष्ठ स्वदेशी रूप से विकसित प्रौद्योगिकी

ii) रिफाइनरी में सर्वश्रेष्ठ नवाचार (रिफाइनरी/समूह/व्यक्तिगत)

iii) अनुसंधान एवं विकास संस्थान में सर्वश्रेष्ठ नवाचार (संस्थान/समूह/व्यक्तिगत)

ये पुरस्कार ऊर्जा प्रौद्योगिकी मीट (ईटीएम) के उद्घाटन समारोह के दौरान प्रदान किए जाते हैं।

14. गतिविधि समिति की बैठकें

सर्वोत्तम परिचालन कार्यों और सुधारों को साझा करने तथा नवीनतम विकासों पर सूचना के प्रसार के उद्देश्य से, सीएचटी ने रिफाइनिंग क्षेत्र/आरएंडडी/पाइपलाइन/पर्यावरण/संचालन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों/प्रौद्योगिकियों में विभिन्न ऑनलाइन गतिविधि समिति की बैठकें और वेबिनार आयोजित किए।

ईंधन और हानि तथा ऊर्जा अनुकूलन/रोटरी उपकरण–रखरखाव और विश्वसनीयता/पर्यावरण और जल प्रबंधन/हाइड्रोजन और हाइड्रो–प्रसंस्करण पर गतिविधि समिति की बैठक वर्ष के दौरान ओएमसी के साथ सह–आयोजित की गई। कच्चे तेल से लेकर रसायनों, इलेक्ट्रोलाइजर और जैव ईंधन पर वेबिनार भी सीएचटी द्वारा आयोजित किए गए।

15. वैश्विक निविदा जांच (जीटीई)

आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को समर्थन देने के लिए, वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन, व्यय विभाग के एफ.सं. 12/17/2019–पीपीडी के माध्यम से जीएफआर, 2017 में संशोधन किए गए। इसके बाद, जीएफआर 161 (पअ) को जीएफआर 161 (पअ) (बी) के समावेश के साथ संशोधित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि "200 करोड़ तक की निविदाओं या व्यय विभाग (डीओई) द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाने वाली सीमा तक कोई वैश्विक निविदा जांच (जीटीई) आमंत्रित नहीं की जाएगी।" तदनुसार, 200 करोड़ से कम की निविदाओं के लिए विभिन्न ओपीएसयू से जीटीई में छूट की मांग करने वाले प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

संसाधित प्रस्तावों का सारांश:

अवधि	प्राप्त प्रस्ताव	संसाधित किए गए और मंत्रालय को भेजे गए	वापस किए गए/ वापस लिए गए
अप्रैल 2022– मार्च 2023	181	155	22
अप्रैल 2023– मार्च 2024	94	66	28

16. तेल और गैस सार्वजनिक उपक्रमों और संबद्ध कार्यालयों के लिए स्वच्छता रैंकिंग

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, इसके संबद्ध कार्यालयों और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले तेल एवं गैस सीपीएसई ने 1–15 जुलाई, 2024 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया। पेट्रोलियम एवं

प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संबद्ध कार्यालयों और तेल एवं गैस सीपीएसई ने स्वच्छता और जन जागरूकता के संदेश का प्रचार–प्रसार करने के लिए पखवाड़े के दौरान विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित कीं। तेल और गैस सीपीएसई और संबद्ध कार्यालयों की रैंकिंग स्वच्छता सूचकांक के आधार पर की जाएगी।

अध्याय–4

वित्तीय सहायता : अनुसंधान और विकास तथा अन्य अनुदान

1. तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 6 में अन्य बातों के साथ – साथ यह प्रावधान किया गया है कि तेल उद्योग के लिए उपयोगी वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान को बोर्ड द्वारा सहायता प्रदान की जा सकती है। हाइड्रोकार्बन विज़न 2025 में भी परिकल्पना की गई है कि गैर–अन्वेषित/आंशिक रूप से अन्वेषित रकबों के मूल्यांकन के लिए पर्याप्त संसाधनों को तेल उद्योग विकास बोर्ड के उपकर व अन्य नवीन संसाधनों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकता है।

तेल उद्योग (विकास) नियम, 1975 के नियम 24(1)(ii) के अनुसार अनुदान जारी करने से पहले ओआईडी बोर्ड द्वारा अनुमोदित 2.00 करोड़ रुपये से अधिक के परिव्यय वाली परियोजनाओं को केंद्र सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है।

2. अपस्ट्रीम क्षेत्र

ओआईडी बोर्ड की स्वीकृति के पश्चात्, हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच), जो अपस्ट्रीम क्षेत्र के लिए विशेषज्ञ निकाय है, अपस्ट्रीम क्षेत्र अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का वित्तपोषण डीजीएच द्वारा अपने स्वयं के बजट से उसी तरह किया जा रहा है, जैसा कि सीएचटी द्वारा डाउनस्ट्रीम क्षेत्र अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए किया जा रहा है। डीजीएच अपस्ट्रीम क्षेत्र से संबंधित अनुसंधान एवं विकास परियोजना की प्रगति और उपयोगिता की देखरेख भी कर रहा है।

3. डाउनस्ट्रीम क्षेत्र

मंत्रालय द्वारा हाइड्रोकार्बन पर गठित वैज्ञानिक सलाहकार समिति (एसएसी), डाउनस्ट्रीम सैक्टर से संबंधित परियोजनाओं पर विचार कर अपनी संस्तुतियां प्रदान करती है। ये परियोजनाएं मुख्यतः सीएचटी के माध्यम से वित्त पोषित की जाती हैं। वैज्ञानिक सलाहकार समिति का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य विभिन्न तेल उद्योग क्षेत्रों से संबद्ध महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं।

इस समिति का कार्यकाल दो वर्षों का होता है जिसके पश्चात इसे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा पुनर्गठित किया जाता है। वैज्ञानिक सलाहकार समिति अपनी बैठकों में डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों की अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा करती है। सीएचटी हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की अनुसंधान परियोजनाओं को अभिज्ञात करने और उनमें वित्त पोषण करने में वैज्ञानिक सलाहकार समिति के कार्यकलापों का समन्वय करता है।

4. तकनीकी संस्थानों/तेल उद्योग के सार्वजनिक उपक्रमों/सीएसआईआर प्रयोगशालाओं को सहायता

तेल उद्योग के विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों के साथ शैक्षणिक संस्थाओं जैसे, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (अनुसंधान एवं विकास), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), मुम्बई, आईआईटी (भारतीय खनि विद्यापीठ), धनबाद और राजीव गाँधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रशिक्षण एवं अनुसंधानों की मूलभूत सुविधाओं को स्थापित करने के लिए भी तेल उद्योग विकास बोर्ड सहायता प्रदान करता है।

वर्ष 2023–24 के दौरान, तेल उद्योग विकास बोर्ड ने निम्नलिखित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित किया है : –

(रूपये लाख में)

1.	फोम सहायक तेल जल के नैनो–इमल्शन द्वारा तेल रिकवरी का प्रायोगिक और आणविक गतिशील सिमुलेशन अध्ययन–आईआईटी (भरतीय खनि विद्यापीठ) धनबाद	7.00
2.	चरण–II एसपीआर के लिए आईएसपीआरएल की पूर्व–परियोजना गतिविधियाँ	350.00
	योग	**357.00**

4.1 उन्नत तेल रिकवरी बढ़ाने के लिए फोम असिस्टेड ऑयल–वाटर नैनोइमल्शनः

उन्नत तेल रिकवरी बढ़ाने (ईओआर) के लिए फोम के गुणों को बढ़ाने पर एनायनिक सर्फेक्टेंट, नैनोपार्टिकल्स और पॉलिमर का सहक्रियात्मक प्रभाव : अध्ययन पर रिपोर्ट

वर्तमान अध्ययन में संवर्धित तेल रिकवरी बढ़ाने (ईओआर) के संदर्भ में फोम के गुणों को बढ़ाने के लिए विभिन्न नैनोकणों और एक बहुलक, पॉलीएक्रिलामाइड (पीएचपीए) के साथ संयोजन में एनायनिक सर्फेक्टेंट, अल्फा–ओलेफिन सफोकेट (एओएस) के सहक्रियात्मक प्रभावों की जांच की गई है। फोम–आधारित ईओआर तकनीक तेल विस्थापन और भंडारों से तेल की प्राप्ति में सुधार करने के लिए एक आशाजनक दृष्टिकोण के रूप में उभरी है, लेकिन विशेष रूप से कच्चे तेल की उपस्थिति में स्थिरता बनाए रखने में पारंपरिक सर्फेक्टेंट–स्थिरीकृत फोम को सीमाओं का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को हल करने के लिए, अध्ययन में सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट ($CaCO3$) और बोरॉन नाइट्राइड जैसे नैनोकणों को एओएस सर्फेक्टेंट घोल में मिलाने की संभावना पर विचार किया गया। इन नैनोकणों को इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रतिकर्षण में सुधार करके और आयनिक शक्ति को बदलकर फोम स्थिरता को मजबूत करने की उनकी क्षमता के आधार पर चुना गया था, जिससे अंततः छोटे, अधिक स्थिर फोम बुलबुले बनते हैं। परीक्षण किए गए नैनोकणों में, $CaCO3$ ने 500 पीपीएम की सर्वोत्तम सांद्रता पर उच्चतम फोम स्थिरीकरण प्रभाव प्रदर्शित किया, जो एओएस के साथ एक महत्वपूर्ण सहक्रियात्मक अंतःक्रिया को दर्शाता है। सहक्रियात्मक प्रभाव पॉलिमर पीएचपीए द्वारा यह और भी बढ़ाया जाता है, जिसने फोम की स्पष्ट चिपचिपाहट को बढ़ाया, जिससे यह तेल–प्रेरित पतन के लिए अधिक प्रतिरोधी हो गया और तेल से भरे वातावरण में समग्र फोम प्रदर्शन में सुधार हुआ।

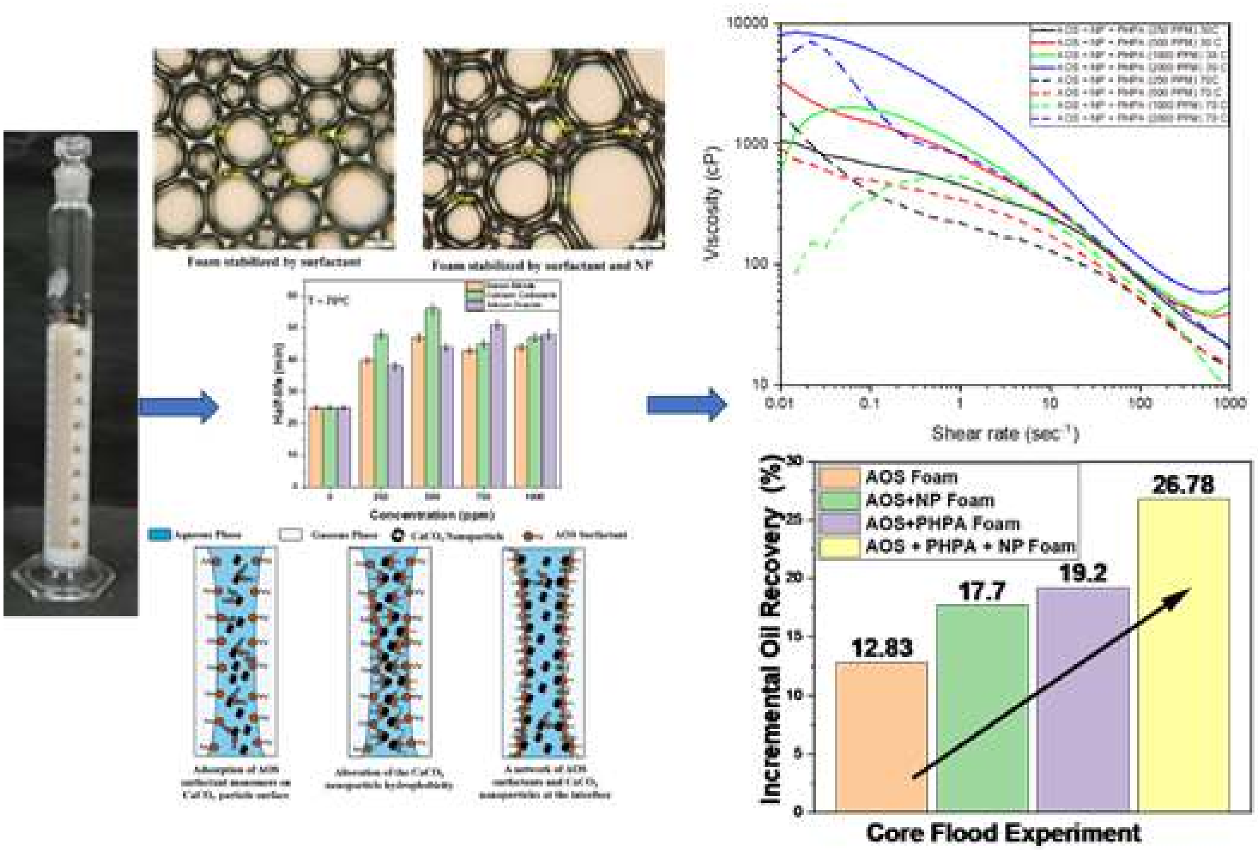

कार्यप्रगति का योजनाबद्ध ढांचा

थोक फोम स्थिरता परीक्षणों में, नैनोकणों को फोम के गुणों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए पाया गया, जिसमें CaCO3 ने अल्फा–ओलेफिन सफोकेट (एओएस) के साथ सबसे उल्लेखनीय सहक्रियात्मक प्रभाव दिखाया। नैनोकणों के जुड़ने से सतही तनाव को कम करके सर्फेक्टेंट सतह की गतिविधि में सुधार हुआ, जिससे छोटे, अधिक स्थिर फोम बुलबुले के निर्माण की सुविधा हुई। इस प्रभाव को नैनोकणों द्वारा पेश किए गए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रतिकर्षण और आयनिक शक्ति संशोधनों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, जिसने फोम के बुलबुला संलयन के प्रतिरोध को बढ़ा दिया। तेल की उपस्थिति आमतौर पर तरल जल निकासी को बढ़ाकर और फोम बुलबुले को विलय करके फोम को अस्थिर करती है, लेकिन नैनोकणों ने फोम लैमेली के भीतर एक नेटवर्क बनाकर इस प्रभाव का मुकाबला किया। इस नेटवर्क ने प्रभावी रूप से तरल जल निकासी को धीमा कर दिया, बुलबुले को समाप्त होने से रोका और फोम की स्थिरता को काफी हद तक बढ़ा दिया। विशेष रूप से, 500 पीपीएम की सांद्रता पर CaCO3 नैनोकणों को तेल–दूषित जलाशयों के चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी अधिक मजबूत फोम संरचना बनाने के लिए दिखाया गया था। यह खोज ईओआर अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जहां फोम स्थिरता लंबे समय तक तेल वसूली दक्षता बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

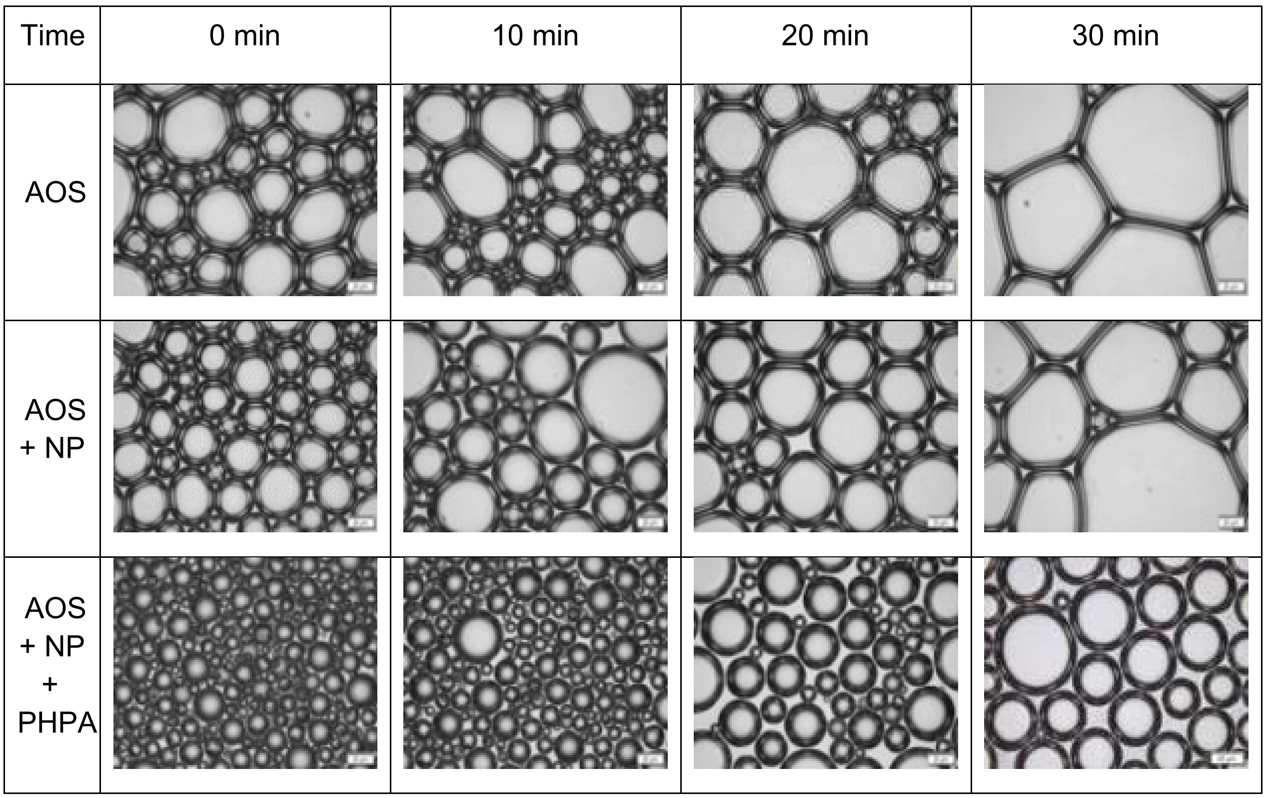

समय के अनुसार विभिन्न फोम प्रणालियों का माइक्रोस्कोपिक चित्र

अध्ययन में आगे पता चला कि एओएस, नैनोकणों और पीएचपीए पॉलिमर के संयोजन से अधिकतम वृद्धिशील तेल प्राप्ति हुई, जिसमें द्वितीयक वसूली विधियों की तुलना में 27% तक अतिरिक्त तेल निकाला गया। पीएचपीए से जुड़ने से न केवल फोम की स्थिरता बढ़ी, बल्कि फोम की स्पष्ट चिपचिपाहट भी बढ़ी, जिससे जलाशय में स्वीप दक्षता और तेल विस्थापन में सुधार हुआ। इस प्रकार पॉलिमर–नैनोपार्टिकल–सर्फेक्टेंट मिश्रण पारंपरिक फोम–आधारित ईओआर विधियों की सीमाओं पर काबू पाने के लिए एक अत्यधिक प्रभावी समाधान प्रदान करता है। तेल की उपस्थिति में फोम की अस्थिरता और उच्च दबाव और उच्च तापमान वाले जलाशय की स्थितियों में के तहत फोम की स्थिरता बनाए रखने जैसी प्रमुख चुनौतियों का समाधान करके, यह सूत्रीकरण तेल वसूली दक्षता में सुधार के लिए एक आशाजनक दृष्टिकोण प्रदान करता है। कुल मिलाकर, इस अध्ययन के

परिणाम फोम के गुणों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए सर्फेक्टेंट, नैनोपार्टिकल और पॉलिमर के बीच सहक्रियात्मक अंतःक्रियाओं की क्षमता को उजागर करते हैं, जिससे यह सूत्रीकरण जटिल जलाशयों में भविष्य के ईओआर अनुप्रयोगों के लिए एक आदर्श उम्मीदवार बन जाता है।

4.2 चरण–II एसपीआर के लिए परियोजना–पूर्व गतिविधियाँः

एसपीआर परियोजना के चरण–II के लिए परियोजना–पूर्व गतिविधियों के एक भाग के रूप में, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड (आईएसपीआरएल) को अनुदान के रूप में 23.50 करोड़ रुपये की धनराशि जारी करने के लिए ओआईडीबी को निर्देश दिए, ताकि चरण–II एसपीआर की पूर्व–परियोजना गतिविधियों से संबंधित व्यय को पूरा किया जा सके। तदनुसार, आईएसपीआरएल की निधियों की जरूरतों के आधार पर, ओआईडीबी ने इस उद्देश्य के लिए आईएसपीआरएल को लगभग 21.97 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया। वर्ष 2023–24 के दौरान आईएसपीआरएल द्वारा की जाने वाली पूर्व–परियोजना गतिविधियां निम्नानुसार हैः

1. राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (नीरी) ने वित्त वर्ष 2023–24 में पादुर और चांदीखोल के लिए जोखिम मूल्यांकन और पर्यावरण प्रभाव के मूल्यांकन का कार्य पूरा कर लिया है और इस पर मई 2024 में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।
2. वित्त वर्ष 2023–24 में शुरू की गई संचालन सलाहकार सेवाओं के लिए मैसर्स डेलोइट टच तोहमात्सु इंडिया एलएलपी की नियुक्ति के लिए अनुबंध में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की गई और मई 2024 में पादुर–II की चरण–II परियोजनाओं से संबंधित संशोधित कार्य क्षेत्र के लिए मैसर्स डेलोइट को एलओए दिया गया।
3. आरएफपी, पादुर और चंडीखोल के लिए कानूनी परामर्श सेवाओं के लिए मैसर्स एजेडबी एंड पार्टनर्स को दिए गए पिछले कार्य आदेश को समाप्त करने की प्रक्रिया वित्त वर्ष 2023–24 में शुरू की गई और जून 2024 में आरएफपी, पादुर चरण–II के लिए कानूनी परामर्श सेवाओं के लिए मैसर्स एजेडबी एंड पार्टनर्स को दिए गए नया कार्य आदेश प्रदान किया गया।

उपरोक्त के अलावा, चरण–II एसपीआर के लिए पूर्व–परियोजना गतिविधियों के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य प्रारंभ किए गए थेः

– चंडीखोल परियोजना के लिए दनकारी पहाड़ी पर अध्ययन,

– पादुर में कैवर्न साइट चरण–II के लिए बेसलाइन डेटा हेतु साइट सर्वेक्षण का कार्य,

– पादुर में कैवर्न साइट चरण–II के लिए कैडस्ट्रल सर्वेक्षण हेतु साइट सर्वेक्षण का कार्य,

– पादुर में कैवर्न साइट चरण–II के लिए तटीय पाइपलाइन रूट सर्वेक्षण हेतु साइट सर्वेक्षण का कार्य,

– पादुर में कैवर्न साइट चरण–II के लिए समुद्री सर्वेक्षण हेतु साइट सर्वेक्षण का कार्य,

– पादुर में कैवर्न साइट चरण–II के लिए पूर्व–परियोजना कार्यों हेतु रोड शो, और

– पादुर चरण–II एसपीएम के लिए डीएफआर हेतु परामर्श सेवाएं।

5. हाइड्रोजन कॉर्पस फंड (एचसीएफ)

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक ऑटो ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के उपयोग पर एक हाइड्रोजन कॉर्पस फंड की स्थापना की है । भारतीय तेल उद्योग को इस सीमांत क्षेत्र में प्रगति करने के लिए प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों के साथ सहक्रियात्मक रूप से और घनिष्ठ समन्वय में कार्य करना होगा। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने तेल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / तेउविबो द्वारा निम्नानुसार योगदान के साथ 100 करोड़ रुपए के एक हाइड्रोजन कॉर्पस फंड की स्थापना की हैः

1 तेउविबो 40 करोड़ रुपए

2 ओएनजीसी, आईओसी, गेल 16 करोड़ रुपए प्रत्येक

3 एचपीसीएल, बीपीसीएल 6 करोड़ रुपए प्रत्येक

तेउविबो द्वारा एचसीएफ के खातों का रखरखाव किया जाता है । हाइड्रोजन परियोजनाओं की पहचान करने और उनकी निगरानी के लिए सीएचटी, नोडल ऐजेंसी है। स्थापना के बाद से 31 मार्च 2024 तक, ओआईडीबी ने एचसीएफ फंड में एचसीएफ परियोजनाओं के वित पोषण के लिए 71.90 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया है। 31.3.2024 तक एचसीएफ के पास 143.16 करोड़ रुपए (लगभग) का कुल कॉपर्स उपलब्ध हैं। एचसीएफ के अन्तर्गत चालू परियोजनाएं निम्नानुसार हैः–

(राशि करोड़ में)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	परियोजना की लागत	एचसीएफ से अंशदान	एचसीएफ से 31.03.2024 तक जारी राशि	कार्यान्वयन एजेंसी
1	प्राकृतिक गैस के उत्प्रेरक अपघटन द्वारा हाइड्रोजन उत्पादन के अध्ययन और प्रक्रिया विकास को बढ़ावा देना	29.46	16.92	2.27	एचपीसीएल/ आईआईटीडी/ सीईएनएस
2	सोलर आधारित हाइड्रोजन उत्पादन प्रणाली और हाइड्रोजन ईंधन सैल वाहन के लिए ईंधन भरने वाले वितरण स्टेशन	65.16 25.00 एचसीएफ 40.16 आईओसी	25.00	0.00	आईओसी (अनुसंधान एवं विकास)
3	दिल्ली में राजघाट बस डिपो में हाइड्रोजन मिश्रित सीएनजी के उत्पादन की 4 टीपीडी क्षमता की कॉम्पैक्ट रिर्फामर यूनिट की स्थापना और परीक्षण का प्रदर्शन	33.39 9.20 एचसीएफ 9.20 आईओसी 15 करोड़– दिल्ली सरकार	9.20	9.20	आईओसी (अनुसंधान एवं विकास)
4.	बहुखंडीय मार्ग से उत्पादित हाइड्रोजन पर आधारित व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य ईंधन सैल बसों का विकास और प्रदर्शन	296.66	97.52	20.23	आईओसी (अनुसंधान एवं विकास)
5.	मेम्ब्रेन रहित इलेक्ट्रोलाइजर और संचयन के माध्यम से प्रभावी हाइड्रोजन उत्पादन	6.09	3.04	1.75	एचईबी/ओईसी
6.	आने वाली पीढ़ी के लिए ठोस ऑक्साइड ईंधन सेल प्रौद्योगिकी का विकास और विस्तार तथा प्रोटोटाइप उत्पादन के लिए प्रक्रिया लाइन का प्रदर्शन।	69.51	34.73	5.36	सीजीसीआरआई/ एआरसीआई/ एचपीसीएल

क्रम सं.	परियोजना का नाम	परियोजना की लागत	एचसीएफ से अंशदान	एचसीएफ से 31.03.2024 तक जारी राशि	कार्यान्वयन एजेंसी
7.	कम पीटी बाईमेटेलिक–इलेक्ट्रो उत्प्रेरक और मेसोपोरस कार्बन सहायक सामग्री पर आधारित लागत प्रभावी 2.5 किलोवाट पीईएम ईंधन सेल स्टैक का विकास।	3.86	1.92	0.64	पीएसजीआईएएस, तमिलनाडु/आईआईटी, पलक्कड़, केरल
8.	पीईएम ईंधन सेल प्रौद्योगिकी का डिजाइन, विकास और प्रदर्शन	10.66	5.33	1.50	एचईबी/ आईओसीएल/गेल
	कुल	**514.79**	**193.66**	**40.96**	

अध्याय–5

तेउविबो का ऊर्जा सुरक्षा में योगदान

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड (आईएसपीआरएल)

भारत सरकार ने देश की ऊर्जा सुरक्षा के रणनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए 7 जनवरी 2004 को रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व (एसपीआर) सुविधाओं के निर्माण और परिचालन के लिए एसपीवी, आईएसपीआरएल के गठन का निर्णय लिया। चूंकि भारत आर्थिक गतिविधियों और संवृद्धि को समर्थन देने के लिए कच्चे तेल के आयात पर बहुत अधिक निर्भर है, इसलिए ये एसपीआर आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों की किसी भी स्थिति, विशेष रूप से बाहरी कारणों से, निपटने के लिए बफर के रूप में कार्य करेंगे। इस तरह के आपातकालीन भंडार देश को कच्चे तेल के आयात में व्यवधान के बावजूद अपनी रिफाइनरियों को कच्चे तेल से पोषित रखने में सक्षम बनाएंगे और देश भर में पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। अपवादात्मक परिस्थितियों में, कच्चे तेल के बफर स्टॉक का उपयोग वैश्विक तेल की कीमतों में असामान्य उछाल को आंशिक रूप से अवशोषित करने के लिए किया जा सकता है।

एसपीआर सुविधाओं के निर्माण हेतु भारत सरकार के निर्णय को लागू करने के लिए, 16 जून 2004 को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की अनुषंगी के रूप में एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी), इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (आईएसपीआरएल) की स्थापना की गई। तत्पश्चात जनवरी 2006 में आईएसपीआरएल तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई।

भूमिगत रणनीतिक गुफा का दृश्य

आईएसपीआरएल चरण–I

एसपीआर कार्यक्रम के प्रथम चरण के अंतर्गत, आईएसपीआरएल ने तीन स्थानों अर्थात् आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम (1.33 एमएमटी) और कर्नाटक में मैंगलोर (1.5 एमएमटी) और पादुर (2.5 एमएमटी) में 5.33 एमएमटी क्षमता के साथ कच्चे तेल के लिए भूमिगत रॉक कैवर्न के निर्माण को पूरा कर लिया है।

सभी तीनों सुविधाओं को अर्थात विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पादुर क्रमशः जून 2015, अक्टूबर 2016 और दिसंबर 2018 में आरंभ किया गया और 10 फरवरी 2019 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया।

सामरिक कच्चे तेल की खरीद/बिक्री पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक अंतर–मंत्रालयी अधिकार प्राप्त समिति के माध्यम से की जाती है, जिसमें वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के सचिव और शिपिंग मंत्रालय के सचिव सदस्य होते हैं।

कोविड–19 महामारी ने जब दुनिया को घेर लिया और वैश्विक स्तर पर लॉकडाउन लागू हो गया, जिससे दुनिया भर में कच्चे तेल की मांग प्रभावित हुई और भारत भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाया। पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में भारी कमी के परिणामस्वरूप रिफाइनरियां न्यूनतम क्षमता पर काम कर रही थीं। कच्चे तेल की आपूर्ति में वृद्धि के साथ मांग–आपूर्ति में असंतुलन पैदा हो गया, जिससे दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई। कच्चे तेल की कम कीमतों का लाभ उठाते हुए, मध्य पूर्व के देशों से कच्चे तेल की खरीद करके रणनीतिक भंडार को भर दिया गया।

आईएसपीआरएल, प्रमुख महत्वपूर्ण सरकारी कच्चे तेल भंडारों के संरक्षक के रूप में भंडारण सुविधाओं का संचालन करता है। यह आपूर्ति में व्यवधान के दौरान रणनीतिक कच्चे तेल के भंडार को जारी करने और पुनःपूर्ति का समन्वय भी करता है।

अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (एडनॉक) के साथ समझौता

एडनॉक और आईएसपीआरएल के बीच 10 फरवरी 2018 को एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसके अंतर्गत एडनॉक को मैंगलोर में एक कैवर्न के एक भाग का उपयोग करने की अनुमति दी गई। समझौते के अनुसार, एडनॉक ने वर्ष 2018 में आईएसपीआरएल के मैंगलोर कैवर्न में 5.8 मिलियन बैरल कच्चा तेल भरा। एडनॉक इस तेल के 50 प्रतिशत हिस्से का उपयोग भारत में अपने ग्राहकों को वाणिज्यिक आपूर्ति के रूप में कर सकता है, जबकि बाकी हिस्सा रणनीतिक भंडारण के रूप में रहेगा जिसे प्राकृतिक आपदा या भू–राजनीतिक कारकों के कारण आपूर्ति में व्यवधान जैसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए भारत सरकार के निर्देश पर जारी किया जाएगा।

एडनॉक ने एडीएनओसी और आईएसपीआरएल के बीच हुए समझौते की शर्तों के अनुसार दिसंबर 2019 में एचपीसीएल, विजाग को अपनी पहली वाणिज्यिक खेप सफलतापूर्वक भेजी। इसके बाद एडीएनओसी नियमित रूप से मैंगलोर एसपीआर से विभिन्न भारतीय रिफाइनरियों को कच्चे तेल की खेप बेच रहा है और अनुबंध की शर्तों के अनुसार इसकी भरपाई कर रहा है।

संयुक्त सचिव (आईसी), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय का पादुर दौरा

व्यावसायीकरण :

कैबिनेट ने 8 जुलाई 2021 को रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व (एसपीआर) चरण–1 के तहत बनाए गए पेट्रोलियम भंडार के हिस्से का उपयोग व्यावसायीकरण कार्यों को करने के लिए प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है।

आईएसपीआरएल ने किराए पर जगह बनाने के लिए अगस्त 2021 से जून 2023 तक सरकारी रिफाइनरियों एचपीसीएल और एमआरपीएल को कच्चा तेल जारी किया। आईएसपीआरएल ने कच्चे तेल की बिक्री से प्राप्त राजस्व के रूप में भारत सरकार के भारत–कोष खाते में 5372 करोड़ रुपये की संचयी राशि जमा की।

दिनांक 07.02.2024 को आईईडब्ल्यू गोवा में एचपीसीएल के साथ समझौते पर हस्ताक्षर

मैंगलोर (भंडारण क्षमताः 1.5 एमएमटी)

आईएसपीआरएल मैंगलोर में डीसीएमपी ड्रिल

भूमिगत सामरिक कैवर्न का दृश्य

चरण–1 के व्यावसायीकरण की स्थिति:

विशाखापट्टनम में कैवर्न ए:–आईएसपीआरएल ने विशाखापट्टनम में 19 जनवरी 2024 से एचपीसीएल को 300 टीएमटी (2.17 मिलियन बैरल) क्षमता का क्षेत्र किराए पर दिया है। 7 फरवरी 2024 को गोवा में आईईडब्ल्यू 2024 की पृष्ठभूमि में आईएसपीआरएल के मुख्य कार्यकारी एवं प्रबंधन निदेशक और एचपीसीएल के कार्यकारी निदेशक (आईटी) द्वारा अपर सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, सचिव, ओआईडीबी, मुख्य कार्यकारी निदेशक, एचपीसीएल और आईएसपीआरएल और एचपीसीएल के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में एक औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। पट्टे पर दी गई क्षमता का उपयोग एचपीसीएल द्वारा बसरा मीडियम क्रूड ऑयल के भंडारण के लिए किया जाएगा। किसी भी आपात काल की स्थिति में, इस कच्चे तेल को प्रयोग करने का पहला अधिकार भारत सरकार का होगा। इसके साथ ही आईएसपीआरएल ने आत्मनिर्भरता की दिशा में पहला कदम उठाते हुए राजस्व अर्जित करना शुरू कर दिया है।

कैवर्न बी–मैंगलोर: मैंगलोर के कैवर्न–बी में उपलब्ध लगभग 760 टीएमटी क्षमता और विजाग कैवर्न बी में उपलब्ध लगभग 224 टीएमटी क्षमता को भी किराए पर देने का प्रस्ताव है। आईएसपीआरएल, अभिरूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी करने के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।

आईएसपीआरएल हितधारकों के साथ 20 प्रतिशत क्षमता की बिक्री/खरीद के साधनों की भी खोज कर रहा है।

चरण–II परियोजनाएँ

08 जुलाई 2021 को, केबिनेट ने चरण II के तहत पीपीपी मोड पर समर्पित एसपीएम और संबंधित पाइपलाइनों के साथ–साथ चांदीखोल (4एमएमटी) और पादुर (2.5 एमएमटी) में चरण II के तहत वाणिज्यिक सह रणनीतिक भंडार के विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

मैसर्स डेलोइट को आरएफपी तैयार करने के लिए संचालन सलाहकार और पीपीपी मॉडल के लिए आवश्यक चरण II के रियायती समझौते को तैयार करने के लिए कानूनी सलाहकार मैसर्स एजेडबी को भागीदार नियुक्त किया गया है।

I. कर्नाटक के उडुपी जिले के पादुर में चरण II के अंतर्गत 2.5 एमएमटी कार्यनीतिक पेट्रोलियम भंडार

पादुर परियोजना के भूमि अधिग्रहण के लिए, आईएसपीआरएल ने नवंबर 2020 में केआईएडीबी को 210 एकड़ भूमि अधिग्रहण की अपनी जरूरत प्रस्तुत की।

केआईएडीबी ने 22 फरवरी 2023 को 214.79 एकड़ पादुर भूमि के लिए अंतिम गजट अधिसूचना जारी की। भूमि दर तय होने के बाद मांग पत्र के आधार पर जून 2023 में केआईएडीबी को कुल 160.67 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। केआईएडीबी ने डीसी, उडुपी के परामर्श से आरएंडआर पैकेज को अंतिम रूप देने और भूमि मालिकों को मुआवजा देने की प्रक्रिया में है,

आरएंडआर पैकेज को अंतिम रूप देने और भूमि मालिकों को मुआवजा देने के बाद, वित्तीय वर्ष 2024–25 के अंत तक भूमि अधिग्रहण होने की संभावना है। रियायतकर्ता समझौते के लिए बाधा मुक्त भूमि प्रदान करना एक शर्त है।

कुछ महीनों में भूमि अधिग्रहण की उम्मीद को देखते हुए, पादुर चरण II के लिए आरएफपी 21.02.2024 को प्रकाशित किया गया।

II. ओडिशा के जाजपुर जिले के चंदीखोल में चरण II के तहत 4.0 एमएमटी सामरिक पेट्रोलियम भंडार

ओडिशा के जाजपुर जिले के चंदीखोल में 400 एकड़ भूमि के लिए ओडिशा सरकार को आवेदन 30.09.2019 को प्रस्तुत किया गया। ओडिशा सरकार ने चंदीखोल परियोजना के लिए भूमि आवंटन के लिए आवेदन का मूल्यांकन करते समय आईएसपीआरएल को एसपीआर के निर्माण के लिए वैकल्पिक स्थलों की खोज करने की सलाह दी है।

आईएसपीआरएल ने ओडिशा में वैकल्पिक स्थल की पहचान करने के लिए ईआईएल को नियुक्त किया। इसके बाद ईआईएल द्वारा भू तकनीकी जांच(डेस्कटॉप) का अध्ययन करने के बाद, वैकल्पिक स्थलों का मूल्यांकन करने के लिए एक संयुक्त दौरा किया गया। ईआईएल ने 6 जुलाई 2023 को आईएसपीआरएल को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए सिद्ध गुम्फा हिल साइट की सिफारिश की गई। एएसआई (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) द्वारा स्थल के सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।

एएसआई से मंजूरी मिलने के बाद, आईएसपीआरएल वैकल्पिक भूमि के लिए ओडिशा सरकार से सैद्धांतिक मंजूरी लेगी और व्यवहार्यता अध्ययन के साथ आगे बढ़ेगी।

III. चरण I का विस्तार

17.02.2023 को प्रत्यायोजित निवेश बोर्ड (डीआईबी) ने मैंगलोर एमएसईजेडएल में एसपीआर और संबंधित सुविधाओं के निर्माण के लिए मैंगलोर विशेष आर्थिक क्षेत्र लिमिटेड (एमएसईजेडएल) से इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (आईएसपीआरएल) द्वारा भूमि (154.9 एकड़) के अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

आईएसपीआरएल ने मैंगलोर क्षेत्र में 154.90 एकड़ भूमि के प्लॉट के लिए 17 मार्च 2023 को एमएसईजेडएल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आईएसपीआरएल ने समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार भूमि के लिए कुल लीज प्रीमियम राशि के 10 प्रतिशत के रूप में भारतीय मूल्य 22.69 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

उपरोक्त साइट के लिए विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने का काम ईआईएल को दिया गया है। विभिन्न सर्वेक्षण और भू–तकनीकी जांच पूरी होने वाली है।

मैंगलोर की चरण I भूमि विस्तार के लिए एमएसईजेडएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

माननीय राज्यमंत्री, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय का दौरा

ओमान टैंक टर्मिनल कंपनी (ओटीटीसीओ) के साथ सहभागिता

ओमान द्वारा दुकम पोर्ट के पास रास मरकज में एक सतत ऊर्जा सुरक्षा परियोजना का निर्माण कर रहा है। ओमान टैंकिंग टर्मिनल कंपनी (ओटीटीसीओ), जिसकी स्थापना 2014 में हुई थी जो ओक्यू की पूर्ण स्वामित्व वाली की एक वाणिज्यिक सहायक कंपनी है, और जो ओमान सल्तनत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, उपरोक्त परियोजना को विकसित करने में शामिल प्रमुख कंपनी है।

ओ.टी.टी.सी.ओ. ओमान में भंडारण और पाइपलाइन परिसंपत्तियों के एक नेटवर्क का स्वामित्व, संचालन और रखरखाव करता है। ओ.टी.टी.सी.ओ. की विकास रणनीति ओमान का स्वतंत्र भंडारण भागीदार बनने और स्थानीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक पोर्टफोलियो को भंडारण सेवाएं प्रदान करने पर केंद्रित है।

ओटीटीसीओ ने मस्कट में भारतीय दूतावास के माध्यम से आईएसपीआरएल को रास मरकज परियोजना में भाग लेने का अवसर प्रदान किया है। ओटीटीसीओ ने पहले ही रास मरकज में जमीन के ऊपर कच्चे तेल के भंडारण टैंकों में 5.2 मिलियन बीबीएल क्षमता का निर्माण कर लिया है और उन्हें 2022 में चालू कर दिया है। एसपीएम समर्पित और संबंधित पाइपलाइनों को भी चालू कर दिया गया है।

आईएसपीआरएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक तथा उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी की टीम ने भारतीय दूतावास के अधिकारियों के साथ 21 फरवरी, 2023 को टैंक स्टोरेज (5.2 मिलियन बैरल) और एसपीएम की हाल ही में चालू की गई सुविधाओं को देखने के लिए रास मरकज में ओटीटीसीओ टर्मिनल का दौरा किया। साइट के निरीक्षण के बाद, रास मरकज परियोजना के दूसरे चरण में आईएसपीआरएल की भागीदारी के लिए ओटीटीसीओ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री आर्ड वान हूफ के साथ चर्चा की गई।

25 जून 2023 को जमीन के ऊपर भंडारण टैंकों के निर्माण के लिए व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए आईएसपीआरएल द्वारा ओटीटीसीओ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

अध्याय–6

अन्य पहल/ गतिविधियां

6.1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगों का कल्याण ।

तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, ई डब्ल्यू एस और दिव्यांगों व्यक्तियों के लिए आरक्षण के संबंध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए तत्संबंधी दिशा–निर्देशों का पालन करती है ।आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की निगरानी तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए तेउविबो में एक संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की गई है ।सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार पदों के प्रत्येक वर्ग के लिए रोस्टरों का रखरखाव किया जा रहा है और इन्हें संपर्क अधिकारी द्वारा जांचा जाता है। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग जन के आरक्षित कोटे के उनके रोजगार में किसी प्रकार का बैक लॉग अथवा कमी नहीं है ।वर्ष के दौरान, अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के विरूद्ध किसी प्रकार की उत्पीड़न अथवा भेदभाव संबंधी शिकायत नहीं प्राप्त हुई है ।

6.2. महिलाओं का कल्याण और सशक्तिकरण :

तेल उद्योग विकास बोर्ड (तेउविबो) लैंगिक मुद्दों से निपटने तथा महिला सशक्तिकरण के कार्य को बढ़ावा देने में सक्रिय है। ''कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न'' की सुनवाई और शिकायतों का निवारण करने हेतु तेउविबो द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार, तेउविबो में कुल 13 कर्मचारियों में 4 महिलाकर्मी हैं।

6.3. सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन:

तेउविबो ने राजभाषा अधिनियम और इसके अन्तर्गत बने नियमों को अपने सचिवीय कार्यालय में कार्यान्वित किया है। तेउवि बोर्ड सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये वार्शिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है। तेउविबो, आधिकारिक कार्य में राजभाशा कार्यान्वयन को सवंर्धित करने में सदा प्रयासरत रहा है। तेउविबो के सभी नियम/समझौता ज्ञापन/करार द्विभाषी हैं। राजभाषा कार्यान्वयन के कार्य को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के क्रम में, तेउविबो में सचिव (तेउविबो) महोदय की अध्यक्षता में एक आधिकारिक राजभाषा कार्यान्वयन समिति कार्यरत है। यह समिति तेउविबो में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समग्र प्रगति तथा राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्शिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है। तेउविबो पहले ही राजभाशा नियम 1976 के नियम 10 (4) के अन्तर्गत अधिसूचित है।

वर्ष 2023–24 के दौरान, राजभाषा हिन्दी के अधिकतम प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गए :

- हिन्दी दिवस के अवसर पर, तेउविबो में 14.09.2023 से 29.09.2023 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। पखवाड़े के दौरान बोर्ड के कर्मचारियों को उनके कार्यों को हिन्दी में करने हेतु प्रोत्साहित करने के प्रयोजनार्थ विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे भाषा ज्ञान, निबंध तथा दोहा प्रतियोगिता आदि आयोजित की गईं।
- तेउविबो ने अपनी आंतरिक वार्शिक पत्रिका "अनुभूति" का प्रकाशन जारी रखा। विश्व हिन्दी दिवस (10 जनवरी 2024) को सचिव, ओआईडीबी द्वारा, इसके 20वें अंक का ई–पत्रिका के रूप में विमोचन किया गया। इस पत्रिका में साहित्य, कविता, धार्मिक विशय एवं सामाजिक संस्मरणों से संबंधित विशयों का प्रकाशन किया जाता है । इस पत्रिका का उद्देश्य आधिकारिक भाशा में लेखन कार्य के साथ इसके प्रति रूचि उत्पन्न करना है। पत्रिका को तेल क्षेत्र के उपक्रमों तथा ओआईडीबी के अनुदानी संगठनों में प्रसारित किया जाता है।
- हिन्दी में अधिक से अधिक कार्य करने में अधिकारियों की सहायता करने तथा ऐसा करने में उनकी झिझक को दूर करने के उद्देश्य से नियमित हिन्दी कार्यशालाएँ आयोजित की गईं। सभी अधिकारियों ने इन कार्यशालाओं में भाग लिया और इन कार्यशालाओं में दिए गए सुझावों से लाभान्वित हुए। इसके परिणामस्वरूप, हिंदी पत्राचार का प्रतिशत काफी बढ़ गया है।

राजभाषा कीर्ति पुरस्कार

तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) को वर्ष 2022–23 के लिए 'क' क्षेत्र में स्थित बोर्ड और स्वायत्त निकायों आदि के बीच उत्कृश्ट राजभाशा कार्यान्वयन के लिए द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार, माननीय केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री, भारत सरकार श्री अजय मिश्रा जी द्वारा 14 सितम्बर, 2023 को हिन्दी दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में प्रदान किया गया।

तेल उद्योग विकास बोर्ड की ओर से माननीय केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री, भारत सरकार श्री अजय मिश्रा जी के कर कमलो से ' राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' प्राप्त करते हुए श्रीमती वर्शा सिन्हा, सचिव तेल उद्योग विकास बोर्ड

6.5. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोहः–

तेल उद्योग विकास बोर्ड में 21 जून 2023 को ''अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस'' का आयोजन, तेउविबो, भवन, नोएडा में किया गया। तेउविबो भवन नोएडा में स्थिति अनुदानी संस्थाओं के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने ''अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस'' में भाग लिया।

6.6. 49वां स्थापना दिवस समारोह

तेल उद्योग विकास बोर्ड में 13 जनवरी, 2024 को अपना 49वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इस समारोह में तेउविबो के सभी अधिकारी, कर्मचारी और नोएडा में स्थित अनुदानी संस्थाओं के कार्मिक तेउविबो भवन, में उपस्थित थे।

6.7. स्वच्छता पखवाड़ा समारोह

तेल उद्योग विकास बोर्ड ने दिनांक 01.07.2023 से 15.07.2023 के दौरान ''स्वच्छता पखवाड़ा'' मनाया गया पखवाड़े के दौरान तेउविबो में स्वच्छता पर शपथ, स्वच्छता पर व्याख्यान, '' प्लास्टिक का उपयोग ना करें'' विषय पर व्याख्यान और स्वच्छता किट का वितरण, वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, जागरुकता अभियान तथा गतिविधियों की समीक्षा आदि का आयोजन ओआईडीबी में किया गया। स्वच्छता आदि के प्रचार–प्रसार के लिए नवीन विचारों को क्रियान्वित किया गया। ओआईडीबी भवन, नोएडा में स्थित सभी ओआईडीबी कर्मचारियों और अनुदान प्राप्त करने वाले संगठनों के कर्मचारियों ने उपरोक्त गतिविधियों में भाग लिया।

8. सूचना का अधिकार अधिनियम

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम–2005 भारत सरकार के दिनांक 15 जून, 2005 के राजपत्र अधिसूचना के अनुसार पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में लागू किया गया है। आरटीआई अधिनियम की अन्य बातों के साथ–साथ सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जबावदेही को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 को तेउविबो में अक्षरशः लागू किया गया है। ओआईडीबी पहले से ही डीओपीटी की आरटीआई पोर्टल से जुड़ी हुई है जहां आरटीआई आवेदन ऑनलाइन प्राप्त/हस्तांतरित व निस्तारित किये जाते है। सूचना का अधिकार, 2005 की धारा 5 तथा 19 के उपबन्धों के अनुसार वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, उप मुख्य वित एवं लेखा अधिकारी, लेखा अधिकारी तथा प्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन) एवं अनुभाग अधिकारी क्रमशः पारदर्शिता अधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी नोडल अधिकारी तथा जन सूचना अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किए गए हैं ।

वर्ष 2023–24 के दौरान, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत 12 अभ्यावेदन/प्राप्तियां तेल उद्योग विकास बोर्ड में प्राप्त हुए। प्राप्त हुए इन सभी 10 अभ्यावेदनों/प्राप्तियों के प्रत्युत्तर निर्धारित समय सीमा में प्रेषित कर दिए गए।

अध्याय-7

वार्षिक लेखे
2023-2024

31.3.2024 की यथास्थिति को तुलन पत्र

(रूपये लाख में)

कॉपर्स /पूंजीगत निधि एवं देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
कॉपर्स / पूंजीगत निधि	1	90240	90240
आरक्षित एवं अधिशेष निधियॉ	2	1113810	1098445
चिन्हित / अक्षय निधि	3	-	-
जमानती ऋण एवं उधार	4	-	-
गैर जमानती ऋण एवं उधार	5	-	-
आस्थगित जमा देनदारियॉ	6	-	-
चालू देयताएं एवं प्रावधान	7	12994	5661
योग		**1217044**	**1194346**
परिसम्पतियाँ			
अचल परिसम्पतियॉ (नेट ब्लॉक)	8	5839	6333
प्रगतित कार्य	8	43	50
निवेश – चिन्हित / अक्षय निधि	9	-	-
निवेश – अन्य	10	381257	384039
चालू परिसम्पतियॉ, ऋण, अग्रिम आदि	11	829905	803924
विविध खर्चे (जिन्हें बट्टे खाते में डाला या समायोजित नहीं किया गया है)			
योग		**1217044**	**1194346**
लेखा संबंधी विशेष नितियाँ	25		
फुटकर देयताएं एवं लेखो पर टिप्पणियाँ	26		

तेउविबो के लिए और तेउविबो की ओर से

हस्ता/–
(कपिल वर्मा)
वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

हस्ता/–
(वर्षा सिन्हा)
सचिव

दिनांकः 27.06.2024
स्थानः नई दिल्ली

31.3.2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता

(रूपये लाख में)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
बिक्री/सेवाओं से आय	12	-	-
अनुदान/ सब्सिडी	13	-	-
फीस/अभिदान	14	-	-
निवेश से आय	15	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन, डीजीएच द्वारा डेटा बिक्री से आय	16	0	3709
अर्जित ब्याज	17	52514	43027
अन्य आय	18	302	705
तैयार माल एवं प्रगति पर कार्य के स्टॉक में बढोत्तरी/(कमी)	19	-	-
योग (क)		**52816**	**47441**
व्यय			
संस्थापन खर्च	20	415	391
अन्य प्रशासनिक खर्चे आदि	21	882	1105
अनुदान, सब्सिडी आदि पर खर्च	22	25787	39151
भुगतान किया गया ब्याज	23	-	-
राज्य सरकारों को रॉयल्टी	24	-	-
मूल्यह्रास (वर्ष के अन्त मे अनुसूची 8 के अनुसार निवल योग)	8	508	612
योग (ख)		**27592**	**41259**
खर्च पर आय के आधिक्य का शेष (क–ख)		25223	6182
घटाएः आयकर के लिए प्रावधान		9837	2642
घटाएः बीएलएल के संदिग्ध ऋणों का भुगतान		0	8416
विशेष आरक्षित निधि में स्थानानतरण (प्रत्येक का उल्लेख करे)		-	-
सामान्य आरक्षित निधि में स्थानान्तरण		**15,386**	**(4,877)**
आधिक्य के शेष को कॉपर्स/ पूंजीगत निधि में स्थानान्तरित	25	-	-
विशेष लेखा नीतियॉ	26		
फुटकर देयताएं एवं लेखा पर टिप्पणियॉ			

तेउविबो के लिए और तेउविबो की ओर से

हस्ता/–
(कपिल वर्मा)
वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

हस्ता/–
(वर्षा सिन्हा)
सचिव

दिनांकः 27.06.2024
स्थानः नई दिल्ली

31.3.2024 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूची

अनुसूची 1

(रूपये लाख में)

कॉपर्स / पूँजीगत निधि	चालू वर्ष		गत वर्ष	
वर्ष के प्रारंभ में शेष		**90240**		90240
जोड़ें: कॉपर्स / पूंजीगत निधि में योगदान			-	
जोड़ें / (घटाएं): आय एवं व्यय खाते से स्थानान्तरित शुद्ध आय (व्यय) की शेष राशि			-	
वर्ष के अन्त में शेष		**90240**		**90240**

अनुसूची 2

(रूपये लाख में)

आरक्षित एवं अधिशेष निधियाँ	चालू वर्ष		गत वर्ष	
1. पूंजीगत आरक्षित निधि				
विगत लेखो के अनुसार			-	
वर्ष के दौरान जमा			-	
घटाएं: वर्ष के दौरान कमी			(-)	
2. पुनःमूल्यांकन आरक्षित निधि				
विगत लेखो के अनुसार			-	
वर्ष के दौरान जमा			-	
घटाएं: वर्ष के दौरान कमी			(-)	
3. विशेष आरक्षित निधि				
विगत लेखो के अनुसार			-	
वर्ष के दौरान जमा			-	
घटाएं: वर्ष के दौरान कमी			(-)	
4. सामान्य आरक्षित निधि				
विगत लेखो के अनुसार		1098445		1103530
वर्ष के दौरान जमा / परिवर्धन / अपमार्जन				
(i) व्यय पर आय से अधिक्य	15386		-4877	
(ii) घटाएं : कर प्रावधान आदि का समायोजन	22	15365	-208	-5085
कुल योग		**1113810**		**1098445**

31.3.2024 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूची

अनुसूची 3

(रूपये लाख में)

चिन्हित/अक्षय निधि	विविध निधियों का विवरण				योग	
	निधि	निधि	निधि	निधि	चालू वर्ष	गत वर्ष
(क) निधि का प्रारंभिक शेष (ख) निधि में परिवर्धन (i) दान/अनुदान (ii) निधि के निवेश से आय (iii) अन्य परिवर्धन (प्रकार का उल्लेख करें)	शून्य					
योग (क+ख)						
(ग) निधि के उद्देश्य के प्रति उपयोग/खर्च (i) पूँजीगत खर्चे – अचल परिसम्पततियाँ – अन्य योग : (ii) राजस्व खर्चे – वेतन, मजदूरी एवं भत्ते आदि – किराया – अन्य प्रशासनिक खर्चे योग :	शून्य					
योग(ग)	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अन्त में निवल शेष (क+ख–ग)	-	-	-	-	-	-

31.3.2024 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूची

अनुसूची 4 (रूपये लाख में)

आरक्षित ऋण एवं उधार	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. केन्द्रीय सरकार 2. राज्य सरकार (उल्लेख करें) 3. वित्तीय संस्थान क) आवधिक ऋण ख) अर्जित एवं प्राप्य ब्याज 4. बैंक क) आवधिक ऋण – अर्जित एवं प्राप्य ब्याज ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें) – अर्जित एवं प्राप्य ब्याज 5. अन्य संस्थान एवं एजेन्सी 6. ऋण पत्र एवं बन्ध पत्र 7. अन्य (उल्लेख करें)	शून्य	
योग :		

टिप्पणी :– एक वर्ष के अन्दर प्राप्य राशि

31.3.2024 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूची

अनुसूची 5

(रूपये लाख में)

आरक्षित ऋण एवं उधार	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. केन्द्रीय सरकार 2. राज्य सरकार (उल्लेख करें) 3. वित्तीय संस्थान 4. बैंक : (क) आवधिक ऋण (ख) अन्य ऋण (उल्लेख करे) 5. अन्य संस्थान एवं एजेन्सी 6. ऋण पत्र एवं बन्ध पत्र 7. सावधि जमा 8. अन्य (उल्लेख करें)	शून्य	
योग :		

टिप्पणी :– एक वर्ष के अन्दर प्राप्य राशि

अनुसूची 6

(रूपये लाख में)

अस्थगित जमा देनदारियां	चालू वर्ष	गत वर्ष
(क) पूंजीगत उपकरण एवं अन्य परिसम्पत्तियों के बंधक रखने पर प्राप्त स्वीकृतियॉं (ख) अन्य	शून्य	
योग:		

टिप्पणी :– एक वर्ष के अन्दर प्राप्य राशि

31.3.2024 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूची

अनुसूची 7

(रूपये लाख में)

चालू देयता एवं प्रावधान	चालू वर्ष		गत वर्ष	
क चालू देयताएं				
1. स्वीकृतियॉं				
2. विविध लेनदार				
(क) माल के लिए				
(ख) अन्य				
3. प्राप्त अग्रिम				
4. उपार्जित ब्याज परन्तु देय नहीं				
(क) जमानती ऋण/ उधार				
(ख) गैरजमानती ऋण/ उधार				
5. सांविधिक देयताएं				
(क) अतिशोध्य				
(ख) अन्य				
6. अन्य चालू देयताएं				
क) राज्य सरकारों तथा अन्य को रॉयल्टी का भुगतान	0		0	
ख) आय कर/टीडीएस/वर्कस कॉन्ट्रेक्ट देय कर	8		18	
ग) ठेकेदारों को देय	187		104	
घ) अन्य (i) बकाया – 37.17 लाख				
(ii) अन्य बिल – 2726.55 लाख	2764		2730	
ड) प्रतिभूति जमा ईएमडी के साथ	37		37	
च) रूकी हुई राशि	49	3044	39	2928
योग (क) :		**3044**		**2928**
(ख) प्रावधान				
1. करों के लिए		9837		2642
2. ग्रेच्यूटी		5		-
3. सेवानिवृत्ति/पेंशन		-		-
4. संचित छुट्टी का नकदीकरण		97		87
5. व्यापार वारंटी/दावे		-		-
6. अन्य–लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का प्रावधान		10		4
योग (ख)		**9950**		**2733**
योग (क+ख)		**12994**		**5661**

31.3.2024 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूची

अनुसूची–8

(रूपये लाख में)

स्थाई परिसम्पत्तियां

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास/परिशोधन				निवल ब्लॉक	
	1.4.2023 से आरंभ वर्ष में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	31.3.2024 वर्ष के अन्त में लागत/मूल्यांकन	1.4.2023 से वर्ष के आरंभ में	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	31.3.2024 को समाप्त वर्ष के अन्त में कुल योग	31.3.2024 को चालू वर्ष के अन्त में	31.3.2024 को पूर्व वर्ष के अन्त में
क. स्थाई परिसम्पतियाँ										
1. भूमि										
(क) पूर्ण स्वामित्व	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) पट्टे पर										
द्वारका भूमि	940	0	0	940	0	0	0	0	940	940
नोएडा भूमि	899	0	0	899	168	10	0	178	721	731
2. भवन										
(क) पूर्ण स्वामित्व भूमि पर	-	-	-	-	-			-	-	-
(ख) पट्टे वाली भूमि पर	10143	0	0	10143	6935	321	0	7256	2887	3208
(ग) स्वामित्व मकान/परिक्षेत्र	-	-	-	-	-			-	-	-
(घ) भूमि पर निर्माण जो संगठन से संबंधित नहीं है	32	0	0	32	23	0		23	9	9
3. प्लॉट मशीनरी एवं उपकरण	3148	9	0	3157	2615	81	0	2696	461	533
4. वाहन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. फर्नीचर , फीक्सर्च	2425	1	0	2426	1708	72	0	1780	646	717
6. कार्यालय उपकरण	78	2	0	80	54	4	0	58	22	24
7. कम्प्यूटर/बाह्य उपकरण	79	2	0	81	73	3	0	76	5	6
8. विद्युत संस्थापन	538	0	0	538	378	16	0	394	144	160
9. पुस्तकालय की पुस्तकें	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. ट्यूब वैल तथा पानी की आपूर्ति	19	0	0	19	17	0	0	17	2	2
11. अन्य स्थिर परिसम्पतियॉं	27	0	0	27	24	1	0	25	2	3
चालू वर्ष का योग:	**18328**	**14**	**0**	**18342**	**11995**	**508**	**0**	**12503**	**5839**	**6333**
गत वर्ष :	18331	773	776	18328	11388	1077	470	11995	6333	6943
ख. पूंजीगत चालू कार्य :	**50**	**0**	**7**	**43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43**	**50**

31.3.2024 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूची

अनुसूची 9

(रूपये लाख में)

चिन्हित / अक्षय निधि से निवेश	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियाँ 2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ 3. शेयर 4. ऋण पत्र एवं बन्ध पत्र 5. नियंत्रित तथा सयुंक्त उद्यम 6. अन्य (उल्लेख करें)	शून्य	
योग :	-	-

अनुसूची 10

(रूपये लाख में)

अन्य निवेश	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	-
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ	-	-
3. शेयर	-	-
बीको लॉरी लिमिटेड निवेश राशि – रू. 5034 घटाए: शेयरों के मूल्य प्रावधान में कमी रू. 2782लाख	2252	5034
4. ऋण पत्र एवं बन्ध पत्र		
5. सहायक तथा संयुक्त उद्यम (आईएसपीआरएल)	379005	379005
6. अन्य (उल्लेख करें)		
योग :	**381257**	**384039**

31.3.2024 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूची

अनुसूची 11

(रूपये लाख में)

चालू परिसम्पत्तियॉं, ऋण, अग्रिम आदि	चालू वर्ष		गत वर्ष	
क. <u>चालू परिसम्पत्तियाँ</u>				
1. इन्वेनटरी				
क) स्टोर एवं स्पेयर	-		-	
ख) खुले उपकरण	-		-	
ग) स्टॉक– इन–ट्रेड				
तैयार माल	-		-	
प्रगति कार्य	-		-	
कच्चा माल	-		-	
2. फुटकर देनदारी				
क) छः महीने से ज्यादा बकाया देनदारियॉं	-		-	
ख) अन्य	-		-	-
3. कुल नकद शेष (इसमें चैक/ड्राफ्ट/अग्रदाय सहित)	-		0	
4. बैंक शेष				
क) अधिसूचित बैंको के पास				
– चालू खातों पर	-		-	
– जमा खातों पर (एफडीआर में)	394144		526448	
– बचत खातों पर	214	394358	5954	532402
ख) अनाधिसूचित बैंको के पास				
– चालू खातों पर	-		-	
– जमा खातों पर	-		-	
– बचत खातों पर	-	-	-	-
5. डाक घर– बचत खाते		-		-
योग (क) :		**394358**		**532402**
ख. <u>ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ</u>				
1. ऋण				
क) स्टाफ	3		4	
ख) तेल क्षेत्र की सार्वजनिक इकाईयॉं (अनुलग्नक II)	303609		203086	
ग) अन्य (स्पष्ट करें)	-		-	
2. अग्रिम एवं अन्य राशियॉं जो कि नकद या अन्य प्रकार से प्राप्य है		**303612**		**203090**
क) पूंजीगत खातों पर (आईएसपीआरएल को अग्रिम तथा संघटन अग्रिम)	-		0	
ख) अग्रिम किराया	200		212	
ग) अन्य (इसमें डीजीएच/आरजीआईपीटी को अग्रिम टीडीएस तथा प्रतिभूति जमा हैं)	114085	**114285**	49727	**49938**
3. उपार्जित आय				
क) चिन्हित/ अक्षय निधि में निवेश	-		-	
ख) अन्य – निवेश	8653		11637	
ग) ऋण एवं अग्रिम	2817		2817	
घटाएं: पूर्व वर्षों में किए गए संदिग्ध ऋणों का प्रावधान				
घ) अन्य (डीजीएच से डेटा बिक्री)	-	**11469**	0	**14454**
4. वसूली योग्य दावे			-	
(i) (विरोध के तहत भुगतान किया गया कर)	14472		14472	
(ii) प्राप्य राशि	55	**14527**	696	**15168**
योग (ख) :		**443892**		**282650**
घटाएं: पूर्व वर्षों में किए गए संदिग्ध ऋणों का प्रावधान		**8346**		**11127**
कुल योग (ख)		**435546**		**271523**
योग (क+ख) :		**829905**		**803924**

31.3.2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय का हिस्सा बनी अनुसूची

अनुसूची 12 (रूपये लाख में)

बिक्री/सेवाओं से आय	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. बिक्री से आय क) तैयार माल की बिक्री ख) कच्चे माल की बिक्री ग) खंडित माल की बिक्री 2. सेवाओं से आय क) मजदूरी एवं प्रक्रिया प्रभार ख) व्यावसायिक/परामर्शी सेवाएं ग) ऐजेंसी कमीशन तथा दलाली घ) रखरखाव सेवाएं (उपकरण/सम्पत्ति) ङ.) अन्य (उल्लेख करें)	शून्य	
योग :		

अनुसूची 13 (रूपये लाख में)

अनुदान/सहायता	चालू वर्ष	गत वर्ष
(अवसूलीय अनुदान तथा प्राप्त सहायता) 1) केंद्रीय सरकार 2) राज्य सरकारें 3) सरकारी एजेंसियाँ 4) संस्थान/कल्याणकारी निकाय 5) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन 6) अन्य (उल्लेख करें)	शून्य	
योग :		

31.3.2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय का हिस्सा बनी अनुसूची

अनुसूची 14 (रूपये लाख में)

शुल्क / अभिदान	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. प्रवेश शुल्क 2. वार्षिक शुल्क / अंशदान 3. सेमीनार / कार्यक्रम शुल्क 4. परामर्शदाता शुल्क 5. अन्य (उल्लेख करें)	शून्य	
योग :		

अनुसूची 15 (रूपये लाख में)

निवेशों से आय	निवेश से		निवेश अन्य	
	चालू वर्ष	विगत वर्ष	चालू वर्ष	विगत वर्ष
(चिन्हित / अक्षय निधियों से निवेश पर आय) 1. ब्याज क) सरकारी प्रतिभूतियों पर ख) अन्य ऋण पत्र एवं बन्ध पत्र 2. लाभांश क) शेयरों पर ख) मयूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर 3. किराया 4. अन्य	शून्य			
योग :				
चिन्हित / अक्षय निधियों में स्थानांतरण				

31.3.2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय का हिस्सा बनी अनुसूची

अनुसूची 16 (रूपये लाख में)

रॉयल्टी, प्रकाशन, डीजीएच द्वारा डेटा बिक्री आदि से आय	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. रॉयल्टी से आय	0	-
2. प्रकाशनों से आय	0	-
3. अन्य – डीजीएच द्वारा डेटा बिक्री से आय	0	3709
योग :	**0**	**3709**

अनुसूची 17 (रूपये लाख में)

अर्जित ब्याज	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. सावधि जमा पर :		
क) अधिसूचित बैंकों के पास (सावधि जमा)	38105	27968
ख) अनाधिसूचित बैंकों के पास	0	0
ग) संस्थानों के पास	0	0
घ) अन्य	0	0
2. बचत खातो पर		
क) अधिसूचित बैंकों के पास	12	15
ख) अनाधिसूचित बैंकों के पास	0	0
ग) डाक घर बचत खाते	0	0
घ) अन्य	0	0
3. ऋणों पर		
क) कर्मचारी / स्टॉफ	0	0
ख) तेल कम्पनियॉ	14394	15090
4. देनदारी तथा अन्य प्रातियों पर ब्याज		
(क) चल अग्रिम पर ब्याज		
(ख) प्रतिभूति जमा पर ब्याज	2	2
(ग) आय कर विवरणी पर ब्याज	0	0
योग :	**52514**	**43075**
घटाएं: बैंक से अर्जित ब्याज की बचत का अतिरिक्त प्रावधान	**0**	**48**
कुल योग	**52514**	**43027**
टिप्पणी – स्रोत पर कर कटौती का उल्लेख करें।	**5083**	**4186**

31.3.2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय का हिस्सा बनी अनुसूची

अनुसूची 18 (रूपये लाख में)

अन्य आय	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. परिसम्पत्तियों की बिक्री/ निपटान पर लाभ		
क) स्वयं खरीदी गई परिससम्पतियॉ	-	-
ख) प्राप्त अनुदान से खरीदी गई या मुफ्त में प्राप्त परिसम्पत्तियां	-	-
2. निर्यात प्रोत्साहन	-	-
3. विविध के लिए शुल्क	-	-
4. पूर्व अवधि की आय	10	-
5. विविध आय	292	705
(i) किराए से आय – रू. 235.73		
(ii) बिना खर्च हुए अनुदानों आदि की वापसी –रू. 51.19		
(iii) अन्य प्राप्ति –रू. 4.76		
योग :	**302**	**705**

अनुसूची 19 (रूपये लाख में)

तैयार माल या चालू कार्यों के भंडार में वृद्धि/कमी	चालू वर्ष	गत वर्ष
माल और कार्य प्रगति	शून्य	
क) अन्तिम स्टॉक		
– तैयार माल		
– कार्य प्रगति		
ख) घटाएं : आरम्भिक स्टॉक		
– तैयार माल		
– कार्य प्रगति		
निवल जमा (घटा) (क +ख)	**-**	**-**

31.3.2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय का हिस्सा बनी अनुसूची

अनुसूची 20 (रूपये लाख में)

स्थापना खर्चे	चालू वर्ष	गत वर्ष
क) वेतन एवं मजदूरी	317	298
ख) भत्ते एवं बोनस	12	10
ग) भविष्य निधि में अंशदान	0	0
घ) तेउविबो कर्मचारी ग्रुप ग्रेच्यूटी तथा पेंशन निधि में अंशदान	32	37
ड़) चिकित्सा खर्चो सहित कर्मचारी कल्याण खर्चे	44	42
च) कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति तथा सेवान्त लाभ	10	3
छ) अन्य	0	1
योग :	**415**	**391**

31.3.2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय का हिस्सा बनी अनुसूची

अनुसूची 21 (रूपये लाख में)

अन्य प्रशासनिक व्यय आदि		चालू वर्ष	गत वर्ष
1) क्रय		21	39
2) मजदूरी तथा संसाधित खर्चे		0	0
3) गाड़ी तथा भाड़ा		0	0
4) विद्युत तथा बिजली		214	388
5) जल प्रभार		2	2
6) बीमा		10	11
7) मरम्मत एवं रखरखाव		496	528
8) उत्पाद कर		0	0
9) किराया, दरें तथा कर		25	25
10) गाड़ियों का चालन एवं रखरखाव		27	28
11) डाक, तार एवं दूरभाष प्रभार		6	20
12) मुद्रण तथा लेखा सामग्री		6	5
13) विविध खर्चे		20	14
14) सम्मेलनों/कार्यशालाओं पर खर्चे		4	2
15) अभिदान खर्चे		1	1
16) शुल्क पर खर्चे		0	0
17) लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक		15	7
18) आतिथ्य खर्चा		0	0
19) व्यावसायिक प्रभार		28	27
20) संदिग्ध ऋण/अग्रिम के लिए प्रावधान		0	0
21) बट्टे खाते में डाले गए अवसूलीय खर्चे		0	0
22) पैकिंग प्रभार		0	0
23) माल भाड़ा तथा अग्रेषण खर्चे		0	0
24) संवितरण खर्चे		0	0
25) विज्ञापन तथा प्रचार		3	1
26) अन्य–पूर्व अवधि व्यय	1	7	7
अन्य	6		
योग :		**882**	**1105**

31.3.2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय का हिस्सा बनी अनुसूची

अनुसूची 22 (रूपये लाख में)

अनुदान, सहायता आदि पर व्यय	चालू वर्ष	गत वर्ष
क) संस्थानो/संगठनों को दिया गया अनुदान (अनुलग्नक III–ए)	25437	39151
ख) सरकार/ते.उ.वि.बोर्ड द्वारा प्रायोजित योजना एवं परियोजनाओं के लिए सहायता (अनुलग्नक III–बी)	350	0
योग :	**25787**	**39151**

अनुसूची 23 (रूपये लाख में)

भुगतान किया गया ब्याज	चालू वर्ष	गत वर्ष
क) स्थाई ऋणों पर	0	0
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार के साथ)	0	0
ग) अन्य	0	0
योग :	**0**	**0**

अनुसूची 24 (रूपये लाख में)

राज्य सरकारों को रॉयल्टी का भुगतान	चालू वर्ष	गत वर्ष
अरूणाचल प्रदेश सरकार	0	0
गुजरात सरकार	0	0
योग :	**0**	**0**

मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष की यथास्थिति को लेखों का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

अनुसूची–25 – महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. लेखाकरण व्यावहारिक रीति

वित्तीय विवरणपत्र, अनुदान सहायता को छोड़कर प्रोद्‌भवन आधार पर बनाये जाते हैं। अनुदानों का जिस वर्ष में भुगतान किया जाता है, उसी में इन्हें खर्च किया गया समझा जाता है और तदानुसार इन्हें राजस्व खर्चों में दर्शाया जाता है।

2. निवेष

दीर्घावधि निवेश लागत मूल्य पर लिए गए हैं। इन निवेशों की लागत दर्शाते समय उनमें अस्थाई आधार पर छोड़कर, मूल्यों में कमी का प्रावधान किया जाता है।

3. स्थाई परिसम्पत्तियाँ

स्थाई परिसम्पत्तियाँ के मूल्य में अभिग्रहण की लागत जिसमें अधिभार तथा कर तथा अभिग्रहण से संबंधित आकस्मिक एवं प्रत्यक्ष खर्चे सम्मिलित हैं। निर्माण संबंधित परियोजनाओं में पूर्व–प्रचालित खर्चे पूंजीगत की जाने वाली आस्तियों के अंग बनते हैं।

4. मूल्यह्रास

मूल्यह्रास आयकर अधिनियम 1961 में उल्लिखित दरों के आधार " मूल्यह्रास पद्धति" के अनुसार किया जाता है। स्थाई आस्तियों में वर्ष के दौरान हुई बढ़ोत्तरी/कमी के लिए मूल्यह्रास आयकर नियमों के आधार पर लिया जाता है। रूपये 5,000 या उससे कम कीमत की आस्तियों को पूर्ण रूप से समायोजित कर किया गया है।

5. सरकारी अनुदान/सब्सिडी –

अनुदान, विभिन्न राज्य सरकारों/प्रचालकों को देय रॉयल्टी यदि कोई हो, जिसका भुगतान सरकार के आदेशानुसार किया जाता है, को छोड़कर, नकद के आधार पर लेखागत किया जाता है।

6. आय

व्यवहार्य परिसम्पतियों पर ब्याज एवं अन्य आय की गणना देय आधार पर होती है जबकि अव्यवहार्य परिसम्पत्तियों पर यह गणना उनकी प्राप्ति आधार पर होती है। व्यवहार्य परिसम्पतियाँ वह हैं जिन पर आय 90 दिन के बाद अदेय नहीं रहती है। अनुदान के एवज में प्रतिपूर्ति वास्तविक आधार पर है।

7. विदेशी मुद्रा विनिमय

विदेशी मुद्रा में किये गये लेन देन का लेखीकरण भुगतान किये जाने वाले दिन की विनिमय दर के आधार पर किया जाता है।

8. लीज़

लीज़ शर्तों के सन्दर्भ में लीज़ किराये को व्यय में दर्शाया जाता है।

9. सेवानिवृत्ति लाभ

9.1 तेउवि बोर्ड ने अपने वर्तमान कार्मिकों की पिछली सेवाओं की देयताओं के संरक्षण के लिए दो ट्रस्ट नामतः "तेउवि बोर्ड कर्मचारी ग्रुप ग्रेज्यूटी योजना" तथा "तेउवि बोर्ड कर्मचारी सेवा निवृत्ति योजना" की स्थापना की। योजनाओं के लिए निधियों की व्यवस्था ट्रस्ट के माध्यम से वास्तविक मूल्याकंन के आधार पर की जा रही है।

9.2 कर्मचारियों द्वारा संचित छुट्टियों के एवज में भुगतान की जाने वाली राशि का प्रावधान किया जाता है तथा इसकी गणना इस अवधारणा पर की जाती है कि कर्मचारी हर वर्ष के अन्त में उसका लाभ–प्राप्त करने का हकदार है।

मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष की यथास्थिति को लेखों का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

अनुसूची–26 – आकस्मिक देयताएं तथा लेखों पर टिप्पणियाँ

1. आकस्मिक देयताएंः–

(क) वर्ष 31.03.2023 को रुपये 3.43 लाख की तुलना में 31 मार्च 2024 की ट्रेसेस (आयकर विभाग) से डाउनलोड डिफॉल्ट सारांश के अनुसार टीडीएस (ट्रेसेस) खातों के बकाया दावे 3.41 लाख रुपये है।

(ख) विभिन्न मूल्यांकन वर्षो के लिए आयकर, जिसके विरूद्ध विभिन्न प्राधिकरणों के पास अपीलें लंबित हैं, का विवरण नीचे दिया गया हैः–

क्र0 सं0	निर्धारण वर्ष	धारा 271(1) (सी) के तहत लंबित अपील में शामिल राशि (रूपये करोड़ में)	मामले की स्थिति	धारा 143(3) के तहत लंबित अपील में शामिल राशि (रूपये करोड़ में)	मामले की स्थिति
1	2008-09	-	निर्धारण अधिकारी द्वारा लगाए गए अर्थ दंड (रुपये 4.52 करोड़ का दंड शामिल) को सीआईटी (ए) द्वारा निरस्त कर दिया गया है।	-	आईटीएटी द्वारा अपील को निर्धारिती के पक्ष में और राजस्व के खिलाफ फैसला दिया है। रुपये 5.63 करोड़ की मांग को निरस्त कर किया गया। प्रभावी अपील निर्धारण अधिकारी के समक्ष लंबित है।
2	2009-10	-	-	17.74	मामला आईटीएटी द्वारा एओ को भेज (पुनः स्थापित) किया गया है और आज तक अन्य कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है।
3	2010-11	-	सीआईटी (ए) ने निर्धारिती के पक्ष में फैसला दिया है। अपील, निर्धारण अधिकारी के समक्ष लंबित है (रुपये 22.77 करोड़ का दंड शामिल है)	28.97	मामला आईटीएटी द्वारा एओ को भेज (पुनः स्थापित) किया गया है और आज तक कोई और नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है।
4	2011-12	-	-	4.90	अपील सीआईटी (ए) के समक्ष लंबित है।

क्र0 सं0	निर्धारण वर्ष	धारा 271(1) (सी) के तहत लंबित अपील में शामिल राशि (रूपये करोड़ में)	मामले की स्थिति	धारा 143(3) के तहत लंबित अपील में शामिल राशि (रूपये करोड़ में)	मामले की स्थिति
5	2012-13	-	-	-	आईटीएटी द्वारा राजस्व अपील खारिज कर दी गई है। और अपील के प्रभावी निर्धारण अधिकारी के पास लंबित है। (रुपये 20.51 करोड़ शामिल है)
6	2013-14	-	-	-	सीआईटी (ए) ने निर्धारती के पक्ष में अपील का फैसला दिया और एओ द्वारा किए गए परिवर्धन को हटा दिया गया। अपील निर्धारण अधिकारी के समक्ष लंबित है। (3.85 करोड़ रुपये की राशि शामिल है)
7	2014-15	-	-	-	सीआईटी (ए) ने निर्धारती के पक्ष में अपील का फैसला दिया और एओ द्वारा किए गए परिवर्धन को हटा दिया गया। अपील निर्धारण अधिकारी के समक्ष लंबित है। (14.71 करोड़ रुपये की राशि शामिल है)
8	2017-18	-	-	-	सीआईटी (ए) के निर्धारती के पक्ष में अपील का फैसला लिया और एओ द्वारा किए गए परिवर्धन को हटा दिया गया। अपील निर्धारण अधिकारी के समक्ष लंबित है। (35.90 करोड़ रुपये की राशि शामिल है)
9	2018-19	-	-	4.41	एओ ने खंड 154 के अन्तर्गत अपने आदेश बढ़ाकर को संशोधित किया है। आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई। अपील सुनवाई के लिए सीआईटी (ए) के समक्ष लंबित है।
10	2020-21	-	-	23.48	एओ के आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई। अपील सुनवाई के लिए सीआईटी (ए) के समक्ष लंबित है।
	कुल योग		-	**79.50**	

(ग) ओआईडीबी के खिलाफ मैसर्स गोदरेज एण्ड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड (गोदरेज) द्वारा ओआईडीबी भवन के जी+3 ब्लॉक के आंतरिक कार्यों के लिए जारी कार्य आदेश में उल्लिखित राशि से कम भुगतान और कटौती के संबंध में रुपये 180.41 लाख का मध्यस्थता दावा एलडी मध्यस्थ श्री हरजिन्दर सिंह के समक्ष दायर किया गया। उक्त मध्यस्थता मामले में, ओआईडीबी ने मैसर्स गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड द्वारा काम पूरा करने में देरी होने से किराए के नुकसान, जिसमें रखरखाव और बिजली शुल्क भी शामिल है, के लिए रू0. 384 लाख का प्रति दावा दायर किया।

मध्यस्थ ने 30.01.2021 के निर्णय द्वारा गोदरेज के 62.78 लाख रूपये के दावे को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ सहमति प्रदान की और ओआईडीबी के प्रति दावे पर विचार करने से इन्कार कर दिया। ओआईउीबी ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में दिए गए निर्णय को चुनौती दी। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय आदेश दिनांक 16.09.2019 के द्वारा गोदरेज को दी गई राशि को बरकरार रखा लेकिन ओआईडीबी को कानून के तहत अपने जवाबी दावे को बढ़ाने की स्वतन्त्रता दी तदानुसार ओआईडीबी द्वारा दायर एक अलग याचिका में माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली ने ओआईडीबी के प्रतिदावे पर निर्णय लेने के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) इन्द्रमीत को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया।

इस बीच, गोदरेज ने जिला न्यायालय साकेत में अधिनिर्णय राशि की वसूली के लिए निष्पादन याचिका संख्या 196/20 दायर की, जिसमें न्यायालय ने गोदरेज को अधिनिर्णय राशि के भुगतान के लिए ओआईडीबी को अनुलग्नक नोटिस नोटिस जारी किया। उक्त आदेश के विरुद्ध ओआईडीबी ने उच्च न्यायालय दिल्ली में पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद ओआईडीबी ने सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर की, जिसमें न्यायालय ने ओआईडीबी को निर्देश दिया कि वह अधिनिर्णय राशि अर्थात 1,48,42,283 रुपए ब्याज सहित साकेत न्यायालय में जमा कराए, वह राशि सावधि जमा में रहेगी।

दिनांक 23.01.2024 को, ओआईडीबी के प्रति दावे में माननीय मध्यस्थ ने, ओआईडीबी के प्रति दावे को 1,92,43,087.50 रुपये की सीमा तक 9% प्रति वर्ष ब्याज की दर से और 10,00,000/– रुपये की लागत के साथ स्वीकार कर लिया। हालाँकि, गोदरेज ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अधिनिर्णय को चुनौती दी है और यह याचिका दाखिले के लिए लंबित है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तेल उद्योग विकास बोर्ड की विशेष अनुमति याचिका एसएलपी (SLP) को स्वीकृति दी और साकेत न्यायालय को निर्देश दिया कि गोदरेज द्वारा दायर निष्पादन तब तक रोका जाए जब तक कि गोदरेज द्वारा दायर अधिनिर्णय की चुनौती पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय नहीं लिया जाए है। यह मामला सितंबर, 2024 में उच्च न्यायालय के संज्ञान में आएगा।

2. वचन बद्धताएँ

पूंजीगत

क) भुगतान के लिए रूपये 28.40 लाख (लगभग) के अन्तिम बिलों पर, पीएमसी और ठेकेदारों से स्पष्टीकरण के अभाव में विचार नहीं किया गया है।

ख) ओआईडीबी ने मार्च 2024 के अंत तक, ओआईडीबी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, मैसर्स इंडियन स्ट्रेटिजिक पेट्रोलियम रिजवर्स लिमिटेड (आईएसपीआरएल) को संचयी आधार पर 379005 लाख रुपये का भुगतान किया। बोर्ड और मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कुल हिस्सेदारी 383256 लाख रुपये है में से शेष प्रतिबद्धता 4251 लाख रुपये है। कंपनी, पहले ही ओआईडीबी के डीमैट खाते में रूपये 37900546700/– के 10/– रुपये प्रति शेयर के 3790054670 शेयर प्रमाणपत्र आबंटित कर जारी कर चुकी है।

3. चालू परिसम्पतियाँ, ऋण तथा अग्रिम

क) सरकार के निर्देशानुसार, बीको लारी लिमिटेड को दिये गये रूपये 32.76 करोड़ के ऋण को कंपनी में तेउविबो की इक्विटी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। इस ऋण को इक्विटी में परिवर्तन के पश्चात् बीको लॉरी लिमिटेड में

तेउविबो की कुल इक्विटी रूपये 17.58 करोड़ से बढकर रूपये 50.34 करोड़ हो गई है, जो कि कंपनी की कुल इक्विटी का 67.33% है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में ओआईडीबी का कुल इक्विटी निवेश 50.34 करोड़ रुपये, ऋण और अग्रिम में 100.15 करोड़ रुपये, दंड ब्याज के रूप में 4.41 लाख और ब्याज प्राप्य राशि 95.82 लाख रुपये थी। सी एंड एजी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 में इतने बड़े घाटे और नकारात्मक निवल मूल्य के कारण बीएलएल से देय राशि का प्रावधान न करने पर पर टिप्पणी की है।

बीएलएल के वित्तीय विवरण बताते है कि वर्ष के अंत में सचित घाटे ने कंपनी के निवल मूल्य को पूरी तरह से खत्म कर दिया था और इसके सभी परिचालनों के बंद होने से इकाई के चालू रहने और अपने सभी दायित्वों को चुकाने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा हो गया था। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने 10.10.2018 को हुई अपनी बैठक में कंपनी को बंद करने की मंजूरी दे दी थी। सीसीईए अनुमोदन के संदर्भ में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पत्र संख्या पी 25011/103/2018–एलपीजी (खंड–II) दिनांक 16.10.2018 के अनुसार बीएलएल की अचल संपत्तियों की बिक्री आय का 67.33% तक ओआईडीबी को हस्तांतरित किया जाएगा।

जैसा कि कंपनी को रुग्ण कंपनी घोषित कर दिया गया है और उसके बंद करने की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्राप्य ब्याज और दंडात्मक ब्याज को क्रमशः 95.82 लाख रुपये और 4.41 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। बीएलएल की अचल संपत्ति के वसूली योग्य मूल्य के आधार पर, वित्त वर्ष 2022–23 में बीएलएल से बकाया इक्विटी, ऋण और अग्रिम से 83.16 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

बीएलएल की इक्विटी पूंजी में कमी और ऋणों और अग्रिमों को बड़े खाते में डालने के कारण ओआईडीबी घाटे को बट्टे खाते में डालने से संबंधित मामले को ओआईडीबी बोर्ड/केंद्र सरकार के समक्ष ले जाया जाएगा और बीएलएल की संपत्ति की वसूली के बाद सटीक प्रभाव के लेखांकन को मानक 13 के प्रावधानों के अनुसार दर्ज किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, ओआईडीबी को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 27.05 करोड़ रुपये प्राप्त हुए (बीएलएल की बंद गतिविधियों के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से अभिरक्षक के रूप में)। इसके उपयोग संबंधी सलाह का इंतजार पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से है।

ख) केनफिना से 2443 लाख रूपये तथा बीको लॉरी लिमिटेड से 268 लाख रूपये से वसूले जाने वाले ब्याज के लिए संदिग्ध ऋण का प्रावधान किया गया है। यूटीआई 1964 योजना यूनिट के तहत प्रतिभूतियों से संबंधित केनफिना मामलों पर मुकदमेंबाजी चल रही है। चूंकि इस राशि की वसूली अभी भी संदिग्ध है, अतः मौजूदा लेखा अभ्यास के अनुसार इसे पहले ही संदिग्ध कर्ज बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

ग) तेउविबो द्वारा निर्णय लिया गया है कि अपने अनुदानी संस्थानों से कोई किराया तथा रखरखाव प्रभार नहीं लिया जाएगा इसलिए अनुदानी संस्थानों से न तो कोई वसूली की गई और न ही अनुदानी संस्थानों से किराया या रखरखाव प्रभार के अन्तर्गत लेखों में वसूली योग्य कोई राशि दर्शायी गई है। आईएसपीआरएल, तेउविबो की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को भी किराए के भुगतान से मुक्त रखा गया है।

घ) तेउविबो द्वारा वर्ष के दौरान किए गए दूरभाष, सुविधा प्रबंधन, विद्युत तथा डीजल प्रभार आदि की समानुपातिक लागत आईएसपीआरएल को डेबिट की जा चुकी है।

4. कर निर्धारण – चूँकि तेउविबो कृत्रिम क्षेत्राधिकार वाले व्यक्ति के रूप में आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत एक आयकर भुगतान वाली कंपनी है अतः आयकर के लिए प्रावधान करना आवश्यक समझा गया है। संलग्न लाभ तथा हानि लेखे (अनुलग्नक-I) आयकर विभाग को देय आयकर की गणना करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 36 (1) (xii)

के तहत आयकर कटौती के लिए प्राधिकृत संस्थान के रूप में अधिसूचित होने के पश्चात तैयार किए गए हैं।

5. तुलनपत्र की अनुसूची 25 के खण्ड 6 की महत्वपूर्ण लेखा नीति के अनुसार बीएलएल से वर्ष 2021–22 के बाद से ब्याज को आय में नहीं दर्शाया गया है।

6. (I) आईसीएआई द्वारा जारी एएस.15 के अन्तर्गत विद्यमान कर्मचारियों की सेवानिवृत्त लाभ के लिए पेंशन तथा ग्रेज्यूटी निधि के गठन के प्रावधानों के तहत बोर्ड ने दो विभिन्न ट्रस्टों (न्यासों) नामतः "तेउवि बोर्ड कर्मचारी सेवानिवृत्ति योजना" तथा तेउवि बोर्ड कर्मचारी ग्रेज्यूटी योजना का गठन किया।

   (ii) तेउवि बोर्ड ने आयकर विभाग से आयकर अधिनियम 1961 की चौथी अनुसूची के भाग बी तथा भाग सी के तहत अपनी दो योजनाओं क्रमशः "तेउविबो कर्मचारी ग्रेज्यूटी योजना" तथा "तेउवि बोर्ड कर्मचारी ग्रेज्यूटी योजना में अंशदान के लिए कर में छूट के लिए आवेदन दिया है। उत्तर की प्रतीक्षा है।

7. इंडियन बैंक ने 103.83 लाख रुपये की सीमा तक सावधि जमा पर अर्जित ब्याज पर टीडीएस नहीं काटा है, ओआईडीबी बैंक से टीडीएस को अपडेट करवाने के लिए बैंक से संपर्क कर रहा है। अर्जित ब्याज और टीडीएस, बैंक द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार पर लिया गया है।

8. चार्टर्ड एकांउट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी मानक लेखाकरणों का जहां तक लागू हो अनुपालन किया गया है।

9. 1 से 26 तक अनुसूचियां संलग्न हैं तथा ये दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखे तथा तुलनपत्र का अन्तरिम भाग है।

10. तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा, लाभ तथा हानि लेखा, तथा सूचियों के आँकड़ें को निकटतम लाख रूपये के गुणांक में दर्शाया गया है। पिछले वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार सुव्यवस्थित/सुगठित किया गया है।

तेउविबो के लिए और तेउविबो की ओर से

हस्ता/–	**हस्ता/–**
(कपिल वर्मा)	**(वर्षा सिन्हा)**
वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी	**सचिव**

दिनांकः 27.06.2024
स्थानः नई दिल्ली

अनुलग्नक I
(सन्दर्भ अनुसूची 26 नोट सं 4(क))

31.03.2024 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ एवं हानि खाता

विवरण	अनुसूची संख्या	चालू वर्ष	गत वर्ष
आय			
ब्याज आय	17	52514	43027
निवेश से आय	15	0	0
अन्य आय	16 & 18	302	4414
योग :		**52816**	**47441**
खर्चे			
प्रत्यक्ष कार्यकलापों पर व्यय	22 & 24	25787	39151
कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते	20	415	391
प्रशासनिक खर्चे	21	882	1105
अचल परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास/प्रतिशोधन	8	508	612
योग :		**27592**	**41259**
कर पूर्व शुद्ध लाभ		**25223**	**6182**
घटाएं: बीएलएल के संचयी ऋणों का प्रावधान		**0**	**8416**
घटाएं: कर के लिए प्रावधान		**9837**	**2642**
आरक्षित एवं अधिशेष में कर पश्चात् शुद्ध लाभ		**15386**	**-4877**

तेउविबो के लिए और तेउविबो की ओर से

हस्ता/–	**हस्ता/–**
(कपिल वर्मा)	**(वर्षा सिन्हा)**
वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी	**सचिव**

दिनांक: 27.06.2024
स्थान: नई दिल्ली

अनुलग्नक ।।
(सन्दर्भ अनुसूची–11(ख))

सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों से 31 मार्च 2024 तक ऋणों के बकाये का विवरण

(रूपये लाख में)

क्रम. सं.	कम्पनी का नाम	01.04.2023 को आरंभिक शेष	वर्ष 2023–24 के दौरान संवितरित ऋण	वर्ष 2023–24 के दौरान वापस किए गए ऋण	31.03.2024 को अंतिम शेष
1	बीसीपीएल	19,669	15,138	1,209	33,598
2	बीएलएल	9,865	-	-	9,865
3	सीपीसीएल	12,500	-	5,000	7,500
4	गेल गैस लिमिटेड	29,783	-	4,550	25,233
5	गेल (इंडिया) लिमिटेड	89,375	70,000	12,500	1,46,875
6	एचपीसीएल	7,500	-	2,500	5,000
7	आईजीजीएल	10,000	56,000	-	66,000
8	एमआरपीएल	24,394	-	14,856	9,538
	कुल	**2,03,086**	**1,41,138**	**40,615**	**3,03,609**

अनुलग्नक III (क)
(सन्दर्भ अनुसूची–22)

वर्ष 2023–24 के दौरान अनुदान का भुगतान दर्शाने वाली तालिका

(रूपये लाख में)

क्रम. सं.		संस्थान का नाम	2023-24	2022-23
	क.	**नियमित अनुदानी संस्थान**		
1		हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय	16274	28936
2		पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ	749	3500
3		उच्च प्रौद्योगिकी संस्थान	2133	1490
4		पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ	2893	2588
5		तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय	3381	2617
		योग (क)	**25430**	**39131**
	ख.	अनुसंधान एवं विकास अनुदान		
		आईआईटी आईएसएम धनबाद	7	20
		योग (ख)	**7**	**20**
		योग (क+ख)	**25437**	**39151**

अनुलग्नक III (ख)
(सन्दर्भ अनुसूची–22)

भारत सरकार/ते.उ.वि.बो द्वारा प्रायोजित योजनाओं/परियोजनाओं पर वर्ष 2023–24 के दौरान व्यय

(रूपये लाख में)

क्रम. सं.		संस्थान का नाम	2023-24	2022-23
1		इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड	350	0
		कुल योग (ग)	**350**	**0**

तेल उद्योग विकास बोर्ड
31.03.2024 को समाप्त हुए वर्ष में प्राप्त आय और भुगतान

(रूपये लाख में)

प्राप्तियां	2023-24	2022-23	भुगतान	2023-24	2022-23
1. प्रारंभिक शेष			**1. खर्चें**		
क) नकद	0.00	0.01	क) स्थापना व्यय	265.98	321.46
ख) बैंक राशि			ख) प्रशासनिक व्यय	834.27	1,268.92
i) चालू खाता					
ii) जमा खाता			**2.विभिन्न परियोजना के लिए निधियों के विरूद्ध किया गया भुगतान**		
iii) बचत खाता	5,953.71	638.46			
			क) आईआईटी को अनुदान	6.50	20.25
			ख) आईएसपीआरएल को अनुदान	350	-
2. प्राप्त अनुदान	-	-	ग) ओएनजीसी को अनुदान	-	-
क) भारत सरकार से	-	-	घ) सीएचटी को अनुदान सहायता	2,122.38	1,486.77
ख) राज्य सरकार से	-	-	ड़) डीजीएच को अनुदान सहायता	16,274.00	27,327.00
ग) अन्य स्त्रोतों से (विवरण)	-	-	च) ओआईएसडी को अनुदान सहायता	3,381.00	2,612.90
			छ) पीसीआरए को अनुदान सहायता	749.00	3,489.70
			ज) पीपीएसी को अनुदान सहायता	2,893.19	2,588.12
			झ) आईओसीएल को अनुदान में सहायता	-	-
3. निवेश से आय					
क) स्थाई निवेश	6,53,888.42	6,07,341.00	**3. ऋण और एफडीआर में किया निवेश**	5,21,584.42	6,10,756.00
ख) स्वयं की पूंजी (अन्य निवेश)	40,615.00	83,731.38	क) स्थाई जमा	1,41,138.00	40,000.00
			ख) स्वयं की निधि में से (अन्य निवेश)		
4. प्राप्त ब्याज			**4. अचल संपतियों और पूंजीगत कार्य प्रगतित पर व्यय**		
क) बैंक जमा पर	-	-	क) अचल संपतियों की खरीद	15.15	0.99
ख) ऋण अग्रिम आदि	14,394.15	15,092.16	ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर व्यय	-	-
ग) बचत खाता	14.30	14.50			
घ) सावधि जमा पर	40,247.16	20,546.08			
			5. अधिशेष राशि /ऋण की वापसी		
			क) भारत सरकार को	-	-
5. अन्य आय			ख) राज्य सरकार को	-	-
क) किराए से आय	411.32	122.50	ग) अन्य प्रदाओं के लिए निधि	-	-
ख) स्थाई सम्पत्ति से	-	0.11			
ग) संस्थापन से	-	-	**6. वित्त प्रभार (ब्याज)**		
घ) प्रशासन से	-	-			
ड़) डेटा बिक्री से	-	2,100.00	**7. अन्य भुगतान**		
च) ऋण पूर्व भुगतान से प्रभार	-	262.28	क) व्यावसायिक प्रावधान	56,675.89	31,147.43
छ) ऋण समपरिवर्तन से प्रभार	-	-	ख) अन्य देयताएं	9,070.95	3,105.36
6. उधार राशि					
क) ऋण और अग्रिम	-	-	**8. शेष राशि**		
			क) नकद	0.10	0
7. अन्य प्राप्तियाँ			ख) बैंक बेलेंस		
क) व्यय ना किए गए अनुदान की वापसी	51.19	229.42	i) चालू खाता में	-	-
ख) अन्य विविध प्राप्तियां	-	0.74	ii) जमा खाता में	-	-
			iii) बचत खाता में	214.41	5,953.71
योग	7,55,575.24	7,30,078.62	**योग**	**7,55,575.24**	**7,30,078.62**

अध्याय–8

भारत के नियन्त्रक एवं महा लेखापरीक्षक की लेखा रिपोर्ट

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए तेल उद्योग विकास बोर्ड, नोएडा के लेखों पर भारत के नियन्त्रक एवं महा लेखा परीक्षक का पृथक लेखा प्रतिवेदन।

1. हमने, तेल उद्योग विकास बोर्ड के दिनांक 31 मार्च 2024 तक के तुलन पत्र तथा इसी तिथि को समाप्त वर्ष के आय तथा व्यय लेखों की लेखा परीक्षा, भारत के नियत्रंक और महा लेखा परीक्षक द्वारा तेल उद्योग विकास अधिनियम 1971 की धारा 20(2) के साथ पठित नियंत्रक महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियॉ तथा सेवा की शर्तों) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अन्तर्गत की है। जिसे तेल उद्योग विकास अधिनियम 1974 (तेउविबो नियम 1974) की धारा 20(2) के साथ पढ़ा जाए। इन वित्तीय विवरणियों को तैयार करने का उत्तरदायित्व ते.उ.वि.बो. के प्रबंधन का है हमारा उत्तरदायित्व इन वित्तीय विवरणियों पर लेखा परीक्षा के आधार पर अपना मत प्रस्तुत करना है।

2. इस पृथक, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में केवल वर्गीकरण, उत्तम लेखाकरण प्रथाओं के साथ अनुरूपता, लेखाकरण मानकों और प्रकटन मानकों आदि के संबंध में केवल लेखाकरण व्यवहार पर नियन्त्रक एवं महा लेखा परीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणियां शामिल हैं। कानून, नियमों एवं विनियमों (औचित्य एवं नियमित्तता) तथा दक्षता एवं निष्पादन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेन–देन पर लेखा परीक्षा अभियुक्तियां यदि कोई हो, निरीक्षण / प्रतिवेदनों / सीएंडएजी के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से अलग से सूचित की जाती है।

3. हमने, अपने लेखा परीक्षण, भारत में सामान्य रूप से लेखा परीक्षा मानकों के आधार पर किए हैं। इन मानकों के अनुसार हम लेखा परीक्षण इस प्रकार योजित एवं निष्पादित करते हैं ताकि इस बात से आश्वासित किया जा सके कि लेखा परीक्षण में कोई भी अयथार्थ विवरण नहीं है। एक लेखा परीक्षा में परीक्षण के आधार पर जांच मूल्यों से संबंधित प्रमाण तथा तालिका में उनका प्रकटन होना चाहिए। लेखा परीक्षण में प्रयुक्त लेखा परीक्षणों के सिद्धान्तों का मूल्यांकन करना तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों तथा वित्तीय कथनों के सम्पूर्ण प्रदर्शन का मूल्यांकन करना शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षण हमारी राय को एक उचित आधार प्रदान करते हैं।

4. लेखा परीक्षणों के आधार पर हमारी रिपोर्ट निम्नानुसार हैः–

(I) हमने, वह सभी सूचनाएं व स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारे लेखा परीक्षण के लिए आवश्यक थी।

(ii) इस रिपोर्ट में सम्मिलित तुलन–पत्र, आय एवं व्यय लेखा तथा तुलन पत्र में भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए प्रारूप के अनुसार तैयार किए गए हैं।

(iii) हमारी राय में जैसाकि हमारे निरीक्षण में लगा कि तेउविबो द्वारा उचित लेखा पुस्तिकाएं तथा संबंधित रिकार्ड अद्यतन किए जा रहे हैं।

(iv) हम आगे रिपोर्ट करते हैं किः

लेखों पर टिप्पणियां :

क. तुलनपत्र

1 परिसंपत्तियां निवेश – (अन्य) (अनुसूची 10) : 381257 लाख रुपये

क. चालू निवेश ऐसा निवेश है जो व्यावहार्यता के आधार के आसानी से प्राप्त किया जा सकता है और जिस तारीख को ऐसा निवेश किया जाता है, उससे एक वर्ष से अधिक समय तक नहीं रखा जाता है।

ख. दीर्घकालिक निवेश एक ऐसा निवेश है जो चालू निवेश से अलग है

ओआईडीबी ने 12 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि के लिए एफडीआर में 1,27,991 लाख रुपये की राशि का निवेश किया है। उपरोक्त निवेशित राशि को अनुसूची 11 के चालू परिसंपत्ति – सावधि जमा खाता (एफडीआर में) शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जा रहा है।

चूंकि 1,27,991 लाख रुपये की एफडीआर राशि एक वर्ष (365 दिनों से अधिक) के लिए निवेश की गई है, इसलिए यह चालू परिसंपत्ति का हिस्सा नहीं है और इसे अनुसूची 10 में उप शीर्ष ''अन्य'' के अंतर्गत ''निवेश'' में शामिल किया जाना चाहिए।

इस प्रकार, इसके परिणामस्वरूप चालू परिसंपत्तियों को अधिक तथा निवेश को 1,27,991 लाख रुपये कम दर्शाया गया।

2. सामान्य

ओआईडीबी ने मई / जून 2023 में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (पीसीआरए) नामक पूर्ववर्ती नियमित अनुदानी संस्था को 749 लाख रुपये का अनुदान वितरित किया है। हालांकि, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशों के अनुपालन में, पीसीआरए के विलय के लिए पीसीआरए की 497 लाख रुपये की देनदारियों को 08 जून 2023 को सीएचटी को हस्तांतरित कर दिया गया। इन देनदारियों के अलावा, पीसीआरए के लेखों में उपलब्ध 500 लाख रुपये (749 लाख रुपये – 249 लाख रुपये) का अप्रयुक्त अनुदान सीएचटी (जून 2023) को हस्तांतरित कर दिया गया। इसके अलावा, पीसीआरए द्वारा 08 जून 2023 को प्रदान किए गए उपयोगिता प्रमाण पत्र में भी पीसीआरए से सीएचटी को 500 लाख रुपये के अप्रयुक्त अनुदान के हस्तांतरण का तथ्य स्पष्ट किया हैं। तदनुसार, पीसीआरए से हस्तांतरित 500 लाख रुपये के अप्रयुक्त अनुदान को सीएचटी के नाम पर देय होना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ओआईडीबी ने वर्ष 2023–24 के अपने वित्तीय विवरणियों में पीसीआरए से सीएचटी को 500 लाख रुपये के अप्रयुक्त अनुदान के हस्तांतरण पर कोई प्रभाव नहीं दर्शाया है और पीसीआरए के लिए 749 लाख रुपये के कुल अनुदान (249 लाख रुपये के स्थान पर) को ही लिया है।

3. अनुदान सहायता

वर्ष 2023–24 के दौरान तेल उद्योग विकास बोर्ड को सरकार या सरकारी संस्थाओं से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई।

ख. प्रबंधन पत्र

जिन कमियों को ऑडिट रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपचारात्मक / सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी एक प्रबंधन पत्र के माध्यम से सचिव तेल उद्योग विकास बोर्ड के ध्यान में लाया गया है।

(v) पिछले अनुच्छेदों में, हमारे अवलोकन के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट के साथ दिए गए तुलन पत्र एवं आय एवं व्यय लेखों को लेखा–पुस्तिकाओं के अनुरूप तैयार किए गए हैं।

(vi) हमारी राय में व हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर कथित वित्तीय विवरणिकाओं जिन्हें उन पर दिए गए लेखा नीतियों व नोट के साथ पढ़ा जाए तथा इस पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के अनुलग्नक में उल्लिखित विषय भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुरूप है, और एक सत्य व निष्पक्ष राय प्रदान करते हैं।

(क) जहॉ तक यह दिनांक 31 मार्च 2024 को तेल उद्योग विकास बोर्ड के कार्यों पर आधारित तुलन पत्र से संबंधित हैं; और

(ख) जहां तक यह उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के आय एवं व्यय लेखों से संबंधित है, व्यय आय से अधिक है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए और की ओर से
(बीरेन डी. परमार)
महा निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा मुम्बई

स्थानः मुबंई
दिनांकः 25 सितम्बर 2023

अनुलग्नक
(अनुच्छेद एफ(v) के संदर्भ में)

1	आंतरिक लेखा परीक्षा की पर्याप्तता	ओआईडीबी ने सीएजी मानदंडों और आईसीएआई के लेखा मानकों के अनुसार खातों के निर्माण के लिए ओआईडीबी की सहायता और परामर्श सेवा प्रदान करने के लिए मैसर्स जगदीश चंद कंपनी, चार्टड अकाउंटेंट्स को नियुक्त किया है। कार्य क्षेत्र के अनुसार, मैसर्स जगदीश चंद कंपनी को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए ओआईडीबी का आंतरिक ऑडिट भी करना आवश्यक है।
2	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता	ओआईडीबी अपने अनुदानी संस्थानों को उनके वेतन और भत्ते तथा अन्य नियमित प्रशासनिक व्ययों को पूरा करने के लिए अनुदान जारी करता है। अनुदान के समुचित उपयोग की निगरानी के संबंध में, अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थानों को ओआईडीबी द्वारा तैयार किए गए निर्धारित प्रोफार्मा में अपनी मासिक मांग प्रस्तुत करनी होती है, जिसमें शीर्ष–वार स्वीकृत बजट तथा पिछले महीने तक किए गए व्यय और चालू महीने की मांग का विवरण शामिल होता है। सभी प्रस्ताव निर्धारित प्रोफार्मा में प्राप्त किए जाते हैं तथा अनुदान जारी करने से पहले शीर्ष–वार स्वीकृत बजट के संबंध में उनकी जांच की जाती है। इन विवरणों की जांच करने से ओआईडीबी यह सुनिश्चित कर पाता है कि बजटीय अनुदान से न तो अधिक व्यय किया गया हो और न ही निधियों बेकार पड़ी रहे, क्योंकि अनुदान जारी करना पिछले महीने तक जारी/उपयोग किए गए अनुदानों के उपयोग पर निर्भर करता है। वित्तीय वर्ष के अंत में, लेखापरीक्षित लेखा विवरणों के साथ जीएफआर निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्राप्त किए जाते हैं। इसके अलावा, सभी अनुदान प्राप्त करने वाले संगठनों के बजट अनुमानों को ओआईडी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाता है, जिसके बाद केंद्र सरकार का अनुमोदन मिलता है। इन संगठनों की प्रगति की समीक्षा भी उनके संबंधित प्रशासनिक परिषद/शासी निकाय/सुरक्षा परिषद आदि द्वारा नियमित रूप से की जा रही है। अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थाओं/अन्य संगठनों द्वारा किए गए कार्यों की भौतिक प्रगति का प्रमाण प्राप्त करने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को और अधिक मजबूत तथा औपचारिक बनाए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, ओआईडीबी अनुदान जारी करने के बाद, अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं/अन्य संगठनों से वार्षिक आधार पर उनके द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं की भौतिक प्रगति के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करता है। हालांकि, तीन (आईओसीएल की लैंजाटेंक, एमआरपीएल की बीएस–VI और आईएसपीआरएल की मैंगलोर और पादुर) परियोजनाओं को छोड़कर किए गए कार्यों की भौतिक प्रगति को ओआईडीबी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था और न ही अनुदानों के उचित उपयोग के तरीके की निगरानी के लिए कोई प्रभावी तंत्र विकसित किया गया है।

		ओआईडीबी में जनशक्ति की कमी और कुछ परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति के बारे में प्रबंधन के उत्तर को ध्यान में रखते हुए लेखापरीक्षा अभी भी इस विचार कर रहा है कि अनुदान प्राप्त करने वाले संगठनों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण की निगरानी ओआईडीबी द्वारा नहीं की जा रही है।
3	अचल संपत्तियों के वास्तविक सत्यापन की प्रणाली	संपत्तियों के वास्तविक सत्यापन और जीएफआर में परिभाषित निर्धारित प्रारूप में अचल संपत्ति रजिस्टर तैयार करने से संबंधित कार्य मैसर्स दीपक भार्गव एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को सौंपा गया था। वित्तीय वर्ष 2023–24 तक संपदा रजिस्टर को निर्धारित प्रारूप में तैयार किया गया है और संपत्ति का वास्तविक सत्यापन भी कर लिया गया है।
4	सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता	जैसा कि सूचित और रिपोर्ट किया गया है, ओआईडीबी द्वारा सभी करों और सांविधिक देय राशियों का भुगतान समय पर कर दिया गया है।

ह0/–
(बीरेन डी. परमार)
महा निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा,
मुबंई

ओआईडीबी के वित्तीय वर्ष 2023–24 के खातों पर सी एंड एजी की लेखा परीक्षण संबंधी टिप्पणियां और ओआईडीबी की ओर से दिए गए उत्तर

क्र.सं.	टिप्पणियां	प्रत्युतर
क.	**तुलनपत्र** **क.1 परिसंपत्तियां** **क. निवेश – अन्य (अनुसूची 10) : 3,81,257.00 लाख रुपये** लेखांकन मानक (एएस 13) के अनुसार – निवेशों के लिए लेखांकन क. चालू निवेश ऐसा निवेश है जो अपनी व्यवहार्यता के आधार पर आसानी से प्राप्त किया जा सकता है और जिस तारीख को ऐसा निवेश किया जाता है, उससे एक वर्ष से अधिक समय तक नहीं रखा जाता है। ख. दीर्घकालिक निवेश एक ऐसा निवेश है जो चालू निवेश से अलग है ओआईडीबी ने 12 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि के लिए एफडीआर में 1,27,991 लाख रुपये की राशि का निवेश किया है। उपरोक्त निवेशित राशि को अनुसूची 11 के चालू परिसंपत्ति – जमा खाता (एफडीआर में) शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जा रहा है। चूंकि 1,27,991 लाख रुपये की एफडीआर राशि एक वर्ष (365 दिनों से अधिक) के लिए निवेश की गई है, इसलिए यह चालू परिसंपत्ति का हिस्सा नहीं है और इसे अनुसूची 10 में उप शीर्ष ''अन्य'' के अंतर्गत ''निवेश'' में शामिल किया जाना चाहिए। इस प्रकार, इसके परिणामस्वरूप चालू परिसंपत्तियों को अधिक तथा निवेश को 1,27,991 लाख रुपये कम दर्शाया गया।	ओआईडीबी अपने खातों को व्यय विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2005 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 10(1) विविध/2005/ टीए/606 के तहत जारी केंद्रीय स्वायत निकायों के लिए खातों को सामान्य प्रारूप के अनुसार बनाये रखा है। सवधि जमा वित्तीय विवरणों की अनुसूची 11 के निर्धारित प्रारूप में बैंक बैलेंस शीर्षक, उपशीर्षक 'ऑन डिपॉजिट अकाउंटस' के अंतर्गत विशेष रूप से उल्लिखित चालू परिसंपत्तियों में शामिल है। अनुसूची 11 के निर्धारित प्रारूप में 'जमा खाते' शीर्षक के अंतर्गत जमा की अवधि को निर्दिष्ट नहीं किया गया है चूंकि वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति में उक्त प्रथा पिछले कई वर्षों से कायम है, इसलिए वर्ष 2023–24 के दौरान एफडीआर में निवेश को भी स्थिरता बनाए रखने के लिए अनुसूची 11 में दिखाया गया है। हालांकि, लेखापरीक्षा की टिप्पणियों को नोट कर लिया गया है और वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान आवश्यक लेखांकन में सुधार कर लिया जाएगा।
	1. सामान्य ओआईडीबी ने मई/जून 2023 में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (पीसीआरए) नामक पूर्ववर्ती नियमित अनुदानी संस्था को 749 लाख रुपये का अनुदान वितरित किया है। हालांकि, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशों के अनुपालन में, पीसीआरए के विलय के लिए पीसीआरए की 497 लाख रुपये की देनदारियों को 08 जून 2023 को सीएचटी को हस्तांतरित कर दिया गया	पीसीआरए के विलय के समय दिनांक 08.06.2023 को, पीसीआरए ने संबंधित देनदारियों के साथ 500 लाख रुपये की राशि सीएचटी को हस्तांतरित की थी। सीएचटी की लेखा पुस्तकों में इस राशि का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, साथ ही दिनांक 23.06.2023 की रिपोर्ट में भी सीएचटी द्वारा पीसीआरए का काम संभालने का उल्लेख किया गया है।

क्र.सं.	टिप्पणियां	प्रत्युतर
	है। इन देनदारियों के अलावा, पीसीआरए के लेखों में उपलब्ध 500 लाख रुपये (749 लाख रुपये – 249 लाख रुपये) का अप्रयुक्त अनुदान सीएचटी (जून 2023) को हस्तांतरित कर दिया गया है। इसके अलावा, पीसीआरए द्वारा 08 जून 2023 को प्रदान किए गए उपयोगिता प्रमाण पत्र में भी पीसीआरए से सीएचटी को 500 लाख रुपये के अप्रयुक्त अनुदान के हस्तांतरण का तथ्य स्पष्ट किया हैं। तदनुसार, पीसीआरए से हस्तांतरित 500 लाख रुपये के अप्रयुक्त अनुदान को सीएचटी के नाम पर माना जाना चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ओआईडीबी ने वर्ष 2023–24 के अपने वित्तीय विवरणियों में पीसीआरए से सीएचटी को 500 लाख रुपये के अप्रयुक्त अनुदान के हस्तांतरण पर कोई प्रभाव नहीं दर्शाया है और पीसीआरए के लिए 749 लाख रुपये के कुल अनुदान (249 लाख रुपये के स्थान पर) को ही लिया है।	सीएचटी को सलाह दी गई थी कि वे स्पष्ट रूपरेखा दर्शाने के लिए उपरोक्त विवरण के साथ अपने उपयोगिता प्रमाणपत्र को संशोधित करें, इस संबंध में सीएचटी से दिनांक 06.08.2024 को प्राप्त उपयोगिता प्रमाणपत्र में उपरोक्त विवरण स्पष्ट रूप से दर्शाए गए हैं। चूंकि यह पीसीआरए और सीएचटी के बीच का आपसी लेन–देन है और सीएचटी द्वारा अपनी लेखा पुस्तिका में आवश्यक लेखा–जोखा रखा गया है, इसलिए 500 लाख रुपये का प्रभाव सीएचटी और ओआईडीबी दोनों की लेखा पुस्तिक में नहीं दर्शाया जा सकता है। चूंकि यह पीसीआरए और सीएचटी के बीच का आपसी लेन–देन है, इसलिए इसका ओआईडीबी की लेखों पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।
ख.	**अनुदान सहायता** वर्ष 2023–24 के दौरान तेल उद्योग विकास बोर्ड को सरकार या सरकारी संस्थाओं से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई।	वास्तविक स्थिति।

अनुलग्नक
(अनुच्छेद 4(v) के संदर्भ में)

क्र.सं.	टिप्पणियां	प्रत्युतर
1.	**आंतरिक लेखा परीक्षा की पर्याप्तता** ओआईडीबी ने सीएजी मानदंडों और आईसीएआई के लेखा मानकों के अनुसार खातों के निर्माण के लिए ओआईडीबी की सहायता और परामर्श सेवा प्रदान करने के लिए मैसर्स जगदीश चंद कंपनी, चार्टड अकाउंटेंट्स को नियुक्त किया है। कार्य क्षेत्र के अनुसार, मैसर्स जगदीश चंद कंपनी को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए ओआईडीबी का आंतरिक ऑडिट भी करना आवश्यक है।	वास्तविक स्थिति
2.	**आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता** ओआईडीबी अपने अनुदानी संस्थानों को उनके वेतन और भत्ते तथा अन्य नियमित प्रशासनिक व्ययों को पूरा करने के लिए अनुदान जारी करता है। अनुदान के समुचित उपयोग की निगरानी के संबंध में, अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थानों को ओआईडीबी द्वारा तैयार किए गए निर्धारित प्रोफार्मा में अपनी मासिक मांग प्रस्तुत करनी होती है, जिसमें शीर्ष–वार स्वीकृत बजट तथा पिछले महीने तक किए गए व्यय और चालू महीने की मांग का विवरण शामिल होता है। सभी प्रस्ताव निर्धारित प्रोफार्मा में प्राप्त किए जाते हैं तथा अनुदान जारी करने से पहले शीर्ष–वार स्वीकृत बजट के संबंध में उनकी जांच की जाती है। इन विवरणों की जांच करने से ओआईडीबी यह सुनिश्चित कर पाता है कि बजटीय अनुदान से न तो अधिक व्यय किया गया हो और न ही निधियों बेकार पड़ी रहे, क्योंकि अनुदान जारी करना पिछले महीने तक जारी/उपयोग किए गए अनुदानों के उपयोग पर निर्भर करता है। वित्तीय वर्ष के अंत में, लेखापरीक्षित लेखा विवरणों के साथ जीएफआर निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्राप्त किए जाते हैं। इसके अलावा, सभी अनुदान प्राप्त करने वाले संगठनों के बजट अनुमानों को ओआईडी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाता है, जिसके बाद केंद्र सरकार की मंजूरी मिलती है। इन संगठनों की प्रगति की समीक्षा भी उनके संबंधित प्रशासनिक परिषद/शासी निकाय/सुरक्षा परिषद आदि द्वारा नियमित रूप से की जा रही है।	लेखापरीक्षा को सूचित किया गया है कि पिछले वर्ष के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तुरंत बाद अनुदान प्राप्तकर्ता संगठनों से खातों के लेखापरीक्षित विवरण के साथ जीएफआर निर्धारित प्रारूप में प्राप्त किए जाते हैं। प्राप्त उपयोगिता प्रमाणपत्रों की प्रति लेखापरीक्षा को भी उपलब्ध करा दी गई है। इस प्रकार, पिछले वर्ष के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए उचित प्रबंधन प्रणाली विद्यमान है। इसके अलावा, बोर्ड को अपनी सभी बैठकों में अनुदान के उपयोग के बारे में अवगत कराया जाता है। उपरोक्त के अलावा, इन संगठनों द्वारा की गई गतिविधियों को चित्रों के साथ ओआईडीबी की वार्षिक रिपोर्ट में भी शामिल किया जाता है। इन संगठनों की प्रगति की समीक्षा उनके संबंधित प्रशासनिक परिषद/शासी निकाय/सुरक्षा परिषद आदि द्वारा नियमित रूप से की जा रही है।

क्र.सं.	टिप्पणियां	प्रत्युतर
	अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थाओं/अन्य संगठनों द्वारा किए गए कार्यों की भौतिक प्रगति का प्रमाण प्राप्त करने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को और अधिक मजबूत तथा औपचारिक बनाए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, ओआईडीबी अनुदान जारी करने के बाद, अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं/अन्य संगठनों से वार्षिक आधार पर उनके द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं की भौतिक प्रगति के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करता है। हालांकि, तीन (आईओसीएल की लैंजाटेंक, एमआरपीएल की बीएस–VI और आईएसपीआरएल की मैंगलोर और पादुर) परियोजनाओं को छोड़कर किए गए कार्यों की भौतिक प्रगति को ओआईडीबी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था और न ही अनुदानों के उचित उपयोग के तरीके की निगरानी के लिए कोई प्रभावी तंत्र विकसित किया गया है। ओआईडीबी में जनशक्ति की कमी और कुछ परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति के बारे में प्रबंधन के उत्तर को ध्यान में रखते हुए लेखापरीक्षा अभी भी इस पर विचार कर रहा है कि अनुदान प्राप्त करने वाले संगठनों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण की निगरानी ओआईडीबी द्वारा नहीं की जा रही है।	
3.	**अचल संपत्तियों के वास्तविक सत्यापन एवं स्टॉक प्रविष्टियों की प्रणाली** संपत्तियों के वास्तविक सत्यापन और जीएफआर में परिभाषित निर्धारित प्रारूप में अचल संपत्ति रजिस्टर तैयार करने से संबंधित कार्य मैसर्स दीपक भार्गव एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को सौंपा गया था। वित्तीय वर्ष 2023–24 तक संपदा रजिस्टर को निर्धारित प्रारूप में तैयार किया गया है और संपत्ति का वास्तविक सत्यापन भी कर लिया गया है।	वास्तविक स्थिति
4.	**सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता** जैसा कि सूचित और रिपोर्ट किया गया है, ओआईडीबी द्वारा सभी करों और सांविधिक देय राशियों का भुगतान समय पर कर दिया गया है।	वास्तविक स्थिति

अध्याय–9

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड (आईएसपीआरएल) की वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखें

निदेशक मंडल

Jh i|d t t|u	v/;{k	(20.01.2022 l|)
Jh i|oh.k ,e- [k|u|tk	fun|'kd	(17.02.2023 l|)
l|Jh dkfeuh pk|gku jru	fun|'kd	(21.12.2022 l|)
l|Jh b|'kk JhokLro	fun|'kd	(22.12.2021 l|)
l|Jh o"kk| flUgk	fun|'kd	(15.12.2022 l|)
Jh ,y- vkj- t|u	e|[; dk;|dkjh vf/kdkjh ,o| i|c/k fun|'kd	(31.10.2022 l|)

अध्यक्ष

Jh idt tu

श्री पंकज जैन, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। आपको राष्ट्रीय और राज्य सरकारों में शासन के साथ–साथ नीति निर्माण और क्रियान्वयन में व्यापक अनुभव प्राप्त है। इसमें तेल और प्राकृतिक गैस, वित्तीय सेवाएं (बैंकिंग और संस्थागत वित्त), उद्योग, विद्युत, सूचना प्रौद्योगिकी, आजीविका और एमएसएमई के क्षेत्र शामिल हैं।

आपको पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र, बैंकों, विकास वित्त संस्थानों, बीमा कंपनियों, गैर–बैंकिंग वित्त कंपनियों, बीमा कंपनियों, गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थानों, एक गारंटी कंपनी और विनियामक/पर्यवेक्षी निकायों में बोर्ड में अध्यक्ष/निदेशक के रूप में व्यापक अनुभव प्राप्त है।

निदेशक

Jh ioh.k ,e- [kutk

श्री प्रवीण एम. खनूजा वर्तमान में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत हैं। आप केमिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक और मैनेजमेंट एंड सिस्टम्स में एम.टेक हैं। आप भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा (आईए एंड एएस) के 1994 बैच से हैं और आपने रक्षा लेखा परीक्षा, रेलवे लेखा परीक्षा, राज्य सरकार लेखा और लेखा परीक्षा में बहुत–से क्षेत्रों और सीएजी मुख्यालयों में विभिन्न पदों पर कार्य किया है।

आपने एफएओ, रोम; डब्ल्यूआईपीओ, जिनेवा; डब्ल्यूटीओ, स्पेन; जीएफएमडी, जिनेवा और यूनिटैड, जिनेवा की अनुपालन और कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा भी आयोजित की हैं। आप वर्ष 2018–2019 के दौरान जापान, थाईलैंड और तुर्की में विभिन्न एशियाई देशों के एसएआई अधिकारियों के लिए आईटी लेखापरीक्षा में मेंटॉर भी रहे हैं। आपने नेपाल, बांग्लादेश, ऑस्ट्रिया, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, पोलैंड, स्विट्जरलैंड और फ्रांस में विभिन्न द्विपक्षीय बैठकों और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत के सीएजी/भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया है।

आपने पूर्व में विभिन्न प्रतिनियुक्ति और प्रतिनियोजन समनुदेशों पर राजस्व विभाग और केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के लिए निदेशक (वित्त); स्टेट ऑडिट इंस्टीट्यूट, ओमान सल्तनत, मस्कट में विशेषज्ञ, केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो में अपर महानिदेशक और पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ के महानिदेशक के रूप में भी कार्य किया है।

निदेशक

l|Jh dkfeuh pk|gku jru

सुश्री कामिनी चौहान रतन, वर्ष 1997 बैच की उत्तर प्रदेश कैडर की आईएएस अधिकारी हैं। आप जेडीएमसी से कॉमर्स में स्नातक हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में बी.कॉम (पी) पाठ्यक्रम में टॉपर हैं। आपने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से एलएलबी और भोज ओपन यूनिवर्सिटी, भोपाल से एलएलएम भी किया है।

सेवा के शुरुआती वर्षों में आप आगरा, अयोध्या और लखनऊ में सब डिविजनल/ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रह चुकी हैं। आपने मेरठ में मुख्य विकास अधिकारी के रूप में कार्य किया है और जिले में कई विकास गतिविधियों की शुरुआत की है। अंतर–राज्यीय कैडर प्रतिनियुक्ति पर, उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार में सेवा की और महिला वित्त एवं विकास निगम, मध्य प्रदेश के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया। आपने सुल्तानपुर, बुलंदशहर, सहारनपुर, बागपत और मेरठ में कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य किया है। आपको भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा सर्वश्रेष्ठ जिला निर्वाचन अधिकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है।

आप उत्तर प्रदेश सरकार में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त, महानिरीक्षक (पंजीकरण) एवं स्टाम्प आयुक्त, आयुक्त (वाणिज्यिक कर) एवं आयुक्त (मनोरंजन कर) के पद पर विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है।

आपने उत्तर प्रदेश राज्य में महिला एवं बाल विकास विभाग में सचिव, सचिव (वित्त) और सचिव (ग्रामीण विकास) के रूप में कार्य किया है। आपने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को प्रधान स्टॉफ अधिकारी के रूप में भी सहायता प्रदान की है।

आपने उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव (उच्च शिक्षा) के रूप में कार्य किया है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

आप वर्तमान में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य कर रही हैं।

आप भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के बोर्ड में निदेशक के रूप में भी कार्य कर रही हैं।

निदेशक

l|Jh bl'kk JhokLro

सुश्री ईशा श्रीवास्तव, 2004 बैच की भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। आप वर्तमान में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रभाग की संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं।

भारत के विदेश मंत्रालय के अलावा, आप थिम्पू, पेरिस में भारतीय दूतावास, कोलंबो में भारतीय उच्चायोग और यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधिमंडल में भी अपनी सेवाएं प्रदान कर चुकी हैं।

सुश्री श्रीवास्तव, लेडी श्री राम कॉलेज, नई दिल्ली की पूर्व छात्रा हैं। आप दिल्ली विश्वविद्यालय से स्वर्ण पदक विजेता भी हैं।

आपका विवाह श्री कार्तिक पांडे से हुआ है, जो भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी भी हैं। आपके दो बच्चे हैं।

आप ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) के बोर्ड में निदेशक के पद पर भी कार्यरत हैं। आप ओवीएल में परियोजना मूल्यांकन समिति की अध्यक्ष और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता (सीएसआरएंडएस) समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सदस्य हैं।

निदेशक

l|Jh o"kkZ flUgk

सुश्री वर्षा सिन्हा एमए (राजनीति शास्त्र) और आपके पास पत्रकारिता एवं जनसंचार में पीजी डिप्लोमा, लोक प्रशासन में पीजी डिप्लोमा और एम.फिल (सामाजिक विज्ञान) की उपलब्धियां हैं।

भारत सरकार में सेवाभार ग्रहण करने से पहले, आपने लगभग चार वर्षों की अवधि के लिए पटना दूरदर्शन में उद्घोषक और कम्पेयर के रूप में कार्य किया। सुश्री सिन्हा ने ओडिसी नृत्य में नृत्य विशारद और नृत्य शिरोमणि भी प्राप्त किया है।

सुश्री वर्षा सिन्हा केंद्रीय सचिवालय सेवा की अधिकारी हैं। अपने ढाई दशक से अधिक के कैरियर के दौरान, आपने भारत सरकार में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। आपको भारत सरकार के विभिन्न विभागों जैसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, संस्कृति मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय (विदेश व्यापार महानिदेशालय) और दिल्ली विकास प्राधिकरण में कार्य करने का व्यापक अनुभव है। ओआईडीबी में सेवाभार ग्रहण करने से पहले, आप भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत थीं और स्थापना अधिकारी प्रभाग, सूचना का अधिकार अधिनियम, केंद्रीय सचिवालय सेवा, केंद्रीय सूचना आयोग और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य संभाल रही थीं।

आपने 1 दिसंबर, 2022 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तेल उद्योग विकास बोर्ड में सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया और आईएसपीआरएल के बोर्ड में निदेशक, डीजीएच की प्रशासनिक परिषद के सदस्य, पीपीएसी, ओआईएसडी, सीएचटी की शासी परिषद/निकाय में सदस्य और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की हाइड्रोकार्बन संबंधी वैज्ञानिक सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य कर रही हैं।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक

Jh ,y- vkj- tSu

श्री एल.आर. जैन 31 अक्टूबर, 2022 से इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (आईएसपीआरएल) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक (सीईओ और एमडी) हैं। आईएसपीआरएल भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक विशेष प्रयोजन व्हीकल है और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन ओआईडीबी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसे विशेष रूप से देश के लिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स के निर्माण और संचालन के लिए बनाया गया है।

आप बीआईटीएस पिलानी से मैकेनिकल इंजीनियर हैं और एसपीजेआईएमआर से एमबीए (पीजीईएमपी) हैं और आप भारत की प्रमुख तेल विपणन कंपनी बीपीसीएल में परियोजनाओं के निष्पादन, क्रॉस कंट्री पाइपलाइनों और पीओएल अधिष्ठापनों की खरीद और संचालन में चार दशकों से अधिक का विशाल अनुभव रखते हैं।

आईएसपीआरएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले, आप प्रभारी कार्यकारी निदेशक के रूप में बीपीसीएल के विपणन प्रभाग की इंजीनियरिंग और परियोजना (ईएंडपी) इकाई का नेतृत्व कर रहे थे और देश भर में ग्रीन फील्ड एलपीजी बॉटलिंग प्लांट्स/विमानन स्टेशन/पीओएल टर्मिनल/तटीय क्रायोजेनिक सुविधाओं/2जी/1जी इथेनॉल रिफाइनरी सहित परियोजनाओं के निष्पादन के लिए जिम्मेदार थे।

श्री जैन ने वर्ष 2019 से कांडला–गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन लगाने के लिए आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल के संयुक्त उद्यम मैसर्स आईएचबी के निदेशक का पद भी संभाला और इस परियोजना का नेतृत्व किया, जो भली–भांति प्रगति पर है।

बीपीसीएल में आपके द्वारा संभाले गए अन्य नेतृत्व पदों में कार्यकारी निदेशक (सीपीओ) के रूप में बीपीसीएल के विपणन प्रभाग के केंद्रीय खरीद संगठनों का नेतृत्व करना शामिल है, जो इथेनॉल सहित लगभग ₹ 8000 करोड़ मूल्य के गैर–हाइड्रोकार्बन माल और सेवाओं की खरीद के लिए जिम्मेदार है। आपने बीपीसीएल के पाइपलाइन प्रभाग का भी नेतृत्व किया, जो बीपीसीएल के लगभग 3000 किलोमीटर पाइपलाइन नेटवर्क के संचालन और विभिन्न ग्रीनफील्ड क्रॉस कंट्री पाइपलाइन परियोजनाओं के निष्पादन के लिए जिम्मेदार है।

e[; dk;dkjh vf/kdkjh ,o ic/k fun'kd

श्री एल. आर. जैन

diuh lfpo

सुश्री शिल्पी मोहंती

lkfof/kd y[kk ijh{kd

प्रसाद आजाद एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट

lfpokyh; y[kk ijh{kd

पीजी एंड एसोसिएट्स,
कंपनी सचिव

cdj

;fu;u cd vkQ bfM;k
एम–41, कनॉट सर्कस,
नई दिल्ली–110 001

ith—r dk;ky;

301, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तीसरी मंजिल, बाबर रोड, नई दिल्ली–110 001
दूरभाषः 011–23412278

i'kklfud dk;ky;

ओआईडीबी भवन, तीसरी मंजिल, प्लॉट नंबर 2, सेक्टर–73, नोएडा–201 301, उत्तर प्रदेश
दूरभाष : 91–120–2594661, फ़ैक्स नंबर : 91–120–2594643
वेबसाइट : www.isprlindia.com
ईमेल : isprl@isprlindia.com

fo'kk[kkiÏkue ifj;kstuk dk;ky;

लोवागार्डन, एचएसएल फैब्रिकेशन यार्ड के पीछे,
गांधीग्राम डाकघर, विशाखापत्तनम – 530 005

exyksj ifj;kstuk dk;ky;

चंद्रहास नगर, कलावर डाकघर, बाजपे वाया,
मंगलुरु–574 142

iknj ifj;kstuk dk;ky;

डाकघरः पादुर, वाया कापू, जिला उडुपी – 574 106, कर्नाटक

निदेशकों की रिपोर्ट

l ok e]
'k;j/kkjdx.k]
bfM;u LVkVft d iVkfy;e fjt0lI fyfeVM

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल को 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के कार्यकरण पर 20वीं वार्षिक रिपोर्ट, और उसके साथ लेखापरीक्षित लेखा विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है।

I. foÙkh; ifj.kke

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपकी कंपनी के वित्तीय परिणामों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :

(₹ yk[k e)

Øe l-	fooj.k	31 ekp] 2024	31 ekp] 2023
1	सकल अचल परिसंपत्ति (मूर्त और अमूर्त) घटाएँः – संचित मूल्यह्रास	3,73,773.71 68,404.72	3,73,759.79 58,502.71
fuoy vpy ifjlifÙk		**3,05,368.99**	**3,15,257.08**
2 3	कुल गैर–चालू परिसंपत्तियाँ कुल चालू परिसंपत्तियाँ	27,007.06 34,798.82	29,892.89 5,113.85
dqy ifjlifÙk (1+2+3)		**3,67,174.87**	**3,50,263.82**
4 5 6	संचित हानि सहित कुल इक्विटी कुल गैर–चालू देयताएँ कुल चालू देयताएँ	3,06,967.08 582.04 59,625.75	3,15,837.02 572.08 33,854.72
dqy n;rk,i (4+5+6)		**3,67,174.87**	**3,50,263.82**
ykHk vkSj gkfu [kkrs dh enа			
Øe l-	fooj.k	31 ekp] 2024	31 ekp] 2023
1 2	प्रचालन से राजस्व अन्य आय	1,047.74 14,532.98	205.81 14,966.21
(d) dqy vk; (1+2)		**15,580.72**	**15,172.02**
3 4	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय (मूल्यह्रास को छोड़कर)	9,902.36 14,548.30	9,943.14 14,930.26
([k) dqy 0;; (1+2)		**24,450.66**	**24,873.40**
vof/k dk fy, fuoy gkfu ¼d&[k½		**-8,869.94**	**-9,701.38**
pj.k II ¼ifj;kstuk vkSj 0;;½			
Øe l-	fooj.k	31 ekp] 2024	31 ekp] 2023
1	ifj;kstuk&iwoZ xfrfof/k ds fy, %& वर्ष के दौरान प्राप्त कुल अनुदान (निवल आधार पर)	298.81	शून्य
2	संदेय राशि के प्रावधान सहित वर्ष के दौरान किया गया कुल व्यय	शून्य	314.15

Øe l-	fooj.k	31 ekpZ 2024	31 ekpZ 2023
3	Hkkfe [kjhn gsrq %& वर्ष के दौरान प्राप्त कुल अनुदान (निवल आधार पर)	शून्य	शून्य
4	संदेय राशि के प्रावधान सहित वर्ष के दौरान किया गया कुल व्यय	7,821.29	4.17
eSxykSj ,e,lbZtsM esa pj.k-I foLrkj ¼ikfIr;ka vkSj 0;;½			
Øe l-	fooj.k	31 ekpZ 2024	31 ekpZ 2023
1	Hkkfe [kjhn gsrq %& भूमि के लिए अग्रिम सहित वर्ष के दौरान प्राप्त कुल अनुदान (निवल आधार पर)	4,000.00	शून्य
2	वर्ष के दौरान किया गया कुल व्यय	**2,069.39**	**200.00**

II. dk;Z&fu"iknu fooj.k

d. iLrkouk

भारत सरकार (जीओआई) ने देश की ऊर्जा सुरक्षा के स्ट्रेटेजिक उद्देश्य को पूरा करने के हित में, 7 जनवरी, 2004 को तीन स्थानों पर 5 एमएमटी के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स (एसपीआर) बनाने का निर्णय लिया और कच्चे तेल के स्ट्रेटेजिक भंडार के निर्माण और संचालन के लिए एक विशेष प्रयोजन व्हीकल (एसपीवी) बनाने का गठन किया। चूंकि भारत विकास के लिए आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करने और अपने नागरिकों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कच्चे तेल के आयात पर बहुत अधिक निर्भर है, इसलिए इन एसपीआर की परिकल्पना, विशेष रूप से बाहरी कारणों से आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बफर के रूप में की गई थी। असाधारण परिस्थितियों में, कच्चे तेल के बफर स्टॉक का उपयोग वैश्विक तेल की कीमतों में असामान्य वृद्धि के प्रभाव को आंशिक रूप से कम करने के लिए किया जा सकता है।

एसपीवी, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (आईएसपीआरएल) का गठन आरम्भ में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कंपनी के रूप में किया गया था, जो 09.05.2006 को तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई।

पादुर के भूमिगत कच्चे तेल भंडारण का रॉक कैवर्न का दृश्य

5.03 एमएमटी क्षमता के एसपीआर के निर्माण की प्रारंभिक लागत का वित्तपोषण ओआईडीबी द्वारा किया गया था और आईएसपीआरएल की इक्विटी की समतुल्य राशि ओआईडीबी को अंतरित की गई थी। विशाखापत्तनम में 0.3 एमएमटी क्षमता की अतिरिक्त कैवर्न का निर्माण किया गया था, जिसे एचपीसीएल द्वारा वित्तपोषित किया गया था। विशाखापत्तनम (1.03 + 0.03 एमएमटी), मैंगलोर (1.5 एमएमटी) और पादुर (2.5 एमएमटी) में कैवर्न का निर्माण वर्ष 2015–2017 के दौरान पूरा किया गया था। ये सुविधाएं वर्ष 2015 से 2018 के दौरान चालू की गईं।

एसपीआर में कच्चे तेल (4.28 एमएमटी) को भरने के लिए भारत सरकार द्वारा निधियां उपलब्ध कराई गईं और एसपीआर के वार्षिक संचालन और अनुरक्षण (ओएंडएम) के लिए अनुदान भी दिया गया।

भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 फरवरी, 2019 को इन एसपीआर को राष्ट्र को समर्पित किया।

[k. ,Mukd d: lkFk djkj

अवसंरचना संबंधी समिति (सीसीआई) और सीसीईए के निर्देशों के अनुसार, एसपीआर में भरे जाने वाले कच्चे तेल की आंशिक लागत के वित्तपोषण के लिए वैकल्पिक मॉडल तलाशने के प्रयास किए गए। 25 जनवरी, 2017 को आईएसपीआरएल और एडनोक के बीच तेल भंडारण और प्रबंधन पर एक नियत करार पर हस्ताक्षर किए गए। करार के अनुसार, एडनोक द्वारा मैंगलोर के कैवर्न–ए को 5.86 मिलियन बैरल डीएएस ग्रेड कच्चे तेल से भरा गया। एडनोक को आईएसपीआरएल द्वारा स्ट्रेटेजिक उपयोग के लिए न्यूनतम 50% भंडारण क्षमता बनाए रखना आवश्यक है। शेष 50% भंडारण क्षमता एडनोक के पास वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध होगी।

डीजीएफटी द्वारा 23 मार्च, 2024 को आईएसपीआरएल मैंगलोर कैवर्न–ए से कच्चे तेल के पुनः निर्यात की अनुमति देते हुए अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना के अनुसार एएमआई (एडनोक मार्केटिंग इंटरनेशनल (इंडिया) आरएससी लिमिटेड इंडिया) को एसटीई शर्तों से छूट दी गई है और उन्हें मैंगलोर एसपीआर में अपने वाणिज्यिक भंडार से अपने स्वयं के खर्च पर कच्चे तेल का पुनः निर्यात करने की अनुमति है। इसके बाद, मैसर्स एडनोक को पुनः निर्यात की अनुमति देने के लिए मैसर्स एडनोक के साथ एक साइड लेटर करार पर हस्ताक्षर किए गए।

x. vkf'kd 0;olk;hdj.k

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 जुलाई, 2021 को आयोजित कैबिनेट बैठक के दौरान आईएसपीआरएल के व्यावसायीकरण का अनुमोदन दिया, जिसमें आईएसपीआरएल को एसपीआर कार्यक्रम के चरण–I के तहत कैवर्न में संग्रहीत कच्चे तेल के साथ आंशिक वाणिज्यिक गतिविधियां करने की अनुमति दी गई, जिसमें आईएसपीआरएल को एसपीआर क्षमता का 30% किराए/पट्टे पर देने और एसपीआर क्षमता का 20% कच्चे तेल की बिक्री/खरीद के लिए उपयोग करने की अनुमति दी गई।

आंशिक व्यावसायीकरण की दिशा में पहले कदम के रूप में, आईएसपीआरएल ने 19 जनवरी, 2024 से विशाखापत्तनम में एचपीसीएल को 300 टीएमटी (2.17 मिलियन बीबीएल) कैवर्न क्षमता किराए पर देने के लिए एचपीसीएल के साथ एक करार किया है। 7 फरवरी, 2024 को गोवा में आईईडब्ल्यू 2024 में आईएसपीआरएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक तथा एचपीसीएल के कार्यकारी निदेशक (आईटी) द्वारा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव, आईडीबी के सचिव, एचपीसीएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा आईएसपीआरएल एवं एचपीसीएल के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण की उपस्थिति में एक औपचारिक करार पर हस्ताक्षर किए गए। पट्टे पर दी गई क्षमता का उपयोग एचपीसीएल द्वारा बसरा मीडियम क्रूड ऑयल के भंडारण के लिए किया जाएगा। किसी आपात स्थिति में, इस कच्चे तेल के उपयोग पर भारत सरकार का पहला अधिकार होगा। इसके साथ ही आईएसपीआरएल ने आत्मनिर्भरता की दिशा में पहला कदम उठाते हुए राजस्व अर्जित करना शुरू कर दिया है।

07.02.2024 को आईईडब्ल्यू गोवा में एचपीसीएल के साथ कैवर्न–ए विशाखापत्तनम को किराए पर देने के लिए करार पर हस्ताक्षर

?k. ,lihvkj dk ipkyu

आपकी कंपनी ने अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं। विशाखापत्तनम, मैंगलोर और पादुर में एसपीआर के संचालन और अनुरक्षण के संबंध में मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:

i. fo'kk[kkiÙkue ¼HkaMkj.k {kerk% 1-33 ,e,eVh½

विशाखापत्तनम कैवर्न को वर्ष 2015 में चालू किया गया था। इस सुविधा में दो कम्पार्टमेंट – कैवर्न ए (1.03 एमएमटी) और कैवर्न बी (0.3 एमएमटी) हैं। कैवर्न ए स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल के लिए है और इसे भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों से भरा जाता है। एचपीसीएल ने आनुपातिक लागत साझाकरण के आधार पर कैवर्न बी को स्वयं अध्यासित कर लिया है। इसका उपयोग एचपीसीएल द्वारा विशाखापत्तनम में अपने रिफाइनरी संचालन के लिए नियमित रूप से किया जा रहा है।

इस वर्ष कोई एलटीए (लॉस टाइम एक्सीडेंट) की सूचना नहीं मिली। एसपीआर पर जल आच्छादन स्तर की निरंतर निगरानी और पुनःपूर्ति करके एसपीआर के 24/7 संचालन को सुनिश्चित किया गया। एसपीआर की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए सम्पूर्ण स्टेशन में बोरहोल लॉग की हाइड्रोलॉजिकल निगरानी की गई। निवारक अनुरक्षण गतिविधियाँ तय समय के अनुसार आयोजित की गईं। आपात स्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए आईएसपीआरएल द्वारा आपसी सहायता सदस्यों और वैधानिक प्राधिकरणों के साथ मॉक ड्रिल आयोजित की गई। जिला अधिकारियों के समन्वय और उप अग्निशमन मुख्य निरीक्षक विशाखापत्तनम की उपस्थिति में 2 फरवरी, 2024 को आपदा नियंत्रण प्रबंधन योजना (डीसीएमपी) मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया।

आईएसपीआरएल विशाखापत्तनम को 19.01.2024 को कैवर्न ए में 300 टीएमटी क्षमता को पट्टे/किराए पर देने के लिए एचपीसीएल के बसरा मीडियम क्रूड की पहली खेप प्राप्त हुई।

आईएसपीआरएल विशाखापत्तनम में आपदा नियंत्रण प्रबंधन मॉक ड्रिल का दृश्य

- येरदा समुद्रतट पर "स्वच्छता पखवाड़ा विशेष अभियान 3.0" समुद्रतट सफाई के लिए विशाल गतिविधि का आयोजन किया गया
- आईएसपीआरएल, विशाखापत्तनम परिसर के अंदर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से "रक्तदान शिविर" का आयोजन किया गया।
- आईएसपीआरएल विशाखापत्तनम में सुरक्षा प्रदान करने वाले आईटीबीपी के जवानों को आवास के लिए आरआईएनएल विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के टाउनशिप क्वार्टर में स्थानांतरित किया गया। इससे पहले उन्हें पट्टा किराए के आधार पर पुराने कॉलेज भवन में आवास दिया जा रहा था। आवास के इस स्थानांतरण के परिणामस्वरूप प्रति वर्ष किराये के भुगतान में लगभग 50 लाख की बचत हुई है।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस पर संसदीय स्थायी समिति ने माननीय सांसद श्री रमेश बिधूड़ी की अध्यक्षता में 16.01.2024 को आईएसपीआरएल, विशाखापत्तनम साइट का दौरा किया। समिति के सदस्यों ने आईएसपीआरएल संयंत्र सुविधाओं का दौरा किया और आईएसपीआरएल टीम के समर्पित प्रयासों की सराहना की।

16.01.2024 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस संबंधी संसदीय स्थायी समिति का दौरा का दृश्य

आईएसपीआरएल विशाखापत्तनम में संसदीय स्थायी समिति के सदस्य का दृश्य

विशाखापत्तनम में आईएसपीआरएल की टीम का दृश्य

ii. e¡xyksj ¼HkkMkj.k {kerk% 1-5 ,e,eVh½

मैंगलोर कैवर्न सुविधा मैंगलोर एसईजेड क्षेत्र में स्थित है। सुविधा में 0.75 एमएमटी क्षमता की दो कैवर्न हैं।

मैंगलोर कैवर्न–बी को अक्टूबर, 2016 माह में चालू किया गया था। मैंगलोर के कैवर्न–ए को भरने के लिए एडनोक के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। मैंगलोर के लिए कच्चे तेल की पहली वीएलसीसी शिपमेंट को 12 मई, 2018 को माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री द्वारा अबू धाबी से हरी झंडी दिखाई गई और 19 मई, 2018 को आईएसपीआरएल मैंगलोर में प्राप्त किया गया।

इस वर्ष कोई एलटीए (हानि समय दुर्घटना) की सूचना नहीं मिली। एसपीआर पर जल आच्छादन स्तर की लगातार निगरानी और पुनःपूर्ति करके एसपीआर का 24/7 संचालन सुनिश्चित किया गया। एसपीआर की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए नियमित हाइड्रोजियोलॉजिकल निगरानी और बोर होल से पानी का नमूना लिया गया। निवारक अनुरक्षण गतिविधियाँ निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की गईं।

आईएसपीआरएल टीम ने 42′′ क्रूड पाइपलाइन के लगभग 90 मीटर आरओयू की मरम्मत का कार्य पूरा कर लिया है, जो वर्ष 2023 के मानसून के दौरान मैंगलोर में भारी वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था।

vkbZ,lihvkj,y e¡xyksj us y?kq m|kx J¡.kh e¡ jkT; Lrjh; lqj{kk iqjLdkj e¡ nwljk LFkku ikIr fd;kA

- 4 मार्च से 10 मार्च, 2024 राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह अभियान–2024 तक चलाया गया।
- 11 से 17 जनवरी, 2024 तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान मनाया गया।

- सभी कर्मचारियों के लिए सड़क सुरक्षा प्रश्नोत्तरी, पोस्टर मेकिंग और सुरक्षात्मक ड्राइविंग तकनीक प्रशिक्षण जैसी जागरूकता प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण का दृश्य

आईएसपीआरएल मैंगलोर में डीसीएमपी ड्रिल

iii. iknj ¼HkkMkj.k {kerk % 2-5 ,e,eVh½

पादुर परियोजना के लिए, उडुपी जिले के पादुर गांव में कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलेपमेंट बोर्ड (केआईएडीबी) के माध्यम से 179 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था। यह आईएसपीआरएल द्वारा निष्पादित सबसे बड़ी परियोजना है और इसे दिसंबर, 2018 में चालू किया गया था।

चालू वर्ष के दौरान :–

- पादुर टीम ने फरवरी, 2024 में बाह्य सुरक्षा लेखापरीक्षा (संयंत्र सुरक्षा और विद्युत सुरक्षा) सफलतापूर्वक पूरा की।
- विद्युत सुरक्षा सप्ताह (जून, 26 से जुलाई, 2, 2023) के दौरान आईएसपीआरएल पादुर साइट पर सभी संयंत्र कर्मचारियों के लिए विद्युत सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- पादुर टीम ने घरेलू संसाधनों के माध्यम से बाढ़ के दौरान जलमग्न दो प्रमुख डीवाटरिंग मोटरों की ओवरहालिंग का कार्य पूरा किया। आउटसोर्सिंग लागत बचाने के लिए मरम्मत कार्य आंतरिक ओ एंड एम इलेक्ट्रिकल टीम द्वारा किया गया।

इस वर्ष कोई एलटीए (हानि समय दुर्घटना) की सूचना नहीं मिली। एसपीआर पर जल आच्छादन स्तर की लगातार निगरानी और पुनःपूर्ति करके एसपीआर का 24/7 संचालन सुनिश्चित किया गया। एसपीआर की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए हाइड्रोजियोलॉजिकल और बोर होल की निगरानी की गई। निवारक अनुरक्षण गतिविधियाँ निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की गईं।

पादुर कैवर्न में निष्क्रिय परिवेश बनाए रखने के लिए प्रयुक्त नाइट्रोजन वाहिकाएं

3. bfM;k ,uth ohd ¼vkbbMCY;½ 2024] xkok

आईएसपीआरएल ने 11 से 14 फरवरी, 2024 तक गोवा में आयोजित इंडिया एनर्जी वीक (आईईडब्ल्यू) में भाग लिया। आईएसपीआरएल ने पहली बार आईईडब्ल्यू कार्यक्रम में अपना स्वयं का स्टॉल लगाया। भारत और दुनिया भर में विभिन्न तेल कंपनियों और संबद्ध विक्रेताओं के कई वरिष्ठ प्रतिनिधियों और गणमान्य व्यक्तियों ने आईएसपीआरएल स्टॉल का दौरा किया और एसपीआर के उद्देश्य और प्रक्रिया को समझने में रुचि ली। एसपीआर का एक मॉडल वर्चुअल थ्री डी वॉकथ्रू के साथ प्रदर्श–पटल पर रखा गया था, जिसे आगंतुकों ने काफी सराहा।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव श्री पंकज जैन का आईएसपीआरएल स्टॉल आईईडब्ल्यू 2024, गोवा में स्वागत

सुश्री ईशा श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव (आईसी), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा आईईडब्ल्यू 2024, गोवा में आईएसपीआरएल स्टॉल का दौरा

आईईडब्ल्यू 2024, गोवा में आईएसपीआरएल स्टॉल पर माननीय राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली

आईईडब्ल्यू 2024, गोवा में आईएसपीआरएल की टीम

p. ekuuh; jkT; ea=h] Jh jkes'oj rsyh dk vkbl,lihvkj,y eq[;ky;] uks,Mk dk nkSjk

माननीय राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली का क्रूड ऑयल कैवर्न के मॉडल से परिचय

ओआईडीबी भवन में योग दिवस समारोह का दृश्य

N. vkbZ,lihvkj,y dh tkjh ifj;kstukvksa dh fLFkfr

i. <u>iknqj] ftyk mMqih] dukZVd esa pj.k&II ds rgr 2-5 ,e,eVh dk LVªsVsftd isVªksfy;e HkaMkj</u>

पादुर परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए, आईएसपीआरएल ने नवंबर 2020 में केआईएडीबी को भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता प्रस्तुत की। केआईएडीबी ने 22 फरवरी, 2023 को 214.79 एकड़ पादुर भूमि के लिए अंतिम राजपत्र अधिसूचना जारी की है और इसे 24 मार्च, 2023 को प्रेस में प्रकाशित किया गया है। भूमि के लिए आईएसपीआरएल द्वारा केआईएडीबी को कुल ₹176 करोड़ का भुगतान किया गया है। केआईएडीबी डीसी, उडुपी के परामर्श से आर एंड आर पैकेज और भूस्वामियों को मुआवजे को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

पादुर में एसपीएम के लिए समुद्री सर्वेक्षण, मॉडलिंग और अपतटीय पाइपलाइन मार्ग सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। पादुर में एसपीएम के लिए डीएफआर का कार्य पूरा हो गया है।

मैसर्स डेलॉइट टौचे को आरएफपी तैयारी के लिए लेनदेन सलाहकार और पीपीपी मॉडल के लिए आवश्यक चरण II के रियायती करार की तैयारी के लिए कानूनी सलाहकार मैसर्स एजेडबी साझेदार के रूप में नियुक्त किया गया है। सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड डीबीएफओ आधार पर पादुर चरण II के लिए आरएफपी 21 फरवरी, 2024 को जारी किया गया था।

ii. <u>pkanh[kksy] ftyk tktiqj] vksfM'kk esa pj.k&II ds rgr 4-0 ,e,eVh dk LVªsVsftd isVªksfy;e fjtoZ</u>

ईआईएल द्वारा डीएफआर अध्ययन पूरा होने के बाद, 4 एमएमटी क्षमता की एसपीआर सुविधाएं स्थापित करने के लिए चांदीखोल में 400 एकड़ भूमि के आवंटन के लिए आईएसपीआरएल द्वारा 30 सितंबर, 2019 को एक आवेदन ओडिशा सरकार को प्रस्तुत किया गया था। भूमि आवेदन के मूल्यांकन के बाद ओडिशा सरकार ने आईएसपीआरएल को चांदीखोल, ओडिशा के पास एक वैकल्पिक स्थान की संभावना तलाशने की सलाह दी।

वैकल्पिक साइटों का मूल्यांकन करने के लिए 23 और 24 मई, 2023 को ईआईएल और आईएसपीआरएल के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा साइट का एक संयुक्त दौरा किया गया।

आईएसपीआरएल ने मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के माध्यम से डेस्कटॉप अध्ययन किया और सेटेलाइड चित्रों की समीक्षा की और जाजपुर के पास माझीफाड़ा पहाड़ियों के पास स्थान की पहचान की। उपरोक्त स्थान के लिए एएसआई सर्वेक्षण किया गया है और रिपोर्ट ओडिशा सरकार को सौंपी गई है।

iii. eaxykj e pj.k&I foLrkj d fy, ,e,lbtM,y e Hkfe vf/kxg.k

डेलिगेटेड इंवेस्टेड बोर्ड (डीआईबी) ने 17.02.2023 को मैंगलोर एमएसईजेडएल में एसपीआर और संबंधित सुविधाओं के निर्माण के लिए मैंगलोर स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एमएसईजेडएल) से इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (आईएसपीआरएल) द्वारा भूमि (154.9 एकड़) के अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आईएसपीआरएल ने 17 मार्च, 2023 को एमएसईजेडएल क्षेत्र मैंगलोर में 154.90 एकड़ भूमि के प्लॉट आकार के लिए एमएसईजेडएल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

ईआईएल को उपरोक्त साइट के लिए विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। स्थलाकृति और हाइड्रोजियोलॉजिकल सर्वेक्षण पूरे हो चुके हैं और मैंगलोर में 1.5 से 2 एमएमटी क्षमता वाले कैवर्न्स के चरण । विस्तार की स्थापना के लिए डीएफआर के लिए डाटा एकत्र किया गया है।

iv. ubl ifj;ktukvk d fy, ih,Qvkj@Mh,Qvkj

बीकानेर में कच्चे तेल के भंडारण के लिए साल्ट कैवर्न्स के निर्माण के लिए डीएफआर अध्ययन, बीना में सामरिक भंडार के लिए पीएफआर तथा मैंगलोर और पादुर में भूमि के ऊपर भंडारण टैंक के लिए पीएफआर अध्ययन करने की परिकल्पना की गई है। आईएसपीआरएल और ईआईएल अधिकारियों की एक टीम ने फरवरी, 2024 में बीकानेर के पास संभावित साल्ट कैवर्न्स के लिए साइट का दौरा किया।

t. vkVhVhlhvk d lkFk leÖkkrk&Kkiu

25 जून, 2023 को भूमि के ऊपर भंडारण टैंकों के निर्माण के लिए व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए आईएसपीआरएल द्वारा ओटीटीसीओ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

III. ykHkka'k

आपके निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए किसी लाभांश की अनुशंसा नहीं की है।

IV. vkjf{kr fuf/k;ksa dk varj.k

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान हुई हानि को 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की आरक्षित निधि में अंतरित कर दिया गया है।

V. lkoZtfud tek

कंपनी ने 31 मार्च, 2024 तक जनता से किसी भी सावधि जमा को आमंत्रित, स्वीकार या नवीनीकृत नहीं किया है और तदनुसार, उसके संबंध में कोई मूलधन या ब्याज बकाया नहीं है।

VI. ys[kkijh{kk lfefr

बोर्ड ने लेखापरीक्षा समिति का गठन किया है। 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार लेखापरीक्षा समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे:

1.	श्री प्रवीण एम. खनूजा, अपर सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय/निदेशक, आईएसपीआरएल	:	अध्यक्ष
2.	सुश्री कामिनी चौहान रतन, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय/निदेशक, आईएसपीआरएल	:	सदस्य
3.	सुश्री ईशा श्रीवास्तव, जेएस (आईसी), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय/निदेशक, आईएसपीआरएल	:	सदस्य
4.	सुश्री वर्षा सिन्हा, सचिव, ओआईडीबी/निदेशक, आईएसपीआरएल	:	सदस्य
5.	श्री एल. आर. जैन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, आईएसपीआरएल	:	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या और तारीखें, जिसमें प्रत्येक निदेशक द्वारा भाग लेने वाली बैठकों की संख्या को दर्शाया गया है, vuqyXud&d में दी गई है।

VII. dkWikZjsV lkekftd mÙkjnkf;Ro ¼lh,lvkj½ lfefr

कंपनी की एक सीएसआर नीति है जो कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। कंपनी ने वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर कोई धनराशि व्यय नहीं की है क्योंकि कंपनी ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कोई लाभ अर्जित नहीं किया है। इसलिए, वित्त वर्ष 2023–24 में सीएसआर समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार सीएसआर समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे :

1.	सुश्री ईशा श्रीवास्तव, जेएस (आईसी), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय/निदेशक, आईएसपीआरएल	: अध्यक्ष
2.	श्री एल. आर. जैन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, आईएसपीआरएल	: सदस्य

VIII. okf"kZd fooj.kh

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(क) के साथ पठित धारा 92(3) के प्रावधान के अनुसार, 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार कंपनी की वार्षिक विवरणी इसकी वेबसाइट https://isprlindia.com/annual-report.asp उपलब्ध कराई गई है।

IX. ckMZ dh cSBdsa

वित्तीय वर्ष 2023–24 में कंपनी के निदेशक मंडल की निम्नलिखित पांच बैठकें आयोजित की गईं:

1. 21 अप्रैल, 2023
2. 08 मई, 2023
3. 30 जून, 2023
4. 26 सितंबर, 2023
5. 14 दिसंबर, 2023

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या और तारीखें, जिसमें प्रत्येक निदेशक द्वारा भाग लेने वाली बैठकों की संख्या को दर्शाया गया है, vuqyXud&d में दी गई है।

X. 0;olk; dk Lo:i esa ifjorZu

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान व्यवसाय के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

XI. dkfeZdksa dk fooj.k

कंपनी के पास ऐसा कोई कार्मिक नहीं है जिसके संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के अंतर्गत विवरण प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हो।

XII. Lora= funs'kdksa }kjk ?kks"k.kk

कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 के नियम 4 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के अनुसार, एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के नाते, कंपनी में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है।

XIII. tksf[ke izca/ku

कंपनी की निरंतर सफलता के लिए प्रभावी जोखिम प्रबंधन महत्वपूर्ण है। कंपनी के पास कंपनी के प्रचालन से जुड़े जोखिम की पहचान करने और जोखिमों को कम करने के लिए उचित सुधारात्मक कदम उठाने के लिए एक जोखिम प्रबंधन नीति है। कंपनी से जुड़े प्रमुख जोखिम कच्चे तेल की प्राप्ति और भंडारण और डिलीवरी से संबंधित हैं। मानक संचालन प्रक्रियाओं और पर्याप्त बीमा कवर को अपनाकर इन जोखिमों को कम किया जाता है।

XIV. 'ks;j iwath

वर्ष के दौरान, कंपनी ने इक्विटी शेयर पूंजी जारी नहीं की है।

XV. e[; ic/kdh; dkfed

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पूर्णकालिक मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक निम्नलिखित थे :

क)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक	श्री एल. आर. जैन
ख)	मुख्य वित्तीय अधिकारी	श्री गोपेश्वर कुमार सिंह (14.05.2024 तक)
ग)	मुख्य वित्तीय अधिकारी	श्री अजय दशोरे (15.05.2024 से 09.06.2024 तक)
घ)	मुख्य वित्तीय अधिकारी	श्री दीपक कुमार (10.06.2024 से)
ङ)	कंपनी सचिव	सुश्री शिल्पी मोहंती (06.06.2023 से)
च)	कंपनी सचिव	श्री अरुण तलवार (15.05.2023 तक)

XVI. ikfjJfed

आईएसपीआरएल के बोर्ड में, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के सिवाय, सभी निदेशक गैर–कार्यकारी निदेशक हैं, जिन्हें पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) द्वारा नामित किया गया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा नामित गैर–कार्यकारी निदेशक को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक को दिया जाने वाला पारिश्रमिक आईएसपीआरएल बोर्ड और शेयरधारकों द्वारा एजीएम में स्वीकृत उनके रोजगार की शर्तों के अनुसार है।

कंपनी के प्रमुख पदों पर तेल पीएसई से प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी कार्यरत हैं, जिन्हें उनकी संबंधित मूल कंपनियों की नीतियों के अनुसार पारिश्रमिक मिलता है।

इसके अलावा, मैंगलोर में 12 कार्मिकों की नियुक्ति की गई है, जिनकी भूमि आईएसपीआरएल ने परियोजना के लिए अधिग्रहित की थी। इन कार्मिकों को ओआईडीबी नीतियों के अनुसार पारिश्रमिक मिलता है।

XVII. foÙkh; o"k dh lekfIr vkj fjikV dh rkjh[k d chp foÙkh; fLFkfr dk iHkkfor dju oky egRoi.k ifjorZu vkj ifrc)rk,

कंपनी के वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद, जिससे तुलन–पत्र संबंधित है, तथा रिपोर्ट की तारीख के बाद कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।

XVIII. Hkfo"; e diuh dk pky jgu dh fLFkfr vkj diuh d ipkyuk dk iHkkfor dju oky fofu;kedk ;k U;k;ky;k ;k U;k;kf/kdj.kk }kjk ikfjr egRoi.k vkj mYy[kuh; vkn'kk dk C;kjk

विनियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा ऐसा कोई महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय आदेश पारित नहीं किया गया, जिससे भविष्य में कंपनी की चालू रहने की स्थिति और प्रचालन पर कोई प्रभाव पड़े।

XIX. lgk;d@l;ä m|e@lg;kxh diu;k

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी की कोई सहायक/संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनी नहीं है।

XX. y[kkijh{kd

(i) lkfof/kd y[kkijh{kk

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) ने मैसर्स प्रसाद आजाद एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (डीई0029), 1207, सूर्य किरण बिल्डिंग, 19, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली– 110001 को कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया था, जिसने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखाओं पर अपनी रिपोर्ट ¼vuyXud&[k½ प्रस्तुत की। सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित योग्य राय प्रदान की गई है:–

^^pj.k&II ds fy, ikIr vuqnku esa ls] l{ke izkf/kdkjh@iVVkfy;e ,oa izk—frd xSl ea=ky; ds vuqeksnu ds fcuk eSxyksj ,lihvkjM fyfeVsM dks Hkwfe ds vf/kxg.k ds fy, iVVk izhfe;e ds pj.k&I ds foLrkj ds fy, o"kZ ds nkSjku ₹2069-39 yk[k dh jkf'k dk Hkqxrku vkSj mi;ksx fd;k x;k FkkA ftlds dkj.k foÙkh; ifjlEifÙk;ksa ds vrxZr *udnh vkSj udnh led{k* de gS vkSj *vU; xSj&pkyw ifjlEifÙk;k* mlh lhek rd vf/kd gSA**

शेयरधारकों को दी गई अपनी रिपोर्ट में सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ और उस पर प्रबंधन का प्रत्युत्तर vuqyXud&x के रूप में संलग्न है।

(ii) lh,th }kjk vuqiwjd y[kkijh{kk

वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2024 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (क) के तहत सीएंडएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा की गई। वित्तीय विवरणों पर सीएंडएजी की कोई महत्वपूर्ण टिप्पणियां ¼vuqyXud&?k½ नहीं हैं।

(iii) lfpoh; y[kkijh{kk

वर्ष के दौरान, कंपनी के बोर्ड ने मेसर्स पीजी एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, 106, महागुन मॉर्फियस, ई–4, सेक्टर–50, नोएडा–201301, उत्तर प्रदेश को कंपनी के सचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया था, ताकि वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत सचिवीय लेखापरीक्षा की जा सके। सचिवीय लेखापरीक्षक द्वारा दी गई रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ ¼vuqyXud&³½ के रूप में संलग्न है। शेयरधारकों के लिए लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में कोई आपत्ति नहीं है।

(iv) ykxr y[kkijh{kk

अधिनियम की धारा 148 के अनुसार, कंपनी को लागत लेखाकार से अपने लागत अभिलेखों का लेखा परीक्षा कराने की आवश्यकता नहीं है।

XXI. ÅtkZ laj{k.k] izkS|ksfxdh vuqdwyu] vuqla/kku ,oa fodkl rFkk fu;kZr ,oa fons'kh eqæk vtZu vkSj O;;

कंपनी ने विशाखापत्तनम, मैंगलोर और पादुर कैवर्न्स को चालू किया है। विद्युत की बचत और लागत में कमी के एक हिस्से के रूप में, इन–हाउस ओएंडएम इलेक्ट्रिकल टीम (जून, 2023–अगस्त, 2023) के माध्यम से सभी भवन सुविधाओं में संयंत्र की मौजूदा सीएफएल/पारंपरिक लाइटिंग को नई एलईडी लाइटिंग सिस्टम से बदलने की पहल की गई।

कंपनी को वर्ष के दौरान ₹303.71 लाख की विदेशी मुद्रा प्राप्ति हुई। साथ ही, समीक्षाधीन अवधि के दौरान इसकी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए विदेशी मुद्रा उपयोग शून्य रहा।

XXII. vkrfjd foÙkh; fu;=.k

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लागू किया है।

XXIII. dk;LFky ij ;kSu mRihMu dh jksdFkke

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए कंपनी की शून्य–सहिष्णुता की नीति है। कंपनी ने 'महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013' के प्रावधानों का अनुपालन किया है। कंपनी ने इस अधिनियम के तहत आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, उक्त अधिनियम के तहत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

XXIV. ckMZ dk eY;kadu

बोर्ड, इसकी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के कार्य–निष्पादन का औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन आईएसपीआरएल के बोर्ड द्वारा अनुमोदित बोर्ड कार्य–निष्पादन मूल्यांकन नीति के अनुसार किया गया है।

XXV. ys[kkijh{kdksa }kjk /kks[kk/kMh ds lac/k esa fjiksVZ

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (12) के अंतर्गत लेखापरीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी का कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है।

XXVI. _.k] xkjaVh ;k fuos'kksa dk fooj.k

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185/186 के प्रावधानों के तहत वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान कोई ऋण/गारंटी नहीं दी गई है या प्रतिभूतियां प्रदान नहीं की गई हैं।

XXVII. lacaf/kr i{kdkj ysu&nsu

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत संबंधित पक्षकार लेनदेन, आईएसपीआरएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक को प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान था। संबंधित पक्षकार के साथ लेन–देन व्यवसाय के सामान्य क्रम में हैं और आर्म्स लेंथ आधार पर हैं।

XXVIII. lfpoh; ekudksa ds izko/kkuksa dk vuqikyu

भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों का कंपनी द्वारा विधिवत अनुपालन किया गया है।

XXIX. funs'kdksa dh ftEesnkjh lac/kh fooj.k

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (ग) के तहत यथा–अपेक्षित, कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा यह उल्लेख और पुष्टि की जाती है :

(क) कि वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखाओं को तैयार करने में, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है, साथ ही महत्वपूर्ण विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं;

(ख) कि निदेशकों ने लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें सतत रूप से लागू किया है और ऐसे निर्णय एवं अनुमान लगाए हैं, जो उचित और विवेकपूर्ण हैं, ताकि 31 मार्च, 2024 को कंपनी के कार्यों की स्थिति और उस वर्ष के लिए कंपनी के लाभ और हानि का सही और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत किया जा सके;

(ग) कि निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की है;

(घ) निदेशकों ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए "चालू संस्था" के आधार पर लेखा तैयार किए हैं।

(ङ) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की हैं और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं।

XXX.fun'kd eMy

31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार आपके निदेशक मंडल में पांच अंशकालिक गैर–कार्यकारी निदेशक और एक पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक शामिल हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

1.	श्री पंकज जैन (डीआईएन – 00675922)	सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय – अध्यक्ष (20.01.2022 से);
2.	श्री प्रवीण एम खनूजा (डीआईएन – 09746472)	अपर सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय – निदेशक (17.02.2023 से नियुक्ति);
3.	सुश्री कामिनी चौहान रतन (डीआईएन – 09831741)	अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय – निदेशक (21.12.2022 से नियुक्ति);
4.	सुश्री ईशा श्रीवास्तव (डीआईएन – 08504560)	संयुक्त सचिव (आईसी), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय – निदेशक (22.12.2021 से);
5.	सुश्री वर्षा सिन्हा (डीआईएन – 09825811)	सचिव, ओआईडीबी – निदेशक (नियुक्ति 15.12.2022 से);
6.	श्री एल. आर. जैन (डीआईएन – 08505199)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक (नियुक्ति 31.10.2022 से)।

vfHkLohÑfr

आपका निदेशक मंडल भारत सरकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा तेल उद्योग विकास बोर्ड से प्राप्त बहुमूल्य मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता है।

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–
¼,y- vkj- tSu½
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन#08505199)

हस्ता./–
¼bZ'kk JhokLro½
निदेशक
(डीआईएन#08504560)

दिनांक : 24.09.2024
स्थान : नई दिल्ली

अनुलग्नक–क

ckM lfefr;k vkj ckM dh cBdk dk fooj.k rFkk mu cBdk dh l[;k] ftue fun'kdk u Hkkx fy;k%

y[kkijh{kk lfefr

लेखापरीक्षा समिति ने वित्तीय वर्ष 2023–24 में दिनांक 23.06.2023, 25.09.2023, 14.12.2023 और 21.03.2024 को चार बैठकें आयोजित कीं।

वित्तीय वर्ष 2023–2024 के लिए लेखापरीक्षा समिति की बैठक में निदेशक की उपस्थिति इस प्रकार है :

Øe l-	lnL;	inuke	mu cBdk dh l[;k] ftue foÙkh; o"k 2023&24 e Hkkx fy;k
1	श्री प्रवीण एम. खनूजा	अध्यक्ष	4
2	सुश्री कामिनी चौहान रतन	सदस्य	3
3	सुश्री ईशा श्रीवास्तव	सदस्य	4
4	सुश्री वर्षा सिन्हा	सदस्य	3
5	श्री एल. आर. जैन	सदस्य	4

fun'kd eMy %

वित्तीय वर्ष 2023–24 में कंपनी के निदेशक मंडल की निम्नलिखित पांच बैठकें आयोजित की गईं :

1. 21 अप्रैल, 2023
2. 08 मई, 2023
3. 30 जून, 2023
4. 26 सितंबर, 2023
5. 14 दिसंबर, 2023

foŸk o"k 2023&24 e ckM dh cBdk e fun'kdk dh mifLFkfr dk fooj.k bl idkj g %

Øe l-	fun'kd dk uke	inuke	mu cBdk dh l[;k] ftue foŸkh; o"k 2023&24 e Hkkx fy;k
1.	श्री पंकज जैन (20.01.2022 से)	अध्यक्ष	5
2.	श्री प्रवीण एम. खनूजा (17.02.2023 से)	निदेशक	5
3.	सुश्री कामिनी चौहान रतन (21.12.2022 से)	निदेशक	2
4.	सुश्री ईशा श्रीवास्तव (22.12.2021 से)	निदेशक	3
5.	सुश्री वर्षा सिन्हा (15.12.2022 से)	निदेशक	5
6.	श्री एल. आर. जैन (31.10.2022 से)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	5

अनुलग्नक–ख

Lor= ys[kkijh{kd dh fjiksVZ

सेवा में,

सदस्यगण

bafM;u LVsVsftd isVªksfy;e fjtoZl fyfeVsM

foÙkh; fooj.kksa dh ys[kkijh{kk ij fjiksVZ

;kX; jk;

हमने इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (''कंपनी'') के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष का तुलन पत्र, उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण, नकदी प्रवाह का विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा अन्य स्पष्टीकरण युक्त जानकारी का सारांश शामिल है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के योग्य राय के लिए आधार में वर्णित मामलों के प्रभाव के सिवाय, उपरोक्त वित्तीय विवरण यथापेक्षित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) द्वारा यथा–अपेक्षित जानकारी देते हैं और कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, यथासंशोधित, (''इंड एएस'') और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (''दि इंड एएस'') के अनुरूप 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के मामलों की स्थिति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ, नकदी प्रवाह और उसकी इक्विटी में परिवर्तन का विवरण का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

;kX; jk; dk vk/kkj

चरण–II के लिए प्राप्त अनुदान में से, वर्ष के दौरान सक्षम प्राधिकारी/पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय के अनुमोदन के बिना मैंगलोर एसईजेड लिमिटेड को भूमि अधिग्रहण के लिए लीज प्रीमियम के लिए चरण–I के विस्तार के लिए ₹2069.39 लाख का भुगतान और उपयोग किया गया। जिसके कारण वित्तीय परिसंपत्तियों के अंतर्गत 'नकदी और नकदी समकक्ष' कम हैं और 'अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां' उसी सीमा तक अधिक हैं।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षण मानकों (एसए) के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की। bu ekudksa ds rgr gekjh ftEesnkfj;ka gekjh fjiksVZ ds foÙkh; fooj.kksa dh ys[kk ijh{kk ds fy, ys[kk ijh{kd dh ftEesnkfj;ka vuqHkkx esa o.kZr dh xbZ gSA हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (''दि आईसीएआई'') द्वारा जारी आचार संहिता के साथ नैतिक अपेक्षाओं, जो अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संगत है, के अनुसरण में कंपनी से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी योग्य राय का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

foÙkh; fooj.kksa vkSj ml ij ys[kkijh{kd dh fjiksVZ ds vykok vU; tkudkjh

अन्य जानकारी के लिए कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार होता है। अन्य जानकारी में बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट में दी गई जानकारी शामिल है, किंतु इसमें वित्तीय विवरण और उन पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

हमारी राय में वित्तीय विवरणों पर अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचनाओं को पढ़ने की है और ऐसा करने में, हम इस बात का ध्यान रखें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ असंगत है या हमारे अंकेक्षण के क्रम में या अन्यथा प्राप्त जानकारी को भौतिक रूप से गलत बताई गई प्रतीत होती है।

यदि हम अपने द्वारा किए गए इस कार्य के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण मिथ्याबयानी है, तो हमें ऐसे तथ्य की रिपोर्ट करना अपेक्षित होता है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट किए जाने योग्य कोई तथ्य नहीं है।

foÙkh; fooj.kksa ds fy, izca/ku rFkk vfHk'kklu dk iHkkj lHkkyus okys O;fä ;ksa dh ftEesnkjh

कंपनी का निदेशक मंडल, इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में निर्दिष्ट मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित इंड एएस और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार अन्य व्यापक आय, कंपनी की इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह सहित कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में पर्याप्त लेखांकन अभिलेख का रखरखाव, उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन अभिलेख की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, शामिल हैं, जो वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और महत्वपूर्ण मिथ्याबयानी, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण, से मुक्त हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, निदेशक मंडल कंपनी को एक सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में बने रहने के लिए कंपनी की योग्यता और क्षमता का आकलन करने, यथा लागू प्रकटीकरण, सुनाम प्रतिष्ठान से संबंधित मामलों और लेखांकन के लिए आधार का उपयोग करने के लिए तब तक जिम्मेदार है जब तक कि प्रबंधन का इरादा या तो कंपनी को परिसमाप्त करने या ऑपरेशन को रोकने का नहीं है या ऐसा करने के अलावा उसके पास कोई वास्तविक विकल्प उपलब्ध नहीं है।

यह निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार होता है।

foÙkh; fooj.kksa dh ys[kkijh{kk ds fy, ys[kkijh{kd dh ftEesnkfj;k

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप से वास्तविक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन होता है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार आयोजित लेखापरीक्षा उस महत्वपूर्ण गलत विवरण का हमेशा पता लगाएगा, जो मौजूद हो। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है तो उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है।

लेखापरीक्षा संबंधी मानकों (एसए) के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और सम्पूर्ण लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक संदेहवाद बनाए रखते हैं। इसके अतिरिक्त, हम निम्नलिखित कार्य भी करते हैं :

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्यबयानी के जोखिमों की पहचान करना और उनका आकलन करना, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करना और उन्हें निष्पादित करना, और ऐसे लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप वास्तविक मिथ्यबयानी के पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, टकराव, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।

- परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना। अधिनियम की धारा 143(3) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और क्या ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभावशीलता है।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटन की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के जारी प्रतिष्ठान के आधार के उपयोग की उपयुक्तता पर और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई वास्तविक अनिश्चितता है जो कंपनी की एक जारी प्रतिष्ठान के रूप में रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई वास्तविक अनिश्चितता है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन पर ध्यान आकर्षित करना होता है, अथवा यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होता है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित होते हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी एक जारी प्रतिष्ठान के रूप में काम करना बंद कर सकती है।
- प्रकटन सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय वास्तु का मूल्यांकन करना, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस प्रकार से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

हम अन्य मामलों के अलावा, हमारे द्वारा लेखापरीक्षा के दौरान पहचानी गई आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियों सहित लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में प्रशासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं।

हम अभिशासन के प्रभारियों को एक विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने अपनी स्वायत्तता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, तथा ऐसे सभी सम्बन्ध और मामले जो हमारी स्वायत्तता पर प्रभाव डाल सकते हैं, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी उनसे संवाद करते हैं।

vU; fof/kd rFkk fofu;ked vi{kkvk lEcU/kh fjikV

1. अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") की आवश्यकता के अनुसार, हम vuyXud&d में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर, जहां तक लागू हो, एक विवरण देते हैं।
2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

   (क) हमने सभी ऐसी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं, जो हमारी उचित जानकारी और विश्वास के लिए हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।

   (ख) जहाँ तक लेखा–बहियों की हमारी जांच से पता चलता है, हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून अनुसार यथा अपेक्षित उपयुक्त लेखा बहियां रखी गई हैं।

   (ग) इस रिपोर्ट में जिस तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण, नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन के विवरण के सम्बन्ध में ब्यौरे दिए गए हैं, वे लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

   (घ) gekjh fjikV d ;kX; jk; d fy, vk/kkj e oÆ.kr ekeyk d iHkko d flok;] हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियामवली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट इंड एएस के अनुरूप हैं।

   (ङ) निदेशक मंडल द्वारा रिकार्ड पर लिए गए 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार 31 मार्च, 2024 तक किसी भी निदेशक को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

   (च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलता के संबंध में ^^vuyXud [k** में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें।

(छ) कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, हम उल्लेख करते हैं कि लेखापरीक्षा वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अपने निदेशकों को संदत्त पारिश्रमिक अधिनियम की धारा 197(16) के प्रावधानों के अनुसार है।

(ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियामवली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम यह सूचित करते हैं कि :

i. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटीकरण किया है (वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी संख्या 31.2(क) देखें)।

ii. कंपनी की व्युत्पन्न संविदाओं सहित कोई दीर्घकालिक संविदा नहीं है, जिसके लिए कोई महत्वपूर्ण पूर्वानुमानित हानियां थी – वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी संख्या 40(xxxix) देखें।

iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में अंतरित करने के लिए कोई राशि अपेक्षित नहीं थी – वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी संख्या 40(xl) देखें।

iv. (क) कंपनी के प्रबंधन ने सूचित किया है कि उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसा कि – वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी संख्या 40(xxx)(क) में प्रकटीकरण किया गया है, कंपनी द्वारा इस समझ, चाहे लिखित में या अन्यथा लेखबद्ध, के साथ किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थ") सहित संस्था (संस्थाओं) को या में कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण है) को अग्रिम या उधार या निवेश है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) नहीं किया गया है कि मध्यस्थ, किसी भी रीति से कंपनी (''अंतिम लाभार्थी'') द्वारा या इसकी ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा;

(ख) प्रबंधन ने सूचित किया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसा कि – वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी संख्या 40(xxx)(ख) में प्रकटीकरण किया गया है, कंपनी द्वारा इस समझ, चाहे लिखित में या अन्यथा लेखबद्ध, के साथ किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थ") सहित संस्था (संस्थाओं) को या कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण है) को अग्रिम या उधार या निवेश है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) नहीं लिया गया है कि मध्यस्थ, किसी भी रीति से वित्तपोषण करने वाले पक्षकार (''अंतिम लाभार्थी'') द्वारा या इसकी ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा;

(ग) निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, के आधार पर हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11 (ङ) के उप–खंड (i) और (ii) के तहत प्रस्तुतीकरण, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, इसमें कोई भी महत्वपूर्ण मिथ्यबयानी है।

v. हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया है, तदनुसार नियम 11 (एफ) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

vi. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच शामिल थी, कंपनी ने अपनी लेखा बहियों [भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 143(5) के तहत जारी निर्देशों के प्रत्युत्तर में नीचे पैरा 3(i) में उल्लिखित मदों को छोड़कर] को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ़्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सॉफ़्टवेयर में दर्ज सभी लेनदेन के लिए पूरे वर्ष क्रियाशील रहा है। इसके अतिरिक्त, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला।

3. अधिनियम की धारा 143(5) की अपेक्षानुसार तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

Ø- l-	funs'k	ys[kkijh{kd dk mÙkj
(i)	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेन–देन को संसाधित करने के लिए सिस्टम है? यदि हां, तो वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ–साथ लेखाओं की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेन–देन की प्रोसेसिंग के निहितार्थ बताए।	कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए एक प्रणाली है, जिसमें कच्चे तेल की बिक्री के लिए बिलिंग, पंपिंग शुल्क, एडनोक और एमआरपीएल से प्रचालन आय, एचपीसीएल के साथ ओ एंड एम व्यय का बंटवारा, कैवर्न्स के पट्टे/किराये से आय और संबंधित आय, रॉक बिक्री, संपत्ति संयंत्र और उपकरण अभिलेख, छुट्टी अभिलेख, पेरोल, अनुदान रिकॉर्ड शामिल हैं, जिनके लिए लेखाओं की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन की प्रोसेसिंग का कोई निहितार्थ नहीं है और कोई वित्तीय निहितार्थ नहीं देखा गया है।
(ii)	क्या कंपनी के ऋण की अदायगी में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी के लिए किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन या उधार/ऋण/ब्याज आदि की छूट दी गई/बट्टे खाते में डाला गया है? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव को बताया जाए। क्या ऐसे मामलों का उचित लेखांकन किया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होगा)।	कंपनी की ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए किसी मौजूदा ऋण के पुनर्गठन या ऋण/उधार/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है।
(iii)	क्या केंद्रीय/राज्य सरकारों या इनकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) को योजना की शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखांकित/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची प्रदान करें।	चरण–II के लिए प्राप्त अनुदान में से ₹2069.39 लाख की राशि को सक्षम प्राधिकारी/पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय के अनुमोदन के बिना मैंगलोर एसईजेड लिमिटेड को भूमि अधिग्रहण के लिए लीज प्रीमियम के रूप में चरण–I के विस्तार के लिए उपयोग करने के सिवाय केंद्र/राज्य सरकार से इसकी एजेंसियों की विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) का उनकी शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखांकित/उपयोग किया गया है।

—r i lkn vktkn ,M diuh
pkVMZ vdkmUVsV
फर्म पंजीकरण सं. : 001009एन

हस्ता/–
¼d- ,e- vktkn½
साझेदार
सदस्यता संख्या : 005125
यूडीआईएनः : 24005125BKMEVN7716

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16 जुलाई, 2024

Lor= y[kkijh{kdk dh fjiksVZ dk ^vuqyXud & d**

[31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर bfM;u LVªsVsftd isVªksfy;e fjtoZl fyfeVsM के सदस्यों को हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' के तहत पैराग्राफ 1 में संदर्भित अनुलग्नक–क]

हमने जो जांच उचित समझी, उसके आधार पर तथा लेखापरीक्षा के दौरान हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:

i) (क) (क) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(ख) कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्तियों (पाइपलाइनों के लिए आरओयू) का पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधन द्वारा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मैंगलोर इकाई, पादुर इकाई और मुख्यालय में बाहरी एजेंसी के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से और विशाखापत्तनम इकाई में आंतरिक रूप से भौतिक सत्यापन किया गया है, जो हमारी राय में कंपनी के आकार और इसकी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की प्रकृति को देखते हुए उचित है। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऐसे सत्यापन में कोई भौतिक विसंगतियां नहीं पाई गई।

(ग) नीचे दिए गए मामले के वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 2 में प्रकट की गई अचल परिसंपत्तियों (उपयोगाधिकार परिसंपत्तियां) के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर रखे गए हैं, [foŸkh; fooj.kksa dks fVIi.kh l[;k 40¼**xix**½ ns[ks]:

lEifŸk dk fooj.k	ldy ogu eY; ¼yk[k #i;s e½	fdlds uke ij /kkfjr	izeksVj] funs'kd ;k mudk fj'rsnkj ;k deZpkjh	/kkfjr fd, tkus dh vof/k & tgka mi;qä gks] lhek bfxr djs	dEiuh ds uke ij u gksus dk dkj.k
उपयोग का अधिकार – मैंगलोर विशेष आर्थिक क्षेत्र में भूमि (104.73 एकड़)	8492.50	मैंगलोर एसईजेड लिमिटेड और कंपनी के बीच 7 मार्च, 2017 को हुआ पट्टा करार कंपनी के नाम पर पंजीकृत नहीं है।	नहीं	भूमि के कब्जे की तिथि से 26 जनवरी, 2060 तक पट्टा। रिकॉर्ड में उपलब्ध 100.02 एकड़ के लिए आवंटन की तारीख 23.11.2009 है और 4.71 एकड़ के लिए 11.04. 2018 है। हालाँकि, कब्ज़ा लेने की तारीख का दस्तावेज़ कंपनी के रिकॉर्ड में नहीं है।	जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी पट्टा विलेख के पंजीकरण के लिए मैंगलोर एसईजेड लिमिटेड से संपर्क कर रही है।

(घ) हमें दी गई सूचना, स्पष्टीकरण और प्रबंधन अभ्यावेदन के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोगाधिकार सहित) का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(ङ) हमें दी गई सूचना, स्पष्टीकरण और प्रबंधन अभ्यावेदन के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी के विरुद्ध बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत कोई भी बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या 31 मार्च, 2024 तक कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।

ii) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधन ने स्वतंत्र सर्वेक्षणकर्ताओं के माध्यम से उचित अंतराल पर भारत सरकार की ओर से मैंगलोर में कैवर्न बी और कैवर्न ए में एडनोक तथा भारत सरकार की ओर से विशाखापत्तनम और पादुर में रखे गए कच्चे तेल के भंडार का भौतिक सत्यापन किया है। हमारी राय में, कच्चे तेल की प्रकृति और स्थान को ध्यान में रखते हुए, ऐसे सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया उचित मानी जाती है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से वर्ष के किसी भी समय कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा संस्वीकृत नहीं की गई है। तदनुसार, आदेश के इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

iii) (क) से (च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण की प्रकृति में कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या प्रतिभूति प्रदान नहीं की है या कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है। तदनुसार, आदेश के इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

iv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऐसा कोई ऋण नहीं दिया है, निवेश नहीं किया है या गारंटी या प्रतिभूति प्रदान नहीं की है जिसके लिए अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन आवश्यक है। तदनुसार, आदेश के इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

v) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई जमा या राशि स्वीकार नहीं की है जिसे जमा माना जाता है, जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश और धारा 73 से 76 के प्रावधान या अधिनियम के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान लागू होते हैं।

vi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भारत की केंद्रीय सरकार ने अधिनियम की धारा 148 की उप–धारा (1) के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को निर्दिष्ट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

vii) (क) कंपनी के जांचे गए अभिलेखों और हमें दी गई जानकारी, स्पष्टीकरण और प्रबंधन अभ्यावेदन के अनुसार, कंपनी आम तौर पर माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और किसी भी अन्य सांविधिक बकाया सहित अविवादित सांविधिक बकाया राशि को उचित प्राधिकरणों को जमा करने में नियमित रही है। नीचे बताए गए अपवादों को छोड़कर, वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन तक उनके देय होने की तिथि से छह माह से अधिक की अवधि के लिए कोई भी अविवादित बकाया सांविधिक देय नहीं हैः

Ng ekg ls vf/kd le; ls cdk;k lkfof/kd n; dk fooj.k

Øe la-	lkfof/k dk uke	n; dk i—fr	jkf'k ¼₹ yk[k esa½	og vof/k] ftlls jkf'k lacaf/kr gS	n; rkjh[k	Hkqxrku dh rkjh[k	vH;qfä] ;fn dksbZ gks
1.	आयकर अधिनियम, 1961	धारा 143(3) के तहत किए गए निर्धारण पर मांग	70.86	वि.व. 2015–16 (नि.व. 2016–17)	कंपनी की अभ्युक्तिः कंपनी ने वित्त वर्ष 2020–2021 के दौरान विवाद से विश्वास योजना के तहत मांग का भुगतान पहले ही कर दिया है, हालांकि कर विभाग द्वारा समायोजन लंबित है क्योंकि यह राशि आयकर पोर्टल पर बकाया के रूप में दिखाई दे रही है।		
2.	आयकर अधिनियम, 1961	धारा 143(3) के तहत किए गए निर्धारण पर मांग	31.78	वि.व. 2016–17 (वि.व. 2017–18)	कंपनी की अभ्युक्तिः कंपनी ने वित्त वर्ष 2020–2021 के दौरान विवाद से विश्वास योजना के तहत मांग का भुगतान पहले ही कर दिया है, हालांकि कर विभाग द्वारा समायोजन लंबित है क्योंकि यह राशि आयकर पोर्टल पर बकाया के रूप में दिखाई दे रही है।		

(ख) हमें दी गई सूचना, स्पष्टीकरण और प्रबंधन अभ्यावेदन के अनुसार, निम्नलिखित के सिवाय माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य कोई भी सांविधिक बकाया नहीं है, tks fdlh fookn ds dkj.k tek ugha fd;k x;k gks%

fookfnr n; dk fooj.k

Øe la-	lkfof/k dk uke	n; dk i—fr	jkf'k ¼₹ yk[k esa½	og vof/k] ftlls jkf'k lacaf/kr gS	og eap] tgka ekeyk yafcr gS	vH;qfä] ;fn dksbZ gks
1.	आंध्र प्रदेश लघु खनिज रियायत नियम 1996	रॉयल्टी	11,795.03	31.03.2018 तक	खदान एवं भूविज्ञान निदेशालय, आंध्र प्रदेश	—
2.	आयकर अधिनियम, 1961	धारा 154 के तहत किए गए निर्धारण पर मांग	0.34	वि.व. 2017–18 (नि.व. 2018–19)	आयकर आयुक्त (अपील) के पास अपील के अधीन	—
3.	आयकर अधिनियम, 1961	धारा 143(3) के तहत किए गए निर्धारण पर मांग	257.81	वि.व. 2021–22 (नि.व. 2022–23)	आयकर आयुक्त (अपील) के पास अपील के अधीन	—

4.	माल और सेवा कर अधिनियम, 2017	फॉर्म डीआरसी–01 में जीएसटी की मांग	13.90	वि.व. 2017–18 से वि.व. 2018–19	जीएसटी प्राधिकरण	—
5.	माल और सेवा कर अधिनियम, 2017	फॉर्म डीआरसी–01 में जीएसटी की मांग	105.25	वि.व. 2019–20 से वि.व. 2022–23	जीएसटी प्राधिकरण	—
6.	कर्नाटक राज्य में प्रवेश कर	कर्नाटक राज्य में प्रवेश कर	74.64	वि.व. 2010–11 और 2011–12	माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय	—

viii) हमें दी गई सूचना, स्पष्टीकरण और प्रबंधन अभ्यावेदन के अनुसार, ऐसा कोई लेन–देन नहीं था, जो लेखा–बही में दर्ज न हो और जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में अभ्यर्पित या प्रकट किया गया हो।

ix) (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण या अन्य उधार नहीं लिया है, इस प्रकार कंपनी ने किसी भी ऋणदाता को ऋण या अन्य उधार की चुकौती या उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है। तदनुसार, आदेश के इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या किसी अन्य ऋणदाता द्वारा इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) कंपनी के जांचे गए अभिलेखों और हमें दी गई सूचना, स्पष्टीकरण और प्रबंधन अभ्यावेदन के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है। तदनुसार, आदेश के इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान अल्पावधि आधार पर कोई निधियां नहीं जुटाई गई हैं। तदनुसार, आदेश के इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी की कोई सहायक कंपनी, सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं है। तदनुसार, आदेश के इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं जुटाया है। तदनुसार, आदेश के इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

x) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा जांचे गए अभिलेखों के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से निधियां नहीं जुटाई है। तदनुसार, आदेश के इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा जांचे गए अभिलेखों के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या संपरिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्ण, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से संपरिवर्तनीय) का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

xi) (क) भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखापरीक्षा पद्धतियों के अनुसार कंपनी की बहियों और अभिलेखों की हमारी लेखापरीक्षा, जांच के दौरान तथा हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार और हमें दी गई सूचना, स्पष्टीकरण और प्रबंधन अभ्यावेदन के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई।

(ख) हमारे द्वारा अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (12) के अंतर्गत प्रपत्र एडीटी–4 में कोई रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार के समक्ष दाखिल नहीं की गई है।

(ग) हमें दी गई सूचना, स्पष्टीकरण और प्रबंधन अभ्यावेदन के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

xii) (क), (ख) और (ग) – हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

xiii) हमें दी गई जानकारी, स्पष्टीकरण और प्रबंधन अभ्यावेदन के अनुसार, संबंधित पक्षकारों के साथ लेन–देन अधिनियम की धारा 177 और 188, जहाँ लागू हो, के अनुपालन में हैं। संबंधित पक्षकरों के साथ सभी लेन–देन का विवरण वित्तीय विवरणों में लागू भारतीय लेखांकन मानकों द्वारा अपेक्षित रूप से प्रकट किया गया है [वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पमी संख्या 32 देखें]।

xiv) (क) कंपनी के जांचे गए अभिलेखों और हमें दी गई सूचना, स्पष्टीकरण और प्रबंधन अभ्यावेदन के अनुसार, कंपनी के पास एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है, gkykfd] diuh ds 0;olk; ds vkdkj vkSj i—fr ds vuq:i bls cukus ds fy, blds nk;js dks c<kus dh vko';drk gSA blds vykok] geus vkrfjd ys[kk ijh{kk fjiksVZ esa fjiksVZ dh xbZ uhps nh xbZ xSj&vuqikyu@folaxfr;ksa dks laKku fy;k gS %

(d) vkbZ,lihvkj,y vkSj ,pihlh,y ds chp iVVk djkj esa fdjk;s ds Hkqxrku esa njh ds fy, dksbZ 'kkfLr [kaM ugha gS] ftlds ifj.kkeLo:i udnh iokg ij izHkko iM+rk gS vkSj lHkkfor mik;ksa dh gkfu gksrh gS(

([k) iR;sd ekg ds fy, deZpkjh dk osru fiNys ekg dh mudh mifLFkfr ds vk/kkj ij lalkf/kr fd;k tkrk gS(

(x) dksbZ ekuo lalk/ku uhfr r;kj ugha dh xbZ gS ftlesa ¼d½ HkrhZ uhfr] ¼[k½ mifLFkfr uhfr] ¼x½ eqY;kadu uhfr] ¼?k½ vyxko@fudkl uhfr] ¼³½ fgrksa ds Vdjko 'kiFki=('kkfey gksa(

(?k) ¼d½ /kks[kk/kM+h fojks/kh uhfr] ¼[k½ f0gly Cyksvj uhfr] ¼x½ vkpkj lafgrk ds lEc/k esa dksbZ bdksbZ Lrj fu;a=.k ugha gS] ftlds ifj.kkeLo:i 'kh"kZ ij vlarks"ktud vuqdwyu] fu;a=.kksa ds iqc/ku dk vfr0;kiu] dr0;ksa dk vuqfpr iFkDdj.k vkSj fuokjd dh rqyuk esa tklwlh fu;a=.kksa ij vR;f/kd fuHkZjrk gS(

(³) dEiuh ds MkVk dk laxzghr djus] LFkkukarfjr djus ;k ,Dlsl djus ds fy, iSu Mªkbo ds mi;ksx ds dkj.k i/kku dk;ky; esa lpuk vkSj lqj{kk uhfr dk vuqikyu u djus ls MkVk gkfu] pksjh vkSj eSyos;j lØe.k dk [krjk gksrk gS(

(p) Vhyh lk¶Vos;j esa fdlh Hkh vof/k esa fdlh Hkh y[kkdu izfof"V;ksa dks la'kksf/kr djus] tksMus vkSj gVkus ds fy, Vhyh mi;ksxdrkZ dks izfrcaf/kr djus ds fy, dksbZ r= ugha gS(

(N) Vhyh esa dksbZ ykWd bu vof/k ugha gS tks deZpkfj;ksa dks fiNyh rkjh[k ij izfof"V;ksa dks la'kksf/kr djus vkSj gVkus dh vuqefr nsrh gSA

(ख) हमने कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार किया है जो आज तक जारी की गई हैं और लेखापरीक्षा के तहत वर्ष के लिए हमें उपलब्ध कराई गई हैं।

xv) कंपनी के जांचे गए अभिलेखों तथा हमें दी गई सूचना, स्पष्टीकरण और प्रबंधन अभ्यावेदन के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए अधिनियम की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xvi) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–झक के तहत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। तदनुसार, आदेश के इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ख) हमें दिए गए अभ्यावेदनों के अनुसार, कंपनी ने कोई गैर–बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियां संचालित नहीं की हैं। तदनुसार, आदेश के इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ग) और (घ) कंपनी के जांचे गए रिकॉर्ड और हमें दी गई जानकारी, स्पष्टीकरण और प्रबंधन अभ्यावेदनों के अनुसार, कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है और न ही समूह के पास समूह के हिस्से के रूप में कोई सीआईसी है। तदनुसार, आदेश के इन खंडों के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xvii) कंपनी ने वित्तीय वर्ष और तुरंत पहले के वित्तीय वर्ष के दौरान नकद घाटा नहीं उठाया है।

xviii) वर्ष के दौरान कंपनी के किसी भी सांवधिक लेखा परीक्षक ने त्यागपत्र नहीं दिया है। तदनुसार, आदेश के इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देयताओं के भुगतान की अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारे ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि पर कोई भी महत्वपूर्म अनिश्चितता मौजूद है जो यह इंगित करती है कि कंपनी तुलन–पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर, तुलन–पत्र की तारीख पर मौजूद अपनी देयताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हम उल्लेख करते हैं कि यह कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे यह भी उल्लेख करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन–पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देयताओं को कंपनी द्वारा चुका दिया जाएगा।

xx) (क) और (ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अधिनियम की धारा 135 के प्रावधान वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए कंपनी पर लागू नहीं हैं। तदनुसार, आदेश के इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

xxi) आदेश के इस खंड के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

—r i lkn vktkn ,M diuh
pkVM vdkmVV
फर्म पंजीकरण सं. : 001009एन

हस्ता./–
¼d- ,e- vktkn½
साझेदार
सदस्यता संख्या : 005125
यूडीआईएनः : 24005125BKMEVN7716

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16 जुलाई, 2024

31 ekp] 2024 dk lekIr o"k d fy, foÙkh; fooj.kk ij bfM;u LVVftd iVkfy;e fjt0l fyfeVM d foÙkh; ooj.kk ij Lor= y[kkijh{kdk dh lefnukfdr fjikV dk ^^vuyXud&[k**

diuh vf/kfu;e] 2013 ¼^^vf/kfu;e**½ dh /kkjk 143 dh mi&/kkjk 3 d [kM ¼i½ d rgr vkrfjd foÙkh; fu;=.k ij fjikV

हमने 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (''कंपनी'') के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ उसी तिथि को कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

vkrfjd foÙkh; fu;=.k d fy, icU/ku dk nkf;Ro

कंपनी का प्रबंधन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (''आईसीएआई'') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के बारे में निदेशात्मक टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, अधिनियम के तहत यथाआवश्यक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

y[kkijh{kdk dk mÙkjnkf;Ro

हमारी जिम्मेदारी, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करना है। हमने हमारी लेखापरीक्षा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की किसी लेखापरीक्षा पर लागू सीमा तक, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के संबंध में आईसीएआई द्वारा जारी मार्गदर्शी टिप्पणी (द गाइडंस टिप्पणी) और अधिनियम की धारा 143(10) में मानित रूप से निर्दिष्ट लेखांकन मानक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू और दोनों इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी, के अनुसरण में की है। इस मानक और मार्गदर्शी टिप्पणी की अपेक्षा है कि हम नीतिगत अपेक्षाओं का पालन करें और लेखा परीक्षा का आयोजन और निष्पादन यह औचित्यपूर्ण आश्वासन प्राप्त करने के लिए करें कि वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया है तथा ये नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण दशाओं में सभी प्रभावी रूप से लागू प्रचलित है।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता, और इनके प्रचालनीय प्रभाव के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आतंरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर वित्तीय नियंत्रण की समझ, ऐसे जोखिम कि क्या कोई महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद है, का निर्धारण, तथा निर्धारित जोखिम आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालन प्रभावकारिता का परीक्षण और मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रियाएँ, वित्तीय विवरणों की समग्र गलत बयानी, चाहे धोखाधड़ी या अशुद्धि के कारण हो, के मूल्यांकन सहित लेखा परीक्षक के अनुमान पर निर्भर करती है।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किया गया लेखा परीक्षा साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा की योग्य राय को आधार देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

foŸkh; fjikÉVx ij vkrfjd foŸkh; fu;=.k dk vk'k;

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने और बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया जाता है। कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) ऐसे अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित है, जिनसे उस कंपनी की परिसम्पत्तियों के लेनदेन और प्रवृति की सटीक और निष्पक्ष तथ्य यथोचित विवरण के साथ प्रस्तुत करती है; (2) उचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि लेनदेन को सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक के रूप में दर्ज किया गया है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसम्पत्तियों; जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करती हैं।

foŸkh; fjikÉVx ij vkrfjd foŸkh; fu;=.kk dh vrÆufgr lhek,

वित्तीय रिपोर्टिंग पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या प्रबंधन के अनुचित नियंत्रण की सम्भावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण मिथ्याबयानी हो सकती हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता। साथ ही, आगामी अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अध्यधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा में कमी आ सकती है।

;kX; jk;

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर, 31 मार्च, 2024 तक नियंत्रण संबंधी निम्नलिखित खामियों की पहचान की गई है :

(i) कंपनी ने सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित समय के भीतर कर चालान जारी नहीं किए हैं;

(ii) परिसंपत्तियों की बिक्री, कर्मचारियों को अग्रिम देने, कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति, पुरानी शेष राशि को बट्टे खाते में डालने/प्रतिलेखित करने के लिए कोई नीति नहीं है;

(iii) लेखा वाउचर पर तृतीय पक्ष के पेरोल (संविदाकार) के कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई अनुमोदन नहीं दिया गया है;

(iv) वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए एमसीए/आरओसी फॉर्म डीपीटी–3 अभी तक कंपनी द्वारा दाखिल नहीं किया गया है;

(v) कंपनी के पास वर्ष के दौरान 10 से अधिक कर्मचारी हैं, लेकिन कंपनी ने ईएसआईसी अधिनियम, 1948 के तहत पंजीकरण प्राप्त नहीं किया है और इसके प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है। इसके अलावा, कंपनी में वर्ष के दौरान 20 से अधिक कर्मचारी (तृतीय पक्ष संविदाकारों के माध्यम से कर्मचारियों सहित) हैं, लेकिन कंपनी ने ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 के तहत पंजीकरण प्राप्त नहीं किया है और इसके प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

(vi) कंपनी द्वारा (परामर्शदाता के माध्यम से) किए गए परीक्षण में पिछले कुछ वर्षों में कुछ नियंत्रण खामियों की बार–बार रिपोर्ट की जा रही है, जिन्हें कंपनी द्वारा संबोधित करने की आवश्यकता है।

"महत्वपूर्ण कमजोरी" वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में खामी या खामियों का एक संयोजन है, जिससे यह उचित संभावना होती है कि कंपनी के वार्षिक वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण मिथ्याबयानी को समय पर रोका या पता नहीं लगाया जा सकेगा।

हमारी राय में, नियंत्रण मानदंडों के उद्देश्यों की प्राप्ति पर ऊपर वर्णित महत्वपूर्ण कमजोरी के संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी के पास सभी महत्वपूर्ण मामलों में, इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के आधार पर 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार प्रभावी रूप से काम कर रहे थे।

हमने कंपनी के 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में लागू लेखापरीक्षा परीक्षण की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में ऊपर अभिचिह्नित और बताई गई महत्वपूर्ण कमजोरियों पर विचार किया है और ये महत्वपूर्ण कमजोरियां कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करती हैं।

—r ilkn vktkn ,M diuh
pkVM vdkmVV
फर्म पंजीकरण सं. : 001009एन

हस्ता/–
¼d- ,e- vktkn½
साझेदार
सदस्यता संख्या : 005125
यूडीआईएनः : 24005125BKMEVN7716

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16 जुलाई, 2024

अनुलग्नक–ग

foŸkh; o"k 2023&24 d fy, lkfof/kd y[kkijh{kd dh y[kkijh{kk fVIif.k;k ij ic/ku dk mŸkj

y[kkijh{kd fVIi.kh l[;k	y[kkijh{kk dh fVIi.kh
1.	pj.k&II d fy, iklr vuqnku e l] o"k d nkjku l{ke ikf/kdkjh@iVkfy;e ,o ik—frd xl e=ky; d vuekn d fcuk eixykj ,lbtM fyfeVM dk Hkfe vf/kxg.k d fy, iVVk ihfe;e d fy, pj.k&I d foLrkj d fy, ₹2069-39 yk[k dk Hkxrku fd;k x;k vkj mldk mi;kx fd;k x;kA ftld dkj.k foŸkh; ifjlifŸk;k d vrxr ^udnh vkj udnh led{k* de g vkj ^vU; xj&pkyw ifjlifŸk;k* mlh lhek rd vf/kd gA
izc/ku dk mŸkj	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में योजना (चरण–II के अंतर्गत कैवर्न्स का निर्माण) से नई योजना ''भूमि के लिए आईएसपीआरएल को भुगतान'' के लिए निधियों का पुर्नआबंटन प्रगति पर है।
2.	foŸkh; fooj.kk d fVIi.kh l[;k 2 e idV dh xbl vpy ifjlifŸk;k ¼mi;kxkf/kdkj ifjlifŸk;k½ d LokfeRo foy[k duh d uke ij j[k x, g] flok; uhp fn, x, ekey d [foŸkh; fooj.kk dh fVIi.kh l[;k 40¼xix½ n[k]

lifŸk dk fooj.k	ldy ogu eY; ¼yk[k #i; e½	fdld uke ij /kkfjr	iekVj] fun'kd ;k mud fj'rnkj ;k depkjh	/kkfjr fd, tku dh vof/k & tgk mi;qä gk] lhek bfxr dj	duh d uke ij u gku dk dkj.k
उपयोग का अधिकार – मैंगलोर विशेष आर्थिक क्षेत्र में भूमि (104.73 एकड़)	8492.50	मैंगलोर एसईजेड लिमिटेड और कंपनी के बीच 7 मार्च, 2017 को हुआ पट्टा करार कंपनी के नाम पर पंजीकृत नहीं है।	नहीं	भूमि के कब्जे की तिथि से 26 जनवरी, 2060 तक पट्टा। रिकॉर्ड में उपलब्ध 100.02 एकड़ के लिए आवंटन की तारीख 23.11.2009 है और 4.71 एकड़ के लिए 11.04.2018 है। हालाँकि, कब्ज़ा लेने की तारीख का दस्तावेज़ कंपनी के रिकॉर्ड में नहीं है।	जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी पट्टा विलेख के पंजीकरण के लिए मैंगलोर एसईजेड लिमिटेड से संपर्क कर रही है।

izc/ku dk mŸkj	उद्योग एवं वाणिज्य निदेशालय के दिनांक 06 अप्रैल, 2023 के पत्र के अनुसार, आईएसपीआरएल ने एमएसईजेडएल के साथ पट्टा विलेख पंजीकरण के लिए 100% स्टाम्प ड्यूटी छूट प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है। आईएसपीआरएल ने बाजपे नगर पंचायत से खाता प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है। परमूडे और बाला पंचायत से फॉर्म 9 और 11 प्राप्त कर लिया गया है, हालांकि जोकट्टे ग्राम पंचायत से यह लंबित है। इस पर तेजी से काम किया जा रहा है। सभी दस्तावेज प्राप्त होने के बाद, पट्टा विलेख पंजीकृत किया जाएगा।

3.	vkbZ,lihvkj,y vkj ,pihlh,y d chp iVVk djkj e fdjk;s d Hkqxrku e nsjh d dkj.k udnh izokg ij iHkko vkj lHkkfor mipkj dh gkfu d fy, dkbZ 'kkfLr [kM ugh g(
iz c/ku dk mÙkj	ईओआई में किसी शास्ति संबंधी प्रावधान की परिकल्पना नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, एचपीसीएल के भुगतान में देरी एसएपी प्लेटफॉर्म पर उनके संक्रमण के कारण हुई है। भविष्य में समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एचपीसीएल के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ चर्चा चल रही है।
4.	iR;sd ekg d fy, depkjh dk osru fiNys ekg dh mudh mifLFkfr d vk/kkj ij lalk/kr fd;k tkrk g(
iz c/ku dk mÙkj	आईएसपीआरएल अपने कर्मचारियों को माह के आखिरी दिन वेतन का भुगतान करता है। इसलिए वेतन भुगतान के लिए पिछले माह की उपस्थिति के रिकॉर्ड पर विचार किया जाता है। यह उद्योग परिपाटी अनुरूप है।
5.	¼d½ Hkrh uhfr] ¼[k½ mifLFkfr uhfr] ¼x½ eY;kadu uhfr] ¼?k½ iFkDdj.k@fudkl uhfr] ¼³½ fgrks d Vdjko lac/kh 'kiFki= dk doj djus okyh dkbZ ekuo lalk/ku uhfr rS;kj ugha dh xbZ(
iz c/ku dk mÙkj	आईएसपीआरएल की मानव संसाधन नीति का मसौदा आवश्यक अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है।
6.	¼d½ /kks[kk/kM+h fojks/kh uhfr] ¼[k½ fOgLly Cyksvj uhfr] ¼x½ vkpkj lafgrk d lac/k e dkbZ bdkbZ Lrj fu;a=.k ugha g] ftlds ifj.kkeLo:i 'kh"kZ ij vlrks"ktud vuqdyu] fu;a=.kks d iczaèku dk vfr0;kiu] dr0;ksa dk vuqfpr iFkDdj.k vkj fuokjd dh rqyuk e tkylkth fu;a=.kks ij vR;f/kd fuHkZjrk g(
iz c/ku dk mÙkj	ओआईडीबी के तहत एक एसपीवी आईएसपीआरएल लागू होने पर शासन नीतियां तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम विभिन्न नीतियों की आवश्यकता की समग्र समीक्षा कर रहे हैं और उन्हें चालू वित्तीय वर्ष में लागू किया जाएगा।
7.	diuh MkVk dks lqjf{kr djus] LFkkukarfjr djus ;k ml rd igqapus d fy, iu Mªkbo d mi;ksx d dkj.k eq[;ky; e lpuk vkj lwpuk iz.kkyh dk vuqikyu u djus ls MkVk gkfu] pkjh vkj eSyos;j lØe.k dk [krjk gkrk g(
iz c/ku dk mÙkj	कंपनी की अपनी आईटी नीति है। आईटी नीति बिना किसी उचित स्वीकृति के कंपनी डाटा को संग्रहीत करने, स्थानांतरित करने या एक्सेस करने के लिए पेन ड्राइव के उपयोग को प्रतिबंधित करती है। प्रधान कार्यालय में पेन ड्राइव के उपयोग को रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं।
8.	Vsyh lk¶Vos;j e fdlh Hkh vof/k e fdlh Hkh ys[kkadu izfof"V dks la'kkf/kr djus] tksMu vkj gVkus d fy, Vsyh mi;kxdrk dks izfrcaf/kr djus dh dkbZ iz.kkyh ugha g(
iz c/ku dk mÙkj	कंपनी ने टैली में आवश्यक सुरक्षा सुविधा लागू की है, जहां कोई भी उपयोगकर्ता (एडमिन की स्वीकृति के अलावा) लेखांकन प्रविष्टियों में कोई संशोधन, विलोपन नहीं कर सकता है।
9.	Vsyh e dkbZ ykd&bu vof/k ugha g] tks depkfj;ksa dks fiNyh frfFk ij izfof"V;ksa dks la'kksfèkr djus vkj gVkus dh vuqefr nsrh gA
iz c/ku dk mÙkj	कंपनी ने टैली में आवश्यक सुरक्षा सुविधा लागू की है, जिसके तहत केवल निर्दिष्ट अवधि के लिए ही बैक डेटेड प्रविष्टि को टैली सॉफ्टवेयर में पोस्ट करने की अनुमति होगी।
10.	diuh us lkfof/kd izkf/kdj.kks }kjk fu/kkfjr le; d Hkhrj dj pkyku tkjh ugha fd;k g(
iz c/ku dk mÙkj	अधिकांश चालान निर्धारित समय सीमा के भीतर जारी किए गए। भविष्य में आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
11.	ifjlifÙk;ksa dh fcØh] depkfj;ksa dks vfxze jkf'k nsu] depkjh ifrifr] ijkuh 'ks"k jkf'k dk cVVs [kkrs e Mkyu@ifrysf[kr djus d fy, dkbZ uhfr ugha g(

ic/ku dk mŸkj	संशोधित लैम को अंतिम रूप दिया जा रहा है जिसमें ये टिप्पणियां शामिल होंगी। कर्मचारियों को अग्रिम राशि देने की नीति को मानव संसाधन नीति के मसौदे में शामिल किया गया है।
12.	y[kkdu okmpj ij rhlj i{k d ijkly ¼lfonkdkj½ d depkfj;k }kjk gLrk{kj fd, tkr g] ftld fy, l{ke ikf/kdkjh }kjk dkbZ vuekmnu ugh fn;k tkrk g(
ic/ku dk mŸkj	संविदा कर्मचारियों को लेखा वाउचर, बीआरएस आदि पर हस्ताक्षर करने के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।
13.	foŸkh; o"k 2022&23 d fy, ,elh,@vkjvklh Qke MhihVh&3 diuh }kjk vHkh rd nkf[ky ugh fd;k x;k g(
ic/ku dk mŸkj	डीपीटी–3 को सरकारी कंपनी द्वारा दाखिल करना आवश्यक नहीं है। तकनीकी रूप से, हम एक सरकारी कंपनी नहीं हैं, इसलिए सुशासन परिपाटी और अनुपालन के अनुसार, डीपीटी–3 फॉर्म वित्त वर्ष 2021–22 तक दाखिल किया गया है, जिसमें कंपनी की श्रेणी को गैर–सरकारी कंपनी के रूप में चुना गया था और इसे सफलतापूर्वक दाखिल किया गया था। हालांकि, वित्त वर्ष 2022–23 के लिए, एमसीए वी3 पोर्टल ने एक त्रुटि संदेश दर्शाया कि, कंपनी की श्रेणी" – ''इस फॉर्म में सरकारी कंपनी के अलावा अन्य कंपनी'' के रूप में चयनित किया गया है'', हालांकि, कंपनी एमसीए रिकॉर्ड के अनुसार एक सरकारी कंपनी है"। दो राय सामने आईं – एक राय यह थी कि फॉर्म को सरकारी कंपनी के रूप में भरें और फॉर्म के साथ स्पष्टीकरण टिप्पणी संलग्न करें। दूसरी राय जो सामने आई, वह यह थी कि पहले एमसीए पोर्टल पर स्थिति को अदयतन करें और उसके बाद एमसीए डाटाबेस के साथ सहमति से कंपनी की श्रेणी के साथ फॉर्म डीपीटी–3 दाखिल करें ताकि भविष्य में किसी भी तरह से गैर–अनुपालन से बचा जा सके। यह विवेकपूर्ण और पर्याप्त सावधानी के तौर पर माना गया कि आईएसपीआरएल सबसे पहले अपने एमओए और एओए में संशोधन करेगा और एमसीए पोर्टल पर स्थिति को संरेखित करेगा और उसके बाद वित्त वर्ष 2022–23 के लिए फॉर्म डीपीटी–3 दाखिल करेगा।
14.	o"k d nkjku diuh d ikl 10 l vf/kd depkjh g] yfdu diuh u b,lvkblh vf/kfu;e] 1948 d rgr ithdj.k ikIr ugh fd;k g vkj bld iko/kkuk dk vuikyu ugh fd;k gA bld vykok] o"k d nkjku diuh d ikl 20 l vf/kd depkjh ¼r'rh; i{k d lfonkdkjk d ek/;e l depkfj;k lfgr½ g] yfdu diuh u bih,Q vkj ,eih vf/kfu;e] 1952 d rgr ithdj.k ikIr ugh fd;k g vkj bld iko/kkuk dk vuikyu ugh fd;k gA
ic/ku dk mŸkj	b,lvkbZ& चूंकि, आईएसपीआरएल कर्मचारियों का वेतन अधिनियम में निर्धारित सीमा से अधिक है, इसलिए ईएसआई के साथ पंजीकरण नहीं किया गया था। इस मामले पर उप निदेशक ईएसआई से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया था। हालांकि, जैसा कि सांविधिक लेखा परीक्षकों ने उल्लेख किया है, ईएसआई प्राधिकरण के साथ पंजीकरण के लिए कदम उठाए गए हैं। ih,Q& चूंकि कंपनी में 20 से कम कर्मचारी हैं, इसलिए पीएफ का प्रावधान लागू नहीं है। हालांकि, जैसा कि सांविधिक लेखा परीक्षकों ने उल्लेख किया है, पीएफ प्राधिकरण के साथ पंजीकरण के लिए कदम उठाए गए हैं।
15.	diuh }kjk ¼ijke'knkrk d ek/;e l½ fiNy dN o"kk e fd, x, ijh{k.kk e dN fu;=.k lc/kh detkfj;k dh ckj&ckj fjikVZ dh tk jgh g] ftUg diuh }kjk lckf/kr fd, tku dh vko';drk gA
ic/ku dk mŸkj	आईएफसीओआर लेखा परीक्षक की सिफारिशों की समीक्षा की जा रही है और उन्हें चालू वित्तीय वर्ष में आवश्यकतानुसार लागू किया जाएगा।

अनुलग्नक–घ

31 ekp] 2024 dk lekIr o"k d fy, bfM;u LVVftd iVkfy;e fjt0l fyfeVM d foŸkh; fooj.kk ij diuh vf/kfu;e] 2013 dh /kkjk 143¼6½¼[k½ d rgr Hkkjr d fu;=d vkj egkys[kk ijh{kd dh fVIif.k;k

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह उल्लेख किया गया है कि यह कार्य उनके द्वारा 16 जुलाई 2024 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6)(क) के तहत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षक के कार्यकारी दस्तावेजों तक पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षक और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ और कतिपय लेखा अभिलेखों की चयनात्मक जाँच तक सीमित है।

मेरे द्वारा की गई अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है, जिसके लिए अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर किसी टिप्पणी या पूरक की आवश्यकता हो।

Hkkjr d fu;=d ,o egkys[kk ijh{kd d fy, vkj dh vkj l

gLrk-@&
chju fnu'kpæ ijekj
okf.kT; d ys[kk ijh{kk egkfun'kd] eqcbZ

LFkku% eqcbZ
fnukd% 20 flrcj] 2024

अनुलग्नक–ङ

Qkke ,evkj&3
lfpoh; ys[kkijh{kk fjiksVZ

31 ekpZ 2024 dks lekIr foŸkh; o"kZ

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) 2014 के नियम संख्या 9 के अनुपालन में]

सेवा में,
सदस्यगण,
इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
301 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,
तृतीय तल, बाबर रोड
नई दिल्ली–110001

geus bafM;u LVsVsftd isVªksfy;e fjtoZ fyfeVsM **CIN U63023DL2004GOI126973**, (जिसे इसमें आगे ''कंपनी'' कहा गया है), द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और विकसित निगमित पद्धतियों के पालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस तरह से संचालित की गई है की हमें निगमित आचरण/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने का एक तर्कसंगत आधार प्राप्त हुआ।

कंपनी की बही, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, प्रपत्रों और कंपनी द्वारा दायर विवरणियों एवं बनाए गए अन्य अभिलेखों तथा कंपनी, उसके अधिकारियों, अभिकर्ताओं और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 ekpZ 2024 को समाप्त वर्ष वाली लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान यहां सूचीबद्ध सभी सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास यहां रिपोर्ट किये गए तरीके तथा शर्तों के अध्यधीन उचित बोर्ड–प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र उपलब्ध हैं :

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की बही, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, प्रपत्रों और दायर विवरणियों और अन्य अभिलेखों की जांच की है :

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए') और उसके तहत बनाए गए नियम;

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार की सीमा तक; ykxw ugha

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश :

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015; ykxw ugha

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियमन, 2011; ykx ugh

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (आंतरिक ट्रेडिंग पर निषेध) विनियमन, 1992; ykx ugh

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी जारी करना और अपेक्षाओं का प्रकटीकरण) विनियमन, 2018; ykx ugh

(ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी हितलाभ और स्वीट इक्विटी) दिशानिर्देश, 2021; ykx ugh

(च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम और शेयर अंतरण अभिकर्ता के लिए रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और क्लाइंट से निपटने से संबंधित;

(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध करना) विनियमन, 2021; ykx ugh

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियमन, 2018; ykx ugh

(vi) हमने इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेट्रीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सचिवीय मानकों के लागू खंडों के साथ अनुपालन की भी जांच की।

(vi) अन्य लागू कानून :

i) पेट्रोलियम अधिनियम, 1934;

ii) भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884;

iii) महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013

(vii) पर्यावरण कानून :

i) जल (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974

ii) वायु (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981

iii) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

iv) खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) नियम, 2016

हमने कंपनी पर लागू अन्य कानूनों और विनियमों के तहत अनुपालन के लिए कंपनी द्वारा गठित प्रणालियों और तंत्र के लिए कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर विश्वास किया है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

ge vkx ;g Hkh fjikV djr g fd

कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कार्यकारी निदेशकों और गैर–कार्यकारी निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो परिवर्तन किए गए, वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कुछ बोर्ड बैठकें और समिति की बैठकें अल्पावधि नोटिस पर बुलाई गई, कार्यसूची के साथ–साथ कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियां भी अल्पावधि नोटिस पर भेजी गई और निदेशकों से सहमति ली गई। बैठक से पहले कार्यसूची की मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बोर्ड/समिति की बैठकों के लिए कंपनी द्वारा बनाए गए कार्यवृत्तों के अनुसार सभी निर्णय सर्वसम्मति से किए गए हैं। बोर्ड के सदस्यों ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान कार्यसूची की किसी भी मद पर कोई असहमतिपूर्ण विचार व्यक्त नहीं किया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के आकार और प्रचालन के अनुरूप कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने उपर्युक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों को बड़े तौर पर प्रभावित करने वाली घटनाएँ/कार्रवाई नहीं की है।

—r% ih th ,.M ,lksfl,V~l
(कंपनी सचिव)
विशिष्ट कोड नंबर : S2004UP073600

हस्ता./-
lh,l ih;fr xkSoj
(प्रोपराइटर)
एफसीएस : 5862, सीपी सं. : 6065
ih;j fj0;w uacj: **772/2020**

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 22.05.2024

;wMhvkbZ,u% **F005862F000418868**

अनुलग्नक–क

सेवा में,
सदस्यगण,
इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
301, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर
तृतीय तल, बाबर रोड
नई दिल्ली–110001

y[kkijh{kd dh ftEenkjh

लेखापरीक्षा के आधार पर, हमारी जिम्मेदारी कंपनी द्वारा लागू कानूनों के अनुपालन और अभिलेखों का रखरखाव पर एक राय व्यक्त करना है। हमने इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेट्रीज ऑफ इंडिया ("आईसीएसआई") द्वारा निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों सीएसएएस 1 से सीएसएएस 4 ("सीएसएएस") के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की। इन मानकों के अनुसार लेखापरीक्षक को सांविधिक और विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करना चाहिए और लागू कानूनों के अनुपालन और अभिलेखों के रखरखाव के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनानी चाहिए और उसे निष्पादित करना चाहिए।

आंतरिक, वित्तीय और प्रचालन नियंत्रणों सहित लेखापरीक्षा की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, एक अपरिहार्य जोखिम है कि कुछ मिथ्याबयानी या महत्वपूर्ण गैर–अनुपालन का पता नहीं चल सकता है, भले ही लेखापरीक्षा सीएसएएस के अनुसार उचित रूप से योजनाबद्ध और निष्पादित की गई हो। हमारी समदिनांकित रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जानी है :

1. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारे निष्कर्ष/लेखापरीक्षा के आधार पर, इन सचिवीय अभिलेखों पर अपनी राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है।
2. हमने लेखा परीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है जो सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की यथार्थता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित होते हैं, परीक्षण के आधार पर सत्यापन किया गया था। हम मानते हैं कि जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का हमने पालन किया है, वे हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा बहियों की यथार्थता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है और इनके लिए हमने सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर विश्वास किया है।
4. हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का अभ्यावेदन, जहां कहीं आवश्यक हो, प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच, परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावोत्पादकता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

—r] ih th ,M ,lkfl,V~l
(कंपनी सचिव)
विशिष्ट कोड नंबर : S2004UP073600

हस्ता./-
lh,l ihfr xkoj
(प्रोपराइटर)
एफसीएस : 5862, सीपी सं. : 6065
ih;j fj0;w udj: **772/2020**

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 22.05.2024
;wMhvkbZ,u% **F005862F000418868**

okf"kd y[k

2023-24

31 ekp] 2024 rd dh fLFkfr dk vuqlkj rqyu&i=

lhvkbZ,u:-U63023DL2004GOI126973

	fooj.k	fVIi.kh la[;k	₹ लाख में 31 ekp] 2024 rd dh fLFkfr dk vuqlkj	₹ लाख में 31 ekp] 2023 rd dh fLFkfr dk vuqlkj
(I)	ifjlEifRr;k			
	xSj pkyw ifjlEifRr;k			
	(क) सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण	2	2,98,218.63	3,08,106.69
	(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	2.1	-	-
	(ग) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	3	7,150.36	7,150.39
	(घ) वित्तीय पूंजी			
	(i) ऋण	4	-	-
	(ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	5	5,778.69	18,611.77
	(ङ) आयकर परिसंपत्ति	6	1,161.77	986.50
	(च) अन्य गैर – चालू परिसंपत्ति	7	20,066.60	10,294.62
	mi&;ksx		**3,32,376.05**	**3,45,149.97**
(II)	pkyw ifjlEifRr;k			
	(क) वित्तीय पूंजी			
	(i) व्यापार प्राप्तियां	8	69.59	-
	(ii) नकदी और नकदी समतुल्य	9	10,287.90	1,883.76
	(iii) उपरोक्त के अलावा अन्य बैंक शेष	10	-	-
	(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	11	22,255.72	1,432.48
	(ख) अन्य चालू परिसंपत्तियां	12	2,185.61	1,797.61
	mi&;ksx		**34,798.82**	**5,113.85**
	dqy ifjlEifRr;k		**3,67,174.87**	**3,50,263.82**
	bfDoVh vkSj nss;rk			
(I)	bfDoVh			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	13	3,79,005.47	3,79,005.47
	(ख) अन्य इक्विटी	14	(72,038.39)	(63,168.45)
	mi&;ksx		**3,06,967.08**	**3,15,837.02**
(II)	nss;rk,a			
	xSj&pkyw nss;rk,a			
	(क) वित्तीय देयताएं			
	(i) उधारी	-	-	-
	(iक) पट्टा देयताएं	15	552.31	554.71
	(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	16	22.28	17.37
	(ख) प्रावधान	17	7.45	-
	mi&;ksx		**582.04**	**572.08**
(III)	pkyw nss;rk,a			
	(क) वित्तीय देयताएं			
	(i) उधारी	18	-	-
	(iक) पट्टा देयताएं	19	4.15	3.77
	(ii) व्यापार देयताएं			
	(क) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों को कुल बकाया राशि	20	346.95	204.41
	(ख) उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया	20	1,812.49	1,687.20
	(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	21	27,141.04	22,092.40
	(ख) प्रावधान	22	0.87	-
	(ग) अन्य चालू देयताएं	23	30,320.25	9,866.94
	mi&;ksx		**59,625.75**	**33,854.72**
	dqy bfDoVh vkSj nss;rk,a		**3,67,174.87**	**3,50,263.82**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संबंधी जानकारी — 1
लेखा संबंधी टिप्पणियां — 2- 40(liii)
उपर्युक्त उल्लिखित टिप्पणियां, वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।
हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

funs'kd eMy ds fy, vkSj mudh vkSj ls

ih-lkn vtkn ,.M dEiuh ds fy,
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या : 001009N

हस्ता./-
¼bZ'kk JhokLro½
निदेशक
डीआईएन : 08504560

हस्ता./-
¼y[kir jk; tSu½
मु.का.अ. एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08505199

हस्ता./-
¼d-,e- vktkn½
साझेदार
सदस्यता संख्या : 005125

हस्ता./-
¼nhid dqekj½
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता./-
¼f'kYih egrh½
कंपनी सचिव
ACS-19333

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 16 जुलाई, 2024

स्थानः दिल्ली
दिनांकः 16 जुलाई, 2024

31 ekp] 2024 dk lekIr o"k ds fy, ykHk vkj gkfu dk fooj.k

lhvkbZ,u:-U63023DL2004GOI126973

fooj.k	fVIi.kh la[;k	₹ लाख में 31 ekp] 2024 rd dh fLFkfr ds vuqlkj	₹ लाख में 31 ekp] 2023 rd dh fLFkfr ds vuqlkj
vk;			
प्रचालन से राजस्व	24	1,047.74	205.81
अन्य आय (ओ एंड एम अनुदान सहित)	25	14,532.98	14,966.21
dqy vk;		**15,580.72**	**15,172.02**
0;;			
कर्मचारी हितलाभ व्यय	26	1,254.51	1,230.74
वित्त लागत	27	344.93	885.43
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	28	9,902.36	9,943.14
अन्य खर्चो			
- - संचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) व्यय	29.1	12,948.46	12,497.86
- - चरण II परियोजना के लिए व्यय	29.2	-	314.15
- - विविध व्यय	29.3	0.40	2.08
dqy 0;;		**24,450.66**	**24,873.40**
कर पूर्व लाभ/(हानि)		**(8,869.94)**	**(9,701.38)**
dj 0;;:			
वर्तमान कर		-	-
आस्थगित कर		-	-
dqy dj 0;;		-	-
o"k ds fy, ykHk@¼gkfu½		**(8,869.94)**	**(9,701.38)**
अन्य व्यापक आय		-	-
o"k ds fy, dqy 0;kid vk; ¼o"k ds fy, ykHk@¼gkfu½ vkj vU; 0;kid vk; lfgr½		**(8,869.94)**	**(9,701.38)**
प्रति इक्विटी शेयर आय (प्रत्येक का सममूल्य ₹10/–)	30		
(i) बेसिक		(0.23)	(0.26)
(ii) तनुकृत		(0.23)	(0.26)

महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संबंधी जानकारी — 1
लेखा संबंधी टिप्पणियां — 2-40(liii)
उपर्युक्त उल्लिखित टिप्पणियां, वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।
हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

funs'kd eMy ds fy, vkj mudh vkj ls

ilkn vkStkn ,M dEiuh ds fy,
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या : 001009N

हस्ता./-
¼bZ'kk JhokLro½
निदेशक
डीआईएन : 08504560

हस्ता./-
¼y[kir jk; tSu½
मु.का.अ. एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08505199

हस्ता./-
¼d-,e- vkStkn½
साझेदार
सदस्यता संख्या : 005125

हस्ता./-
¼nhid dqekj½
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता./-
¼f'kYih ekgrh½
कंपनी सचिव
ACS-19333

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 16 जुलाई, 2024

स्थानः दिल्ली
दिनांकः 16 जुलाई, 2024

31 ekpZ 2024 dks lekIr o"kZ ds fy, udnh izokg dk fooj.k

lhvkbZ,u:-U63023DL2004GOI126973

Øe la[;k	fooj.k	₹ yk[k esa 31 dks lekIr o"kZ ds fy, ekpZ 2024	₹ yk[k esa 31 dks lekIr o"kZ ds fy, ekpZ 2023
(d)	ifjpkyu xfrfof/k;ksa ls udnh izokg fooj.k		
	कर–पूर्व निवल लाभ/(हानि)	(8,869.94)	(9,701.38)
	निम्नलिखित के लिए समायोजन : –		
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	9,902.36	9,943.14
	निम्नलिखित को बट्टे खाते में डालने पर हानि	0.35	2.08
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	-	21.00
	व्यय/विपूंजीकरण में प्रभारित संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	(2.38)	
	समायोजन/पूंजीकरण में प्रभारित संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	-	(0.01)
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर लाभ	344.93	885.43
	वित्त लागत ब्याज आय	(401.36)	(907.86)
	dk;Zf'khy iwath esa ifjorZu ls igys ifjpkyu ykHk	**973.96**	**242.40**
	निम्नलिखित के लिए समायोजन : –		
	वित्तीय एवं अन्य परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(30,650.36)	3,647.82
	देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	21,484.20	(12,232.34)
	dk;Zf'khy iwath esa fuoy of)@¼deh½	**(9,166.16)**	**(8,584.52)**
	ifjpkyu ls mRiUUk udnh	**(8,192.20)**	**(8,342.12)**
	प्रत्यक्ष कर का भुगतान (प्रतिदाय के बाद निवल)	(175.28)	(86.11)
	ifjpkyu ls dqy udnh izokg ¼d½	**(8,367.48)**	**(8,428.23)**
([k)	fuos'k xfrfof/k;ksa ls udnh izokg		
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद	(12.28)	(127.86)
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर प्रतिफल	-	1.74
	सावधि जमा में निवेश (3 माह से अधिक)	10,248.99	6,844.17
	प्राप्त ब्याज	401.36	907.86
	fuos'k xfrfof/k;ksa esa iz;qä fuoy udnh ¼[k½	**10,638.07**	**7,625.91**
(x)	foÙkh; xfrfof/k;ksa ls udnh izokg		
	ओआईडीबी से चरण II के लिए अनुदान से प्राप्तियां (रिफंड के बाद निवल)	298.82	-
	ओआईडीबी से अनुदान का परिशोधन	-	(314.15)
	भूमि के लिए भारत सरकार से अनुदान से प्राप्त आय	4,000.00	-
	वित्त लागत (इंड एएस 116)	(344.93)	(885.43)
	पट्टा देयताएं (इंड एएस 116)	(2.03)	(3.73)
	foÙkh; xfrfof/k;ksa ls fuoy udnh izokg ¼x½	**3,951.86**	**(1,203.31)**
(?k)	udnh ,oa udnh led{kksa esa fuoy of)@¼deh½ ¼d$[k$x½	**6,222.45**	**(2,005.63)**
	udnh vkSj udnh led{kksa dk izkjfEHkd 'ks"k	**248.76**	**2,254.39**
	udnh vkSj udnh led{kksa dk vafre 'ks"k	**6,471.21**	**248.76**
	udnh vkSj udnh lerqY; ds ?kVd		
	बैंकों के पास शेष राशि		
	--बचत खातों में	5,455.44	197.66
	--चालू खातों में	54.74	51.10
	--tek [kkrksa esa		
	-- सावधि जमा (मूल परिपक्वता अवधि 3 माह तक)	961.03	-
	--हाथ में नकदी	-	-
	dqy	**6,471.21**	**248.76**

fVIi.kh :

1. उपरोक्त नकदी प्रवाह विवरण नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में इंड एएस 7 में निर्धारित "अप्रत्यक्ष विधि" के तहत तैयार किया गया है।

महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संबंधी जानकारी — 1

लेखा संबंधी टिप्पणियां — 2- 40(liii)

उपर्युक्त उल्लिखित टिप्पणियां, वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

gekjh lyXu lefnukafdr fjiksVZ ds vuqlkj

iqlkn vkSj ,lksfl,V~l ds fy,
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या : 001009N

हस्ता./-
¼d-,e- vkuUn½
साझेदार
सदस्यता संख्या : 005125

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 16 जुलाई, 2024

funs'kd eMy ds fy, vkSj mudh vksj ls

हस्ता./-
¼bZ'k JhokLro½
निदेशक
डीआईएन : 08504560

हस्ता./-
¼y[kir jk; tSu½
मु.का.अ. एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08505199

हस्ता./-
¼nhid dqekj½
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता./-
¼f'kYih ekgrh½
कंपनी सचिव
ACS-19333

स्थानः दिल्ली
दिनांकः 16 जुलाई, 2024

31 ekp] 2024 dks lekIr o"kZ ds fy, bfDoVh esa ifjorZu dk fooj.k

d. bfDoVh 'ks;j iwath

fooj.k	₹ yk[k esa 31 ekp] 2024 rd dh fLFkfr ds vuqlkj	₹ yk[k esa 31 ekp] 2023 rd dh fLFkfr ds vuqlkj
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि (क) पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन (ख)	3,79,005.47 -	3,79,005.47 -
fjiksfVZax vof/k dh 'kq#vkr esa iqujZ mfYyf[kr 'ks"k jkf'k ¼x½ ¾ ¼d½ $ ¼[k½	**3,79,005.47**	**3,79,005.47**
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन (घ)	-	-
fjiksfVZax vof/k ds var esa 'ks"k jkf'k ¼³½ ¾ ¼x½ $ ¼?k½	**3,79,005.47**	**3,79,005.47**

[k. vU; bfDoVh

fooj.k	₹ yk[k esa 31 ekp] 2024 rd dh fLFkfr ds vuqlkj	₹ yk[k esa 31 ekp] 2023 rd dh fLFkfr ds vuqlkj
	ifr/kkfjr vk;	
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि (क) लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ (ख)	(63,168.45) -	(53,467.07) -
fjiksfVZax vof/k dh 'kq#vkr esa iqujZ mfYyf[kr 'ks"k jkf'k ¼x½ ¾ ¼d½ $ ¼[k½	**(63,168.45)**	**(53,467.07)**
प्रतिधारित आय में अंतरित (घ) वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (ङ)	(8,869.94) -	(9,701.38) -
fjiksfVZax vof/k ds var esa 'ks"k jkf'k ¼p½ ¾ ¼x½ $ ¼?k½ $ ¼³½	**(72,038.39)**	**(63,168.45)**

iqlkn vkst kn ,.M dEiuh ds fy,
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या : 001009N

हस्ता./-
¼d-,e- vkt kn½
साझेदार
सदस्यता संख्या : 005125

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 16 जुलाई, 2024

funs'kd eMy ds fy, vkj mudh vksj ls

हस्ता./-
¼b'kk JhokLro½
निदेशक
डीआईएन : 08504560

हस्ता./-
¼y[kir jk; tSu½
मु.का.अ. एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08505199

हस्ता./-
¼nhid dqekj½
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता./-
¼f'kYih egkrh½
कंपनी सचिव
ACS-19333

स्थानः दिल्ली
दिनांकः 16 जुलाई, 2024

foÙkh; fooj.k dk Hkkx cuus okyh fVIif.k;k

fVIi.kh la[;k 2 % laifÙk] la;a= vkSj midj.k

₹ yk[k esa

fooj.k	ldy Cykd: 1 vizSy] 2023 rd dh fLFkfr ds vuqlkj	ldy Cykd: o"kZ ds nkSjku ifjo/kZu	ldy Cykd: fuLrkj.k@ dVkSrh@ vrj.k@ iquoxhZdj.k@mi;kxh dky dk iquewY;u	ldy Cykd: 31 ekpZ 2024 rd dh fLFkfr ds vuqlkj	eY;gkl@ifj'kks/ku: 31 ekpZ 2023 rd eY;gkl	eY;gkl@ifj'kks/ku: o"kZ ds fy, eY;gkl	eY;gkl@ifj'kks/ku: fuLrkj.k@dVkSrh@ vrj.k@ iquoxhZdj.k @mi;kxh dky dk dk iquewY;u	eY;gkl@ifj'kks/ku: 31 ekpZ 2024 rd dqy eY;gkl	fuoy Cykd: 31 ekpZ 2024 rd dh fLFkfr ds vuqlkj	fuoy Cykd: 31 ekpZ 2023 rd dh fLFkfr ds vuqlkj
(क) भवन	18,447.51	-	-	18,447.51	2,972.06	511.92	-	3,483.98	14,963.53	15,475.45
(ख) सड़कें और पुलिया	3,165.30	-	-	3,165.30	2,079.91	178.68	-	2,258.59	906.71	1,085.39
(ग) संयंत्र और मशीनरी	1,26,738.73	1.90	-	1,26,740.63	30,264.74	5,176.87	-	35,441.61	91,299.02	96,473.99
(घ) कैवर्न्स	2,02,939.31	-	-	2,02,939.31	19,466.32	3,391.59	-	22,857.91	1,80,081.40	1,83,472.99
(ङ) फर्नीचर और फिक्स्चर	169.23	-	-	169.23	97.78	15.02	-	112.80	56.43	71.45
(च) परिवहन वाहन	151.23	-	-	151.23	89.55	13.96	-	103.51	47.72	61.68
(छ) कार्यालय उपकरण	474.43	7.06	-	481.49	415.00	13.63	-	428.63	52.86	59.43
(ज) कंप्यूटर	1,253.56	3.32	(0.71)	1,256.17	1,085.80	60.84	(0.35)	1,146.29	109.88	167.76
(झ) उपयोग का अधिकार इंड एएस 116)*	13,270.10	2.38	-	13,272.48	2,031.55	539.85	-	2,571.40	10,701.08	11,238.55
dqy	**3,66,609.40**	**14.66**	**(0.71)**	**3,66,623.35**	**58,502.71**	**9,902.36**	**(0.35)**	**68,404.72**	**2,98,218.63**	**3,08,106.69**

foxr o"kZ

₹ yk[k esa

fooj.k	ldy Cykd: 1 vizSy] 2022 rd dh fLFkfr ds vuqlkj	ldy Cykd: o"kZ ds nkSjku ifjo/kZu	ldy Cykd: fuLrkj.k@ dVkSrh@ vrj.k@ iquoxhZdj.k@mi;kxh dky dk iquewY;u	ldy Cykd: 31 ekpZ 2023 rd dh fLFkfr ds vuqlkj	eY;gkl@ifj'kks/ku: 31 ekpZ 2022 rd eY;gkl	eY;gkl@ifj'kks/ku: o"kZ ds fy, eY;gkl	eY;gkl@ifj'kks/ku: fuLrkj.k@dVkSrh@ vrj.k@ iquoxhZdj.k @mi;kxh dky dk dk iquewY;u	eY;gkl@ifj'kks/ku: 31 ekpZ 2023 rd dqy eY;gkl	fuoy Cykd: 31 ekpZ 2023 rd dh fLFkfr ds vuqlkj	fuoy Cykd: 31 ekpZ 2022 rd dh fLFkfr ds vuqlkj
(क) भवन	18,447.51	-	-	18,447.51	2,460.10	511.96	-	2,972.06	15,475.45	15,987.41
(ख) सड़कें और पुलिया	3,165.30	-	-	3,165.30	1,855.40	224.51	-	2,079.91	1,085.39	1,309.90
(ग) संयंत्र और मशीनरी	1,26,754.35	-	(15.62)	1,26,738.73	24,999.61	5,275.03	(9.90)	30,264.74	96,473.99	1,01,754.74
(घ) कैवर्न्स	2,02,919.61	19.70	-	2,02,939.31	16,087.84	3,378.48	-	19,466.32	1,83,472.99	1,86,831.77
(ङ) फर्नीचर और फिक्स्चर	167.80	1.43	-	169.23	81.82	15.96	-	97.78	71.45	85.98
(च) परिवहन वाहन	131.41	19.82	-	151.23	73.29	16.26	-	89.55	61.68	58.12
(छ) कार्यालय उपकरण	456.78	26.09	(8.44)	474.43	402.67	9.03	3.30	415.00	59.43	54.11
(ज) कंप्यूटर	1,255.65	11.38	(13.47)	1,253.56	1,012.35	79.53	(6.08)	1,085.80	167.76	243.30
(झ) उपयोग का अधिकार इंड एएस 116)*	13,270.10	-	-	13,270.10	1,599.17	432.38	-	2,031.55	11,238.55	11,670.93
dqy	**3,66,568.51**	**78.42**	**(37.53)**	**3,66,609.40**	**48,572.25**	**9,943.14**	**(12.68)**	**58,502.71**	**3,08,106.69**	**3,17,996.26**

*टिप्पणी संख्या 31.1 और लेखा नीति संख्या 1.11 देखें

foÙkh; fooj.k dk lca/k esa fVIif.k;k

fVIi.kh la[;k 2-1% iwathxr dk;Z izxfr ij

fooj.k	₹ yk[k esa 31 ekpZ 2024 rd dh fLFkfr ds vuqlkj	₹ yk[k esa 31 ekpZ 2023 rd dh fLFkfr ds vuqlkj
	-	-
dqy	-	-

fVIi.kh la[;k 3% vU; vewrZ ifjlaifÙk;ka

vewrZ ifjlaifÙk;ka ¼ikbiykbu ds fy, vkjvks;w½

fooj.k	₹ yk[k esa 31 ekpZ 2024 rd dh fLFkfr ds vuqlkj	₹ yk[k esa 31 ekpZ 2023 rd dh fLFkfr ds vuqlkj
वर्ष के आरंभ में सकल ब्लॉक वर्ष के दौरान अन्य परिसंपत्तियों से परिवर्धन/अंतरण निपटान/कटौती/हस्तांतरण/पुनर्वर्गीकरण	7,150.39 (0.03) -	7,100.95 49.44 -
o"kZ ds var rd ldy Cykd	**7,150.36**	**7,150.39**
वर्ष के आरंभ में परिशोधन वर्ष के दौरान परिशोधन निपटान/कटौती/हस्तांतरण/पुनर्वर्गीकरण	- - -	- - -
o"kZ ds var rd ifj'kks/ku	**-**	**-**
fuoy Cykd	**7,150.36**	**7,150.39**
fVIi.kh% पाइपलाइन के लिए आरओयू सतत आधार पर अधिगृहीत की जाती है, इसलिए कोई परिशोधन नहीं किया जा रहा है।		

fVIi.kh la[;k 4% _.k

fooj.k	₹ yk[k esa 31 ekpZ 2024 rd dh fLFkfr ds vuqlkj	₹ yk[k esa 31 ekpZ 2023 rd dh fLFkfr ds vuqlkj
	-	-
dqy	-	-

fVIi.kh la[;k 5% vU; foÙkh; ifjlaifÙk;ka

fooj.k	₹ yk[k esa 31 ekpZ 2024 rd dh fLFkfr ds vuqlkj	₹ yk[k esa 31 ekpZ 2023 rd dh fLFkfr ds vuqlkj
प्रतिभूति जमा प्रवेश कर, कर्नाटक से वसूली योग्य (बीजी नकदीकरण के सापेक्ष) सावधि जमा (एक वर्ष से अधिक की मूल परिपक्वता के साथ)* [blesa ₹0-34 yk[k dk mikftZr C;kt 'kkfey gS ¼fiNys o"kZ ₹422-45 yk[k½] *fxjoh j[kh xbZ tekjkf'k;ksa ds fooj.k ds fy, fVIi.kh la[;k 40¼xvi½ ns[ksa एचसीसी के मध्यस्थता मामले के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में जमाराशि [टिप्पणी संख्या 40 (xlii) देखें] उडुपी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास जमाराशि कर्मचारियों को अग्रिम	701.30 74.64 2.29 5,000.46 - -	689.80 74.64 12,432.97 5,000.46 410.84 3.06
dqy	**5,778.69**	**18,611.77**

fVIi.kh l[;k 6% vk;dj ifjlifŸk;k

fooj.k	₹ yk[k e 31 ekp] 2024 rd dh fLFkfr ds vuqlkj	₹ yk[k e 31 ekp] 2023 rd dh fLFkfr ds vuqlkj
आयकर परिसंपत्तियां (वित्त वर्ष 2018–19)	14.16	14.16
आयकर परिसंपत्तियां (वित्त वर्ष 2019–20)	15.71	15.71
आयकर परिसंपत्तियां (वित्त वर्ष 2020–21)	38.13	38.13
आयकर परिसंपत्तियां (वित्त वर्ष 2021–22)	104.01	104.01
आयकर परिसंपत्तियां (वित्त वर्ष 2022–23)	728.39	728.39
आयकर परिसंपत्तियां (वित्त वर्ष 2023–24)	86.96	86.10
आयकर परिसंपत्तियां (वित्त वर्ष 2024–25)	174.41	-
dqy	**1,161.77**	**986.50**

fVIi.kh l[;k 7% vU; xSj pkyw ifjlifŸk;k

fooj.k	₹ yk[k e 31 ekp] 2024 rd dh fLFkfr ds vuqlkj	₹ yk[k e 31 ekp] 2023 rd dh fLFkfr ds vuqlkj
¼ifj'kksf/kr ykxr ij 'kks/; ekuh xbZ vifrHkwr jkf'k½		
चरण II परियोजना के भूमि अधिग्रहण के लिए केआईएडीबी को पूंजीगत अग्रिम	17,644.84	9,823.55
भूमि अधिग्रहण चरण I विस्तार भूमि के लिए एमएसईजेडएल को पूंजीगत अग्रिम	2,269.39	200.00
पूर्वदत्त व्यय	152.37	271.07
dqy	**20,066.60**	**10,294.62**

fVIi.kh l[;k 8% 0;kikj izkI;

fooj.k	₹ yk[k e 31 ekp] 2024 rd dh fLFkfr ds vuqlkj	₹ yk[k e 31 ekp] 2023 rd dh fLFkfr ds vuqlkj
lacaf/kr i{kdkj ls		
प्रतिभूत, शोध्य	-	-
अप्रतिभूत, शोध्य	-	-
संदिग्ध	-	-
vU; ls		
प्रतिभूति, शोध्य	-	-
अप्रतिभूत, शोध्य	69.59	-
संदिग्ध	-	-
dqy	**69.59**	**-**

0;kikj izkI; ,tsaxx 'kM~;wy

Hkqxrku dh fu;r frfFk ls fuEufyf[kr vof/k ds fy, cdk;k & foŸkh; o"kZ 2023&24

₹ yk[k e

fooj.k	6 ekg ls de	6 ekg& 1 o"kZ	1&2 o"kZ	2&3 o"kZ	3 o"kZ ls vf/kd	dqy
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – शोध्य माने गए	69.59	-	-	-	-	**69.59**
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – संदिग्ध माने गए	-	-	-	-	-	-
(iii) विवादित व्यापार प्राप्य – शोध्य माने गए	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य – संदिग्ध माने गए	-	-	-	-	-	-

0;kikj ikI; , tbx 'kM¸ky

Hkqxrku dh fu;r frfFk ls fuEufyf[kr vof/k ds fy, cdk;k & foÙkh; o"kZ 2022&23

fooj.k	6 ekg ls de	6 ekg& 1 o"kZ	1&2 o"kZ	2&3 o"kZ	3 o"kZ ls vf/kd	₹ yk[k esa dqy
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – शोध्य माने गए	-	-	-	-	-	-
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – संदिग्ध माने गए	-	-	-	-	-	-
(iii) विवादित व्यापार प्राप्य – शोध्य माने गए	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य – संदिग्ध माने गए	-	-	-	-	-	-

fVIi.kh la[;k 9% udnh vkSj udnh lerqY;

fooj.k	₹ yk[k esa 31 ekpZ 2024 rd dh fLFkfr ds vuqlkj	₹ yk[k esa 31 ekpZ 2023 rd dh fLFkfr ds vuqlkj
cSadksa ds ikl 'ks"k jkf'k		
बचत खातों में	5,455.44	197.66
चालू खातों में	54.74	51.10
cSad tek esa		
सावधि जमा (तीन माह तक की मूल परिपक्वता अवधि)	961.03	-
सावधि जमा (तीन माह से अधिक किन्तु एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता)	3,816.69	1,635.00
udnh 'ks"k:		
हाथ में नकदी	-	-
dqy	**10,287.90**	**1,883.76**

fVIi.kh la[;k 10% mijksä ds vykok vU; cSad 'ks"k

fooj.k	₹ yk[k esa 31 ekpZ 2024 rd dh fLFkfr ds vuqlkj	₹ yk[k esa 31 ekpZ 2023 rd dh fLFkfr ds vuqlkj
	-	-
dqy	**-**	**-**

fVIi.kh la[;k 11% vU; foÙkh; ifjlEifÙk;ka

fooj.k	₹ yk[k esa 31 ekpZ 2024 rd dh fLFkfr ds vuqlkj	₹ yk[k esa 31 ekpZ 2023 rd dh fLFkfr ds vuqlkj
¼vifrHkwr dk ifj'kksf/kr ykxr ij 'kks/;½		
एचपीसीएल से प्राप्य (ओ एंड एम व्यय)	631.13	746.46
एचपीसीएल से प्राप्य (ओ एंड एम के अलावा)	7.08	1.40
एडनोक से वसूल किए जाने योग्य प्रचालन एवं अन्य व्यय	63.41	170.91
विद्युत कंपनियों के पास प्रतिभूति जमा पर अर्जित ब्याज	28.31	19.35
कर्मचारियों को यात्रा अग्रिम	-	4.02
कर्मचारियों को अर्जित आय के लिए अग्रिम	3.06	5.95
जमा पूंजी	84.76	170.24
ओआईडीबी से प्राप्य राशि (पूर्व परियोजना व्यय चरण II)	15.34	314.15
भारत सरकार से प्राप्य राशि (चरण 1 विस्तार भूमि के लिए)	9,700.95	-
एस.के.ई.सी.–के.सी.टी. जे.वी. मामले के लिए भारत सरकार/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से प्राप्य	11,721.68	-
dqy	**22,255.72**	**1,432.48**

fVIi.kh l[;k 12% vU; pky ifjlifŸk;k

fooj.k	₹ yk[k e	₹ yk[k e
	31 ekp] 2024 rd dh fLFkfr d vuqlkj	31 ekp] 2023 rd dh fLFkfr d vuqlkj
¼vifrHkr ftUg 'kk/; ekuk x;k½		
ओआईडीबी से वसूल किए जाने योग्य व्यय	0.12	0.01
अन्य प्राप्य	22.28	-
आपूर्तिकर्ता को अग्रिम राशि	384.58	227.42
आपूर्तिकर्ताओं को पूंजी अग्रिम	10.97	4.61
पूर्वदत्त व्यय	1,144.87	1,197.36
जीएसटी क्रेडिट प्राप्य	622.79	368.21
dy	**2,185.61**	**1,797.61**

fVIi.kh l[;k 13% 'k;j itth

fooj.k	₹ yk[k e		₹ yk[k e	
	31 ekp] 2024 rd dh fLFkfr d vuqlkj		31 ekp] 2023 rd dh fLFkfr d vuqlkj	
	'k;j dh l[;k	ek=k	'k;j dh l[;k	ek=k
bfDoVh 'k;j itth ¼d½ vf/kd`r ₹10/– के प्रति इक्विटी शेयर।	3,832,560,000	3,83,256.00	3,832,560,000	3,83,256.00
¼[k½ fuxr] vfHknŸk] i.k lnŸk ₹10/– के प्रति इक्विटी शेयर	3,790,054,670	3,79,005.47	3,790,054,670	3,79,005.47

fVIif.k;k%

¼i½ bfDoVh 'k;jk dh l[;k dk feyku %

fooj.k	31 ekp] 2024 rd dh fLFkfr d vuqlkj	31 ekp] 2023 rd dh fLFkfr d vuqlkj
₹10@& d ifr bfDoVh 'k;j		
प्रारम्भिक जमा	3,790,054,670	3,790,054,670
निर्गत इक्विटी शेयर का आरंभिक शेष	-	-
वापस खरीदे गए इक्विटी शेयर	-	-
अंत शेष	3,790,054,670	3,790,054,670

(ii) gkÇYMx dEiuh }kjk /kkfjr 'k;j%

'k;j/kkjdk dk uke	31 ekp] 2024 rd dh fLFkfr d vuqlkj		31 ekp] 2023 rd dh fLFkfr d vuqlkj	
	/kkfjr 'k;jk dh l[;k	ml J.kh d 'k;jk e % fgLlnkjh	/kkfjr 'k;jk dh l[;k	ml J.kh d 'k;jk e % fgLlnkjh
₹10@& d ifr bfDoVh 'k;j				
तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली और इसके नामित सदस्य	3,790,054,670	100%	3,790,054,670	100%
dy	**3,790,054,670**	**100%**	**3,790,054,670**	**100%**

(iii) 5% ls vf/kd 'ks;j j[kus okys 'ks;j/kkjdksa dk fooj.k %

'ks;j/kkjdksa dk uke	31 ekp] 2024 rd dh fLFkfr ds vuqlkj		31 ekp] 2023 rd dh fLFkfr ds vuqlkj	
	/kkfjr 'ks;jksa dh la[;k	ml Js.kh ds 'ks;jksa esa % fgLlsnkjh	/kkfjr 'ks;jksa dh la[;k	ml Js.kh ds 'ks;jksa esa % fgLlsnkjh
₹10@& ds izfr bfDoVh 'ks;j				
तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली और इसके नामित सदस्य	3,790,054,670	100%	3,790,054,670	100%
dqy	**3,790,054,670**	**100%**	**3,790,054,670**	**100%**

(iv) izeksVj 'ks;j/kkfjrk izdVu

o"kZ 2023&24 ds vUr esa izeksVjksa }kjk /kkfjr 'ks;j

izeksVj dk uke	'ks;jksa dh la[;k	dqy 'ks;jksa dk %	o"kZ ds nkSjku % ifjorZu
तेल उद्योग विकास बोर्ड	3,790,054,670	100%	शून्य

o"kZ 2022&23 ds vUr esa izeksVjksa }kjk /kkfjr 'ks;j

izeksVj dk uke	'ks;jksa dh la[;k	dqy 'ks;jksa dk %	o"kZ ds nkSjku % ifjorZu
तेल उद्योग विकास बोर्ड	3,790,054,670	100%	शून्य

(v) bfDoVh 'ks;jksa ls tqMs vf/kdkj] izkFkfedrk,a vkSj izfrca/k

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है, जिसका सममूल्य ₹10 प्रति शेयर है और धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है। कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरों के धारकों को कंपनी की शेष परिसंपत्तियों को उनके पास मौजूद इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में प्राप्त करने का अधिकार होगा।

(vi) cqyssl 'khV dh rkjh[k ds vuqlkj fiNys ikap o"kksZa dh vof/k ds fy, %

(d) नकदी भुगतान प्राप्त किए बिना संविदा (संविदाओं) के अनुसार पूर्णतः संदत्त शेयरों की संख्या और श्रेणी — शून्य

([k) बोनस शेयरों के माध्यम से पूर्णतः संदत्त शेयरों की श्रेणी की कुल संख्या; तथा — शून्य

(x) शेयरों की कुल संख्या और श्रेणी तथा वापस खरीदे गए शेयरों की श्रेणी — शून्य

fVIi.kh la[;k 14% vU; bfDoVh

fooj.k	₹ yk[k esa 31 ekp] 2024 rd dh fLFkfr ds vuqlkj	₹ yk[k esa 31 ekp] 2023 rd dh fLFkfr ds vuqlkj
izfr/kkfjr vk; dk 'ks"k %		
पिछले वर्ष के खातों से अग्रेणीत शेष हानि	(63,168.45)	(53,467.07)
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ	-	-
निर्गत इक्विटी शेयर पर स्टाम्प ड्यूटी	-	-
वर्ष के लाभ/(हानि)	(8,869.94)	(9,701.38)
dqy	**(72,038.39)**	**(63,168.45)**

fVIi.kh la[;k 15% iV~Vk ns;rk,a

fooj.k	₹ yk[k esa 31 ekp] 2024 rd dh fLFkfr ds vuqlkj	₹ yk[k esa 31 ekp] 2023 rd dh fLFkfr ds vuqlkj
पट्टा देयताएं	552.31	554.71
dqy	**552.31**	**554.71**

fVIi.kh la[;k 16% vU; foÙkh; ns;rk,a

fooj.k	₹ yk[k esa 31 ekpZ 2024 rd dh fLFkfr ds vuqlkj	₹ yk[k esa 31 ekpZ 2023 rd dh fLFkfr ds vuqlkj
आपूर्तिकर्ताओं / संविदाकारों से जमा / प्रतिधारण राशि	22.28	17.37
dqy	**22.28**	**17.37**

fVIi.kh la[;k 17% izko/kku

fooj.k	₹ yk[k esa 31 ekpZ 2024 rd dh fLFkfr ds vuqlkj	₹ yk[k esa 31 ekpZ 2023 rd dh fLFkfr ds vuqlkj
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान		
(क) अवकाश नकदीकरण	2.23	-
(ख) ग्रेच्युटी	5.22	-
dqy	**7.45**	**-**

fVIi.kh la[;k 18% m/kkfj;ka

fooj.k	₹ yk[k esa 31 ekpZ 2024 rd dh fLFkfr ds vuqlkj	₹ yk[k esa 31 ekpZ 2023 rd dh fLFkfr ds vuqlkj
	-	-
dqy	**-**	**-**

fVIi.kh la[;k 19% iVVk ns;rk,a

fooj.k	₹ yk[k esa 31 ekpZ 2024 rd dh fLFkfr ds vuqlkj	₹ yk[k esa 31 ekpZ 2023 rd dh fLFkfr ds vuqlkj
पट्टा देयताएं	4.15	3.77
dqy	**4.15**	**3.77**

fVIi.kh la[;k 20% O;kikj nsa;rk,a

fooj.k	₹ yk[k esa 31 ekpZ 2024 rd dh fLFkfr ds vuqlkj	₹ yk[k esa 31 ekpZ 2023 rd dh fLFkfr ds vuqlkj
i) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया	346.95	204.41
ii) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया	1,812.49	1,687.20
dqy	**2,159.44**	**1,891.61**

0;kikj n;rkvk dh ,tbx 'kM,ky

Hkqxrku dh fu;r frfFk l fuEufyf[kr vof/k d fy, cdk;k & foÿkh; o"k 2023&24

₹ yk[k e

fooj.k	1 o"k l de	1&2 o"k	2&3 o"k	3 o"k l vf/kd	dqy
(i) एमएसएमई	346.95	-	-	-	346.95
(ii) अन्य	1,779.38	33.04	0.07	-	1,812.49
(iii) विवादित बकाया – एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया – अन्य	-	-	-	-	-

0;kikj n;rkvk dh ,tbx 'kM,ky

Hkqxrku dh fu;r frfFk l fuEufyf[kr vof/k d fy, cdk;k & foÿkh; o"k 2023&24

₹ yk[k e

fooj.k	1 o"k l de	1&2 o"k	2&3 o"k	3 o"k l vf/kd	dqy
(i) एमएसएमई	204.41	-	-	-	204.41
(ii) अन्य	1,687.06	-	0.14	-	1,687.20
(iii) विवादित बकाया – एमएसएमई		-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया – अन्य	-	-	-	-	-

	₹ yk[k e	₹ yk[k e
l{e] y?k ,o e/;e m|ek l lcf/kr fooj.k	**2023-24**	**2022-23**
(क) प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को अदत्त रही बकाया राशि;		
मूलधन	346.95	203.96
ब्याज	-	0.45
(ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 16 के अनुसार क्रेता द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि, साथ ही प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि;	-	-
(ग) भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए देय और भुगतान योग्य ब्याज की राशि (जिसका भुगतान वर्ष के दौरान नियत दिन से परे किया गया है) किंतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना;	-	-
(घ) प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में उपार्जित और अदत्त ब्याज की राशि; तथा	-	0.45
(ङ) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय की अस्वीकृति के प्रयोजनार्थ, उस तारीख तक, जब तक कि उपरोक्त देय ब्याज वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान नहीं कर दिया जाता है, बकाया और आगामी वर्षों में भी देय शेष ब्याज की राशि।.	-	-

fVIi.kh l[;k 21% vU; foÙkh; n;rk,

fooj.k	₹ yk[k e	₹ yk[k e
	31 ekp] 2024 rd dh fLFkfr d vuqlkj	31 ekp] 2023 rd dh fLFkfr d vuqlkj
vU;		
एमएसईजेडएल भूमि की खरीद के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से निधियां	4,000.00	-
भारत सरकार/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से प्राप्त निधियां चरण II	21,000.00	21,000.00
प्रथम चरण के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय के लिए भारत सरकार/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से प्राप्त अग्रिम राशि	1,058.19	106.14
आपूर्तिकर्ताओं/संविदाकारों से जमा राशि	1,082.85	986.26
dqy	**27,141.04**	**22,092.40**

fVIi.kh l[;k 22% iko/kku

Particulars	₹ yk[k e	₹ yk[k e
	31 ekp] 2024 rd dh fLFkfr d vuqlkj	31 ekp] 2023 rd dh fLFkfr d vuqlkj
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान		
(क) छुट्टी नकदीकरण	0.79	-
(ख) ग्रेच्युटी	0.08	-
dqy	**0.87**	**-**

fVIi.kh l[;k 23% vU; pkyw n;rk,

fooj.k	₹ yk[k e	₹ yk[k e
	31 ekp] 2024 rd dh fLFkfr d vuqlkj	31 ekp] 2023 rd dh fLFkfr d vuqlkj
सांविधिक देय	131.25	119.09
एचसीसी के मध्यस्थता मामले के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में जमा करने हेतु भारत सरकार/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से निधियां [टिप्पणी संख्या 40(xlii) देखें]	5,000.46	5,000.46
भारत सरकार/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को देय (एपी जीजीएसटी)	406.25	150.58
भारत सरकार/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को देय (पादुर जीएसटी)	199.19	140.68
भारत सरकार/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को देय (अनुदान/अन्य निधि पर ब्याज और उस पर टीडीएस)	2,261.76	2,013.55
एचपीसीएल विशाखापत्तनम को देय	97.28	97.28
कानूनी मामले के लिए उडुपी जिला पंचायत के पास जमा करने हेतु भारत सरकार/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से निधि	-	410.84
चरण–I विस्तार भूमि के लिए एमएसईजेडएल को देय राशि	9,700.95	-
आरओयू की पाइपलाइन क्षतिपूर्ति के लिए एसएलएओ मैंगलोर को देय राशि	49.41	49.44
चरण I के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय के लिए भारत सरकार/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को देय राशि	651.22	1,701.50
भारत सरकार को देय ओ एंड एम व्यय (एडनोक व्यय)	63.41	170.91
भारत सरकार को देय प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय (एसडी/अग्रिम)	11.50	-
रॉक बिक्री पर टीसीएस के लिए संविदा/एमएसईजेडएल को देय राशि	13.28	-
कानूनी निर्णय के सापेक्ष एसकेईसी–केसीटीजेवी को देय	11,721.68	-
अन्य	12.61	12.61
dqy	**30,320.25**	**9,866.94**

fVIi.kh la[;k 24% ipkyu ls jktLo

fooj.k	₹ yk[k esa 31 ekpZ 2024 rd dh fLFkfr ds vuqlkj	₹ yk[k esa 31 ekpZ 2023 rd dh fLFkfr ds vuqlkj
lsok dk fu;kZr		
एडनोक से प्रचालन आय – अबिलीकृत आय	-	170.24
?kjsyw jktLo		
कैवर्न्स का पट्टा/किराए पर लेना	893.54	-
पट्टे/किराए के लिए पंपिंग शुल्क (अबिलीकृत आय सहित) ₹25.68 लाख (पिछले वर्ष : शून्य)	96.15	-
एमआरपीएल से प्रचालन आय (₹57.84 लाख रुपये की अबिलीकृत आय सहित (पिछले वर्ष : शून्य))	58.05	35.57
dqy	**1,047.74**	**205.81**

fVIi.kh la[;k 25% vU; vk; ¼vks ,.M ,e vuqnku lfgr½

fooj.k	₹ yk[k esa 31 ekpZ 2024 rd dh fLFkfr ds vuqlkj	₹ yk[k esa 31 ekpZ 2023 rd dh fLFkfr ds vuqlkj
भारत सरकार से ओ एंड एम अनुदान	13,076.14	12,914.20
व्यय की प्रतिपूर्ति	945.90	823.68
विद्युत कंपनियों के पास प्रतिभूति जमा पर ब्याज	31.46	21.51
बैंक जमा पर ब्याज	369.04	886.34
ओआईडीबी से अनुदान का परिशोधन (चरण प्प्)	-	314.15
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर लाभ	-	0.01
रॉक की बिक्री से आय	108.36	6.31
आयकर प्रतिदाय पर ब्याज	0.86	0.01
विनिमय दर में उतार–चढ़ाव	1.22	-
dqy	**14,532.98**	**14,966.21**

fVIi.kh la[;k 26% deZpkjh fgrykHk O;;

fooj.k	₹ yk[k esa 31 ekpZ 2024 rd dh fLFkfr ds vuqlkj	₹ yk[k esa 31 ekpZ 2023 rd dh fLFkfr ds vuqlkj
वेतन और मजदूरी	1,229.95	1,180.53
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	24.56	50.21
कर्मचारी कल्याण व्यय*	-	-
dqy	**1,254.51**	**1,230.74**

*कर्मचारी कल्याण व्यय को टिप्पणी संख्या 29.1 के अंतर्गत संचालन एवं अनुरक्षण व्यय में शामिल किया गया है।

fVIi.kh la[;k 27% foÙkh; ykxr

fooj.k	₹ yk[k esa 31 ekpZ 2024 rd dh fLFkfr ds vuqlkj	₹ yk[k esa 31 ekpZ 2023 rd dh fLFkfr ds vuqlkj
पट्टा देयताओं पर ब्याज (इंड एएस 116)	41.59	41.12
अन्य ब्याज व्यय	303.34	844.31
dqy	**344.93**	**885.43**

fVIi.kh l[;k 28% eY;gkl vkj ifj'kk/ku 0;;

fooj.k	₹ yk[k e	₹ yk[k e
	31 ekp] 2024 dk lekIr o"k d fy,	31 ekp] 2023 dk lekIr o"k d fy,
मूल्यह्रास	9,362.51	9,510.76
पट्टा किराये का परिशोधन (पट्टा भूमि)	539.85	432.38
d|y	**9,902.36**	**9,943.14**

fVIi.kh l[;k 29-1% lpkyu ,o vuj{k.k ¼vk ,.M ,e½ 0;;

fooj.k	₹ yk[k e	₹ yk[k e
	31 ekp] 2024 dk lekIr o"k d fy,	31 ekp] 2023 dk lekIr o"k d fy,
vk ,.M ,e 0;;		
उपभोज्य संबंधी व्यय	277.75	167.08
बीमा प्रीमियम	3,832.50	3,890.66
पट्टा किराया प्रभार	242.17	282.80
प्रचालन लागत	211.72	216.47
मरम्मत और अनुरक्षण	982.43	565.54
बैंक प्रभार	0.16	-
त्यौहारों संबंधी व्यय	5.99	6.10
कानूनी व्यय	214.30	753.29
कार्यालय व्यय	87.25	67.03
विशाखापत्तनम के एचसीसी मध्यस्थता मामले के लिए व्यय (टिप्पणी संख्या 40(xliii) देखें)	-	22.96
स्टेशनरी व्यय	5.22	3.23
टेलीफोन व्यय	23.02	24.53
पर्यटन एवं प्रशिक्षण	12.24	23.20
वाहन किराये पर लेने का व्यय	137.25	138.40
बिजली प्रभार	1,629.17	1,394.54
साफ–सफाई प्रभार	105.63	103.52
जनशक्ति – संविदात्मक और अन्य	2,063.36	1,992.73
एमएसईजेडएल ओ एंड एम व्यय	202.51	237.87
आवधिक सांविधिक व्यय	218.10	152.52
प्रतिभूति प्रभार	1,962.44	1,911.41
व्हारफेज/सर्वेयर प्रभार	27.20	210.28
हरित पट्टी विकास	49.16	42.70
एचओ व्यय	293.70	291.00
परियोजना पूर्व व्यय (पीएफआर/डीडीएफआर)–नई परियोजनाएं	365.19	-
d|y	**12,948.46**	**12,497.86**

fVIi.kh l[;k 29-2% pj.k II ifj;kstuk dk fy, 0;;

	₹ yk[k esa	₹ yk[k esa
fooj.k	31 ekpZ 2024 dks lekIr o"kZ ds fy,	31 ekpZ 2023 dks lekIr o"kZ ds fy,
चरण II के लिए विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट (डीएफआर) व्यय	-	314.15
dqy	-	**314.15**

fVIi.kh l[;k 29-3% fofo/k 0;;

	₹ yk[k esa	₹ yk[k esa
fooj.k	31 ekpZ 2024 dks lekIr o"kZ ds fy,	31 ekpZ 2023 dks lekIr o"kZ ds fy,
बैंक प्रभार	0.05	-
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के बट्टे खाते में डालने पर हानि	0.35	2.08
dqy	**0.40**	**2.08**

fVIi.kh l[;k 30% Hkkjrh; ys[kkadu ekud & 33 ds rgr bZih,l dk izdVhdj.k

		₹ yk[k esa	₹ yk[k esa
fVIi.kh	fooj.k	31 ekpZ 2023 dks lekIr o"kZ ds fy,	31 ekpZ 2023 dks lekIr o"kZ ds fy,
(i)	ifr 'ks;j vk;		
	cfl d		
	इक्विटी शेयरधारकों को देय वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	(8,869.94)	(9,701.38)
	इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	3,790,054,670	3,790,054,670
	प्रति शेयर सममूल्य	10.00	10.00
	सतत प्रचालन से प्रति शेयर हानि – बेसिक	(0.23)	(0.26)
(ii)	ruqÑr		
	इक्विटी शेयरधारकों को देय वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	(8,869.94)	(9,701.38)
	इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या – तनुकृत के लिए	3,790,054,670	3,790,054,670
	प्रति शेयर सममूल्य	10.00	10.00
	सतत प्रचालन से प्रति शेयर हानि – तनुकृत	(0.23)	(0.26)

fVIi.kh l[;k 31% iVV] ifrc)rk,¡ vkSj vkdfLedrk,¡

31.1 iVVs

(d) iVVnkj ds :i esa

(i) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2019 और कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) दूसरा संशोधन नियम, 2019 के माध्यम से इंड एएस 116 पट्टा को अधिसूचित किया है जो मौजूदा पट्टा इंड एएस 17 पट्टा और अन्य व्याख्याओं को प्रतिस्थापित करता है। इंड एएस 116 पट्टे में तुलन–पत्र पट्टा लेखांकन मॉड्यूल की शुरूआत की गई है।

01 अप्रैल, 2019 से प्रभावी, कंपनी ने संशोधित पूर्वव्यापी संक्रमण पद्धति का उपयोग करके अपने पट्टों के लिए इंड एएस 116 को अपनाया है। पट्टा देयता को प्रारंभिक प्रयोज्यता की तिथि पर वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करके छूटे हुए शेष पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है और उपयोग के अधिकार की परिसंपत्ति को पट्टा देयता के बराबर राशि और प्रारंभिक प्रयोज्यता, यदि कोई हो, की तिथि से पहले तुलन–पत्र में मान्यता प्राप्त पूर्वदत्त किराए के बराबर राशि पर मान्यता दी गई है। कंपनी ने अप्रैल 2019 के लिए ओआईडीबी (100% शेयरधारक होने के नाते) की ब्याज दर को अपनाया है। इसके अलावा, कंपनी ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :–

i. कंपनी ने यह पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है कि प्रारंभिक प्रयोज्यता की तिथि पर कोई संविदा पट्टा, अर्थात 31 मार्च, 2019 को इंड एएस 17 के अनुसार पट्टे के रूप में वर्गीकृत संविदाएं है या नहीं।

ii. इंड एएस 116 के अंतर्गत पट्टे के रूप में माना गया तथा उन संविदाओं पर मानक लागू नहीं होगा जिन्हें पहले इंड एएस 17 के अंतर्गत पट्टे के रूप में मान्य नहीं किया गया था।

iii. जिन पट्टों की अवधि प्रारंभिक प्रयोज्यता की तिथि से 12 माह के भीतर समाप्त हो जाती है, उन्हें अल्पकालीन पट्टों के रूप में माना गया है।

कंपनी ने भूमि से संबंधित पट्टा व्यवस्था में प्रवेश किया है। समीक्षाधीन अवधि के अंतर्गत कोई बिक्री और पट्टा वापसी लेनदेन व्यवस्था नहीं है।

iVVk&/kkfjr Hkwfe ds fy, egRoiw.kZ iVVksa dk fooj.k fuEukuqlkj gS %&

(क) विशाखापत्तनम में 37 एकड़ भूमि के लिए 30 वर्ष की अवधि (14.05.2038 तक) के लिए विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट के साथ करार (टिप्पणी संख्या 40(xvii) भी देखें)।

(ख) मैंगलोर विशेष आर्थिक क्षेत्र के साथ 50 वर्ष की अवधि (26.01.2060 तक) के लिए मैंगलोर में 104.73 एकड़ भूमि के लिए करार, जिसमें 33.0066 एकड़ हरित पट्टी क्षेत्र शामिल है (टिप्पणी संख्या 40 (xvii) देखें)।

(ग) पादुर में 138.57 एकड़ भूमि के लिए कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलेपमेंट बोर्ड (केआईएडीबी) के साथ 20 वर्ष की अवधि (101.815 एकड़) 28.05.2030 तक और 36.775 एकड़ 18.12.2031 तक) के लिए करार।

(घ) पादुर में 37.35 एकड़ भूमि के लिए 15 वर्ष की अवधि (14.11.2032 तक) के लिए कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलेपमेंट बोर्ड (केआईएडीबी) के साथ करार।

(ii) ykHk vkSj gkfu dk fooj.k [kkrs esa ekU; jkf'k ;k mi;ksx ds vf/kdkj dh ogu jkf'k %

	₹ yk[k esa	
	2023-24	**2022-23**
- उपयोग के अधिकार के रूप में पूंजीकृत पूर्वदत्त पट्टा किराया	लागू नहीं	लागू नहीं
- उपयोग के अधिकार और पट्टा दायित्व में वृद्धि	2.38	शून्य
- उपयोग के अधिकार में वृद्धि पर मान्य मूल्यह्रास	15.74	15.11
- पूर्वदत्त पट्टा किराये पर मान्य मूल्यह्रास	524.11	417.27
- पट्टा दायित्व पर ब्याज	41.59	41.08
- वृद्धिशील उधार दर	7.94%	7.94%
- पट्टा किराया भुगतान	45.08	44.85

vrEufgr ifjlaifŸk;ksa ds oxZ ds vuqlkj iVVs ij /kkfjr iwihbZ esa 'kkfey mi;ksx ds vf/kdkj dk fooj.k uhps izLrqr fd;k x;k gS%

			₹ yk[k esa
ifjlaifŸk dh Js.kh	31 ekpZ 2024 rd ldy CykWd	31 ekpZ 2024 rd dh fLFkfr ds vuqlkj lafpr eY; gkl	31 ekpZ 2024 rd fuoy ogu eY;
उपयोग का अधिकार	13272.48	2571.40	10701.08

31 मार्च, 2024 तक सकल ब्लॉक में 01 अप्रैल, 2019 से पहले दर्ज किए गए प्रचालन पट्टे शामिल हैं, जिनका निवल वहन मूल्य ₹12698.11 लाख है, जिन्हें 01 अप्रैल, 2019 (इंड एएस 116 के कार्यान्वयन पर) तक उपयोग के अधिकार के लिए पुनर्वर्गीकृत किया गया था।

Hkkoh udnh cfgokZg dh enksa dk fooj.k] ftudk dEiuh dks iVVs ds :i esa izdVu fd;k x;k gS] ysfdu iVVk n;rkvksa ds eki esa ifjyf{kr ugha gksrk gS] fuEukuqlkj gS %

(d) ifjorZuh; iVVk Hkqxrku

परिवर्तनीय पट्टा भुगतान जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर करता है, जिसे पट्टा देयता के मापन में शामिल किया जाता है, हालांकि प्रारंभ तिथि पर भुगतान नहीं किया जाता है। सामान्य उद्योग परिपाटियों के अनुसार, कंपनी विभिन्न परिवर्तनीय पट्टा भुगतान करती है जो किसी भी सूचकांक या दर (कवर किए गए केएमएस या बिक्री के प्रतिशत आदि के आधार पर परिवर्तनीय) पर आधारित नहीं होते हैं और उन्हें लाभ या हानि में मान्य किया जाता है और पट्टा देयता के मापन में शामिल नहीं किया जाता है।

([k) foLrkj vkSj lekfIr fodYi

कंपनी पट्टा व्यवस्था में केवल प्रचालन लचीलापन प्रदान करने के लिए विस्तार विकल्प शामिल है। कंपनी प्रत्येक पट्टा प्रारंभण पर यह आकलन करती है कि क्या विस्तार विकल्पों का प्रयोग करना उचित रूप से निश्चित है और आगे यह पुनः आकलन करती है कि क्या उसके नियंत्रण में परिस्थितियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन होने पर विकल्प का प्रयोग करना उचित रूप से निश्चित है। हालाँकि, जहाँ कंपनी के पास संविदा को विस्तारित करने का एकमात्र विवेक है, वहाँ ऐसी पट्टा अवधि को पट्टा देयताओं की गणना के उद्देश्य से शामिल किया जाता है।

(iii) vof'k"V eY; xkjaVh

इसमें कोई अवशिष्ट मूल्य की गारंटी नहीं है।

(iv) ifrc) iVV] ftUgs vHkh ikjaHk fd;k tkuk gS

मैंगलोर में चरण 1 विस्तार के लिए 154.90 एकड़ भूमि (28.11 एकड़ हरित पट्टी और 126.79 एकड़ पट्टा योग्य क्षेत्र) के अधिग्रहण के लिए एमएसईजेडएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आवश्यक भुगतान और भूमि के अध्यावास के बाद, पट्टा प्रारंभ हो जाएगा।

(v) 31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार रिपोर्ट किए गए रद्द न करने योग्य प्रचालन पट्टा के प्रति भावी न्यूनतम पट्टा किराया प्रतिबद्धता और 1 अप्रैल, 2019 को दर्ज की गई पट्टा देयता के बीच का अंतर मुख्य रूप से पट्टे को रद्द करने योग्य अवधि के लिए पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य को शामिल करने के कारण है। इंड एएस 116 की आवश्यकता के अनुसार पट्टा देयताओं की छूट और उन पट्टों के लिए प्रतिबद्धताओं के वर्जन के कारण कमी आई है, जिनके लिए कंपनी ने मानक के अनुसार व्यावहारिक सुविधा लागू करने का विकल्प चुना है।

(vi) इस मानक के अनुप्रयोग के परिणामस्वरूप वर्ष के लिए कर पूर्व हानि में ₹11.33 लाख की निवल वृद्धि हुई है (पिछले वर्षः – ₹11.38 लाख) अर्थात मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय और वित्त लागत में क्रमशः ₹57.33 लाख की वृद्धि (पिछले वर्ष ₹56.19 लाख) और अन्य आय में ₹46.00 लाख की वृद्धि (पिछले वर्ष ₹44.85 लाख)।

(x) iVVknkrk

iapkyukRed iVVk

lacf/kr djkjksa esa mfYyf[kr fdjk;s dks vuqlkj bu fooj.kksa esa vk; dks :i esa ekU; iVVk fdjk;k%

₹ yk[k esa

fooj.k	2023-24	2022-23
वर्ष के दौरान आय के रूप में मान्य पटटा किराया		
- परिवर्तनीय पट्टा	893.54	-
- अन्य	-	-

यह विशाखापत्तनम स्थान पर कैवर्न ए की 0.30 एमएमटी क्षमता से संबंधित है, जो एचपीसीएल को उनके कच्चे तेल के भंडारण के लिए दी गई है, तथा तेल की कमी की स्थिति में भारत सरकार के पास वापसी का पहला अधिकार है।

fjiksVZx frfFk dks ckn ikIr gksus okys fcuk NwV okys iVVk Hkqxrkuksa dk ifjiDork fo'ys"k.k

₹ yk[k esa

fooj.k	2023-24	2022-23
एक वर्ष से कम	4,450.67	-
एक से दो वर्ष	4,450.67	-
दो से तीन वर्ष	3,553.35	-
तीन से चार वर्ष	-	-
चार से पांच वर्ष	-	-
पांच वर्ष से अधिक	-	-
dqy	**12,454.68**	**-**

31.2 vkdfLed n;rk,] vkdfLed ifjlifÙk;k vkj ifrc)rk,i ¼tgk rd iko/kku ugh fd;k x;k g½

fooj.k

(d) <u>vkdfLed n;rk,i</u>

dRiuh dk lkk{k vkdfLed n;rk, nkok] ftUgs _.k d : i ea Loh—r ugh fd;k x;k g] ftudh jkf'k ₹60]833-70 yk[k g ¼fiNys o"k ₹93]414-56 yk[k½ ftles fuEufyf[kr 'kkfey gs &

क) विशाखापत्तनम में खदान और भूविज्ञान विभाग द्वारा ₹11,795.03 लाख (पिछले वर्षः ₹11,795.03 लाख) रॉयल्टी की विवादित मांग।

ख) विभिन्न स्थलों पर किए गए परियोजनाओं के कारण संविदाकारों द्वारा किए गए ₹48,564.00 लाख (पिछले वर्षः ₹80,752.13 लाख) के विवादित दावों को ईआईएल द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसके लिए मामले मध्यस्थ न्यायाधिकरण/उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं।

ग) प्रवेश कर के संबंध में ₹74.64 लाख (पिछले वर्षः ₹74.64 लाख) की विवादित मांग। कंपनी ने प्रवेश कर के विवाद के समाधान के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा प्रवर्तित कर समाधान योजना का लाभ उठाया है। कंपनी के अनुसार कोई देयता नहीं है और कंपनी ने प्रवेश कर के लिए ₹74.64 लाख की जबरन वसूली के सापेक्ष रिट याचिका दायर की है और मामला माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

घ) पंचायत विकास अधिकारी (पादुर) द्वारा भवन, भूमि और विविध करों के कारण ₹शून्य (पिछले वर्षः ₹410.84 लाख) की विवादित मांगें, जिसके लिए मामला अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष लंबित है।

ङ) मैंगलोर में पाइपलाइन आरओयू के संबंध में ₹22.73 लाख की विवादित मांगें (पिछले वर्षः 381.58 लाख) जिसके लिए मामला जिला न्यायालय, मैंगलोर के समक्ष लंबित है।

च) जीएसटी प्राधिकरण द्वारा आईएसपीआरएल की ओर से वित्तीय वर्ष 2017–18 से वित्तीय वर्ष 2022–23 तक की अवधि के लिए खदान एवं भूविज्ञान विभाग में संविदाकार द्वारा जमा की गई रॉयल्टी की राशि के लिए आरसीएम आधार पर देयता के लिए ₹119.15 लाख (पिछले वर्ष : शून्य) की राशि के नोटिस/सूचनाएं प्रदान की गईं। आईएसपीआरएल ने वित्तीय वर्ष 2017–18 और वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए जीएसटी प्राधिकरण द्वारा उठाई गई अनुचित मांग को रद्द करने के लिए 06.11.2023 को कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की है। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 27.11.2023 के आदेश के तहत मांग के स्थगन पर रोक लगा दी है। वित्त वर्ष 2019–20 से 2022–23 के लिए, विभाग को उत्तर दायर किया गया है कि चूंकि उच्च न्यायालय ने आईएसपीआरएल द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार कर लिया है और वित्त वर्ष 2017–18 और 2018–19 के लिए जारी किए गए समान एससीएन के लिए निर्णय पर रोक लगाने का आदेश दिया है, इसलिए वित्त वर्ष 2019–20 से 2022–23 के लिए जारी किए गए कारण बताओ नोटिसों पर निर्णय को वित्त वर्ष 2017–18 और 2018–19 के लिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका के निपटारे तक स्थगित रखा जा सकता है।

छ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 1043(3)/154 के तहत मूल्यांकन अधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 और 2022–23 के लिए उठाई गई ₹258.15 लाख (पिछले वर्षः ₹0.34 लाख) की मांग के लिए सीआईटी (अपील) के समक्ष अपील दायर की गई।

([k) <u>vkdfLed ifjlifÙk;k</u> -

एलएफपी से मैंगलोर/पादुर कैवर्न तक इंटरमीडिएट वाल्व स्टेशन (आईवीएस) के माध्यम से पाइपलाइन बिछाने के संविदा के संबंध में आईएल एंड एफएस इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के मामले में आईएसपीआरएल के पक्ष में मध्यस्थता निर्णय के लिए ₹126.79 लाख (पिछले वर्षः ₹शून्य)। मध्यस्थता निर्णय को आज तक अन्य पक्षकार द्वारा चुनौती नहीं दी गई है।

(x) <u>iwthxr ifrc)rk,i</u>

1. मैंगलोर में चरण 1 विस्तार भूमि के लिए पूंजीगत खाते पर निष्पादित की जाने वाली शेष संविदाओं की अनुमानित और प्रावधानरहित ₹11,803.41 लाख (पिछले वर्षः 22,950.38 लाख) का राशि।

2. कर्नाटक सरकार द्वारा 22 फरवरी, 2023 को पादुर में 214.79 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए अंतिम राजपत्र अधिसूचना जारी की गई। 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार केआईएडीबी से भूमि अधिग्रहण पर ₹17,644.84 लाख व्यय किए गए हैं। भूस्वामियों को पुनर्वास के लिए भुगतान के कारण पूंजी प्रतिबद्धता और कोई अन्य राशि, पुनर्वास समिति के निर्णय के बाद उत्पन्न होगी।

3. पूंजीगत वस्तुओं की खरीद के लिए अन्य पूंजीगत प्रतिबद्धता (अग्रिमों को छोड़कर) – ₹0.03 लाख (पिछले वर्षः 0.01 लाख)

(?k) <u>vU; ifrc)rk,½</u> कंपनी द्वारा ₹3,710.69 लाख (पिछले वर्षः ₹544.21 लाख) के लिए महत्वपूर्ण संविदाओं के प्रति अपने संविदात्मक दायित्वों का संकलित विवरण।

fVIi.kh la[;k 32% lacaf/kr i{kdkj ysunsu %&

Hkkjrh; ys[kkdu ekud 24 ds vuqlkj lacaf/kr i{kdkj izdVhdj.k fuEukuqlkj gS %

fooj.k

lacaf/kr i{kdkjksa dk fooj.k %

lac/k dk fooj.k	lacaf/kr i{kdkjksa ds uke
होल्डिंग कंपनी	तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) की कंपनी में 100% इक्विटी है
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)	1. श्री एल. आर. जैन, मु.का.अ. एवं प्रबंध निदेशक, आईएसपीआरएल 2. श्री एचपीएस आहुजा, मु.का.अ. एवं प्रबंध निदेशक, आईएसपीआरएल (01.06.2022 तक) 3. श्री जी.के. सिंह, मुख्य वित्त अधिकारी, आईएसपीआरएल (04.05.2024 तक) 4. श्री अजय दशोरे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक [(अतिरिक्त प्रभार) (15.05.2024 से 09.06.2024 तक)] और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक [(अतिरिक्त प्रभार) (17.06.2022 से 30.10.2022 तक)] 5. श्री दीपक कुमार, मुख्य वित्तीय अधिकारी, आईएसपीआरएल (10.06.2024 से) 6. श्री अरुण तलवार, कंपनी सचिव, आईएसपीआरएल (15.05.2023 तक) 7. सुश्री शिल्पी मोहंती, कंपनी सचिव, आईएसपीआरएल (06.06.2023 से)
	funs'kd eaMy ¼inuke½ 1. श्री पंकज जैन, अध्यक्ष 2. श्री प्रवीण एम. खनूजा, निदेशक 3. सुश्री कामिनी चौहान रतन, निदेशक 4. सुश्री ईशा श्रीवास्तव, निदेशक 5. सुश्री वर्षा सिन्हा, निदेशक 6. सुश्री यतिंदर प्रसाद, निदेशक (11.10.2022 से 21.11.2022 तक) 7. श्री गुड्डे श्रीनिवास, निदेशक (26.09.2022 तक) 8. डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, निदेशक (30.11.2022 तक)

(i) eq[; izca/kdh; dkfeZd

		₹ yk[k esa
ikfjJfed	31 ekpZ 2024 dks lekIr o"kZ ds fy,	31 ekpZ 2023 dks lekIr o"kZ ds fy,
मु.का.अ. एवं प्रबंध निदेशक*#	82.18	83.98
मुख्य वित्तीय अधिकारी *	91.32	84.77
कंपनी सचिव*	82.25	85.56
dqy	**255.75**	**254.31**

*संबंधित होल्डिंग कंपनी से प्राप्त डेबिट नोट्स के अनुसार।

उपरोक्त राशि में वर्ष के दौरान हस्तांतरित संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संबंध में आयकर अधिनियम के अनुसार शून्य (पिछले वर्ष: ₹0.86 लाख) का अनुलाभ मूल्य शामिल नहीं है।

laifRr] la;a= vkSj midj.k lsa fcØh ij ifrQy	31 ekpZ 2024 dks lekIr o"kZ ds fy,	31 ekpZ 2023 dks lekIr o"kZ ds fy,
श्री एचपीएस आहुजा	लागू नहीं	2.04
dqy	ykxw ugha	**2.04**

laifRr] la;a= vkSj midj.k dk gLrkarj.k	31 ekpZ 2024 dks lekIr o"kZ ds fy,	31 ekpZ 2023 dks lekIr o"kZ ds fy,**
श्री एचपीएस आहुजा	लागू नहीं	0.79
सुश्री यतिंदर प्रसाद	लागू नहीं	0.66
dqy	ykxw ugha	**1.45**

**परिसंपत्ति के हस्तांतरण की तिथि पर बहियों के अनुसार डब्ल्यूडीवी की राशि।

(ii) gkÇYMx dEiuh ¼vkvkbZMhch½

	₹ yk[k e

	31 ekp 2024 dk lekIr o"k d fy,	31 ekp 2023 dk lekIr o"k d fy,
व्यय की प्रतिपूर्ति	18.20	25.20
चरण II व्यय के लिए अनुदान (वर्ष के दौरान प्राप्त)	350.00	शून्य
चरण II के लिए अनुदान (प्राप्य)	15.34	314.15
ओआईडीबी की ओर से किया गया व्यय	0.12	0.25
चरण II के लिए अप्रयुक्त अनुदान की वापसी	51.19	शून्य

lcf/kr i{kdkjk d ikl cdk;k 'k"k

		31 ekp 2024 dk lekIr o"k d fy,	31 ekp 2023 dk lekIr o"k d fy,
			₹ yk[k e
(i)	e[; icU/kdh; dkfed आईएसपीआरएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंधन निदेशक श्री एल.आर. जैन से वेतन पर टीडीएस वसूलीयोग्य	शून्य	0.63
(ii)	gkuYMx dEiuh ¼vkvkbZMhch½		
	उनकी ओर से किए गए व्यय के लिए ओआईडीबी से वसूली योग्य	0.12	0.01
	व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए ओआईडीबी को देय	18.20	25.20
	चरण II के लिए प्राप्य अनुदान	15.34	314.15

fVIi.kh कंपनी द्वारा प्राप्त कानूनी राय के अनुसार, तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) और भारत सरकार/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(76) के तहत 'संबंधित पक्षकार' नहीं हैं। तदनुसार, कंपनी द्वारा उनके साथ किए गए लेनदेन के लिए संबंधित अनुपालन, यदि कोई हो, किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

fVIi.kh l[;k 33% [kM fjiksVx

1. कंपनी भारत सरकार के लिए कच्चे तेल के सरकारी भंडार के लिए भंडारण परिसंपत्तियां बना रही है और ऐसी परिसंपत्तियों का अनुरक्षण भी कर रही है। इसे एक ही प्राथमिक खंड माना जाता है।

2. भौगोलिक जानकारी लागू नहीं है क्योंकि कंपनी का सम्पूर्ण प्रचालन भारत के भीतर होता है।

fVIi.kh l[;k 34% foRrh; fy[kr

J.kh d vuqlkj foRrh; fy[kr

1. प्रबंधन ने मूल्यांकन किया कि नकदी और नकदी समकक्षों, अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों, व्यापार देयताओं, अल्पावधि उधारों और अन्य चालू वित्तीय देयताओं का उचित मूल्य उनकी वहन राशि के लगभग बराबर है।

2. वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का उचित मूल्य उस राशि पर शामिल किया जाता है जिस पर लिखत को बलात् या परिसमापन बिक्री के अलावा, इच्छुक पक्षकारों के बीच चालू लेनदेन में विनिमय किया जा सकता है।

3. उचित मूल्य पदानुक्रम के संबंध में उपरोक्त प्रकटीकरण लागू नहीं है।

fVIi.kh l[;k 35% foRrh; fy[kr

1) foRrh; tksf[ke dkjd

कंपनी की गतिविधियाँ इसे कई तरह के वित्तीय जोखिमों: बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और चलनिधि जोखिम – के प्रति संवेदनशील बनाती हैं। कंपनी का प्राथमिक फोकस वित्तीय बाजारों की अप्रत्याशितता का पूर्वानुमान लगाना और अपने वित्तीय

प्रदर्शन पर संभावित प्रतिकूल प्रभावों को कम करना है। कंपनी के लिए प्राथमिक बाजार जोखिम ब्याज दर जोखिम है। कंपनी के संचालन और अनुरक्षण व्यय जीबीएस से पूरे किए जाते हैं, इसलिए यह किसी भी भौतिक ब्याज दर जोखिम के प्रति संवेदनशील नहीं है।

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में व्यापार और अन्य देय राशियाँ और प्रतिभूति जमा शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कंपनी के प्रचालन को वित्तपोषित करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में अन्य प्राप्य, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ और नकदी/नकदी समतुल्य शामिल हैं जो सीधे इसके प्रचालन से प्राप्त होते हैं।

वर्तमान में कंपनी प्राकृतिक व्यावसायिक जोखिमों के साथ–साथ वित्तीय लिखतों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले किसी भी वित्तीय जोखिम के प्रति संवेदनशील नहीं है, जिसमें ब्याज दर, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों से संबंधित बाजार जोखिम शामिल है। वरिष्ठ प्रबंधन कंपनी के लिए उपयुक्त वित्तीय जोखिम अभिशासन ढांचे के साथ इन जोखिमों के प्रबंधन की देखरेख करता है।

2) ckt kj tkf[ke

बाजार जोखिम वह जोखिम है जिसमें किसी वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकदी प्रवाह में बाजार की कीमतों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव होगा। बाजार की कीमतों में तीन प्रकार के जोखिम शामिल हैं: मुद्रा दर जोखिम, ब्याज दर जोखिम और अन्य मूल्य जोखिम। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय लिखतों में ऋण और उधार, जमा, निवेश और डेरिवेटिव वित्तीय लिखत शामिल हैं। विदेशी मुद्रा जोखिम वह जोखिम है जिसमें किसी वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकदी प्रवाह में विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव होगा। ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जिसमें किसी वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकदी प्रवाह में बाजार की ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव होगा। वर्तमान में कंपनी की वित्तीय लिखत किसी भी भौतिक बाजार जोखिम के प्रति संवेदनशील नहीं है।

3) _.k tkf[ke

ग्राहक ऋण जोखिम का प्रबंधन प्रत्येक व्यावसायिक इकाई द्वारा किया जाता है, जो ग्राहक ऋण जोखिम प्रबंधन से संबंधित कंपनी की स्थापित नीति, प्रक्रियाओं और नियंत्रण के अधीन है। ग्राहक की ऋण गुणवत्ता का मूल्यांकन व्यापक विश्लेषण के आधार पर किया जाता है और बकाया ग्राहक प्राप्तियों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। वर्तमान में कोई व्यापार प्राप्य नहीं हैं।

4) pyfuf/k tkf[ke

कंपनी अपनी निधियों के अभाव के जोखिम पर कड़ी निगरानी रखती है। कंपनी होल्डिंग कंपनी से अल्पकालिक उधारी तक पहुंच बनाए रखकर अपनी चलनिधि आवश्यकता का प्रबंधन करने का आशय रखती है।

नीचे दी गई तालिका में 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार महत्वपूर्ण वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता के बारे में विवरण प्रदान किया गया है।

₹ yk[k esa

foj.k	1 o"kZ ls de	1&2 o"kZ	2&4 o"kZ	4 o"kZ ls vf/kd	dqy
उधारी	-	-	-	-	-
व्यापार देयताएं	2,159.44	-	-	-	2,159.44
अन्य वित्तीय देयताएं	27,141.04	17.45	4.83	-	27,163.32
dqy	**29,300.48**	**17.45**	**4.83**	**-**	**29,322.76**

नीचे दी गई तालिका में 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार महत्वपूर्ण वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता के बारे में विवरण प्रदान किया गया है।

₹ yk[k esa

fooj.k	1 o"kZ ls de	1&2 o"kZ	2&4 o"kZ	4 o"kZ ls vf/kd	dqy
उधारी	-	-	-	-	-
व्यापार देयताएं	1,891.61	-	-	-	1,891.61
अन्य वित्तीय देयताएं	22,092.40	17.10	0.27	-	22,109.77
dqy	**23,984.01**	**17.10**	**0.27**	**-**	**24,001.38**

fVIi.kh la[;k 36% iwath izca/ku

कंपनी के पूंजी प्रबंधन के प्रयोजन हेतु।

pj.k I dk vUrxZr % पूंजी में निर्गत इक्विटी पूंजी और इक्विटी धारकों को आरोप्य सभी अन्य इक्विटी आरक्षित निधि शामिल हैं। कंपनी के पूंजी प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य शेयरधारक मूल्य को अधिकतम करना है।

pj.k I foLrkj dk vUrxZr % मैंगलोर में चरण–I विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु पूंजी का प्रबंधन भारत सरकार/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से जीबीएस के माध्यम से किया जाएगा।

pj.k II ifj;kstuk dk vUrxZr % भूमि अधिग्रहण के लिए पूंजी का प्रबंधन भारत सरकार/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से जीबीएस के माध्यम से किया जा रहा है।

fVIi.kh la[;k 37% fons'kh eqæk esa Hkqxrku ¼Hkkjrh; #i;k lerqY;½

₹ yk[k esa

fooj.k	31 ekpZ 2024 dks lekIr o"kZ ds fy,	31 ekpZ 2023 dks lekIr o"kZ ds fy,
यात्रा	शून्य	6.72
माल और सेवाओं के लिए भुगतान	शून्य	4,775.67
dqy	**0.00**	**4782.39**

fVIi.kh la[;k 38% fons'kh eqæk esa ikfIr;k¡ ¼Hkkjrh; #i;k lerqY;½

₹ yk[k esa

fooj.k	31 ekpZ 2024 dks lekIr o"kZ ds fy,	31 ekpZ 2023 dks lekIr o"kZ ds fy,
एडनोक से प्राप्ति	302.85	1,454.56
यात्रा अग्रिम का प्रतिदाय	0.86	शून्य
dqy	**303.71**	**1454.56**

fVIi.kh la[;k 39% deZpkjh fgrykHk izdVhdj.k

(i) Hkkjrh; ys[kkadu ekud 19 ¼bMa ,,l 19½ ds vuqlkj xzSP;qVh izdVhdj.k fooj.k

d. dEiuh }kjk izn•u dh xbZ vkSj x.kuk ds fy, iz;qä chekfdad /kkj.kk,a uhps lkj.khc) gS%

vof/k	31-03-2024 rd dh fLFkfr ds vuqlkj	31-03-2023 rd dh fLFkfr ds vuqlkj
छूट की दर	7.25 % प्रति वर्ष	7.50 % प्रति वर्ष
वेतन वृद्धि दर	12.00 % प्रति वर्ष	10.00 % प्रति वर्ष
मृत्यु दर	आईएएलएम 2012-14	आईएएलएम 2012-14
अपेक्षित प्रतिफल दर	7.25% प्रति वर्ष	0
निकासी दर (प्रति वर्ष)	5.00% प्रति वर्ष	5.00% प्रति वर्ष

[k. eY;kfdr fgrykHk%

vof/k	31-03-2024 rd dh fLFkfr ds vuqlkj	31-03-2023 rd dh fLFkfr ds vuqlkj
सामान्य सेवानिवृत्ति आयु	60 वर्ष	60 वर्ष
वेतन	अंतिम आहरित अर्हक वेतन	अंतिम आहरित अर्हक वेतन
निहित अवधि	5 वर्ष की सेवा	5 वर्ष की सेवा
सामान्य सेवानिवृत्ति पर लाभ	15/26 * वेतन * विगत सेवा (वर्ष)	15/26 * वेतन * विगत सेवा (वर्ष)
मृत्यु और विकलांगता के कारण समय से पहले नौकरी छोड़ने पर लाभ	जैसा कि ऊपर बताया गया है, सिवाय इसके कि कोई निहित शर्तें लागू न हो	जैसा कि ऊपर बताया गया है, सिवाय इसके कि कोई निहित शर्तें लागू न हो
सीमा	₹ 25,00,000	₹20,00,000

x. izeq[k ifj.kke

vof/k	31-03-2024 rd dh fLFkfr ds vuqlkj	31-03-2023 rd dh fLFkfr ds vuqlkj
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	₹ 21,12,602	₹ 9,24,256
अवधि के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	₹ 15,82,938	₹ 12,14,340
तुलन–पत्र और संबंधित विश्लेषण में मान्य निवल देयता/(परिसंपत्ति)	₹ 5,29,664	(₹ 2,90,084)
वित्तपोषित स्थिति – अधिशेष/(घाटा)	(₹ 5,29,664)	₹ 2,90,084

?k. fuoy ns;rk dk foHkktu

vof/k	31-03-2024 rd dh fLFkfr ds vuqlkj	31-03-2023 rd dh fLFkfr ds vuqlkj
चालू देयता (अल्पावधि)	₹ 7,948	0
गैर चालू देयता (दीर्घावधि)	₹ 5,21,716	0
कुल देयता	₹ 5,29,664	0

(ii) Hkkjrh; ys[kk ekud 19 ¼bM ,,l 19½ ds vuqlkj vodk'k izdVhdj.k fooj.k

d. dEiuh }kjk iznku dh xbZ vkj x.kuk ds fy, iz;qä chekfdd /kkj.kk,sa lkj.khc) gS%

vof/k	31-03-2024 rd dh fLFkfr ds vuqlkj	31-03-2023 rd dh fLFkfr ds vuqlkj
छूट की दर	7.25 % प्रति वर्ष	7.50 % प्रति वर्ष
वेतन वृद्धि दर	12.00 % प्रति वर्ष	10.00 % प्रति वर्ष
मृत्यु दर	आईएएलएम 2012-14	आईएएलएम 2012-14
अपेक्षित प्रतिफल दर	7.25% प्रति वर्ष	0
निकासी दर (प्रति वर्ष)	5.00% प्रति वर्ष	5.00% प्रति वर्ष

[k. eY;kfdr fgrykHk :

vof/k	31-03-2024 rd dh fLFkfr ds vuqlkj	31-03-2023 rd dh fLFkfr ds vuqlkj
सामान्य सेवानिवृत्ति आयु	60 वर्ष	60 वर्ष
वेतन	कंपनी के नियमों के अनुसार	कंपनी के नियमों के अनुसार
सामान्य सेवानिवृत्ति पर लाभ	1/30 * वेतन * छुट्टियों की संख्या	1/30 * वेतन * छुट्टियों की संख्या
समय–पूर्व निकासी पर लाभ	उपरोक्तानुसार, कंपनी के नियमों के अध्यधीन	उपरोक्तानुसार, कंपनी के नियमों के अध्यधीन
मृत्यु पर लाभ	उपरोक्तानुसार, कंपनी के नियमों के अध्यधीन	उपरोक्तानुसार, कंपनी के नियमों के अध्यधीन

x. ie|[k ifj.kke

vof/k	31-03-2024 rd dh fLFkfr ds vuqlkj	31-03-2023 rd dh fLFkfr ds vuqlkj
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	₹ 31,90,374	₹ 14,96,467
अवधि के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	₹ 28,88,017	₹ 21,34,663
तुलन–पत्र और संबंधित विश्लेषण में मान्य निवल देयता/(परिसंपत्ति)	₹ 3,02,357	(₹ 6,38,196)
वित्तपोषित स्थिति – अधिशेष/(घाटा)	(₹ 3,02,357)	₹ 6,38,196

?k. fuoy n;rk dk foHkktu

vof/k	31-03-2024 rd dh fLFkfr ds vuqlkj	31-03-2023 rd dh fLFkfr ds vuqlkj
चालू देयता (अल्पावधि)	₹ 79,498	0
गैर चालू देयता (दीर्घावधि)	₹ 2,22,859	0
कुल देयता	₹ 3,02,357	0

fVIi.kh la[;k 40% vU; fVIi.kh

40- vU; fVIif.k;k

i) fookn ls fo'okl ds varxZr fuiVk, x, ekeys %&

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2016–17 तक विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 के तहत लाभ उठाया था और पिछले वर्षों में ₹663.47 लाख का कर चुकाया गया है। मांग का निपटारा कर दिया गया है और विभाग द्वारा फॉर्म–5 जारी कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप सभी मामले बंद कर दिए गए हैं। फॉर्म 5 के प्रभावी होने का पत्र सक्षम प्राधिकारी से प्रतीक्षित है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 और वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए, आयकर साइट पर कुल ₹1.03 करोड़ की मांग दिखाई दे रही है, जो विभाग द्वारा जारी किए गए फॉर्म 5 के आलोक में न तो लागू करने योग्य है और न ही सही है, जो स्वतः मामला समाप्त कर देता है और विभाग द्वारा आगे कोई कार्रवाई या मांग नहीं की जा सकती है।

ii) सॉवरेन क्रूड ऑयल रिजर्व को भारत सरकार की ओर से कंपनी के तीन स्थानों पादुर, मैंगलोर और विशाखापत्तनम में अभिरक्षक के रूप में रखा गया है। विशाखापत्तनम में कैवर्न बी का उपयोग एचपीसीएल द्वारा अपने संचालन के लिए किया जाता है और कच्चे तेल में परिसंपत्ति पूरी तरह से एचपीसीएल के स्वामित्व में है। मैंगलोर में कैवर्न ए का उपयोग एडनोक द्वारा आईएसपीआरएल के साथ करार के तहत अपने स्वयं के कच्चे तेल के भंडारण के लिए किया जाता है और कच्चे तेल में परिसंपत्ति पूरी तरह से एडनोक के स्वामित्व में है (डेड स्टॉक को छोड़कर जो भारत सरकार के स्वामित्व में है)।

कंपनी ने विशाखापत्तनम स्थान पर कैवर्न ए की 0.30 एमएमटी क्षमता को एचपीसीएल को किराये/पट्टे पर देने के लिए एचपीसीएल के साथ करार किया है और एचपीसीएल द्वारा संग्रहीत कच्चा तेल एचपीसीएल की परिसंपत्ति है, तथा तेल की कमी की स्थिति में भारत सरकार से इसे वापस लेने का पहला अधिकार है।

कंपनी ने सॉवरेन क्रूड ऑयल के लेखांकन के संबंध में आईसीएआई से विशेषज्ञ सलाहकार राय प्राप्त की है। आईसीएआई से प्राप्त राय के अनुसार तथा लेखापरीक्षा समिति और बोर्ड को दी गई सूचना के अनुसार, कंपनी के वित्तीय विवरणों में सॉवरेन क्रूड ऑयल का लेखांकन नहीं किया जा रहा है तथा केवल लेखा संबंधी टिप्पणियों में सॉवरेन क्रूड ऑयल इन्वेंटरी का प्रकटीकरण किया जा रहा है (टिप्पणी संख्या 1.1 देखें)।

Hkkjr ljdkj & dPpk rsy

fooj.k	31 ekp] 2024 ¼ek=k ehfVªd Vu esa½	31 ekp] 2023 ¼ek=k ehfVªd Vu esa½
कच्चे तेल का प्रारंभिक स्टॉक (सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार) (क)	30,16,903.67	30,10,938.75
जोड़ें :– वर्ष के दौरान अधिप्राप्त :		
लदान बिल के अनुसार (ख)	-	-
सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार वास्तविक (ग)	-	-
जोड़ें:– मैंगलोर में कार्वर्न ए में डेड स्टॉक (घ)	-	3,394.63
घटाएँ:– वर्ष के दौरान बिक्री/हस्तांतरित (ङ)	98,795.44	-
वर्ष के अंत तक वास्तविक के अनुसार निवल मात्रा (क+ग+घ)–(ङ)	29,18,108.23	30,14,333.38
वर्ष के अंत तक अभिरक्षा में कुल मात्रा (सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार) (मैंगलोर में कैवर्न ए में 3,394.63 मीट्रिक टन के डेडस्टॉक सहित)	29,20,002.98	30,16,903.67

,Mukd & dPpk rsy

fooj.k	31 ekp] 2024 ¼ek=k ehfVªd Vu esa½	31 ekp] 2023 ¼ek=k ehfVªd Vu esa½
कच्चे तेल का प्रारंभिक स्टॉक (सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार) (क)	4,21,775.48	3,512.61
जोड़ेंः— वर्ष के दौरान अधिप्राप्त		
लदान बिल के अनुसार (ख)	-	4,33,099.00
सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार वास्तविक (ग)	-	4,22,602.24
घटाएँ :— मैंगलोर में कार्वर्न ए में डेड स्टॉक (घ)	-	3,394.63
घटाएँ :— वर्ष के दौरान एडनोक द्वारा हस्तांतरित (ङ)	-	-
वर्ष के अंत तक वास्तविक के अनुसार निवल मात्रा (क+ग) — (घ+ङ)	4,21,775.48	4,22,720.22
वर्ष के अंत तक अभिरक्षा में कुल मात्रा (सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार) (मैंगलोर मेंकैवर्न ए में 3,394.63 मीट्रिक टन के डेडस्टॉक को छोड़कर)	4,21,588.49	4,21,775.48

टिप्पणीः हानियाँ स्वीकार्य उद्योग मानदंडों के भीतर हैं।

fooj.k	₹ yk[k esa 2023-24	2022-23
Hkkjr ljdkj@isVªksfy;e ,oa izk—frd xSl ea=ky; dks ns; ¼dPpk rsy vuqnku½		
अवधि के आरंभ में भारत सरकार/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को देय/प्रतिदेय	84.61	84.61
जोड़ेंः— वर्ष के दौरान कच्चे तेल के लिए प्राप्त राशि	-	-
जोड़ेंः— ब्याज, अन्य प्राप्तियां और समायोजन	-	-
घटाएँः— वर्ष के दौरान खरीदा गया कच्चा तेल (स्थानांतरण के बाद निवल) (समाशोधन और अन्य व्यय सहित)	-	-
घटाएँः— भारत सरकार/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को वापस की गई राशि	-	-
अवधि के अंत में भारत सरकार/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को देय/प्रतिदेय	84.61	84.61
टिप्पणीः 31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारत सरकार/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को देय/प्रतिदेय राशि आयकर विभाग से प्राप्य टीडीएस को दर्शाती है।		

iii) वित्त वर्ष 2022—23 तक, कंपनी ओएंडएम अनुदान और उससे संबंधित व्यय को कंपनी के लाभ और हानि विवरण के आधार पर निवल ऑफ आधार पर प्रस्तुत कर रही थी। कंपनी ने ओएंडएम अनुदान के लेखांकन/प्रस्तुति के संबंध में आईसीएआई से विशेषज्ञ सलाहकार राय प्राप्त की है। आईसीएआई से प्राप्त राय और लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड से अनुमोदन के अनुरूप, कंपनी वित्त वर्ष 2023—24 से कंपनी की आय और व्यय के रूप में ओएंडएम अनुदान और संबंधित व्यय/उपयोगिता दिखा रही है (वित्त वर्ष 2022—23 के लिए संबंधित राशियों को फिर से समूहीकृत किया गया है)।

iv) **(d) pj.k II :**

8 जुलाई, 2021 को भारत सरकार ने चरण II के तहत ओडिशा के चांदीखोल (4 एमएमटी) और कर्नाटक के पादुर II (2.5 एमएमटी) में वाणिज्यिक सह स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स के विकास और पीपीपी मोड के तहत डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) के आधार पर समर्पित एसपीएम और संबंधित पाइपलाइनों के विकास को मंजूरी दी थी। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रगति पर है और नीचे दी गई हैः—

Hkwfe vf/kxzg.k dh fLFkfr %

ikn qj %

- आईएसपीआरएल ने नवंबर 2020 में पादुर में भूमि अधिग्रहण/आवंटन के लिए केआईएडीबी को आवेदन प्रस्तुत किया। केआईएडीबी द्वारा 22 फरवरी, 2023 को पादुर की 214.79 एकड़ भूमि के लिए अंतिम राजपत्र अधिसूचना जारी की गई। भूमि दर (अन्य प्रासंगिक प्रभारों सहित) और भूमि पर वन, बागवानी और स्थायी संरचना के लिए मुआवजे के निर्धारण के बाद मांग टिप्पणियों के आधार पर 31.03.2024 तक केआईएडीबी को कुल ₹176.44 करोड़ का भुगतान किया गया है।
- केआईएडीबी डीसी, पादुर के परामर्श से भूस्वामियों के लिए आरएंडआर पैकेज को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

pkanh[kksy :

- ओडिशा के जिला जाजपुर के चांदीखोल में 400 एकड़ भूमि के लिए आवेदन सितंबर 2019 में ओडिशा सरकार को प्रस्तुत किया गया था। ओडिशा सरकार ने चांदीखोल परियोजना के लिए भूमि आवंटन के हमारे आवेदन पर विचार करते हुए दिसंबर 2022 में आईएसपीआरएल को एसपीआर के निर्माण के लिए वैकल्पिक स्थलों की तलाश करने की सलाह दी है।

- आईएसपीआरएल ने ओडिशा में वैकल्पिक स्थल की पहचान करने के लिए ईआईएल को नियुक्त किया। इसके बाद ईआईएल द्वारा डेस्कटॉप अध्ययन के बाद, वैकल्पिक स्थलों का मूल्यांकन करने के लिए एक संयुक्त दौरा किया गया। ईआईएल ने 6 जुलाई, 2023 को आईएसपीआरएल को अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए एक वैकल्पिक स्थल की सिफारिश की गई है। इसके अलावा एएसआई पुरी सर्कल की एक टीम माझी पाड़ा के पास वैकल्पिक स्थल पर पुरातत्व सर्वेक्षण करने की प्रक्रिया में है।
- पुरातत्व विभाग से मंजूरी मिलने के बाद, आईएसपीआरएल भू–तकनीकी सर्वेक्षण आदि शुरू करने से पहले परियोजना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी के लिए ओडिशा सरकार को अनुरोध प्रस्तुत किया जाएगा।

([k) pj.k I foLrkj :-

1. अतिरिक्त क्षमता की खोज के प्रयास में, आईएसपीआरएल ने एमएसईजेडएल के साथ चर्चा की और एमएसईजेडएल ने आईएसपीआरएल को ₹226.94 करोड़ के एकमुश्त गैर–वापसीयोग्य पट्टा प्रीमियम और ₹60,000 प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से वार्षिक पट्टा किराया प्रीमियम के भुगतान पर 154.90 एकड़ भूमि (126.79 एकड़ पट्टे योग्य भूमि है और शेष 28.11 एकड़ को हरित पट्टी के रूप में बनाए रखा जाना है) की पेशकश की।
2. डेलिगेटेड इंवेस्टमेंट बोर्ड (डीआईबी) की दिनांक 17 फरवरी, 2023 की मंजूरी आईएसपीआरएल को दिनांक 22 फरवरी, 2023 के कार्यालय ज्ञापन संख्या आईसी22011/6/2017–आईसी–2 के माध्यम से सूचित कर दी गई है। अनुमोदन प्राधिकारी की मंजूरी के लिए पत्राचार 26 जून, 2023 को प्राप्त हुआ है।
3. आईएसपीआरएल ने मैंगलोर में पट्टे के आधार पर 154.90 एकड़ भूमि के आवंटन के लिए 17.03.2023 को एमएसईजेडएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और 31.03.2024 तक एमएसईजेडएल को ₹22.69 करोड़ (एकमुश्त गैर–वापसी योग्य पट्टा प्रीमियम का 10%) का भुगतान किया है।
4. आईएसपीआरएल ने चरण–I विस्तार के तहत मैंगलोर परियोजना के लिए पूर्व परियोजना अध्ययन के लिए ईआईएल को परियोजना सलाहकार नियुक्त किया है। मैसर्स ईआईएल द्वारा डीएफआर तैयार किया जा रहा है। डीएफआर के आधार पर, मैंगलोर में अतिरिक्त कैवर्न्स के निर्माण का प्रस्ताव आवश्यक अनुमोदन के लिए कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।
5. भू–तकनीकी जांच और समोच्च सर्वेक्षण का कार्य क्रमशः मैसर्स सॉयलटेक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स एक्सप्लोरर कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है।

v) आईएसपीआरएल के मैंगलोर स्थल पर, 2 कैवर्न्स हैं, जिनका नाम कैवर्न्स ए और बी है। कैवर्न्स "ए" के लिए, तेल भंडारण और प्रबंधन के लिए 10.02.2018 को अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और (एडनोक) मार्केटिंग इंटरनेशनल (इंडिया) आरएससी लिमिटेड (एएमआई इंडिया) के साथ एक त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। करार के अनुसार, 1,20,000 अमेरिकी बैरल (15831 मीट्रिक टन) का मूल्य एएमआई इंडिया (एडनोक) को डेड स्टॉक हानि/कमीशनिंग हानि के लिए भुगतान किया जाना था और भारत सरकार/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने डेड स्टॉक की प्रतिपूर्ति के लिए ₹7,000 लाख आवंटित किए थे। उत्पाद की वास्तविक निकासी पर, प्रचालन दक्षता के कारण डेड स्टॉक/कमीशनिंग हानि अनुमानित 1,20,000 बैरल के सापेक्ष 75,923 बैरल निर्धारित की गई है और इस आशय के मूल करार के लिए एक साइड लेटर दिनांक 18.04.2022 को हस्ताक्षरित किया गया है। कंपनी द्वारा 15.06.2022 को 75,923 बैरल के लिए ₹4,776.01 लाख का भुगतान एडनोक को किया गया है और शेष ₹2,223.99 लाख वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को वापस कर दिए गए हैं।

पक्षकार स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि आईएसपीआरएल, हमेशा एएमआई इंडिया (एडनोक) में स्वामित्व हित बनाए रखेगा, जो 3,394.63 मीट्रिक टन (25,781 बैरल) तेल के डेड स्टॉक मात्रा के बराबर है। डेड स्टॉक का स्वामित्व भारत सरकार के पास है।

एएमआई इंडिया (एडनोक) के साथ करार से संबंधित भंडारण हानि और प्रचालन हानि के लिए देयता, यदि कोई हो, का प्रावधान करार के पक्षकारों द्वारा परिमाणीकरण के बाद किया जाएगा। वर्ष के दौरान किसी भी हानि का परिमाणीकरण नहीं किया गया है।

vi) 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार, कंपनी का दैनिक कार्य विभिन्न तेल कंपनियों से प्रतिनियुक्ति पर आए 16 कर्मियों और बोर्ड द्वारा नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक द्वारा संभाला जाता है। इसके अलावा, कंपनी में ओआईडीबी वेतनमान पर आईएसपीआरएल के नियमित रोल पर 12 कर्मचारी हैं। आईएसपीआरएल के नियमित कर्मचारियों के लिए कर्मचारी नीतियों के निर्माण की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

vii) अन्य कंपनियों से प्राप्त होने वाली राशि सहित मूल्य के लिए नकदी या वस्तु के रूप में वसूली योग्य अग्रिम राशि, जिसमें कोई निदेशक निदेशक या सदस्य है, शून्य है (पिछले वर्ष–₹ शून्य)।

viii) वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, कैबिनेट ने आईएसपीआरएल को निम्नलिखित तरीके से सुविधाओं और कच्चे तेल के व्यावसायीकरण की अनुमति दी है :-

क. कुल भंडारण क्षमता का 30% भारतीय या विदेशी कंपनियों को पट्टे/किराए पर देना। तथा

ख. कच्चे तेल की कुल भंडारण क्षमता के 20% की बिक्री/खरीद भारतीय कंपनियों को।

ग. कुल भंडारण क्षमता का शेष 50% सामरिक रहेगा।

कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार, 30% तक को पट्टे/किराए पर देने के माध्यम से वाणिज्यिक स्टॉक जारी करना और 20% तक कच्चे तेल की बिक्री खरीद का काम आईएसपीआरएल के बोर्ड द्वारा समय–समय पर निर्धारित प्रबंधन समिति द्वारा किया जाएगा। कच्चे तेल के 50% के सामरिक हिस्से में स्टॉक जारी करने का अधिकार अंतर–मंत्रालयी अधिकार प्राप्त समिति के पास रहेगा।

पट्टे पर दी जाने वाली 30% भंडारण क्षमता के लिए कच्चे तेल की बिक्री से प्राप्त आय भारत सरकार को वापस कर दी जाएगी। साथ ही, सॉवरेन क्रूड ऑयल की बिक्री/खरीद को कंपनी के लाभ और हानि खाते के विवरण में मान्य नहीं किया गया है (टिप्पणी संख्या 1.1 देखें)। 20% कच्चे तेल की बिक्री से प्राप्त राजस्व आईएसपीआरएल की आय का हिस्सा बनेगा।

19 जनवरी, 2024 से एचपीसीएल को विशाखापत्तनम स्थान पर कैवर्न ए की 0.30 एमएमटी क्षमता को किराए पर/पट्टे पर देने के लिए एचपीसीएल के साथ करार किया है।

आईएसपीआरएल ने 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार 30% क्षमता से 1.298 एमएमटी सॉवरेन क्रूड ऑयल की बिक्री की है और इसकी आय भारत सरकार/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को वापिस कर दी गई है। बेचे गए सॉवरेन क्रूड ऑयल में से 0.099 एमएमटी सॉवरेन क्रूड ऑयल चालू वर्ष के दौरान बेचा गया है।

lkoju ØM vk;y dh fcØh vkj Hkxrku dk fooj.k	₹ yk[k e
31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार भारत सरकार/ पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को देय राशि (तेल कंकंपनियों द्वारा कच्चे तेल की बिक्री पर काटा गया टीडीएस)	491.72
जोड़ें: वर्ष के दौरान की गई बिक्री में से वर्ष के दौरान प्राप्त वसूली	46,091.07
घटाएँ: आईएसपीआरएल के बांडेड स्टॉक पर एचपीसीएल द्वारा भुगतान किए गए सीमा शुल्क के लिए समायोजित राशि	15.44
घटाएँ: वर्ष के दौरान भारत सरकार/ पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को वापस की गई राशि	46,029.54
31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार तक भारत सरकार/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को देय राशि (तेल कंपनियों द्वारा कच्चे तेल की बिक्री पर काटा गया टीडीएस)	537.81
टिप्पणी: तेल कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार पंपिंग चार्ज पर टीडीएस की कटौती के रूप में ₹3.76 लाख रुपये की राशि बकाया है। चालू वर्ष के दौरान कच्चे तेल की बिक्री पर कोई पंपिंग शुल्क प्राप्त/प्राप्य नहीं है और तदनुसार 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारत सरकार/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को ₹3.76 लाख रुपये की राशि देय है।	

ix) मैंगलोर और पादुर से उत्खनित रॉक अभी भी साइट पर पड़े हुए हैं। पादुर में चट्टान के मलबे के लिए ई–नीलामी मिनरल स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन (एमएसटीसी) के माध्यम से आयोजित की गई थी। सफल बोलीदाता ने पादुर से 2 लाख मीट्रिक टन रॉक के मलबे को उठाने के लिए ₹106/मीट्रिक टन और 10 लाख मीट्रिक टन रॉक के मलबे के लिए ₹108/मीट्रिक टन की कीमत उद्धृत की है। इन निविदाओं में से, 31.03.2024 तक 85,582.67 मीट्रिक टन रॉक (अर्थात् 31.03.2023 तक 5,882.22 मीट्रिक टन और चालू वर्ष के दौरान 79,700.45 मीट्रिक टन) की बिक्री गई है।

एमएसईजेडएल के साथ दिनांक 22.03.2012 की बैठक के विवरण के अनुसार, रॉक के मलबे की बिक्री से उत्पन्न मूल्य को आईएसपीआरएल और एमएसईजेडएल द्वारा 50:50 के अनुपात में साझा किया जाएगा। वर्ष के दौरान, एमएसईजेडएल ने बताया कि उनके द्वारा मंगलोर स्थान पर 37,449.95 मीट्रिक टन रॉक की बिक्री की गई है और बिक्री से प्राप्त ₹22,28,272/– की 50% राशि आईएसपीआरएल के साथ साझा की गई है।

x) 0;; dk feyku ¼fVIi.kh l[;k 26 ,o 29-1 d vulkj½

	₹ yk[k e	
	2023-24	**2022-23**
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से दावा किया गया प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय (यूसी के अनुसार)	14,341.38	15,667.90
घटाएँ:– पिछले वर्ष में दर्ज किया गया लेकिन वर्ष के दौरान दावा किया गया ओ एंड एम व्यय	1,770.06	3,413.65
जोड़ें:– वर्ष के दौरान दावा न किए गए अवधि के लिए दावा किए जाने वाले ओ एंड एम व्यय	2,139.35	1,791.10
घटाएँ:– दावा किया गया अतिरिक्त ओ एंड एम व्यय/पूर्वदत्त व्यय (पिछले वर्ष का निवल)	461.70	271.89
घटाएँ:– इंड एएस 116 के अनुसार पट्टा प्रभार खाता	46.00	44.85
वर्ष के दौरान लाभ और हानि विवरण में डेबिट किया गया व्यय (टिप्पणी संख्या 26 और 29.1)	14,202.97	13,728.60

xi) vkLFkfxr dj

कर योग्य आय की अनुपस्थिति में, आयकर के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है। इसके अलावा, आस्थगित कर परिसंपत्ति को भी मान्य नहीं किया गया है क्योंकि इस बात की कोई उचित निश्चितता नहीं है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके सापेक्ष ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्ति को समायोजित किया जा सके।

xii) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के लिए बकाया 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार ₹346.95 लाख (पिछले वर्ष ₹204.41 लाख) के रूप में निर्धारित किया गया है, इस तरह के पक्षकारों को 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के संदर्भ में रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर पहचाना गया है'।

xiii) वेंडरों/संविदाकारों/सेवा प्रदाताओं से देय/वसूली योग्य राशि पुष्टि, समाधान और परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अध्यधीन होगी।

xiv) सभी उपभोग्य सामग्रियों/भंडारों/स्पेयर पार्ट्स को खरीदारी के समय संचालन एवं अनुरक्षण व्यय में शामिल किया जाता है।

xv) क) मैंगलोर एसईजेड/पादुर से रॉक हटाने पर रॉयल्टी का भुगतान एमएसईजेडएल/एमएसईजेडएल या आईएसपीआरएल द्वारा नियुक्त संविदाकार द्वारा वहन किया जाएगा।

ख) कंपनी के फॉर्म 26एएस में दर्शाए जाने वाले स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) का भुगतान संविदाकार अर्थात् रॉक के खरीदार (आईएसपीआरएल के पैन नंबर का उपयोग करके) द्वारा मैंगलोर और पादुर में खदान और भूविज्ञान विभाग को भुगतान की गई रॉयल्टी राशि पर आयकर प्राधिकरणों को किया जा रहा है। आईएसपीआरएल द्वारा 26एएस के आधार पर टीसीएस का क्रेडिट लिया जाता है और एमएसईजेडएल/संविदाकार के नाम पर संबंधित भुगतान योग्य बनाया जाता है। आयकर प्राधिकरणों से टीसीएस का प्रतिदाय प्राप्त होने पर ही एमएसईजेडएल/संविदाकार को उनके द्वारा किए गए दावे, यदि कोई हो, पर राशि का प्रतिदाय किया जाएगा।

ग) संविदाकार के साथ एमएसईजेडएल संविदा के अनुसार, रॉक हटाने के कारण कोई भी सांविधिक भुगतान संविदाकार द्वारा वहन किया जाना है। इसके अलावा, यदि संविदाकार कोई सांविधिक भुगतान जमा करने में विफल रहता है, तो एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 30 के अनुसार एमएसईजेडएल पर इसका दायित्व उत्पन्न होगा और संविदाकार/एमएसईजेडएल द्वारा सीमा शुल्क के भुगतान में किसी भी चूक के कारण आईएसपीआरएल पर कोई दायित्व नहीं होगा। मैंगलोर एसईजेड क्षेत्र से घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) तक रॉक हटाने पर सीमा शुल्क के भुगतान का मामला मुकदमेबाजी के अधीन है।

xvi) क. कंपनी ने वाणिज्यिक कर कार्यालय से केएसटी/सीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए एसीसीटी, एलजीएसटीओ–260 (जीएसटी प्राधिकरण) के पक्ष में ₹50,000/– (पिछले वर्षः ₹50,000/–) का बीजी दिया है। बीजी कंपनी द्वारा गिरवी रखी गई ₹50,000/– की राशि के सापेक्ष दी गई थी।

ख. कंपनी ने पत्थर खदान संविदा से संबंधित वित्तीय आश्वासन के लिए उप निदेशक, डीएमजी, मैंगलोर के पक्ष में ₹1,45,000/– (पिछले वर्षः ₹1,45,000/–) की एफडी गिरवी रखी है।

ग. आईएसपीआरएल द्वारा विकास आयुक्त, एमएसईजेड मैंगलोर को ₹100.80 करोड़ (पिछले वर्षः ₹100.80 करोड़) की राशि का बांड–सह–कानूनी शपथपत्र दिया गया है, जो विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम 2006 के नियम 25 के प्रावधानों के अनुसार माल और सेवाओं के संबंध में प्राप्त छूट, वापसी, उपकर और रियायतों के लाभों के संबंध में है।

xvii) (क) एमएसईजेडएल द्वारा आईएसपीआरएल को कुल 104.73 एकड़ भूमि आवंटित की गई, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :–

(i) एसईजेड के अंतर्गत कार्य क्षेत्र के लिए 67.0134 एकड़ भूमि।

(ii) एसईजेड के अंतर्गत हरित पट्टी विकास के लिए 33.0066 एकड़ भूमि।

(iii) एसईजेड के बाहर बूस्टर पम्पिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 4.71 एकड़ भूमि।

ऊपर बताई गई कुल भूमि में से 33.0066 एकड़ भूमि एमएसईजेडएल द्वारा हरित पट्टी के विकास के लिए निःशुल्क सौंपी गई। हालांकि, आईएसपीआरएल को सौंपी गई कुल भूमि (अर्थात 104.73 एकड़) के लिए वार्षिक किराया देय है।

(ख) 30 एकड़ भूमि की सतह के नीचे भूमिगत रॉक कैवर्न (यूआरसी) तेल भंडारण सुविधा के निर्माण और अनुरक्षण के लिए लाइसेंस/अनुमति पूर्वी नौसेना कमान (ईएनसी) द्वारा ईएनसी और आईएसपीआरएल के बीच 01 मई, 2007 को हुए समझौता ज्ञापन के तहत 99 वर्ष की अवधि के लिए ₹1.00 प्रति वर्ष की टोकन राशि पर प्रदान की गई थी।

भूमि का स्वामित्व और अध्यावास तथा भूमि की सतह और हवाई अधिकार ईएनसी के पास ही रहेगा। भूमि पर कोई अधिकार, शीर्षक या हित आईएसपीआरएल को नहीं दिया गया है।

xviii) लाभ और हानि का विवरण तैयार करने के लिए सामान्य अनुदेशों (कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्दिष्ट) से संबंधित अतिरिक्त जानकारी के अंतर्गत आवश्यकतानुसार लेखापरीक्षा और अन्य मदों पर किए गए व्यय से संबंधित विवरण निम्नानुसार हैं :

	₹ yk[k e	
	2023-24	**2022-23**
lkfof/kd y[kk ijh{kd dk Hkxrku		
लेखापरीक्षा शुल्क (जीएसटी सहित)	2.09	2.09
प्रमाणन (जीएसटी सहित)	शून्य	0.59
छिट–पुट व्यय	0.21	0.20
vkrfjd y[kk ijh{kd dk Hkxrku		
लेखापरीक्षा शुल्क (जीएसटी सहित)	0.23	0.23
अन्य सेवाएँ	1.07	2.24
lfpoh; y[kk ijh{kd dk Hkxrku		
लेखापरीक्षा शुल्क	0.10	0.10

xix) dausth dh uke ij u j[kh xbl vpy ifjlaifŸk dh LokfeRo foyi[k

rqyu&i= en ikl fxd ykbu en	ifjlaifŸk dk en dk fooj.k	ldy ogu eY; ¼₹ yk[k esa½	LokfeRo@iVVk foy[k fdl d uke ij g	D;k LokfeRo foy[k èkkjd iekVj funs'kd ;k iekVj@funs'kd dk fj'rnkj ;k iekVj@funs'kd dk deZpkjh g	ifjlaifŸk] fdl rkjh[k ls /kkj.k dh xbl g	dauh ds uke ij u j[ks tkus dk dkj.k
उपयोग का अधिकार (इंड एएस 116)	मैंगलोर विशेष आर्थिक क्षेत्र में पट्टाधारी भूमि (104.73 एकड़)	8492.5	इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड	नहीं	आवंटन पत्र की तिथि इस प्रकार है: क. 100.02 एकड़ के लिए तारीख 23.11.2009 है। ख. 4.71 एकड़ के लिए तारीख 11.04. 2018 है। अध्यावास की तारीख 26 जनवरी, 2060 है।	पट्टा विलेख कंपनी के नाम पर है किंतु अभी तक पंजीकृत नहीं है। उद्योग और वाणिज्य निदेशालय से दिनांक 06 अप्रैल, 2023 के पत्र के तहत, आईएसपीआरएल ने एमएसईजेडएल के साथ पट्टा विलेख पंजीकरण के लिए स्टॉम्प शुल्क से 100% की छूट का प्रमाणपत्र प्राप्त किया है। आईएसपीआरएल ने पंचायतों को फीस देकर परमुडे और बाला पंचायतों से फॉर्म 9 और 11 प्राप्त किया है। संपत्ति कर और खाता फीस का भुगतान करके बाजपे टाउन पंचायत से खाता प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया है। एमएसईजेडएल ने फॉर्म 9 और 11 के लिए जोकाट्टे ग्राम पंचायत में आवेदन किया है और पंचायत कार्यालय से 9 और 11 फीस के भुगतान के लिए पंचायत मांग पत्र की प्रतीक्षा कर रहा है।

xx) ihih,.Mbl] vewrZ ifjlaifŸk vkSj fuos'k ifjlaifŸk dk eY;kadu &

कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

xxi) cSdksa ;k foŸkh; laLFkkvksa ls _.k &

वर्ष के दौरान कंपनी को बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कोई उधार नहीं मिला है।

xxii) iwathxr dk;Z izxfr ij ¼lhMCY;wvkbZihh½ &

31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार कोई पूंजीगत कार्य प्रगति पर नहीं है

xxiii) fodklk/khu vewrZ ifjlaifŸk;ka &

31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार विकासाधीन कोई अमूर्त परिसंपत्ति नहीं है

xxiv) cukeh ifjlaifŸk dk C;kjk &

बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत बेनामी परिसंपत्ति रखने के लिए कंपनी के सापेक्ष कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

xxv) pkyw ifjlaifŸk;ksa dh izfrHkwfr ij _.k vkSj vfxze &

31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति पर कोई ऋण और अग्रिम नहीं हैं।

xxvi) bjknru pwddrkZ&

कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

xxvii) dauh jftLVªkj ds ikl izHkkjksa dk iathdj.k ;k lek/kku &

ऐसे कोई भी प्रभार या समाधान नहीं हैं जिन्हें सांविधिक अवधि के बाद कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत किया जाना बाकी हो।

xxviii) dafu;ksa dh fofHkUu Lrjksa dk vuqikyu &

कंपनी ओआईडीबी की 100% सहायक कंपनी है और इसके अलावा कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित अनुपालन कंपनी पर लागू नहीं होता है।

xxix) 0;oLFkk dh vuqekfnr ;kstuk¼vk½ dk vuqikyu &

कंपनी ने ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं की है जिसका चालू या पिछले वित्तीय वर्ष पर लेखांकन प्रभाव हो।

xxx) m/kkj yh xbZ fuf/k;ksa vkSj 'ks;j iwathe;e dk mi;ksx &

क) कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति(यों) या संस्था(यों) को इस आशय से अग्रिम, ऋण या निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थ :

क. कंपनी (अंतिम लाभार्थी) की ओर से या उसके द्वारा किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या

ख. अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या ऐसी ही कोई सुविधा प्रदान करेगा।

ख) कंपनी ने किसी भी व्यक्ति या संस्था (संस्थाओं) से, जिसमें विदेशी संस्थाएं (वित्तपोषण पक्षकार) शामिल हैं, इस आशय (चाहे लिखित में दर्ज हो या अन्यथा) से कोई निधि प्राप्त नहीं की है कि कंपनी:

क. वित्तपोषण पक्षकार (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा, या

ख. अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या ऐसी ही कोई सुविधा प्रदान करेगा।

xxxi) v?kksf"kr vk; &

आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण में चालू या पिछले वर्ष के दौरान आय के रूप में अभ्यर्पित या प्रकट की गई कोई भी आय नहीं है, जिसे लेखा बहियों में दर्ज नहीं किया गया है।

xxxii) dkWiksZjsV lkekftd mÙkjnkf;Ro ¼lh,lvkj½ &

कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई भी सीएसआर व्यय नहीं किया है, क्योंकि नियमों के अनुसार ऐसा करना आवश्यक नहीं था।

xxxiii) fØIVks djsalh ;k opqZvy djsalh dk fooj.k &

कंपनी ने वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में कोई व्यापार या निवेश नहीं किया है।

xxxiv) _.k ;k vfxze jkf'k] _.k ds Lo:i esa] izeksVjksa] funs'kdksa] ds,eih vkSj lacaf/kr i{kdkjksa ¼daiuh vf/kfu;e] 2013 ds rgr ifjHkkf"kr½ dks ;k rks vyx&vyx ;k fdlh vU; 0;fä ds lkFk la;qä :i ls iznku dh tkrh g] tks fd%

मांग पर या चुकौती की कोई शर्त या अवधि निर्दिष्ट किए बिना चुकौती योग्य है:

m/kkjdrkZ dk izdkj	cdk;k _.k dh iz—fr esa _.k ;k vfxze jkf'k	_.k dh iz—fr esa dqy _.k vkSj vfxze dk izfr'kr
प्रमोटर	शून्य	शून्य
निदेशक	शून्य	शून्य
केएमपी	शून्य	शून्य
संबंधित पक्षकार	शून्य	शून्य

xxxv) daiuh vf/kfu;e 2013 dh /kkjk 248 ;k daiuh vf/kfu;e 1956 dh /kkjk 560 ds rgr gVkbZ xbZ daifu;ksa ds lkFk ysunsu dk fooj.k –

₹ yk[k esa

gVkbZ xbZ daiuh dk uke	gVkbZ xbZ daiuh ds lkFk ysu&nsu dh iz—fr	31-03-2024 rd dh fLFkfr ds vuqlkj cdk;k 'ks"k jkf'k	31-3-2023 rd dh fLFkfr ds vuqlkj cdk;k 'ks"k jkf'k	gVkbZ xbZ daiuh ds lkFk ;fn dksbZ lac/k gks rks mldk izdVhdj.k fd;k tkuk pkfg,
	प्रतिभूतियों में निवेश	शून्य	शून्य	शून्य
	प्राप्तियों	शून्य	शून्य	शून्य
	देय	शून्य	शून्य	शून्य
	अटकी हुई कंपनी द्वारा रखे गए शेयर	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य बकाया शेष (निर्दिष्ट किया जाना है)	शून्य	शून्य	शून्य

xxxvi) foŸkh; vuqikr

Øa- l-	vuqikr	ehVj	Hkkt d	31 ekp] 2024	31 ekp] 2023	% fopj.k	dkj.k
(क)	चालू अनुपात (समय में)	चालू परिसंपत्ति	चालू देयताएं	0.58	0.15	286.37%	1. 31.03.2024 को भारत सरकार से ₹40 करोड़ की पूंजी अनुदान प्राप्त करने के परिणामस्वरूप बैंक शेष में वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप चालू परिसंपत्तियों में वृद्धि हुई है। 2. पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान अल्पावधि एफडी (1 वर्ष तक) में ₹31.43 करोड़ की वृद्धि हुई है।
(ख)	ऋण–इक्विटी अनुपात (समय में)	कुल ऋण	शेयरधारकों की इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य	
(ग)	ऋण चुकौती कवरेज अनुपात (समय में)	ऋण चुकौती के लिए उपलब्ध आय	ऋण चुकौती	शून्य	शून्य	शून्य	
(घ)	इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) अनुपात (% में)	कर पश्चात् निवल लाभ	शेयरधारकों की औसत इक्विटी	-2.85%	-3.03%	-5.84%	
(ङ)	इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात (समय में)	बेचे गए माल की कीमत	औसत इन्वेंट्री	शून्य	शून्य	शून्य	
(च)	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात (समय में)	निवल क्रेडिट बिक्री	औसत खाता प्राप्य	3,011.26	शून्य	100.00%	किराया/पट्टे पर देने की आय चालू वर्ष से शुरू हुई।
(छ)	व्यापार देयता टर्नओवर अनुपात (समय में)	निवल क्रेडिट खरीद	औसत व्यापार देयताएं	7.01	8.22	-14.70%	
(ज)	निवल पूंजी टर्नओवर अनुपात (समय में)	निवल बिक्री	कार्यशील पूंजी	-0.04	-0.01	489.34%	चालू वर्ष से किराया/पट्टे पर देने की आय के परिणामस्वरूप निवल बिक्री में वृद्धि हुई।
(झ)	निवल लाभ अनुपात (% में)	कर पश्चात् निवल लाभ	निवल बिक्री	-846.58%	-4713.80%	-82.04%	चालू वर्ष से किराया/पट्टे पर देने की आय के परिणामस्वरूप निवल बिक्री में वृद्धि हुई।
(ञ)	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (% में)	ब्याज और कर पूर्व अर्जन	नियोजित पूंजी	-3.07%	-3.26%	-5.94%	
(ट)	निवेश पर प्रतिलाभ (% में)	निवेश से उत्पन्न आय	औसत निवेशित निधियां	3.92%	5.07%	-22.73%	

टिप्पणी 1. उपरोक्त अनुपातों का प्रकटीकरण कंपनी पर लागू सीमा तक किया गया है, क्योंकि यह ऊर्जा सुरक्षा प्रचालनों को बढ़ाने के लिए भारत सरकार की ओर से संचालन कर रही है।

xxxvii) ifjlaifŸk dh {kfrxLrrk &

इंड एएस 36 "परिसंपत्ति की क्षतिग्रस्तता" के अनुपालन में, कंपनी ने कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार, क्षतिग्रस्तता हानि,, यदि कोई हो, के संकेत के लिए वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों की समीक्षा की है। चूंकि क्षतिग्रस्तता का कोई संकेत नहीं है, इसलिए वर्ष के दौरान कोई क्षतिग्रस्तता हानि नहीं देखी गई है।"

xxxviii) प्रबंधन की राय में, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों के अलावा अन्य परिसंपत्तियों का मूल्य, व्यवसाय के सामान्य क्रम में वसूले जाने पर, तुलन–पत्र में दर्शाए गए मूल्य से कम नहीं होगा।

xxxix) कंपनी के पास डेरिवेटिव संविदाओं सहित कोई भी दीर्घकालिक संविदा नहीं है, जिसके कारण कोई भी महत्वपूर्ण पूर्वानुमानित हानि हो सकती है।

xl) ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में अंतरित किया जाना आवश्यक था।

xli) कंपनी ने ओ एंड एम अनुदान के लेखांकन/प्रस्तुति के संबंध में आईसीएआई से विशेषज्ञ सलाहकार राय प्राप्त की है। आईसीएआई से प्राप्त राय के अनुरूप, वर्ष के दौरान कंपनी ने भारत सरकार से प्राप्त ओ एंड एम अनुदान, व्यय की प्रतिपूर्ति और भारत सरकार की ओर से बैंक जमा पर ब्याज आय की प्रस्तुति की पद्धति में परिवर्तन किया है, तथा पिछले वर्ष तक ओ एंड एम व्यय से निवल कटौती दर्शाने के बजाय इसे वर्ष के लिए कंपनी के लाभ और हानि विवरण के मुखपृष्ठ पर आय और व्यय के रूप में दर्शाया है। प्रस्तुतिकरण में इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप "अन्य आय" में ₹14,325.39 लाख की वृद्धि हुई (पिछले वर्ष : ₹14,582.19 लाख), "व्यय" में ₹14,325.39 लाख की वृद्धि हुई (पिछले वर्ष : ₹14,582.19 लाख) जिससे प्रस्तुतिकरण पद्धति में परिवर्तन के कारण कंपनी के लाभ और हानि विवरण पर निवल प्रभाव ₹ शून्य (पिछले वर्षः ₹ शून्य) रहा।

xlii) कंपनी ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से ₹ 5000.46 लाख की राशि एचसीसी मध्यस्थता मामले, पादुर के मामले में मध्यस्थता निर्णय के सापेक्ष दायर अपील के लिए रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के पास अग्रिम जमा के रूप में जमा कर दी है। यह राशि चरण I के व्यावसायीकरण से आईएसपीआरएल की आय से पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को वापस की जानी है।

xliii) हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी (एचसीसी) बनाम आईएसपीआरएल के मामले में 26 अप्रैल, 2022 को नई दिल्ली में मध्यस्थ द्वारा मध्यस्थता निर्णय दिया गया है। कंपनी ने मध्यस्थता निर्णय को स्वीकार कर लिया है और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से ओएंडएम अनुदान प्राप्त होने के बाद 11 अक्टूबर, 2022 को उच्च न्यायालय में ₹1887.04 लाख की राशि जमा कर दी है।

xliv) कंपनी ने पादुर में 179.2 एकड़ भूमि अधिग्रहित की है, जिसमें से 175.92 एकड़ भूमि आईएसपीआरएल के नाम पर पंजीकृत की गई है। कंपनी शेष भूमि को पंजीकृत करने में असमर्थ है क्योंकि यह वन भूमि है और कर्नाटक सरकार द्वारा हस्तांतरण की अनुमति नहीं है।

xlv) चरण II के लिए जनशक्ति व्यय सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ओ एंड एम अनुदान पर प्रभारित दिया गया है।

xlvi) कंपनी ने इंडएएस के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए पिछले वर्षों की पूर्व अवधि की मदों के समायोजन/सुधार के लिए समग्र आधार पर ₹15 करोड़ की सीमा तय की है।

xlvii) कंपनी की स्थिति को पब्लिक लिमिटेड और सरकारी कंपनी से बदलकर पब्लिक लिमिटेड कंपनी और तेल उद्योग विकास बोर्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बनाने के लिए कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (एओए) में संशोधन को शेयरधारकों की मंजूरी के अध्यधीन बोर्ड द्वारा मंजूरी दे दी गई है। शेयरधारकों की मंजूरी के बाद एओए में आवश्यक संशोधन किया जाएगा।

xlviii) लाभ और हानि विवरण की टिप्पणी संख्या 29.1 में दर्शाए गए ओ एंड एम व्यय में ₹5.32 करोड़ का माल और सेवा कर (जीएसटी) शामिल है (पिछले वर्ष : ₹2.03 करोड़), जिसके लिए आंध्र प्रदेश (विशाखापत्तनम) और कर्नाटक (पादुर) राज्यों के लिए आईटीसी का लाभ उठाया गया है। इसके अलावा, चूंकि प्राप्त ओ एंड एम अनुदान में से, किए गए ओ एंड एम व्यय (टिप्पणी 29.1 में) के बराबर राशि को टिप्पणी संख्या 25 के तहत लाभ और हानि विवरण में अन्य आय में लिया गया है, जिसमें वर्ष के दौरान प्राप्त आईटीसी की राशि ₹5.32 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹2.03 करोड़) शामिल है, जिसमें टिप्पणी संख्या 23 में अन्य चालू देयताओं के अंतर्गत भारत सरकार को देय के रूप में एक संगत क्रेडिट है, लाभ और हानि विवरण पर इसका निवल प्रभाव शून्य (पिछले वर्ष : शून्य) है।

xlix) वर्ष के अंत में अबिलीकृत राजस्व पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की देयता का प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सीजीएसटी/एसजीएसटी/आईजीएसटी अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार, इस उपार्जित अबिलीकृत राजस्व पर जीएसटी की देयता बिलिंग के समय ही देय हो जाती है (अर्थात अगले वित्तीय वर्ष में)। इसके अलावा, प्रबंधन की राय में जीएसटी के इस गैर प्रावधान का वर्ष के लाभ/हानि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इस तरह के उपार्जित अबिलीकृत राजस्व का उसी वर्ष में विधिवत लेखांकन किया गया है।

l) क. बाला गांव (चेनेज ~2 किमी) के पास भूस्खलन के कारण आईएसपीआरएल के आरओयू क्षेत्र में लगभग 100 मीटर लंबाई में 42" कच्ची पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ था, जिसके लिए आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक एहतियाती कार्रवाई की गई थी। घटना की सूचना न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 07 जुलाई 2023 को दे दी गई है। आपातकालीन एहतियाती कार्रवाई के लिए ₹6.45 करोड़ (लगभग) के व्यय की सूचना बीमा गारंटीकर्ता को 27 जून, 2024 के ई—मेल के माध्यम से दी गई है। अंतिम दावा सर्वेयर को प्रस्तुत किया जाना बाकी है।

ख. बाला (चेनज 2) के पास उपरोक्त बहाल आरओयू (42" पाइपलाइन) क्षेत्र 27 जून, 2024 की सुबह भारी बारिश के कारण फिर से क्षतिग्रस्त हो गया है। घटना की सूचना न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 01 जुलाई, 2024 को दे दी गई है।"

li) कर्नाटक के मैंगलोर और पादुर में कच्चे तेल के भंडारण के लिए सिविल भूमिगत रॉक कैवर्न के संविदा के लिए मेसर्स एसकेईसी—केसीटी संयुक्त उद्यम के मध्यस्थता निर्णय मामलों के सापेक्ष कंपनी द्वारा दायर ओएमपी संख्या—217/2022 और 238/2022 में दिल्ली उच्च न्यायालय का दिनांक 22.05.2024 का निर्णय प्राप्त हुआ है। आदेश के अनुसार माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने एलडी मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप न करने का उल्लेख किया। तदनुसार, मैसर्स एसकेईसी—केसीटी जेवी को देय ₹117.22 करोड़ (31.03.2024 तक ब्याज सहित) को टिप्पणी संख्या 23 (अन्य चालू देयता) में 'कानूनी निर्णय के सापेक्ष एसकेईसी—केसीटीजेवी को देय' के रूप में दर्शाया गया है, तथा संबंधित राशि को टिप्पणी संख्या 11 (अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां) में 'एसकेईसी—केसीटी जेवी मामले के लिए भारत सरकार/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से प्राप्य' के रूप में दर्शाया गया है।

lii) पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां भी आवश्यक हो, चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के अनुरूप पुनः समूहबद्ध/पुनः वर्गीकृत किया गया है तथा आंकड़ों को लाख के निकटतम पूर्णांक में रखा गया है।

liii) इन वित्तीय विवरणों को 16 जुलाई, 2024 को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।

i lkn vkt kn ,M d iuh d fy,
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या : 001009N

हस्ता./-
¼d-,e- vkt kn½
साझेदार
सदस्यता संख्या : 005125

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 16 जुलाई, 2024

fun'kd eMy d fy, vkj mudh vkj l

हस्ता./-
¼b'kk JhokLro½
निदेशक
डीआईएन : 08504560

हस्ता./-
¼y[kir jk; tu½
मु.का.अ. एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08505199

हस्ता./-
¼nhid dekj½
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता./-
¼f'kYih ekgrh½
कंपनी सचिव
ACS-19333

स्थानः दिल्ली
दिनांकः 16 जुलाई, 2024

fVIi.kh l[;k 1% egRoi.kZ y[kkdu uhfr lc/kh tkudkjh

dkikjiV lc/kh tkudkjh vkj egRoi.kZ y[kkdu uhfr lc/kh tkudkjh

1. dkikjiV lc/kh tkudkjh

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड को 16 जून, 2004 को आईओसीएल द्वारा अपनी सहायक कंपनी के रूप में निगमित किया गया था। कंपनी की सम्पूर्ण शेयरधारिता 9 मई, 2006 को तेल उद्योग विकास बोर्ड ("ओआईडीबी") और उसके नामितों द्वारा अपने अधीन ले ली गई।

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (कंपनी), ओआईडीबी की एक असूचीबद्ध पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है और भारत में निगमित है, जिसका पंजीकृत कार्यालय 301, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तृतीय तल, बाबर रोड, नई दिल्ली –110001 में स्थित है और प्रचालनात्मक/कार्यात्मक कार्यालय – ओआईडीबी भवन, तृतीय तल, प्लॉट नंबर 2, सेक्टर – 73, नोएडा – 201301, उत्तर प्रदेश में स्थित है।

dEiuh dk eq[; mís'; fuEukuqlkj g%&

1. भारत सरकार के कच्चे तेल के मुख्य महत्वपूर्ण सॉवरेन रिजर्व या भारत सरकार द्वारा तय किए गए किसी अन्य निकाय के कच्चे तेल का भंडारण करना, जो निम्नलिखित के अध्यधीन और अनुपालन में होगा :

   कैवर्न्स से कच्चे तेल के महत्वपूर्ण प्रमुख भंडारों को निकालना और उनकी पुनःपूर्ति सरकार द्वारा गठित एक अधिकार प्राप्त समिति के माध्यम से की जाएगी। बशर्ते कि भारत सरकार के कच्चे तेल के महत्वपूर्ण प्रमुख भंडारों को गुणवत्ता की आवश्यकता या मरम्मत और अनुरक्षण के लिए कच्चे तेल के संचलन के लिए भी निकाला जा सकता है।

2. भारतीय या विदेशी कंपनियों को कैवर्न्स की कुल तेल भंडारण क्षमता का 30% पट्टे/किराए पर देना, इस शर्त के साथ कि किसी भी आपात स्थिति में, कैवर्न्स में संग्रहीत पूरे कच्चे तेल पर पहला अधिकार भारत सरकार का होगा।

3. कैवर्न्स की कुल तेल भंडारण क्षमता का 20% भारतीय कंपनियों को विक्रय करना/खरीदना।

4. भंडारण, हैंडलिंग, शोधन, ढुलाई, परिवहन, प्रेषण, आपूर्ति, बाजार, अनुसंधान, सलाह, परामर्श, सेवा प्रदाता, दलाल और अभिकर्ता, इंजीनियरिंग और सिविल डिजाइनर, संविदा व्हारफिंगर, गोदामपाल, उत्पादक, तेल और तेल उत्पादों, गैस और गैस उत्पादों, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों, ईंधन, स्प्रिट, रसायन, सभी प्रकार के तरल और उनके यौगिक, डेरिवेटिव, मिश्रण, तैयार और उत्पादों के डीलरों का व्यवसाय करना।

1d: egRoi.kZ y[kkdu uhfr lc/kh tkudkjh

1.1 foÙkh; fooj.k rS;kj djus dk vk/kkj

वित्तीय विवरण संशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार तैयार किए गए हैं तथा सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन करते हैं।

वित्तीय विवरण लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली का पालन करते हुए चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार किए गए हैं। कंपनी ने परिसंपत्तियों और देयताओं के लिए ऐतिहासिक लागत आधार अपनाया है। ऐतिहासिक लागत आम तौर पर संबंधित लेनदेन की तारीख पर माल और सेवाओं के बदले में दिए गए प्रतिफल के उचित मूल्य पर आधारित होती है।

लेखांकन नीतियों को सतत रूप से लागू किया गया है, सिवाय उन मामलों के, जहां किसी नए जारी किए गए लेखांकन मानक को शुरू में अपनाया गया हो या किसी मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन के लिए अब तक उपयोग में आने वाली लेखांकन नीति में परिवर्तन की आवश्यकता हो।

वित्तीय विवरण भारतीय रुपए ('आईएनआर') में प्रस्तुत किए गए हैं, जो कंपनी की प्रस्तुतिकरण और कार्यात्मक मुद्रा है और अन्यथा इंगित किए जाने के सिवाय, सभी मूल्यों को निकटतम लाख (दो दशमलव तक) में पूर्णांकित किया गया है।

सॉवरेन क्रूड ऑयल के लिए इंड एस 115 के अनुप्रयोग के संबंध में कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में प्रबंधन द्वारा लिया गया निर्णय;

कंपनी भारत सरकार की ओर से सॉवरेन क्रूड ऑयल खरीद रही है, उसका भंडारण कर रही है और उसकी बिक्री कर रही है। खरीदार को हस्तांतरित किए जाने से पहले कंपनी के पास क्रूड ऑयल पर स्वामित्व और नियंत्रण नहीं होता है और कंपनी

भारतीय लेखांकन मानक 115 के तहत लेखांकन के उद्देश्य से सॉवरेन क्रूड ऑयल के संबंध में केवल अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रही है, न कि प्रधान के रूप में और कंपनी का प्रदर्शन दायित्व भारत सरकार की ओर से सॉवरेन क्रूड ऑयल की खरीद, भंडारण और बिक्री का प्रबंधन करना है, न कि अपनी ओर से सॉवरेन क्रूड ऑयल खरीदना, भंडारण करना और विक्रय करना।

तदनुसार, कंपनी द्वारा अपने लेखाओं में सॉवरेन क्रूड ऑयल को "इन्वेंट्री" के रूप में मान्य नहीं किया गया है और सॉवरेन क्रूड ऑयल की बिक्री को कंपनी के लाभ और हानि विवरण में राजस्व के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। तदनुसार, कंपनी अपने लाभ और हानि विवरण में सॉवरेन क्रूड ऑयल की खरीद/बिक्री की वस्तुओं की लागत को मान्य नहीं कर रही है और कंपनी के कैवर्न में खरीदे गए, बेचे गए और संग्रहीत सॉवरेन क्रूड ऑयल की मात्रा का प्रकटीकरण केवल टिप्पणी संख्या 40(ii) में लेखा संबंधी टिप्पणियों में दिया गया है।

1.2 pky vkj xj&pky lc/kh

कंपनी तुलन–पत्र में परिसंपत्तियों और देयताओं को चालू/गैर–चालू वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत करती है। किसी परिसंपत्ति को चालू तब माना जाता है जब:-

- इसके सामान्य प्रचालन चक्र में प्राप्त होने या बेचे जाने या उपभोग किए जाने की उम्मीद हो;
- इसे मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखा गया हो;
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर प्राप्त होने की उम्मीद हो; या
- यह नकदी या नकदी समतुल्य हो, जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह माह तक विनिमय या देयता का निपटान करने के लिए उपयोग करने पर प्रतिबंध न लगाया गया हो।

कंपनी अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत करती है।

देयता तब चालू–देयता होती है जब :

- इसके सामान्य प्रचालन चक्र में निपटाए जाने की उम्मीद हो;
- इसे मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखा गया हो;
- इसे रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर निपटाया जाना हो; या
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह माह के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का कोई शर्तरहित अधिकार न हो। कंपनी अन्य सभी देयताओं को गैर–चालू देयता के रूप में वर्गीकृत करती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं को गैर–चालू परिसंपत्तियों और देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

प्रचालन चक्र, प्रसंस्करण के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और नकदी एवं नकदी समतुल्य में उनकी प्राप्ति के बीच का समय है।

कंपनी ने परिसंपत्तियों और देयताओं के चालू और गैर–चालू वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए अपना सामान्य प्रचालन चक्र बारह माह निर्धारित किया है।

1.3 jktLo dk ekU; djuk

jktLo dk ekiu

ग्राहकों के साथ संविदाओं से प्राप्त राजस्व को तब मान्य किया जाता है जब माल का नियंत्रण हस्तांतरित किया जाता है या ग्राहक को सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जो उस राशि को दर्शाती है, जिसकी कंपनी उन माल या सेवाओं के बदले में हकदार होने की उम्मीद करती है।

राजस्व को लेनदेन मूल्य के आधार पर मापा जाता है, जो कि ग्राहकों के साथ संविदा के अनुसार छूट, प्रोत्साहन योजनाओं, यदि कोई हो, के लिए समायोजित किया गया प्रतिफल होता है। सरकार की ओर से ग्राहकों से एकत्र किए गए करों को राजस्व नहीं माना जाता है।

mRiknksa dh fcØh

उत्पादों की बिक्री से प्राप्त राजस्व को तब मान्य किया जाता है जब उत्पादों का नियंत्रण, आम तौर पर उत्पादों की डिलीवरी पर ग्राहक को हस्तांतरित किया जाता है। कंपनी इस बात पर विचार करती है कि क्या संविदा में ऐसे अन्य वादे हैं जो अलग–अलग प्रदर्शन दायित्व हैं जिनके लिए लेनदेन मूल्य का एक हिस्सा आवंटित किया जाना चाहिए (उदाहरण के लिए, माल ढुलाई और प्रोत्साहन योजनाएँ)। उत्पादों की बिक्री के लिए लेनदेन मूल्य निर्धारित करने में, कंपनी परिवर्तनशील प्रतिफल और ग्राहक को देय प्रतिफल (यदि कोई हो) के प्रभावों पर विचार करती है।

सीआईएफ (लागत बीमा भाड़ा) संविदाओं के लिए, राजस्व तब मान्य किया जाता है जब माल अंतिम गंतव्य पर पहुंच जाता है। एफओबी (फ्री ऑन बोर्ड) संविदाओं के लिए, राजस्व तब मान्य किया जाता है जब कंपनी माल को एक स्वतंत्र वाहक को सौंपती है।

iपkyu lsokvksa ls jktLo

प्रचालन सेवाओं से राजस्व को वादा की गई सेवाओं के नियंत्रण को ग्राहकों को हस्तांतरित करने पर निष्पादन दायित्व की संतुष्टि पर मान्य किया जाता है, जो उस राशि को दर्शाता है जो कंपनी को उन सेवाओं के बदले में प्राप्त होने की उम्मीद है, जिनमें तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशियाँ शामिल नहीं हैं (उदाहरण के लिए सरकार की ओर से एकत्र किए गए कर और शुल्क)। आम तौर पर निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि पर विचार किया जाता है और प्राप्य को तब मान्य किया जाता है जब यह शर्तरहित हो जाता है।

कैवर्न्स से प्राप्त पट्टे/किराये की आय को उपार्जन आधार पर आय के रूप में मान्य किया जाता है।

vU; vtZu

लाभांश, अन्य आय और बीमा दावों सहित अन्य दावों का लेखांकन तब किया जाता है जब अंतिम वसूली की लगभग निश्चितता हो।

C;kt vk;

ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके उपार्जन आधार पर मान्य किया जाता है।

1.4 lEifŸk] la;= vkSj midj.k vkSj vewrZ ifjlEifŸk :

i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को लागत में से संचित मूल्यह्रास और क्षतिग्रस्तता हानि, यदि कोई हो, घटाकर रखा जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत में अधिग्रहण की लागत और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को उनके इच्छित उपयोग के लिए प्रचालन स्थिति में लाने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार लागत शामिल है।

ii) अमूर्त परिसंपत्ति को तब मान्य किया जाता है जब यह संभावना हो कि परिसंपत्ति से होने वाला भावी आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेगा और परिसंपत्ति की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। ऐसी परिसंपत्तियों को लागत में से संचित परिशोधन घटाकर दर्शाया जाता है।

iii) iwathxr dk;Z&izxfr ij %

पूंजीगत कार्य–प्रगति पर लागत पर मान्य किया जाता है। राजस्व व्यय विशेष रूप से परियोजनाओं के लिए प्रभार्य होता है और निर्माण अवधि के दौरान किए गए व्यय को पूंजीकृत किया जाता है।

1.5 ewY;gzkl@ifj'kks/ku

i) मूल्यह्रास, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट उपयोगी–अवधि के अनुसार ऋजु रेखा पद्धति पर किया जाता है, भूमिगत कैवर्न्स को छोड़कर जिसकी उपयोगी–अवधि स्वतंत्र विशेषज्ञ द्वारा प्रमाणीकरण के आधार पर 60 वर्ष मानी गई है।

ii) ₹5,000/– तक की व्यक्तिगत लागत वाली संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को पूंजीकृत नहीं किया जा रहा है और अधिग्रहण के वर्ष में राजस्व व्यय/ओ एंड एम व्यय का प्रत्यक्ष हिस्सा बनती है।

iii) अनिश्चित उपयोगी–अवधि वाली उपयोग के अधिकार (आरओयू) का परिशोधन नहीं किया जाता है, लेकिन नकदी–उत्पादक इकाई स्तर पर हर वर्ष हानि के लिए उनका परीक्षण किया जाता है। अनिश्चित उपयोगी–अवधि के मूल्यांकन की हर वर्ष समीक्षा की जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि अनिश्चित उपयोगी–अवधि निरंतर समर्थनीय है या नहीं। यदि नहीं, तो अनिश्चित से परिमित तक उपयोगी–अवधि में परिवर्तन भावी आधार पर किया जाता है।

iv) निश्चित उपयोगी–अवधि के साथ उपयोग का अधिकार (आरओयू) पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है।

1.6 ifjlaifŸk;ksa dh {kfrxzLrrk

प्रबंधन समय–समय पर बाहरी और आंतरिक स्रोतों का उपयोग करके यह आकलन करता है कि क्या कोई ऐसा संकेत है कि परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। क्षतिग्रस्तता तब होती है जब वहन मूल्य परिसंपत्ति के निरंतर उपयोग और उसके अंतिम निपटान से उत्पन्न होने वाले भावी नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य से अधिक होता है। क्षतिग्रस्तता हानि को लाभ और हानि के विवरण में इस सीमा तक मान्य किया जाता है, जब परिसंपत्ति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो। वसूली योग्य राशि, परिसंपत्ति के उचित मूल्य में से निपटान की लागत और उपयोग में मूल्य में से जो अधिक हो, होती है। उपयोग में मूल्य अनुमानित भावी नकदी प्रवाह पर आधारित होता है, जिसे कर–पूर्व छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो कि धनराशि के समय मूल्य और परिसंपत्तियों के लिए विशिष्ट जोखिम के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाता है।

1.7 fons'kh eqæk ysunsu

i) कंपनी के वित्तीय विवरण भारतीय रुपए (आईएनआर) में प्रस्तुत किए जाते हैं जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भी है।

ii) विदेशी मुद्राओं में लेनदेन को प्रारंभ में लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है।

iii) विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक परिसंपत्तियों और देयताओं को रिपोर्टिंग तिथि पर कार्यात्मक मुद्राओं की समापन विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है।

iv) गैर–मौद्रिक मदें जिन्हें विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के रूप में मापा जाता है, उन्हें लेनदेन की तिथि पर विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है।

v) संपरिवर्तन या निपटान के समय विनिमय दरों में अंतर के कारण होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में लेखांकित किया जाता है।

1.8 foŸkh; fy[kr

i) foŸkh; ifjlaifŸk;k

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्य किया जाता है और बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

ii) foŸkh; ns;rk,

सभी वित्तीय देयताओं को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्य किया जाता है और बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

iii) foekU; djuk

वित्तीय परिसंपत्ति तब विमान्य किया जाता है जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो जाता है, या वित्तीय परिसंपत्ति के हस्तांतरण पर और ऐसे हस्तांतरण विमान्य करने के लिए योग्य हो जाते हैं। वित्तीय देयता को तब विमान्य किया जाता है जब देयता के तहत दायित्व का उन्मोचन कर दिया जाता है या यह समाप्त हो जाता है।

1.9 vk; ij dj

आयकर में चालू कर और आस्थगित कर शामिल हैं। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं को विवेकपूर्ण प्रतिफल के अध्यधीन समय–अंतर के भावी कर परिणामों के लिए मान्य जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं को तुलन–पत्र की तारीख तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित कर दरों का उपयोग करके मापा जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को इस सीमा तक मान्य किया जाता है कि यह संभावना है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिसके सापेक्ष कटौती योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकता है।

1.10 vuqnku

सरकारी अनुदान को तब मान्य किया जाता है जब यह उचित आश्वासन हो कि अनुदान प्राप्त होगा तथा सभी शर्तों का अनुपालन किया जाएगा।

vk; l s lacaf/kr vuqnku ¼jktLo vuqnku½

राजस्व अनुदान को लाभ और हानि विवरण में "अन्य आय" के रूप में व्यवस्थित आधार पर उस अवधि के दौरान मान्य किया जाता है जिसमें कंपनी संबंधित लागतों को व्यय के रूप में मान्य करती है, जिसके लिए अनुदानों का उद्देश्य क्षतिपूर्ति करना होता है।

ifjlaifRr;ksa l s lacaf/kr vuqnku ¼iwath vuqnku½

मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों और पट्टे पर भूमि से संबंधित अनुदानों के मामले में, परिसंपत्तियों की लागत सकल मूल्य पर दर्शाइ जाती है और उस पर अनुदान को आस्थगित आय के रूप में मान्य किया जाता है, जिसे आमतौर पर अवधि के दौरान लाभ या हानि के विवरण में "अन्य आय" और उस अनुपात, जिसमें मूल्यह्रास/परिशोधन लगाया जाता है, के रूप में मान्य किया जाता है।

गैर–मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों से संबंधित अनुदानों के मामले में, परिसंपत्तियों की लागत सकल मूल्य पर दर्शाइ जाती है और उस पर अनुदान को आस्थगित आय के रूप में मान्य किया जाता है, जिसे आमतौर पर लाभ या हानि के विवरण में उस अवधि के दौरान "अन्य आय" के रूप में मान्य किया जाता है, जो अनुदान की शर्तों, जैसे कि पूंजी अनुदान से प्राप्त भूमि पर बनाई गई कैवर्न्स के उपयोगी–अवधि के दौरान, के तहत दायित्वों को पूरा करने की लागत को वहन करती है।

'ks;j/kkjdksa l s vuqnku

शेयरधारकों से प्राप्त राजस्व अनुदान को लाभ और हानि विवरण में व्यवस्थित आधार पर उस अवधि के दौरान मान्य किया जाता है, जिसमें कंपनी संबंधित लागतों को व्यय के रूप में मान्य करती है, जिसके लिए अनुदान की क्षतिपूर्ति करने का आशय होता है।

मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों और पट्टे पर भूमि से संबंधित अनुदानों के मामले में, परिसंपत्तियों की लागत सकल मूल्य पर दर्शाइ जाती है और उस पर अनुदान को आस्थगित आय के रूप में मान्य किया जाता है, जिसे आमतौर पर अवधि के दौरान लाभ या हानि के विवरण में "अन्य आय" और उस अनुपात, जिसमें मूल्यह्रास/परिशोधन लगाया जाता है, के रूप में मान्य किया जाता है।

गैर–मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों से संबंधित अनुदानों के मामले में, परिसंपत्तियों की लागत सकल मूल्य पर दर्शाइ जाती है और उस पर अनुदान को आस्थगित आय के रूप में माना जाता है, जिसे आमतौर पर लाभ या हानि के विवरण में "अन्य आय" के रूप में मान्य किया जाता है, जो अनुदान की शर्तों के तहत दायित्वों को पूरा करने की लागत वहन करती है।

vU; vuqnku

व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) के लिए वित्तीय सहायता या तो पूंजी अनुदान या प्रचालन राजस्व अनुदान के रूप में हो सकती है, जो परियोजना के वित्तीय समर्थन के लिए योजना पर निर्भर करता है। वीजीएफ को योजना के अनुसार लेखा बहियों में राजस्व या पूंजी के रूप में मान्य किया जाता है, जैसा कि ऊपर वर्णित है।

किसी भी ब्याज छूट योजना के तहत मिलने वाला लाभ पूंजीगत व्यय या राजस्व व्यय के लिए ऋण हो सकता है। इसे निधि के उपयोग के अनुसार लेखा बहियों में राजस्व या पूंजी के रूप में मान्य किया जाएगा।

1.11 iVV

भारतीय लेखांकन मानक 116 के अनुसार पट्टेदारों को पट्टे की अवधि को पट्टे की गैर–रद्द करने योग्य अवधि के रूप में निर्धारित करना होता है, जिसे पट्टे का विस्तार करने या समाप्त करने के किसी भी विकल्प के साथ समायोजित किया जाता है, यदि ऐसे विकल्प का उपयोग यथोचित रूप से निश्चित है। कंपनी पट्टा–दर–पट्टा आधार पर अपेक्षित पट्टे की अवधि का आकलन करती है और इस प्रकार यह आकलन करती है कि क्या यह यथोचित रूप से निश्चित है कि संविदा विस्तार करने या समाप्त करने के किसी भी विकल्प का प्रयोग किया जाएगा। भावी अवधि में पट्टे की अवधि का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पट्टे की अवधि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों को दर्शाती है।

iVVnkj d : i e d iuh

क) कंपनी पट्टा आरंभ तिथि पर उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति और पट्टा देयता को मान्य करती है। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति को शुरू में लागत पर मापा जाता है, जिसमें पट्टा देयता की आरंभिक राशि शामिल होती है, जिसे आरंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टा भुगतान में कोई भी आरंभिक प्रत्यक्ष लागत और अंतर्निहित परिसंपत्ति को नष्ट करने और हटाने या अंतर्निहित परिसंपत्ति या जिस स्थान पर वह स्थित है उसे पुनर्स्थापित करने की लागत के अनुमान के जोड़कर और प्राप्त किए गए किसी भी पट्टा प्रोत्साहन को घटा कर समायोजित किया जाता है।

ख) उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति का मूल्यह्रास ऋजु रेखा पद्धति का उपयोग करते हुए आरंभ तिथि से उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति की उपयोगी–अवधि की समाप्ति या पट्टे की अवधि की समाप्ति तक किया जाता है। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों की अनुमानित उपयोगी–अवधि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण समतुल्य ही निर्धारित की जाती है। इसके अलावा, उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति को समय–समय पर क्षतिग्रस्तता हानि, यदि कोई हो, द्वारा कम किया जाता है और पट्टे की देयता के कुछ पुनर्मापन के लिए समायोजित किया जाता है।

ग) पट्टा देयता को शुरू में पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है, जो आरंभ तिथि पर भुगतान नहीं किया जाता है, पट्टा में निहित ब्याज दर या, यदि वह दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है, तो होल्डिंग कंपनी की वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करके छूट दी जाती है। आम तौर पर, कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी की वृद्धिशील उधार दर को छूट दर के रूप में उपयोग करती है।

घ) पट्टा देयता के मापन में शामिल पट्टा भुगतान में निम्नलिखित शामिल हैं:

- निश्चित भुगतान, जिसमें सारभूत निश्चित भुगतान भी शामिल है;
- परिवर्तनशील पट्टा भुगतान जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर करते हैं, जिन्हें प्रारंभ तिथि के सूचकांक या दर का उपयोग करके मापा जाता है;
- अवशिष्ट मूल्य गारंटी के अंतर्गत देय होने वाली अपेक्षित राशियाँ; और
- क्रय विकल्प के तहत प्रयोग मूल्य, जिसका प्रयोग करने के लिए कंपनी यथोचित रूप से निश्चित है, वैकल्पिक नवीकरण अवधि में पट्टा भुगतान, यदि कंपनी विस्तार विकल्प का प्रयोग करने के लिए यथोचित रूप से निश्चित है, तथा पट्टे की समयपूर्व समाप्ति के लिए शास्ति, जब तक कि कंपनी समयपूर्व समाप्ति न करने के लिए यथोचित रूप से निश्चित न हो।

ङ) पट्टा देयता को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। इसके बाद इसे फिर से मापा जाता है जब सूचकांक या दर में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले भावी पट्टा भुगतान में कोई परिवर्तन होता है, यदि अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत देय होने वाली अपेक्षित राशि के कंपनी के अनुमान में कोई परिवर्तन होता है, या यदि कंपनी अपने मूल्यांकन में परिवर्तन करती है कि वह खरीद, विस्तार या समाप्ति विकल्प का प्रयोग करेगी या नहीं।

च) जब पट्टा देयता को इस तरीके से पुनः मापा जाता है, तो उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में संगत समायोजन किया जाता है या यदि उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि शून्य हो गई है, तो उसे लाभ और हानि विवरण में दर्ज किया जाता है।

vYikof/k iVVs vkj de eY; dh ifjlaifŸk;ka ds iVVs

कंपनी ने 12 माह तक की पट्टा अवधि वाली रियल एस्टेट संपत्तियों के अल्पकालिक पट्टों के लिए उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों और पट्टे देयताओं को मान्य न करने का चयन किया है। कंपनी पट्टे की अवधि पर एक ऋजु–रेखा के आधार पर एक व्यय के रूप में इन पट्टों से जुड़े पट्टे भुगतान को मान्य करती देती है।

iVVknkrk ds :i esa daiuh

जिन पट्टों के लिए कंपनी पट्टादाता है, उन्हें इंड एएस के अनुसार वित्त या प्रचालन पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्रचालन पट्टा के लिए, किराये की आय को पट्टा की सहमत शर्तों के अनुसार मान्य किया जाता है। एक पट्टादाता शुरू में भावी पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य और पट्टादाता को मिलने वाले किसी भी अगारंटीकृत अवशिष्ट मूल्य पर एक वित्त पट्टा प्राप्य को मापता है। पट्टादाता इन राशियों को पट्टा में निहित दर या, यदि वह दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है, तो होल्डिंग कंपनी की वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करके छूट देता है। आम तौर पर, कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी की वृद्धिशील उधार दर को छूट दर के रूप में उपयोग करती है।

1.12 deZpkjh fgrykHk

- vYidkfyd nkf;Ro

  वेतन और मजदूरी के लिए देयताएं, जिनमें गैर–मौद्रिक लाभ भी शामिल हैं, जिनका भुगतान उस अवधि के अंत के बाद प्रचालन चक्र के भीतर किया जाना अपेक्षित है, जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवाएं प्रदान करते हैं, उन्हें उस अवधि में मान्य किया जाता है, जिसमें संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं, तथा उनका भुगतान किए जाने की अपेक्षित छूट रहित राशि पर मापन किया जाता है।

- ifjHkkf"kr va'knku ;kstuk,¡

  वर्ष के दौरान राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) कोष में कंपनी द्वारा भुगतान/देय अंशदान को 'ओ एंड एम व्यय' के अंतर्गत भारत सरकार/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से वसूली योग्य/वसूल किए गए प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय के रूप में कर्मचारी हितलाभ व्यय के रूप में मान्य किया गया है।

- ifjHkkf"kr fgrykHk ;kstuk,¡

  ग्रेच्युटी के संबंध में मान्य दायित्व रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है जिसमें योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य घटाया जाता है। परिभाषित हितलाभ दायित्व की गणना वार्षिक रूप से बीमांकिक द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करके की जाती है। बीमांकिक लाभ और हानि तथा योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ (निवल ब्याज को छोड़कर) को शामिल करते हुए पुनर्मापन को 'ओ एंड एम व्यय' के तहत भारत सरकार/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से वसूली योग्य/वसूल किए गए संचालन और अनुरक्षण व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।

- NqVVh udnhdj.k vkSj {kfriwfjr vuqifLFkfr

  छुट्टी नकदीकरण और क्षतिपूरित अनुपस्थिति के लिए देयताएं, जिन्हें कर्मचारियों द्वारा संबंधित सेवा प्रदान करने की अवधि के अंत के बाद प्रचालन चक्र के भीतर पूरी तरह से निपटाने की उम्मीद न है, को वार्षिक रूप से एक्चुअरी द्वारा अनुमानित भावी नकदी बहिर्वाह के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है, जिसका भुगतान प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके किए जाने की उम्मीद होती है। बीमांकिक लाभ और हानि को भारत सरकार/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से वसूली योग्य/वसूल किए गए संचालन और अनुरक्षण व्यय, जब भी किए जाते हैं, के रूप में मान्य किया जाता है।

1.13 izko/kku] vkdfLed nsu;rk,a vkSj vkdfLed ifjlaifŸk;ka ¼baM ,,l&37½

कंपनी प्रावधान को तब मान्य करती है जब विगत घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है और इस बात की अधिक संभावना होती है कि ऐसे दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों का बहिर्वाह होगा और ऐसे दायित्व की राशि का विश्वसनीय

रूप से अनुमान लगाया जा सकता है। प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य पर छूट नहीं दी जाती है और वर्ष के अंत में दायित्व की राशि के प्रबंधन के सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक तुलन–पत्र तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है और प्रबंधन के सर्वोत्तम अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण उन संभावित दायित्वों के संबंध में किया जाता है जो विगत घटनाओं से उत्पन्न हुए हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल भावी घटनाओं के घटित होने या न होने से होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं। आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण ऐसे वर्तमान दायित्वों के लिए भी किया जाता है जिनके संबंध में यह संभावना नहीं है कि संसाधनों का बहिर्वाह होगा या दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

जब कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व हो, जहां संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना बहुत कम हो, तो कोई प्रकटीकरण या प्रावधान नहीं किया जाता है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों को मान्य नहीं किया जाता है तथा उनका प्रकटीकरण तब किया जाता है, जहां आर्थिक लाभ के प्राप्त होने की संभावित होती है।

1.14 izfr 'ks;j vk;

प्रति शेयर मूल आय की गणना, इक्विटी शेयरधारकों को देय अवधि के निवल लाभ या हानि को, उस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

प्रति शेयर तनुकृत आय की गणना के प्रयोजन के लिए, इक्विटी शेयरधारकों को देय अवधि के लिए निवल लाभ या हानि तथा अवधि के दौरान बकाया शेयरों की संख्या को सभी तनुकृत संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाएगा।

1.15 HkaMkj

कच्चे तेल के भंडार का मूल्यांकन 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर निर्धारित लागत या निवल प्राप्ति योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है। लागत में खरीद की सभी लागतें, संपरिवर्तन की लागत और भंडार को वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में वहन की जाने वाली अन्य लागतें शामिल हैं।

1.16 eq[;ky; 0;; vkcaVu

मुख्यालय के व्यय को सभी चालू यूनिटों/साइटों के बीच समान रूप से आबंटित किया जाता है।

1[k: Hkkjrh; ys[kkdu ekudksa ¼baM ,,l½ esa gkfy;k la'kks/ku

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) नए मानक या मौजूदा मानकों में संशोधन को अधिसूचित करता है। 31 मार्च, 2023 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 242(ई) के 31 मार्च, 2023 को मौजूदा मानकों में संशोधनों को अधिसूचित किया गया है जो 01 अप्रैल, 2023 से लागू होते हैं। इन अधिसूचित संशोधनों का वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी पर लागू कोई नया मानक या मौजूदा मानकों में संशोधन अधिसूचित नहीं किया है।

अध्याय–10

परिशिष्ट

परिशिष्ट – 1

तेल उद्योग विकास अधिनियम, 1974 की धारा–6 बोर्ड के कृत्य

6(1) इस अधिनियम के और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धो के अधीन रहते हुए, बोर्ड ऐसी रीति से ऐसे विस्तार तक और ऐसी शर्तो और निबन्धनों पर जो वह ठीक समझे, ऐसे सभी अध्युपायों के संप्रवर्तन के लिए जो उसकी राय में तेल उद्योग के विकास में साधक हों, वित्तीय और अन्य सहायता देगा।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड उस उपधारा के अधीन निम्नलिखित रीति से सहायता दे सकता है, अर्थात् :—

(क) किसी तेल उद्योग समुत्थान या अन्य व्यक्ति को जो धारा 2 के खण्ड (ट) में निर्दिष्ट क्रियाकलापों में लगा हुआ है या लगने वाला है, अनुदान या उधार देनाय

(ख) किसी तेल उद्योग समुत्थान या अन्य व्यक्ति द्वारा लिए गए ऐसे उधारों की, जो पच्चीस वर्ष से अनाधिक अवधि के भीतर प्रतिसंदेय हों और बाजार में चालू किए गए हों या किसी तेल उद्योग समुत्थान या अन्य व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे बैंक से, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में यथा परिभाषित अनुसूचित बैंक या राज्य सहकारी बैंक हैं, लिए गए उधारों की ऐसी शर्तो और निबन्धनों पर जो करार पाए जाएं प्रत्याभूति देना;

(ग) भारत के बाहर से पूंजी माल के आयात के संबंध में किसी तेल उद्योग समुत्थान या अन्य व्यक्ति से अथवा भारत के भीतर पूंजी माल के क्रय के संबंध में ऐसे समुत्थान या अन्य व्यक्ति द्वारा शोध्य आसीमित संदायों की, ऐसी शर्तो और निबन्धनों पर जो करार पाए जाएं प्रत्याभूति देना;

(घ) किसी तेल उद्योग समुत्थान या अन्य व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किसी देश में, किसी बैंक या वित्तीय संस्था से विदेशी करेंसी में लिए गए उधारों की या किए गए प्रत्यय ठहरावों की, ऐसी शर्तो और निबंधनों पर जो करार पाएं जाए, प्रत्याभूति देना

परन्तु ऐसी कोई प्रत्याभूति केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना नहीं दी जाएगी;

ड़) किसी तेल उद्योग समुत्थान के स्टॉक, शेयरों, बंधपत्रों या डिवेंचरों के पुराधरण की हामीदारी करना और उनके संबंध में अपनी बाध्यताओं को पूरा करने में जिन स्टॉक, शेयरों, बंधपत्रों या डिवेंचरों को उसे लेना पड़े उन्हें अपनी आस्तियों के भाग रूप रखे रहना;

(च) केन्द्रीय सरकार या किसी विदेशी वित्तीय संगठन या प्रत्यक्ष अभिकरण द्वारा दिए गए उधार या अग्रिम धन के या अभिदाय किए गए डिबेंचरों के संबंध में किसी तेल उद्योग समुत्थान के साथ किसी कारोबार के संव्यवहार में, केन्द्रीय सरकार के या उसके अनुमोदन से ऐसे संगठन या अभिकरण के अभिकर्ता के रूप में कार्य करना;

(छ) किसी तेल उद्योग समुत्थान के स्टॉक या शेयरों के लिए अभिदाय करना;

(ज) किसी तेल उद्योग समुत्थान के ऐसे डिबेचरों के लिए अभिदाय करना जो अभिदाय की तारीख से 25 वर्ष से अनाधिक अवधि के भीतर प्रतिसंदेय है:

परन्तु इस खंड की कोई बात बोर्ड को किसी तेल उद्योग समुत्थान के ऐसे डिवेंचरों के लिए अभिदाय करने से निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी जिन पर परादेय रकम बोर्ड के विकल्प पर उस अवधि के भीतर जिसमें डिवेंचर प्रतिसंदेय हैं, उस समुत्थान के स्टॉक या शेयरों में संपरिवर्तनीय है।

स्पष्टीकरण :— इस खण्ड में, किसी उधार या अग्रिम धन के संबंध में "जिन पर परादेय रकम" पद से ऐसे उधार या अग्रिम धन पर उस समय संदेय मूलधन, ब्याज और अन्य प्रभार अभिप्रेत है जब उन रकमों को स्टॉक या शेयरों में संपरिवर्तित किया जाना है।

(3) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उन अध्युपायों के अन्तर्गत, जिनके संप्रवर्तन के लिए बोर्ड उस उपधारा के अधीन सहायता दे सकता है, निम्नलिखित के लिए या के रूप में अध्युपाय भी हैं, अर्थात :–

(क) भारत के भीतर (जिनके अन्तर्गत भारत का कॉन्टीनेन्टल शेल्फ भी है) या भारत के बाहर तेल का पूर्वेक्षण और खोज,

(ख) कच्चे तेल के उत्पादन, हैंडलिंग, भण्डारकरण और परिवहन के लिए सुविधाओं की व्यवस्था,

(ग) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का परिष्करण और विपणन,

(ध) पेट्रो–रसायनों और उर्वरकों का विनिर्माण और विपणन,

(ड.) वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक अनुसंधान जो तेल उद्योग को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोगी हो सके,

(च) तेल उद्योग के किसी क्षेत्र में प्रयोगात्मक या आरम्भिक अध्ययन,

(छ) तेल उद्योग के किसी क्षेत्र में लगे हुए या लगने वाले कार्मिकों का भारत के भीतर या भारत के बाहर प्रशिक्षण और ऐसे अन्य अध्युपाय जो विहित किए जाए।

(4) बोर्ड अपने कृत्यों के प्रयोग में अपने द्वारा दी गई सेवाओं के लिए ऐसी फीस ले सकता है या ऐसा कमीशन प्राप्त कर सकता है जो वह समुचित समझे।

(5) बोर्ड किसी तेल उद्योग समुत्थान को या अन्य व्यक्ति के द्वारा दिए गए उधार या अग्रिम धन के संबंध में किसी लिखित को प्रतिफल के लिए अंतरित कर सकता है।

(6) बोर्ड वे सभी बाते कर सकता है जो इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के आनुवांशिक या पारिणामिक हों।

परिशिष्ट – 2

वित्त लेखा, और संपरीक्षा

तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा–15

15(1) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, अनुसूची के स्तम्भ–2 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक मद पर जो भारत में (जिसके अन्तर्गत भारत का कॉटिनेंटल शेल्फ भी है) उत्पादित की जाती है और जो –

(क) किसी परीक्षणशाला या कारखाने के लिए हटाई है, या

(ख) उस व्यक्ति द्वारा जिसके द्वारा मद उत्पादित की जाती है, किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित की जाती है, उस अनुसूची के स्तम्भ 3 में तत्स्थानी प्रविष्टि में दी गई दर में अनधिक ऐसी दर पर जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें, उत्पाद–शुल्क उपकर के रूप में उदग्रहीत और संग्रहीत किया जाएगा,

परन्तु जब तक केन्द्रीय सरकार कच्चे तेल की बाबत (जो उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट मद है) ऐसी अधिसूचना द्वारा उत्पाद–शुल्क की दर विनिर्दिष्ट नहीं करती है तब तक इस उपधारा के अधीन कच्चे तेल पर उत्पाद शुल्क 60 रूपये प्रति टन की दर से उदगृहीत और संग्रहीत किया जायेगा (20 प्रतिशत यथा मूल्य दिनांक 1.3.2016 से)।

(2) किसी मद पर उपधारा (1) के अधीन उदगृहणीय प्रत्येक उत्पाद–शुल्क उस व्यक्ति द्वारा संदेय होगा जो उस मद का उत्पादक करता है और कच्चे तेल की दशा में उत्पाद–शुल्क परीक्षणशाला में प्राप्त मात्रा पर संग्रहीत किया जायेगा।

(3) अनुसूची में विनिर्दिष्ट मदों पर उपधारा 9(1) के अधीन उत्पाद शुल्क तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उन मदों पर उदगृहणीय उपकर या शुल्क के अतिरिक्त होगा।

(4) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंध जिसके अन्तर्गत प्रतिदाय और शुल्क में छूट से संबंधित उपबंध भी हैं, जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन उदगृहणीय उत्पाद शुल्क के उदग्रहण और संग्रहण के संबंध में लागू होंगे और इस प्रयोजन के लिए उस अधिनियम के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानों यह अधिनियम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी मदों पर उत्पाद–शुल्क के उदग्रहण के लिए उपबंध करता है।

तेल उद्योग (विकास)अधिनियम, 1974 की धारा – 16–शुल्क के आगमों का भारत की संचित निधि में जमा किया जाना।

16. धारा–15 के अधिन उद्गृहीत उत्पाद–शुल्क के आगम पहले भारत की संचित निधि में जमा किए जायेंगे और केन्द्रीय सरकार, यदि संसद इस निमित्त बनाई गई विधि द्वारा विनियोग द्वारा इस प्रकार उपबंधित करे तो बोर्ड को समय–समय पर ऐसे आगमों में से संग्रहण के खर्चों की कटौती करने के पश्चात इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विशेषतः उपयोग के लिए इतनी धनराशियां दे सकती है, जो यह ठीक समझे।

तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा–17– केंन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान और उधार

17 केन्द्रीय सरकार संसद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा सम्यकृत विनियोग किए जाने के पश्चात बोर्ड को अनुदान या उधार के रूप में ऐसी धनराशियां दे सकती है जो केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे।

तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा–18–तेल उद्योग विकास निधि

18(1).तेल उद्योग विकास निधि के नाम से एक निधि बनाई जायेगी उस निधि में निम्नलिखित धनराशियां जमा की जायेंगी, अर्थात्

(क) धारा–16 या 17 के अधीन भुगतान की गई राशि,

(ख) वे अनुदान जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा दिए जाये,

(ग) बोर्ड द्वारा लिये गए उधार,

(ध) वे राशियां, यदि कोई हों, जो बोर्ड द्वारा अपने कार्यो के निष्पादन अथवा इस अधिनियम के प्रशासन में वसूल की जाएं।

(2) निधियों का निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जायेगाः—

(क) बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों और उसके सलाहकारों, परामर्शदाताओं या अन्य अभिकरणों को, जिनकी बोर्ड सेवाएं प्राप्त करे वेतन, भत्ते, मानदेय तथा अन्य परिश्रमिक देने के लिए

(ख) बोर्ड अन्य प्रशासनिक खर्चो को पूरा करने के लिए,

(ग) धारा—6 के अन्तर्गत सहायता देने के लिए,

(घ) बोर्ड द्वारा लिए गए ऋणों का भुगतान करने अथवा इस अधिनियम के अन्तर्गत अन्य देयताओं को पूरा करने के लिए।

तेउविबो
OIDB

तेल उद्योग विकास बोर्ड

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

भारत सरकार

देश में तेल उद्योग के विकास हेतु प्रतिबद्ध संस्थान

पंजीकृत कार्यालयः
301, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, तीसरी मंजिल, बाबर रोड़, नई दिल्ली–110001

कॉर्पोरेट कार्यालयः
ओआईडीबी भवन, सी ब्लॉक, तीसरी मंजिल, प्लाट नं.–2, सेक्टर–73, नोएडा, उत्तर प्रदेश